राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चवालीसवां दिवस [संख्या : 26

गुरुवार,

9 अप्रैल, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम-राम, साहब। नमस्कार, साहब। नमस्कार, साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आज आपने पहले इधर कैसे किया नमस्कार?

श्री अध्यक्ष: हमेशा इधर स्तुति करता हूं, आज मैंने मेरी स्तुति इधर से चालू करके यहां समाप्त की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन नियम यह है कि 'दुर्जनम् प्रथमं वन्दे। सज्जनम् तदनंतरम्'।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप हमें गाली दे रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, गाली नहीं दे रहा हूं, बड़ाई कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। बड़ाई नहीं कर रहे हैं। पंडितजी कुछ-कुछ फुलझड़ी छोड़ने के आदी हैं, इसलिए फुलझड़ी छोड़ दी आज भी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आते ही आज गालियां दे दीं।

श्री अध्यक्ष: आज अपना इस सत्र का आखिरी दिन है, अगले सत्र में फिर मिलेंगे। आज थोड़ा-थोड़ा सब प्रेमपूर्वक हो जाये। जरा तीखापन नहीं आये, जरा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे जिससे यह खुशनुमा गर्मी अगले सत्र तक बनी रहे। इसलिए छोटी-मोटी फुलझड़ी छोड़ने दो।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से हाउसिंग बोर्ड द्वारा भवन निर्माण

(श्री अध्यक्ष)

के ठेके दिए जाने पर संवेदकों द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने से भवन आबंटियों पर पड़ रहे अतिरिक्त वितीय भार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के गांवों में खेतों के बीच बने श्मशानों के लिए खेत से रास्ता नहीं देने से गरीब तथा पिछड़े लोगों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बिना पौधों की जांच किये किसानों को पौधे उपलब्ध करवाने से किसानों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में ।

(4) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की लापरवाही से एजेन्टों द्वारा कथित रूप से फर्जी एन.ओ.सी. और कन्सैंट जारी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत के पांच दर्जन से अधिक गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

हीरालालजी स्वस्थ होकर आ गये? बधाई देता हूं मैं।

एक माननीय सदस्य: अभी तो नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा। ये तो पहले दिये हुए हैं, 295 वाले हैं। गाय ने उनको ठोकर मार दी थी जिससे वे अस्पताल में भर्ती हैं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से निवाई शहर के रोडवेज बस स्टैंड को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(2) श्री शैतान सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पोकरण के नव-क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार व्याख्याताओं की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से फतेहपुर की स्वीकृत

(श्री अध्यक्ष)

सीवरेज परियोजना के कार्य की गुणवत्ता की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री विद्याशंकर नन्दवाना, सदस्य की ओर से कोटा सम्भाग में राजस्व मण्डल की डबल बैंच की स्थापना करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोरधन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद में सड़कों की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा राज्य सरकार व उनके मध्य हुए एम.ओ.यू. की जानबूझकर अवहेलना कर चीफ प्रोक्टर व प्रोक्टर के पद पर नियुक्ति में भारी धांधली होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री बंशीधर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की पेयजल से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री जगसीराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पी.पी.पी. स्कीम के तहत स्वीकृत मेगा हाइवे के अन्तर्गत 4 किलोमीटर रेवदर एवं 4 किलोमीटर मण्डार कस्बे के बाइपास बनाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री किशनाराम, सदस्य की ओर से प्रदेश में सेन समाज को छात्रावास बनाने हेतु नि:शुल्क अथवा कम राशि पर भूमि आबंटन करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(10) श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के ग्राम पारेवर-मोकला व अन्य ग्रामों की सरहद में वन विभाग द्वारा करवाई जा रही चारदीवारी का निर्माण कार्य रुकवाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(11) म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय व लोक शिक्षा केन्द्र (साक्षरता) में वर्ष 2003 से कार्यरत प्रेरकों को नियमित नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

(12) श्री नवनीत लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव बड़ाना के कनपुरा पांडा के 33 आदिवासी किसानों के कुओं को गहरा कराकर खेती योग्य बनाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

लेकिन आज बिजनस बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाये?

(स्वीकृत)

295 की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत, पढ़ी मानी गयीं, विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

आज दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 36 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नलिखित हैं:-

(1) श्री कैलाश भंसाली, जोधपुर आई.आई.टी. को पुन: कानपुर स्थानांतरित किये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में;

(2) श्री झाबर सिंह खर्रा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अधिकारियों द्वारा लम्बे समय से कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में;

(3) श्री रामहेत सिंह यादव, जयपुर व भरतपुर सम्भाग में गैर-खातेदारी किसानों को खातेदारी हक देने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में; एवं

(4) श्री शंकर सिंह, ब्यावर क्षेत्र में बीसलपुर योजना का कार्य धीमी गति से होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री कैलाश भंसाली।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर आई.आई.टी. को कानपुर स्थानांतरित किये जाने हेतु किये जा रहे प्रयास

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में आई.आई.टी. राजस्थान का गौरव है। बहुत मुश्किल से आई.आई.टी. जोधपुर में आई है और वह भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। इसलिए मेरी रेस्पोंसिबिलिटी बनती है कि मैं सदन को यह बात बताऊं।

(श्री कैलाश भंसाली)

आई.आई.टी. को खुले हुए 2 वर्ष हुए हैं, लोगों ने 16 डायरेक्टर्स को टिकने नहीं दिया। उसमें से विशेषकर वामपंथी विचारधारा के प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से आंदोलन खड़ा करके उनको रुकवाया है। अभी हाल ही में सी वी आर मूर्ति साहब को कानपुर से, जो भारत की श्रेष्ठ आई.आई.टी. में से एक है, उनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी डायरेक्टरशिप के आते ही ये लोग बौखला गये। इन्होंने कहा कि इतना सख्त आदमी, मुझे याद है, गड़करीजी, एम बी एम इंजीनियरिंग कालेज जब जोधपुर में शुरू हुआ था, इतने सख्त थे कि आज सारे राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में जोधपुर के एम बी एम इंजीनियरिंग कालेज का नाम है। उसका कारण वे थे।

मैं समझता हूं कि ऐसे डायरेक्टर को सरकार पूरी तरह से मदद करे; राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार भी उनको मदद करे। अवांछित तत्वों को फेडरेशन के द्वारा जिस तरह का आंदोलन आज जोधपुर में चलाया गया है, जिस प्रोफेसर के खिलाफ कार्यवाही की गयी, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दी। कल उन्होंने उसको विथड्रा कर लिया। आज उनका रिटायरमेंट डे है। इसलिए यह उग्र आंदोलन किया गया है।

मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से और शिक्षा मंत्रीजी और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी से कि वे इस आंदोलन को समाप्त करावें। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से आई.आई.टी. में एडमिशन होते हैं, बड़ी मुश्किल से लोग इतनी सारी परीक्षाओं को देकर आगे बढ़ते हैं, उनके हितों की रक्षा की जाये, उनको काम करने दिया जाये।

जोधपुर का गौरव बढ़ाने के लिए आई.आई.टी. को रखना जरूरी है। सी वी आर मूर्ति साहब को डायरेक्टर बनाया है, उनको ही जोधपुर में रखा जाये। जन भावनाएं भी इस बारे में जुड़ी हुई हैं। मेरे पास कई लोगों के फोन आये हैं। आज सुबह से लगातार आ रहे हैं कि यह बड़ा खराब हो जायेगा, अगर जोधपुर से आई.आई.टी. को कहीं और स्थानान्तरित कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस बात को गम्भीरता से लें। जो आंदोलन फेडरेशन ने चालू किया है, उसको रोका जावे। धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार मेरा भी, मेरा भी विषय इसमें साथ है। हम दोनों का जुड़ा हुआ हित है।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर से जुड़ा हुआ हित है। एक मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा हित जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्षः आपका एसोशिएट किया जाता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अच्छा एसोसिएट ही, एक मिनट ही। मैं आपके एक बात नालेज में लाना चाहता हूं, जो जोधपुर के हितों के लिए है, जोधपुर सम्भाग के हितों के लिए है। यह आई.आई.टी. बड़ी मुश्किल से आई, लेकिन जो आंदोलन हो रहा है वह आंदोलन छात्रों द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा आर्टिफिशियली क्रिएट की गई प्राब्लम है।

श्री अध्यक्षः यह बात आ गई।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अगली बात।

श्री अध्यक्षः आ गयी बात, आप बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः हां, वह सारी बात आ गयी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर के हितों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। ऐसी फैकल्टी इंडिया में 2-3 ही हैं। ऐसी कोई पर्सनेलिटी भी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बात आ गई। विराजिये। मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आई आई टी, जोधपुर हमारे प्रदेश के लिए निश्चित ही गौरव की बात है, इसको किसी भी हालत में यहां से स्थानांतरित नहीं होने दिया जाएगा। इस पर्ची के लगने के बाद मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकारियों से बातचीत की है और जोधपुर आई आई टी के निदेशक हैं मिस्टर मूर्ति, उनसे भी बात की है। तो ऐसा कोई कहीं कोई प्रस्ताव नहीं है।

कानपुर आई आई टी का जहां तक सवाल है, वह एक अलग संस्था है और जोधपुर आई आई टी अलग संस्था है।

(श्री कालीचरण सराफ)

वहां जो आंदोलन चल रहा है, मैंने वहां के जो डायरेक्टर हैं, उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि प्रशासन का जिस प्रकार का भी सहयोग अपेक्षित होगा, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार उनके साथ है, प्रशासन उसका पूरा साथ देगा। कोई यह चाहे कि यह कोई आंदोलन करके और किसी निदेशक को हटा दिया जाए, अच्छे व्यक्ति को हटा दिया जाए, इस बात को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। वे निदेशक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैंने पता कर लिया है, किसी भी हालत में उनको हटाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आई आई टी जोधपुर, जोधपुर में थी, जोधपुर में है और जोधपुर में रहेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों व डेयरी फेडरेशन के अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताएं

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में किसानों, विशेषकर जो दुग्ध उत्पादक हैं, उनके साथ जनता के धन से खड़ी की गई संस्थाएं, जिलों के सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ और प्रदेश के फेडरेशन के अधिकारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के जरिये पिछले कई सालों से उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। प्रदेश में जिलों की जितनी भी सहकारी डेयरियां हैं, सब में इतनी अनियमितता और भ्रष्टाचार है कि प्रदेश के गरीब दुग्ध उत्पादकों को रोजाना लगभग 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि खेती के लिए भूमि जल स्तर उपलब्ध नहीं है, नहरों के अपने यहां बहुत कम साधन हैं, किसान को खेती के साथ में कोई वैकल्पिक व्यवसाय करना जरूरी होता है और पशुपालन और दुग्ध उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है जो खेती के साथ बहुत अच्छी तरह से किसान कर सकता है। इससे किसान की आर्थिक बदहाली में सुधार हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर इन दुग्ध उत्पादक संघों और फेडरेशन की स्थापना हुई होगी, लेकिन ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह असफल रहे हैं।

मैं आपके मार्फत राज्य सरकार और डेयरी मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि दुग्ध की कीमतें, सहकारी डेयरियां हैं वे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों का लगभग 20 फीसदी हिस्सा ही क्रय कर पाती हैं। 80 फीसदी हिस्सा निजी डेयरियां या दूधिये क्रय करते हैं। दूध के भाव सरकारी डेयरी के हिसाब से

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

चलते हैं। हमारी सीकर डेयरी में भी लगभग 4 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ और इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। फेडरेशन के अधिकारी उनको बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसमें पूर्ण रूप से सफल भी हो रहे हैं और जो लोग उनके सहायक थे उन सबके खिलाफ कार्यवाही हो गई है।

मैं इस मामले में मंत्रीजी को बताना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि बिना अधिकारियों के बिल पर दस्तखत किए, बिल पास किए, चैक पर दस्तखत किए, किसी भी समिति को भुगतान नहीं जाता है। उन्होंने अनैतिक दबाव बनाकर समितियों के सचिवों को इस बात के लिए बाध्य किया कि हम आपकी समिति के नाम से फर्जी बिल बनाएंगे, फर्जी दूध की आपूर्ति प्राप्त करेंगे, उसका भुगतान आपको देंगे और उसके पेटे आप पांच-दस परसेंट की राशि काट कर बाकी, जैसे ही चैक जाता है, वह बैंक से कैश लेकर आता है, डेयरी के अधिकारी पीछे-पीछे पहुंच जाते और बैंक से नब्बे फीसदी पैसा जेब में डालकर वापस डेयरी में आ जाते। जिन्होंने नब्बे फीसदी पैसे का भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने फर्जी बिल बनाये हैं, फर्जी बिल पास किये हैं, चैक पर दस्तखत किये हैं, एक भी अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जो दस परसेंट वाले हिस्सेदार थे, उन सबके खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है।

सबसे पहला तो मेरा निवेदन यह रहेगा कि इस मामले में मंत्री महोदय ध्यान दें और गम्भीरता से जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, बिना अधिकारी के दस्तखतों के कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, कोई भी अनियमितता नहीं हो सकती, यह शाश्वत सत्य है और इस शाश्वत सत्य को ध्यान में रखते हुए, उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करके और इस राशि की वसूली का प्रयास ही नहीं करें, राशि को वसूल करवाने का पुख्ता प्रबन्ध करके राशि वसूल करवाएं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले दुग्ध पर सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी बंद होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि यह दो रुपये लीटर सब्सिडी मिल रही थी, उसको वापस शुरू करवाकर गरीब दुग्ध उत्पादकों को राहत प्रदान करवाने का श्रम करें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

साथ ही मैं उनका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि फेडरेशन के जितने भी प्लांट हैं पशु आहार के, उनमें भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कई जगह से उनके खिलाफ कार्यवाही की, पकड़े गये, करोड़ों की नकदी और सम्पत्तियां अधिकारियों के पास बरामद हुईं, लेकिन दुर्भाग्य से वे सारे अधिकारी, समाचारपत्रों के माध्यम से पता चला, मुकदमे में बरी हो गये हैं।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फेडरेशन के जितने भी पशु आहार के प्लांट हैं, जिनमें पशु आहार निर्मित होता है, वह घटिया क्वालिटी का निर्मित होता है और घटिया क्वालिटी के जरिये भ्रष्टाचार होता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पंजाब सरकार अपने यहां जो उच्च क्वालिटी का पशु आहार बनता है, वही पंजाब में बिकने के लिए स्वीकृत करती है। बाकी जितना भी पशु आहार, जिसमें सही क्वालिटी नहीं होती है, उसके बोरे पर लिखा हुआ आता है 'पंजाब में बिक्री के लिए नहीं'। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि पशुपालकों के हित में वे इस बारे में भी ध्यान दें और ऐसा कोई पुख्ता प्रबन्ध करें कि फैडरेशन के जरिये जितने उनके जो भी पशु आहार संयंत्र हैं, उनमें न्यूनतम मात्रा में जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिन-जिन घटकों की आवश्यकता होती है, वे पर्याप्त मात्रा में उसमें हों और उसके निर्माण में अच्छी गुणवत्ता के मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी चीजें उसमें डालनी चाहिए, वे डालें और वही पशु आहार राजस्थान में बिक्री के लिए स्वीकृत होना चाहिए। घटिया क्वालिटी का पशु आहार जिस प्रकार पंजाब सरकार ने प्रबन्ध कर रखा है कि वह पंजाब में बिक्री नहीं हो सकता, उसी प्रकार राजस्थान में भी बिक्री से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

प्रदेश में जितने भी दुग्ध उत्पादक संघ हैं, उनकी विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाकर उनकी कार्य प्रणाली की, उनकी अनियमितताओं की, वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार सबकी जांच करवाएं, तो मैं समझूंगा कि प्रदेश के करोड़ों गरीब दुग्ध उत्पादक किसानों का भला हो सकता है क्योंकि दुग्ध उत्पादक संघों और फेडरेशन में जो भी निर्वाचित संचालक मण्डल हैं, उनके पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं हैं। सारे अधिकार अधिकारियों के हाथों में निहित हैं।

पिछले दिनों माननीय मंत्रीजी का एक वक्तव्य आया था कि वे

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

स्वायत्तशासी संस्थान है, इसलिए उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई संस्थान अगर स्वायत्तशासी संस्थान है, उसका मतलब यह नहीं है कि उसमें जो भी अधिकारी लगे उनको स्वच्छंद विचरण करने का, अनियमितता करने का भ्रष्टाचार करने का अधिकार मिल जाता है। वे संस्थान राजस्थान के आम गरीब, किसान, मजदूर नागरिकों के खून-पसीने की कमाई की एक-एक पाई से निर्मित होते हैं। राज्य सरकार का हिस्सा उसी पैसे से जाता है, अगर हम उस पैसे से निर्मित, राजस्थान के आम गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी की खून-पसीने की कमाई से निर्मित किसी संस्थान को यह कहकर कि वह स्वायत्तशासी संस्थान है, हमारा उस पर नियंत्रण नहीं है, यह कहकर हम अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकते।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कानून में, नियमों में इस प्रकार की कोई कठिनाई है, कोई बाधा है, तो उसको दूर करें और इस प्रकार की स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लगाम लगाने के लिए कठोर से कठोर कानून बनायें और जो भी अधिकारी आम गरीब, किसान, मजदूर, दुग्ध उत्पादक के हितों पर कुठाराघात करता है, अनियमितता करता है, भ्रष्टाचार करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर गरीब लोगों को राहत दिलाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे।

आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दुग्ध संघ, सीकर और झुंझुनूं के बारे में पर्ची के माध्यम से जो प्रश्न उठाया है, मैं इसके संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2010 से 2013 तक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उस कार्यकाल के दौरान अधिक फैट दिखाकर या दूध की मात्रा में हेराफेरी करके, अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत करके, जिस प्रकार की अनियमितता या जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच करने के आदेश दिये गये थे। जोइंट रजिस्ट्रार,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

आर सी डी एफ के द्वारा उसकी जांच भी हम लोगों ने करायी है। जांच कराने में यह पाया भी है कि वास्तव में इसमें अनियमितताएं हुई हैं।

समाचार-पत्रों के माध्यम से इस समाचार को मैंने देखा था और मैंने आर सी डी एफ के एम डी को आदेश दिये हैं कि तत्काल प्रभाव से एक महीने में उसकी जांच का निस्तारण करें। जहां भी जांच को प्रभावित करने के लिए जांच अब तक पेंडिंग रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही का मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। जिन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और जिन अधिकारियों ने जान-बूझकर इसमें लीपापोती करके जांच को प्रभावित करने के लिए इसमें देरी की है, मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, एक माह में पूरे प्रकरण का निस्तारण कराकर, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ यदि आपराधिक प्रकरण की जरूरत होगी, तो वह भी हम लोग कराएंगे और यदि प्रशासनिक स्तर पर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी, तो सख्त से सख्त कार्यवाही कराऊंगा। यह मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहूंगा,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त जवाब आ गया।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): जिस जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट दी है और जिसके आधार पर मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि सीकर डेयरी में अनियमितता और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, फेडरेशन के एम डी ने उस अधिकारी को मूल विभाग के लिए रिलीव कर दिया है। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी? भ्रष्ट अधिकारियों की अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही कैसे होगी? यह मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: मिल लेना आप।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह बात सही है कि वहां के जो उप महाप्रबंधक (संयंत्र) थे, वे जांच अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जांच अधिकारी के और उनके आपस में विवाद होने से उसने खुद ने मना कर दिया कि मैं इसकी जांच करने में असमर्थ हूं। ऐसी स्थिति के बाद भी, उसको कार्यमुक्त करने के बाद भी,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जांच रिपोर्ट उसने आर सी डी एफ को प्रस्तुत कर दी थी। इस सारे विषय को भी मैं गम्भीरता से दिखा रहा हूं।

यदि मुझे असत्य सूचना दी गयी है, तो निश्चित रूप से आर सी डी एफ के चाहे कितने बड़े अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ भी मैं कार्यवाही करने के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः रामहेत सिंह यादव।

जयपुर व भरतपुर सम्भाग में गैर-खातेदारी किसानों को खातेदारी हक दिया जाना

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, उस समय बहुत सारे भारत के लोग पाकिस्तान की भूमि पर गये और पाकिस्तान से जो लोग आये, उनको पुरुषार्थी, शरणार्थी कहा गया। उन्होंने वहां पाकिस्तान में जो भूमि, भवन था, वह वहां छोड़ा और भारत में आकर राजस्थान सरकार या हिन्दुस्तान सरकार, जहां भी गये; उसके लिए मुआवजे के रूप में भूमि के बदले भूमि देना तय किया। राजस्थान में भी इस तरह सके बहुत सारे केस थे जो यहां से गये और वहां से आये। जाने वाले, जो जहां से गांव छोड़कर गये थे, उस भूमि को कस्टोडियन भूमि कहा गया। वहां से जो पुरुषार्थी आये, उनको जो कस्टोडियन भूमि, कस्टोडियन विलेज थे उसमें से जो भूमि सरकार के पास थी, उसको अलाटमेंट का काम राज्य सरकार ने किया। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है, 67 साल के बाद भी जो पुरुषार्थी आये थे, जिनको कस्टोडियन भूमि अलाट की गयी, अध्यक्ष महोदय, आज तक भी दर-दर की वे ठोकरे खा रहे हैं; उनको कस्टोडियन भूमि के खातेदारी राइट आज तक नहीं मिले।

ये तीन तरह की भूमियां हैं। गैर-खातेदारी कस्टोडियन भूमि, जिसमें एक आवंटी होता है, एक रहन व मौरूसी तथा गैर-मौरूसी होती है जो संवत् 2012 में उनके नाम चढ़ी। जो भूमि रह गयी, क्लेमेंट के अलावा जो भूमि बची, वह अन्य जो भूमिहीन व्यक्ति आये थे, उनको वह भूमि अलाट की गयी।

उसके कारण से सरकार ने नियम बनाया कि जो गैर-खातेदार सिंचित भूमि है, उसके 4 हजार लेंगे और असिंचित के 2 हजार रुपये लेंगे और 1 हजार रुपये पेनल्टी के लेंगे। यह एक नियम बनाया गया। लेकिन इसमें कुछ बाधाएं आयीं। जो नगरपालिका के पेरिफेरी क्षेत्र में आते थे, वह गैर-खातेदार

(श्री रामहेत सिंह यादव)

कस्टोडियन भूमि जिसका डीएलसी रेट का 10 परसेंट, और वह भी अप्रूवल अलाटमेंट कमेटी जो एस डी एम के यहां होती है, वह तब आबंटन करेगी, खातेदारी तब देगी, जब सम्भागीय आयुक्त के यहां से अनुमोदन मिल जाएगा। इसी तरह से जो यू आई टी का पेरिफेरी एरिया था, जिसमें वह दरख्वास्त लगाता है कि भूमि गैर-खातेदारी है, मेरे बुजुर्गों के नाम अलाट हुई थी, इस भूमि की मुझे खातेदारी दी जाय, वह आबंटन समिति के पास देता है, उसकी तहसीलदार रिपोर्ट बनाता है, उसको राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और जब राज्य सरकार अनुमोदन दे दे तो उससे डी एल सी का 20 परसेंट वसूल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, अलवर जिले में 11,114 परिवार हैं। ये वे परिवार हैं जिनको 1960, 1957, 1962 में भूमि अलाट हुई थी। उनके वारिसों को मानें, तो 50 हजार से ज्यादा परिवार अलवर जिले के हैं जिनमें से 2,683 परिवार, लगभग 15 हजार परिवार मेरे विधान सभा क्षेत्र में रहते हैं जिनको गैर-खातेदार कस्टोडियन भूमि अलाट हुई थी। उसके कारण न तो बैंक उनको ऋण देता है, न ट्रैक्टर ले सकते, न कृषि भूमि के कृषि कार्ड पर लोन ले सकते, न ही विद्युत विभाग कनेक्शन देता है, न ही उसको बेच सकते हैं और न ही भूमि का रूपान्तरण हो सकता है। यदि वे बेटी की शादी करें, या आवश्यकता हो, तो जो प्राइवेट साहूकार पैसे देते हैं, उनके वहां रहन रख देता है और वह पूरी जिंदगी उसको छुड़ा नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं।

यही नहीं, यू आई टी जंचे जहां अपना पेरिफेरी एरिया बना दें। मैं विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास का विधायक हूं। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, अलवर यू आई टी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। वहां पर यू आई टी के जंची, उसने 16 गांव कांग्रेस के राज में 4 अक्टूबर, 2013 को एक सर्कुलर जारी कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी कि किशनगढ़ बास तहसील के गांव कुलताजपुर, छतरपुर, झिरण्डिया, तहनोली, बम्बोरा, बाघोर, खेड़ला, इस्माइलपुर, रानोली, टेहटड़ा, टांकाहेडी, नूरनगर, बास कृपालनगर, किशनगढ़ बास, गंज और दयालपुर। इन 16 गांवों को भी यू आई टी की पेरिफेरी में मान लिया गया। अलवर से चलते हैं यू आई टी का पेरिफेरी एरिया 10 किलोमीटर में खतम हो जाता है। उसके बाद पंचायत समिति किशनगढ़ आ जाती है, उसकी पंचायतें आ जाती हैं। उसके बाद चलते हैं और किशनगढ़ प्रोपर में आते

(श्री रामहेत सिंह यादव)

हैं, तो नगरपालिका क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद जाते हैं तो ये 16 गांव रहते हैं। लेकिन सरकार की उस अधिसूचना के कारण जहां पर उसके पड़ोस के गांव के व्यक्ति को 4 हजार रुपये में एक पट्टा मिलता है गैर-खातेदारी बीघा के हिसाब से इसको लगभग 5 से 7 लाख रुपये डी एल सी का 20 परसेंट देना पड़ेगा। मिनिमम 4 लाख रुपये बीघा के इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। वह भी राज्य सरकार के पास जाएगा। तहसीलदार के यहां दरख्वास्त लगाएगा, वह उसकी रिपोर्ट करेगा, कानूनगो, पटवारी, तहसीलदार, फिर जो एस डी एम साहब के यहां आबंटन कमेटी है, वह सिफारिश करेगी; या तहसीलदार सीधा भी सरकार को भेजेगा, तो जरूरी नहीं है कि वह दो साल, 4 साल में हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बाघोर का देशराज पुत्र हरिचरण जाट है, सियालकोटी है। इनके पिताजी को 1960 से पहले बाघोर में भूमि आबंटित हुई थी जो तहसील किशनगढ़ में है। आज वह कैंसर का पीड़ित है। उसके पिताजी जिसको अलाट हुई थी, उसको खातेदारी नहीं मिली। आज वह एस एम एस में कैंसर का पीड़ित है। जब मैं उससे मिलने गया, तो आंखों में आंसू आ गये और कहने लगा, एम एल ए साहब, मुझे यह बता दो, मेरे बच्चों के लिए जो भूमि मेरे पिताजी को अलाट हुई थी उसकी खातेदारी मिलेगी, या नहीं मिलेगी? और मिलेगी तो कब? उसने हाथ लगवाया मेरा कि आप मुझे आश्वस्त करके जाइये, और वह रोने लगा। ऐसी हालत है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय सहृदयी हैं, कई बार राजस्थान के विधायक रहकर मंत्री रहे, आप किसान के बेटे हैं, आप किसान के दर्द को समझते हैं। मैं चाहता हूं, राज्य सरकार कोई ऐसी कमेटी बनाये। जैसे भी गैर खातेदारी कस्टोडियन भूमि है, किसी भी किस्म की है, चाहे वह यू आई टी के पेरिफेरी एरिये में आती है, चाहे नगरपालिका के पेरिफेरी एरिया में आती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आती है; अध्यक्ष महोदय, मैंने पांच साल इस विधान सभा में कांग्रेस के नेताओं से पूछा और हर बार मुझे सदन में आश्वस्त किया कि आपको निश्चित रूप से गैर-खातेदारी शीघ्र ही दी जाएगी। मैंने जब क्वेश्चन लगाया कि कितने लोगों को गैर-खातेदारी दी, तो बताया कि 41 कैम्प लगाये थे और 34 लोगों को खातेदारी दी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो 1947 में भारत में आया, भारत को अपनी भूमि माना, इसमें लगाव रहा,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

पाकिस्तान में अपनी भूमि छोड़कर आया, वह क्लेमेंट था, पर आज तक उसको खातेदारी राइट नहीं मिले।

मैं आपके माध्यम से माननीया सदन की नेता से और माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, वे सहृदयी हैं, आपने खुद ने भी ऐसे प्रकरण देखे हैं, आपको अनुभव भी हुआ है, आपके पास आये भी हैं ऐसे प्रकरण, इसलिए इन सबको एक कमेटी बनाकर सरल कानून बनायें, जिससे सबको गैर-खातेदारी, जो कस्टोडियन भूमि है, चाहे रहन हो, चाहे मूर्त रहन हो, मोरूसी हो या गैर-मोरूसी हो, सबको खातेदारी सामान्य भाव से चार हजार रुपये बीघा के हिसाब से दें। यही कहना था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है कि वर्षों से जो गैर-खातेदार, जिनको खातेदारी नहीं मिली है, और कस्टोडियन की जमीन, जो भारत-पाक युद्ध के बाद में अपने यहां पर लोग आये और अपने यहां से लोग गये, वह जमीन कस्टोडियन में उन लोगों को गैर-खातेदारी दी गई। जैसे चिंता की है कि इतने वर्ष पहले देने के बाद में उन गरीब काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये, जिससे वे रहन नहीं रख सकते, ऋण लेना हो तो नहीं रख सकते, और उनकी बड़ी चिंताजनक हालत है। अगर वे बीमार पड़ जाते हैं तो उनको कोई पैसा उस जमीन पर नहीं देते हैं।

इस बात की इन्होंने चिंता जाहिर की है और ये बिलकुल सही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर यह अलवर और भरतपुर की चिंता ही नहीं है, पूरे राजस्थान की भी है। वैसे आम तौर पर कृषि भूमि आबंटन नियम, 1970 के नियम 18 के अन्दर खातेदारी के अधिकार प्रदान करते हैं जिनमें नान-कॉलोनी एरिया, ग्रामीण क्षेत्र आबंटन की तिथि तीन वर्ष पूर्ण होने पर, समस्त किश्तें जमा हो जाने पर और यदि आबंटन के तुरन्त बाद खातेदारी प्राप्त करनी हो तो लगान का ढाई गुणा एकमुश्त कराने पर हम उनको खातेदारी देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने जो कस्टोडियन की जमीन के बारे में और उस कैटेगिरी के बारे में अलग-अलग बताया गया कि नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर, यू.आई.टी. क्षेत्र के अन्दर वह 10 परसेंट और 20 परसेंट है, उसमें अधिक देने पर, और जो अलग-अलग 2 हजार, 4 हजार, 1 हजार रुपये तय हैं, जहां कमिश्नर को भी अधिकार दिये गये हैं।

(श्री अमराराम)

राज्य स्तर पर भी, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि गैर-खातेदार के खातेदारी में कुछ प्रकरण जो हमारे राज्य स्तर और सम्भागीय आयुक्त कार्यालय पर बकाया हैं, उनके लिए एक चैक-लिस्ट राज्य स्तर पर तैयार कर ली गई है जो शीघ्र ही भिजवाई जा रही है ताकि पारदर्शिता अपनाते हुए बकाया प्रकरणों का निस्तारण हो सके।

मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कोई कैम्प लगाकर, कमेटी बनाकर करें, तो ये जो इतने प्रकरण हैं, आज 60 साल तक लोगों ने कोई काम नहीं किया और यह सरकार इस बात के लिए चिंतित है। इन्होंने चिंता जाहिर की है, तो मैं जल्दी ही सम्बन्धित कलक्टर से बात करके, हमारे रेवेन्यू अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर, इसका निस्तारण करेंगे। एक बार जो इनको खातेदारी मिल जाए, काश्तकार को पट्टा मिल जाए तो वह कितना खुश होगा कि मेरी यह जमीन है और मेरे पर इसकी तलवार नहीं लटक रही है। यह तलवार हम नहीं लटकने देंगे, माननीय सदस्य, और जल्दी ही कमेटी बनाकर चार महीने में निस्तारण करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। यह आश्वासन मैं दे रहा हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह। आप फिर मिल लीजिये। श्री शंकर सिंह।

ब्यावर में बीसलपुर पेयजल योजना की धीमी गति

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के लिए ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा त्राहि-त्राहि मची हुई है। जैसे ही गर्मी का सीजन आता है तो निश्चित तौर पर पानी की भयंकर समस्या हो जाती है। वहां उस क्षेत्र के गांवे में टोटल फ्लोराइडयुक्त पानी की परेशानी है। पिछले पांच साल के कार्यकाल में भी हमने इसी प्रकार से पिछली सरकार से संघर्ष किया लेकिन उन्होंने पानी पिलाने के लिए योजना नहीं बनाई।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और ब्यावर की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सबसे पहले 250 करोड़ रुपये की योजना इस कार्यकाल में स्वीकृत कर ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के लिए योजना स्वीकृत कराई। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है कि इस सारे को, कार्य को चलते हुए काफी समय हो गया है लेकिन यह पंचवर्षीय योजना की तरह बहुत स्लो गति से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे ही गर्मी का सीजन नजदीक आया है तो गांवे में कई

(श्री शंकर सिंह)

प्रकार की परेशानियां पैदा होती हैं, लोग टैंकर से पानी खरीदकर पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे बड़ी तकलीफ हो रही है। इस योजना के द्वारा जो टंकियां बनाई जा रही हैं, वे हर ग्राम पंचायत में बनाई जा रही हैं और वह कार्य भी बहुत धीमी गति से हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से एक और परेशानी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जंगली एरिया पास में है और वन विभाग के उस क्षेत्र से आये दिन जंगली जानवर, बघेरों के द्वारा किसी आदमी पर और जानवरों पर हमला होना आम बात हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जो जंगली जानवरों की घटनाएं होती हैं, वे सिर्फ पीने के पानी के लिए जंगल से गांवों में आ जाते हैं और जानवरों पर भी हमला करते हैं तथा आदमियों के ऊपर भी हमला करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उनके पीने के पानी की योजना बनाकर इस प्रकार की कोई जगह हो जाए तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में वे कभी भी हमला नहीं करेंगे। मेरा एक सुझाव है कि आसन ग्राम पंचायत की जो पानी की टंकी बनेगी, वे मांगड़ जी महाराज की पहाड़ी के ऊपर, वैसे भी सर्वे हमने वहीं के लिए करवाया है, मेरा आपके माध्यम से भी माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि आसन ग्राम पंचायत की बीसलपुर योजना की पानी की टंकी पहाड़ी के ऊपर बने ताकि वहां पर एक खुला हौद भी बनाकर उन जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाए तो कोई भी जानवर नीचे नहीं आयेगा और यह जन हानि नहीं होगी। ऐसा मेरा सुझाव है। ऊपर की टंकी से गांवों के अन्दर भी पानी पहुंच सके ताकि जनता भी आराम से पानी पी लेगी। यह मेरा निवेदन है। निश्चित तौर पर अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा जो स्लो गति से कार्य किया जा रहा है, उसमें तेजी लायी जाय, यह भी मेरा सुझाव है।

दूसरा सुझाव यह है और उसमें मेरा निवेदन यह है कि सरकार द्वारा जो राजस्थान के अन्दर अजमेर जिले में पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए बीसलपुर बांध का निर्माण कराया गया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज अजमेर जिले के काफी गांव प्यासे बैठे हुए हैं और अन्य गांवों की, अन्य जिलों की योजना सरकार द्वारा बनायी जा रही है। उसमें मेरा विरोध नहीं है लेकिन इतना सुझाव है कि बीसलपुर का बांध कोई समुद्र नहीं है, निश्चित तौर पर उसका भी कहीं अंत होना है। इसलिए जितना जल बचता है, उसको अन्य जिलों में दिया जाए। अजमेर जिले के काफी गांव प्यासे

(श्री शंकर सिंह)

बैठे हुए हैं और कई जगह पर टंकियां बनी हुई हैं। हमारे और भी माननीय सदस्य अजमेर से आने वाले सब विराजमान हैं, काफी मंत्री हैं, पर वे अपनी बात बोल नहीं पाते। तो उनकी तरफ से मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूं कि गांवों में भी इसकी योजना बनकर पीने के पानी की योजना पूरी हो। जिस प्रकार भविष्य में जब भी ब्यावर को जिले का दर्जा मिलेगा, उसके बाद में ब्यावर जिले में जो क्षेत्र आएगा, उसमें निश्चित रूप से बीसलपुर के पानी की योजना और आप लागू करेंगे और उसके गांवों को भी पीने का पानी देंगे।

आज माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्लो गति को तेज करने के लिए, यह पंचवर्षीय योजना जो अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने, बना रखी है, उसकी समय सीमा तय करके मुझे थोड़ा आश्वस्त करेंगे। आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय को आप रिप्रजेंट कर रहे हैं? बोलिए, जवाब दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने ब्यावर और जवाजा पंचायत समिति में जो बीसलपुर बांध से पानी की योजना स्वीकृत हुई थी, उसके मंथर गति से चलने की चिंता व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, 21.8.2013 को 247 करोड़ की यह योजना मंजूर हुई, जिसका वर्क आर्डर 31.8.2013 को दिया गया। योजना के अनुसार यह योजना 30.8.2016 तक पूर्ण होनी थी। इस योजना के अन्दर एस पी एम एल, गुड़गांव, इस फर्म को इन गांवों में बीसलपुर का पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यादेश दिया गया था और उस कार्यादेश के अन्दर एक वर्ष तक की डिफेक्ट लाइबिलिटी और नौ वर्ष तक ओ. एण्ड एम. का काम भी उन्हीं को करना था।

यह सही है कि यह योजना जिस गति से चल रही है, माह नवम्बर में जब इसकी समीक्षा हुई, तो मात्र पांच फीसदी काम हुआ। दिसम्बर माह के अन्दर मंत्री महोदया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस काम को गति देने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये और उसी का परिणाम रहा कि 28.2.2015 तक इसमें 15 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस पूरी योजना के अन्दर पांच जगह तो रेलवे क्रोसिंग हैं, एक जगह आई ओ सी एल का डिपो है, उससे क्रोसिंग होनी है और एन एच ए आई से तीन जगह पर पाइपलाइन क्रोस होनी है। इसके लिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सम्बन्धित संस्थाओं को आवेदन कर दिया गया है। इसकी स्वीकृति के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।

आर सी सी के 27 उच्च जलाशय बनने थे, 339 भूतल जलाशय बनने थे और सात पंपिंग स्टेशन बनने थे। इन सबके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है और जमीन चिह्नित करके सम्बन्धित संस्था को, जिनका काम इनको बनाना है, उनको कह दिया गया है कि इन पर आप जल्दी से निर्माण करें।

पूरा प्रयास यह रहेगा, पूर्व में यह योजना विलम्ब से चल रही है, 30.8.2016 तक संवेदक को कह दिया गया है कि उसको अपने निश्चित समय के अन्दर इस योजना को पूरा करके पानी पहुंचाना है।

आपने आसन ग्राम पंचायत की बात कही। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह योजना बनी थी, उस वक्त में यह चिह्नित हुआ था कि कहां एस.आर. बनेगा, कहां जी.एल.आर. बनेगा। परन्तु फिर भी माननीय सदस्य ने कहा है, तो इसको दिखवा लिया जाएगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर ब्यावर में पीने के पानी की गम्भीर समस्या को देखते हुए यह योजना समय पर हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह बीसलपुर बांध अजमेर जिले के लिए बना और आज भी अजमेर के कई गांव प्यासे हैं।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। नहीं, आप विराजिये। नहीं, आप बैठिये। बैठिये। इनसे मिल लीजिए। बैठिये।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री राजपाल सिंह।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज एक तो श्रीमान् कालीचरणजी सराफ हैं, एक पुष्पेन्द्र सिंहजी हैं, दोनों सदन की मेज पर कोटा विश्वविद्यालय का और विद्युत नियामक आयोग का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कल भी तीन विश्वविद्यालयों का यहां दिया गया था। हमारे यहां अध्यक्षीय व्यवस्था है और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नियमों में व्यवस्था है कि जब भी ये विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में या विद्युत के सम्बन्ध में जो भी लेखे या इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, सदन में डिमांड पर बहस हो, उसके पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि उसका हम उपयोग कर सकें। बार-बार माननीय अध्यक्षों ने निर्देश दिया है कि इसका पालन करें।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि सम्बन्धित अधिकारियों ने जो इसमें विलम्ब किया है, उन पर कार्रवाई करें और, अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करूंगा कि आप इनको निर्देशित करें कि सदन की परम्पराओं का पालन करें।

व्यवस्था

प्रतिवेदन अनुदान की मांगों पर बहस से पूर्व आ जाने चाहिए

श्री अध्यक्ष: माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने जो विषय उठाया है, यह बहुत गम्भीर है। मैं भी बहुत गम्भीरता से आपको निर्देशित करता हूं कि उन्होंने जो विषय रखा, उस पर ध्यान दिया जाए और जो रिपोर्टस हैं, जब भी मांगों पर बहस हो, या मुख बन्द हो, उसके पहले निश्चित रूप से आ जानी चाहिए। भविष्य के लिए सावधानी बरतें।

श्री राजपाल सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): डांट लगाइये, साहब। सावधानी नहीं, डांट लगाइये। इनको आप रेप्रिमांड कीजिए कि बार-बार ये गलतियां दोहरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बार-बार गलती नहीं दोहराई जाएगी, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आज मैंने निर्देश दिये हैं, इनका कैसे पालन नहीं होगा? यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.12/17/वित्त कर/2015 पार्ट-104 दिनांक 8 अप्रैल, 2015, जिसके द्वारा प्रवेश कर के लिए स्वैच्छिक प्रशमन योजना 2015 लागू की गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि परसों भी सभापति महोदय ने यह निर्देश दिये थे। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि इस बार, यदि भविष्य में इस प्रकार की गलती हुई तो उसको माफ नहीं किया जाएगा और डिमांड्स के पहले ही सब प्रगति प्रतिवेदन हैं, वे प्रस्तुत किये जाएं।

श्री अध्यक्ष: आपसे यही उम्मीद है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह को कौन रिप्रजेन्ट कर रहा है? आप कर रहे हैं? हां हां, बोलिए।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्थान विद्युत नियामक आयोग) (वर्ष 2012-13)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015। श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 । श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विरासत वाले विधेयक पर हमने तैयारी कर रखी थी, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की एक बहुत बड़ी विरासत हैं तो मैं तो यह प्रस्ताव करने वाला था कि उसको भी इसमें लिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, विरासत नहीं है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य तो हमारी हिरासत में हैं। विरासत नहीं है कुछ भी।

श्री अध्यक्ष: आपकी क्या प्रतिक्रिया है, राजाखेड़ा के माननीय विधायक? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका नाम आया है। इसलिए आपको प्रतिक्रिया देने के लिए मैं खुद आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो इस सदन की हिरासत में हमेशा से हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। ये कह रहे हैं, हिरासत में हैं, मैं तो पूरे सदन की हिरासत में हूं। मैं कहां इससे इन्कार कर रहा हूं? सदन के नियम और कायदों से बंधा हुआ हूं मैं तो।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं, मैंने हिरासत नहीं कहा था, विरासत कहा था।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप अब संक्षेप में...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ये हिरासत में रहेंगे, तभी विरासत सुरक्षित रहेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री मदनजी राठौड़। आपने तैयारी तो इस पर की नहीं, इसलिए संक्षेप में अपनी बात रखिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 पर आज सदन में चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, ऐसे विश्वविद्यालय, बहुत अच्छी बात है कि आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर निजी क्षेत्र में वहां स्थापित हो रहा है, लेकिन अक्सर ऐसा पाया गया है कि ये जो निजी विश्वविद्यालय या निजी महाविद्यालय होते हैं, ये सेवा का प्रकल्प नहीं बनते और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनकर रह जाते हैं। यह अक्सर देखने में आया है। तो इन पर इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि ये सेवा की भावना से यदि आते हैं, तो सेवा करें, प्रशिक्षण दें, विद्यार्थियों को शिक्षित करें, यह बहुत आवश्यक है।

अभी जैसे माननीय मंत्रीजी ने दो दिन पहले ही यह बात सदन में रखी थी कि सारी व्यवस्थाएं सरकार के भरोसे चल नहीं सकतीं, इसलिए हमें निजी महाविद्यालयों को महत्व देना पड़ेगा, उनको अनुमति देनी पड़ेगी; और जहां-जहां इस प्रकार के निजी संस्थान हैं, पहले उन क्षेत्रों में हम सरकारी महाविद्यालय या सरकारी विश्वविद्यालय नहीं खोलेंगे। पी पी पी मोड पर भी करते हैं, कहीं पर सीधा निजी को ही दे देते हैं, जैसे यह बीकानेर में हो रहा है आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय। तो यहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था हो कि एक तो विद्यार्थियों से जो फीस है, यह कौन निर्धारित करेगा? वह समिति के भरोसे आपने छोड़ दिया और समिति वहीं की होती है और वे मनमानी फीस वसूलते हैं यह ठीक बात नहीं है। तो यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों से निश्चित मात्रा में उचित फीस वसूली जाए ताकि इसका लाभ आम सामान्य विद्यार्थी को भी मिल सके।

दूसरा, यह भी हम देख रहे हैं कि कई निजी कालेजेज हैं, निजी महाविद्यालय हैं, वहां पर शिक्षकों का भी पूरा शोषण होता है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों का पूरा शोषण होता है और वहां पर जो उनको वेतन दिया जाता है,

(श्री मदन राठौड़)

वह नाम मात्र का दिया जाता है। हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों में अध्यापक को कम से कम 40 हजार से लेकर के 80 हजार तक की तनख्वाह मिलती है, लेकिन निजी विद्यालयों में हमने देखा है कि वहां पर मुश्किल से 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार में अध्यापकों को पढ़ाना पड़ता है। मजबूरी है, बेरोजगारी है। वे पढ़कर कोई मजदूरी का काम कर नहीं सकते। इसलिए वे वहां जाते हैं और वहां उनका पूरा शोषण होता है। अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी अनुमति दे रहे हैं, मुझे मालूम है कि यह अनुमति तो मिलेगी लेकिन यहां आप सुनिश्चित करें कि वहां पर जो कर्मचारी हैं या जो प्रोफेसर्स हैं, उनको उचित मानदेय निश्चित रूप से मिलना चाहिए, उनका वेतन भी सुनिश्चित करने का प्रावधान इसके अन्दर होना चाहिए, ताकि उनका शोषण नहीं हो सके।

अध्यक्ष महोदय, फीस के बारे में मैंने निवेदन किया। फिर इसमें एक बात और है। मैंने यह देखा है, फीस वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें भी समिति पर दिया है। तो समिति भी इसमें दिखाई गई नहीं है कि उसमें आपका क्या हस्तक्षेप रहेगा, यानी, सरकार का भी कोई हस्तक्षेप उस समिति में रहे, समिति में कोई प्रतिनिधि रहे, जो यह तय करे।

फिर इसमें यह दिया है धारा 5 के (एच) में, to appoint persons working in any other university. यह क्या बात हो गई? जो दूसरी यूनिवर्सिटी में अपाइंटेड हैं आप उनको अपने यहां कैसे अपाइंट करेंगे? और आप यदि उसको यहां अपाइंट करेंगे तो क्या वहां पर आप अनधिकृत हस्तक्षेप करेंगे? वहां पर व्यवधान उत्पन्न करवाएंगे? यह बात भी ठीक नहीं है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा-सा देखना चाहिए।

ठीक इसी के साथ ही इसमें यह भी दिया है और वह इसका एकदम विरोधी है, यह तो हो गया कि अदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को आप अपाइंट करेंगे।' दूसरी, तरफ इसमें 25-डी में दिया है, is conducting or engaging himself in private coaching classes. उसको आप बाहर कर देंगे, उसको आप नौकरी से हटा देंगे। अब वह यदि आपका प्रोफेसर कोई प्राइवेट कोचिंग करे, तनख्वाह तो आप बहुत कम दे रहे हो, फिर प्राइवेट कोचिंग करे, तो उसको आप वहां से उसको डिसक्वालिफिकेशन की जो धारा-25 के अन्दर दी है कि disqualification for membership of an authority, तो उसमें आपने उसको ले लिया है। फिर आप दूसरे की यूनिवर्सिटी से किसी को एंगेज कर सकते हो? ये विरोधाभासी

(श्री मदन राठौड़)

प्रावधान हैं। इसको थोड़ा-सा देखें और इसको क्लीयर करने की बात आप बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

इसमें धारा-7 के अन्दर एक प्रोविजन है, no power of affiliation. मैं सोचता हूं कि no power to affiliation होना चाहिए। यह आप देख लें, इसमें शब्द केवल इतना ही है, "The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution." जो हैडिंग दिया है, No power of affiliation. यह थोड़ा-सा देख लें।

University to be self-financed. यह ठीक है।

फिर एक इसमें धारा-5 का (आई) जो है, to co-operate, collaborate or associate with any other university or authority or institution in such manner and for such purpose as the University may determine, अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि no power of affiliation. फिर यह दूसरा विरोधाभासी जो इसमें दिया है, powers and functions of the University.

ये कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा कि हम अनुमति दे रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखें।

फिर मैं पुनः उसी विषय पर आना चाहूंगा कि ये सेवाएं दें, यह सुनिश्चित करें। वैसे विश्वविद्यालय में तो यह प्रावधान नहीं है, अनेक विद्यालयों में आपने यह प्रावधान कर रखा है कि सामान्य परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान बिना फीस के या कम फीस के, कोई उसमें छूट का, इस प्रकार का प्रावधान यदि हो सके तो जरूर करने का प्रयास करें।

वैसे तो जन मत जानने का मैंने प्रस्ताव दिया है, मैं अनुमति चाहता हूं, मैं इसको वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर, राम नारायण बजाज फाउंडेशन सोसाइटी, बीकानेर के द्वारा संचालित हो, यह जो विधेयक लाया जा रहा है, पहले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर के जो हालात हुए हैं, वे ही इसके होने वाले हैं। क्योंकि इसमें पहले ही पेज में, यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं; मतलब, मौक़े पर कंस्ट्रक्शन वर्क, मकान पूरे हैं और अनुसूची-2 में जो दर्शाये गये हैं, वे मौक़े पर कंस्ट्रक्शन, वे सुविधाएं, वे इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से

(श्री सुखराम विश्नोई)

जानना चाहूंगा कि अनुसूची-2 के अन्दर कुल बीस कालम है; मैंने अभी दो घंटे पहले बीकानेर टेलीफोन करके मौक़े के हालात जाने हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जहां आप इस कालेज का एक्ट पास करवाने जा रहे हो और जो अनुसूची-2 में जो बातें लिखी गई हैं, मौक़े पर वह स्थिति नहीं है। इसके साथ ही अनुसूची-1 में आपने जो बातें डाल दीं, जिस तरह से इंडोर सुविधाएं, कैरम, शतरंज, स्नूकर, टेबिल टेनिस, उसके बाद में आउटडोर में एथ्लेटिक्स, बास्केटबाल, क्रिकेट, यह जो मैदान है, वहां मौक़े पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्थाएं आपको अनुसूची-2 में डालनी चाहिए थीं, आपने उनको अनुसूची-1 में डाल दीं।

इसके साथ ही इसमें प्रयोगशालाओं की बात कही गई है। वहां कक्षाओं में किसी तरह के न तो कम्प्यूटर लगे हुए हैं, न दूसरी भौतिक, जैविक, जो प्रयोगशालाएं आप इसमें लिख रहे हो, वहां मौक़े पर कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि यह जो जांच की है, जांच करने वाली कमेटी में केवल मात्र, ज्यादातर लोग, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के जो संकाय अध्यक्ष हैं, उसके बाद में चार-पांच वे हैं, एक सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर; इन्होंने मिलकर के इनको एन ओ सी दी है कि मौक़े पर जो ये बातें कही गई हैं अनुसूची-1 और अनुसूची-2, में मौक़े पर पूरी हैं, परन्तु मौक़े पर, मैंने जो जानकारी प्राप्त की है, मौक़े पर इस अनुसार कोई काम नहीं है। केवल मात्र दो तरह की बिल्डिंगें खड़ी हैं, वे भी दो-दो, तीन-तीन मंजिल की हैं, छोटे-छोटे कमरे हैं। जो व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय के लिए होने चाहिए, वे उसमें नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पहले एक विधायकों की कमेटी बनायें और विधायकों की कमेटी बनाकर के, यह जो आर.एन.बी. ग्लोबल कालेज है उसकी जाकर के जांच करें और जांच के अन्दर, इस विधेयक के अन्दर जो ढांचा खड़ा करने की बात अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में कही गई है, वह मौक़े पर है या नहीं है; यदि मौक़े पर हो तो इसको परमिशन दी जाए, और नहीं है तो जिन्होंने जांच की है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। एक तरफ जोधपुर राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से इनके जो डिप्लोमा, जो डिग्रियां जारी कीं, जो उपाधियां जारी कीं, उनका रोना रो रहे हैं, मुक़दमे दर्ज हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप इसी तरह की तैयार करे हो।

(श्री सुखराम विश्नोई)

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इस महत्वपूर्ण बात को मानी जाकर के और विधायकों की कमेटी इसकी जांच करके, उसके बाद में इसको पास कराया जाए, ताकि ज्यादा सुविधाजनक रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियां सैक्शन-44 में दे रखी हैं, कतिपय मामलों में, सरकार की शक्ति बताई गई है। इस कतिपय मामलों में, सैक्शन-44 के अन्दर, इसमें कम से कम नौ क्लाज दिये गये हैं, 9 क्लाजों में एक भी प्रभावी क्लाज

(12.00 बजे)

नहीं है कि इन 9 क्लाजों के मार्फत प्रभावी रूप से अगर कालेज/विश्वविद्यालय किसी बात की अवहेलना करता है, कोई उल्लंघन करता है, तो आप उसमें दण्ड दे सकते हो, आप विश्वविद्यालय को बंद कर सकते हो। कोई प्रभावी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ केवल मात्र कमेटी के पांच लोगों ने जो ढांचा खड़ा है उसको देखा उसकी एन ओ सी जारी की और उसके आधार पर विधेयक तैयार हो गया और सदन में पेश कर दिया, और पास कर लेंगे। कल वह वहां चालू हो जाएगा और चालू होने के बाद में, न तो कोई खेल मैदान वहां बनेगा, न कोई लेबोरेटरी बनेगी, न कोई सुविधाएं होंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें सैक्शन-5 के अन्दर विश्वविद्यालयों की शक्तियां और कृत्य, ये शक्तियां और कृत्य दोनों अलग-अलग हैं। एक तो पावर्स हैं और एक ड्यूटी है। इन पावर और ड्यूटी, दोनों को अलग-अलग की जाकर के इसमें सरकार की मानिटरिंग होनी चाहिए। जैसे इसी में एक है, फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और संदाय प्राप्त करना, विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण करना; और उसके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे ही, खुद ही, जांच करने वाले हैं, कोई बाहर की कमेटी नहीं है। ये जो शक्तियां और कृत्य हैं, ये अलग-अलग होने चाहिए और बाकायदा फीस निर्धारण करने के लिए सरकार का एक आदमी उसमें होना चाहिए। वहां जो हास्टल बना है उस हास्टल में क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चों की क्या व्यवस्था है, उसके लिए भी बाहर की कमेटी होनी चाहिए, ताकि उसकी मानिटरिंग रहे। वे ही तो जांच करने वाले हैं और वे ही कुछ करने वाले हैं। कौनसी जांच होगी? कौनसी रिपोर्ट भरोसेमंद आएगी? तो मेरा, माननीय

(श्री सुखराम विश्नोई)

अध्यक्षजी, आपसे निवेदन है कि सेक्शन-5 के अन्दर जो शक्तियां और ड्यूटी दी गई हैं, उनका विभाजन होना चाहिए और इसमें सरकार का नुमाइंदा इसमें होना चाहिए, वह नुमाइंदा जांच करे कि वाकई में वह कार्यक्रम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तभी जाकर के आप किसी भी यूनिवर्सिटी को मान्यता देंगे, वह विधिवत चल पाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी दिये गये हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारी के अन्दर पहला है चेयरपर्सन। उसके बाद में प्रेसिडेंट, प्रति-प्रेसिडेंट, प्रोवेस्ट, कुलानुशासक, संकायों के संकाय अध्यक्ष, कुल सचिव, मुख्य वित्त और लेखाधिकारी। इसमें मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी के पहले जितने भी हैं, इनकी क्या योग्यता होगी, इसमें कोई वर्णन नहीं है। किस तरह के लोग चेयरपर्सन होंगे, या किस तरह का प्रेसीडेंट होगा, चेयरपर्सन कौन चुनाव करेगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। प्रबंध कमेटी करेगी, प्रबंध कमेटी कौन है? प्रेसिडेंट का चुनाव चेयरपर्सन करेगा और प्रति-प्रेसिडेंट का चुनाव प्रेसिडेंट करेगा। तो कम से कम माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यह जो सैक्शन-11 है उसमें कम से कम उसकी योग्यता तय होनी चाहिए कि इस योग्यता के आदमी होने चाहिए। जोधपुर के मेहता की तरह होगी स्थिति? तो कम से कम ये क्वालिफाइड आदमी होने चाहिए, ताकि आप उनकी क्या मंशा है, क्या वे चाहते हैं...; एक अनक्वालिफाइड आदमी को आप बैठा देंगे और वह उस यूनिवर्सिटी को नहीं चला पाएगा। उसकी मंशा नहीं है। व्यापार करना भले ही जानता हो, परन्तु शिक्षा किस तरह से दी जाए, उसे शिक्षा की गतिविधियों की जानकारी नहीं होगी। इसलिए यह भी स्पष्ट होना चाहिए।

इसके साथ ही, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, उस प्राधिकारी में प्रबंध बोर्ड है, विद्या परिषद है और संकाय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रबंध बोर्ड में और विद्या परिषद में, संकाय में भले ही नहीं हो, परन्तु इन दोनों बोर्डों में सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि तमाम तरह की उस यूनिवर्सिटी की रोज की क्या गतिविधियां हैं, क्या जानकारी है, क्या कमियां हैं और किस तरह से पूर्ति की जा सकती है। जब तक सरकार का नुमाइंदा उसके अन्दर नहीं होगा, तो वह व्यवस्थित नहीं चल पाएगी। इसलिए यह भी होना जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट पर

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कोई दिमाग एप्लाई नहीं किया है। जैसा राम बजाज फाउंडेशन सोसायटी ने तैयार करके लाकर दिया, वैसा का वैसा रख रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लड़ाया है।

श्री अध्यक्ष: आपने लड़ाया है न। आपने लड़ाया है दिमाग।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, मैं तो लगा रहा हूं। कोई दिमाग नहीं लगाया उन्होंने। जैसा तैयार किया, वैसा का वैसा उन्होंने पेश...।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ऐसा है कि ये 41वां विधेयक है। चालीस यूनिवर्सिटी के पहले बिना दिमाग के पिछली सरकारों द्वारा विधेयक लाये गये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अब आप तो दिमाग लड़ाओ। आपको दिमाग लड़ाना चाहिए। हमने दिमाग नहीं लड़ाया, तो आप तो दिमाग लड़ाओ।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अच्छा, पांच साल में आपने जो बीस विश्वविद्यालय खोले, इसका मतलब आपने दिमाग नहीं लगाया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपने दिमाग नहीं लड़ाया। ज्यादा लड़ाया। तभी तो आधा चला गया मामला, आधा रहा आपके पास। पहले दिमाग ज्यादा लड़ा दिया आपने। दिमाग कम लड़ाना चाहिए था आपको।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: अब, माननीय सदस्य, आपसी संवाद नहीं। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, मैं पूरा कर रहा हूं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: दिमाग एक्सचेंज हो जाना चाहिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा निवेदन है कि जिस तरह का यह विधेयक पेश किया जा रहा है और जिस तरह की इसमें कमियां हैं, इन कमियों को देखते हुए या तो विधायकों की कमेटी बना कर जांच की जाए, या, मतलब, जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। जितने आब्जेक्शंस आ चुके, उनके अलावा रखो। आप तो वकील हो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दो मिनट ही। Only two minutes.

श्री अध्यक्ष: वाह! क्या बढ़िया आदमी हो। आज तो बहुत बढ़िया विधायक सिद्ध हो रहे हो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्योंकि, साहब, आज सारे विधायक, एक डायन आ रही है, उस पर बोलना चाहेंगे। उसमें डायन आ रही है आज।

श्री अध्यक्ष: अच्छा। बस तो आप दो मिनट बोल लो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह विश्वविद्यालय का बिल आ रहा है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात कही है, डायन आ रही है। डायन आ नहीं रही है, जो डायन है, उनको भगाने का बिल है यह तो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, पहले अन्दर आएगी, तब हटायेंगे न।

श्री अध्यक्ष: Objection sustained.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य और सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, उनको मैं अपनी बात में मानते हुए उनसे अगली बात आपको कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह बढ़िया बात है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहली तो यह, साहब, इसमें टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ जो है, वह पांच साल-दस साल, जब भी नौकरी करे। उसके बाद आपने सैक्शन-43 बनाया और इसमें "43. Dissolution of the University by the Sponsoring Body.- (1) The Sponsoring Body may dissolve the University by giving a notice to the effect in the prescribed manner to the State Government and the employees and the students of University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the approval of the State Government and the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be."

और लास्ट जो है आपने लिखा है, "(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the Sponsoring Body."

पर जो टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ है, किसी ने दस साल नौकरी की, बीस साल नौकरी की, वे कहां जाएंगे? उसका इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा पहला आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि यह जो

(श्री जोगाराम पटेल)

टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ है उनके राइट्स को सेव करने के लिए कोई न कोई इसमें प्रोविजन होना चाहिए। वह प्रोविजन नहीं है।

दूसरा, यह यूनिवर्सिटी बनेगी तो बहुत बड़ा स्टाफ भी होगा, सब आज चलती भी होंगी, पर अदर जो स्टेट एक्ट है, जिसमें पी एफ भी है, पेंशन भी है, सैलेरी भी है, इनके सेफगार्ड के कोई भी प्रोविजंस इसमें नहीं हैं, या इन सारे एक्ट का अगर उल्लंघन वह करे तो उसका कोई सेफगार्ड भी नहीं है।

तीसरा यह है कि अगर आप डिजोल्यूशन की परमिशन दे देंगे और ये यूनिवर्सिटी की जो असेट्स हैं वे स्पोन्सर्ड बाडी में वेस्ट हो जाएंगी, तो वे सारे जो टीचिंग और नान-टीचिंग एम्प्लोईज हैं, उनकी सेफगार्ड कैसे करेंगे? क्योंकि अपने सामने बहुत बड़ा उदाहरण राजस्थान में रहा है ये प्राइवेट जितने भी सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल्स थीं, इनका बहुत बड़ा टीचिंग स्टाफ था और अल्टिमेटली गवर्नमेंट को उसको आपके जमाने में लेना पड़ा अपने यहां एम्प्लोयी लेना पड़ा।

इसलिए मेरा, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि इन तीन बातों की ओर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जिसकी टीचिंग है उसकी लाइफ का सवाल है, वे डेट-बाहर हो जायेंगी। फिर कहीं नौकरी लग नहीं सकती। बीस साल हो गये, फिर आपने कह दिया कि डिजोल्व कर दी, घर जाओ। तो उसके बच्चों का बाल-बच्चों का क्या होगा? पी एफ का क्या होगा? पेंशन का क्या होगा? उसको जो सैलेरी दे रहे हो, उसकी सेफगार्ड है यह। जैसे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आज की तारीख में भी सेलेरी अगर बीस हजार बतायेंगे, चैक बीस हजार का देंगे, तो दस हजार वापस वाउचर ले लेंगे और खुद ही उठा लेंगे। यह ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा है।

इसलिए मेरा, मंत्री महोदय, निवेदन है कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जाए और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, आन ग्राउंड लेवल पर जितना बताया जा रहा है, वैसा नहीं है। इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। इतना ही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा। सुखरामजी विश्नोई ने बहुत विस्तार से रख दिया, आप तो एसोशिएट कर लो। कोई नयी बात है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जैसी आपकी आज्ञा, भगवन्।

श्री अध्यक्ष: मेरा आज्ञा नहीं, मैं तो कह रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आसन की आज्ञा से हम बंधे हुए हैं। ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी आज्ञा है, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा अपने विचार रखेंगे, महत्वपूर्ण विचार रखेंगे, विचारणीय विचार रखेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब आपने फंसा दिया। ये तैयारी करके आये नहीं थे।

श्री संजीव कुमार (भादरा): ये तो हमेशा महत्वपूर्ण ही रखते हैं, साहब, सदन में। डोटासराजी तो महत्वपूर्ण ही रखते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) हमारी तो रोजाना ही तैयारी रहती है और जिस तरह के बिल सरकार ला रही है, उसमें ज्यादा तैयारी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मसाला आप ही दे देते हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि आर एन बी ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 जो लेकर आये हैं, हम बार-बार इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में यही निवेदन कर रहे हैं कि इनमें जो धांधलियां हो रही हैं, इन पर जो नियंत्रण नहीं है, फर्जी डिग्री दे रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए कानून आना चाहिये और वह कानून जिस दिन आयेगा, उसके बाद में इनकी सार्थकता ज्यादा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में, मेरा तो केवल एक ही निवेदन है कि इनके ऊपर अंकुश लगे।

मंत्रीजी ने अभी कहा, नियामक आयोग इसी सत्र में लायेंगे, लेकिन वे लाये तो डायना का है, नियामक आयोग वाला तो लाये नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका आदेश हो तो ...

श्री अध्यक्ष: डायना का नहीं, डाकन का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डाकन का ..

श्री अध्यक्ष: डायना तो स्वर्ग में गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे हमारी सरकार रही हो, चाहे आपकी रही हो, जब हम लाये, अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी कालीचरण

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जी सराफ ने कहा कि पांच साल में आपने बहुत ऐसे बिल पारित कराएं। आप यहां बैठे थे, इसी सीट पर बैठते थे, या बराबर वाली पर बैठते थे, आप रोजाना उनकी बुराइयां करते थे इसमें यह कमी है, यह कमी है, यह कमी है और फिर जब आपका उधर नम्बर आया और हमारा इधर आया तो आप फिर कहने लगे बहुत सही ला रहे हैं, बहुत सही ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप प्रभावित तो नहीं होते हैं लेकिन आसन से रिक्वेस्ट कर के ये पारित करा कर ले जाते हैं।

इसलिए मेरा तो एक ही निवेदन है चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, सबका एक धर्म है कि शिक्षा के जगत में क्रांति आनी चाहिये, आ भी रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां आनी चाहिये, लेकिन इन पर अंकुश लगना चाहिये। अगर गड़बड़ियां करती हैं ता फिर इनकी प्रोपर्टी को जब्त करके गवर्नमेंट को अपने अंडरटेकिंग में लेना चाहिये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मैं इसमें आपको एक बात याद दिलाऊं कि इस विधान सभा के सदस्य खेतसिंहजी राठौड़ हुआ करते थे। बहुत ही बढ़िया, ह्यूमरस; सारी बात ठीक ढंग से कहने वाले। उन्होंने एक बार यहां खड़े होकर स्वीकार किया था कि देखिए जब पक्ष बदल जाता है तो इधर के पक्ष की परम्पराएं इधर आ जाती हैं और इधर के पक्ष की परम्पराएं इधर आ जाती हैं। दोनों पक्ष की अपनी परम्पराएं हैं, वे परम्पराएं हमेशा निभती हैं। यह मैं आपको बता दूं। आप रहेंगे, तब तक यही बोलेंगे और वे इधर आयेंगे तो यही भाषा बोलेंगे। जैसे आप रोज कहते हैं कि बहुत मेहनत की, बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया और फिर अभी अपना प्रस्ताव वापस लेने का प्रस्ताव करोगे। तो आपने भी यही किया होगा, जब इधर बैठते थे। उसमें आपने कमी नहीं रखी होगी वापस लेने में। ठीक है।

डाक्टर फूलचंद भिण्डा। क्या है इसमें? आप भी एक-दो पाइंट सुझा दो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, इसमें एक तो चेयर-पर्सन है और एक प्रेसिडेंट है जिनका शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी, सुनिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैंने पहले भी इस बात का विरोध किया...

श्री अध्यक्ष: शिक्षा शास्त्रीजी बोल रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कि आखिर क्या मजबूरी है कि शिक्षा क्षेत्र में हम वह ही सिस्टम ले आये जो उद्योगों का सिस्टम है। चेयर – पर्सन चलो मालिक पैसा लगा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट की न तो आयु तय है, न उसकी योग्यता तय है। इसमें लिखा है उच्चतर शिक्षा। उच्च शिक्षा भी नहीं, उच्चतर शिक्षा लिखा है; मतलब पीएच डी, सब होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट की कहीं योग्यता नहीं है।

जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनमें उप-कुलपति होता है, कुलपति होता है, कुलाधिपति होता है। क्या वे अपर्याप्त शब्द थे क्या? यह हम सारा ही विदेशी आयातित माल पुरस रहे हैं और वैसे ही परिणाम आ रहे हैं।

इसमें लिखा है, 20 विषयों का अध्ययन कराया जायेगा। फर्स्ट यीअर, सैकण्ड यीअर, थर्ड यीअर तो 60 हो गये; 20 और बढ गये तो 80 हो गये; 80 कमरे चाहिये और आप इसमें अनुमति दे रहे हो केवल 32 कमरों के आधार पर। अगर कम्प्लीट विश्वविद्यालय चलेगा, जिसमें मैं पी जी अध्ययन की बात नहीं कर रहा, पीएच डी और अनुसंधान की बात मैं नहीं कर रहा, मैं केवल कक्षा कक्षों की बात कर रहा हूं, उसमें 32 कक्ष और हम उसको परमिशन दे रहे हैं कि आप चालू कीजिए। छात्रावास का इसमें नामोनिशान नहीं।

श्री अध्यक्ष: वह तो देंगे ही। अब करें क्या अपन? आप आलोचना करो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): यह एक्ट तो ला रहे हैं हम।

इसी प्रकार से, सरकार के क्षेत्र में एक उच्च शिक्षा का जो निदेशक है, या आयुक्त है, उसका एक नोमिनी होगा। केवल मात्र एक नोमिनी। फुर्सत होगी तो चला जायेगा, नहीं फुर्सत होगी तो नहीं जायेगा। सरकारी विश्वविद्यालयों में 4 तो सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट के, दो विधायक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। सरकार उनके सामने सरेंडर क्यों कर रही है? केवल इन्वेस्टमेंट के नाम पर ही कि उच्च शिक्षा में इन्वेस्टमेंट आयेगा।

जब सारे विश्व के विश्वविद्यालयों की सौ की लिस्ट छपती है, उसमें कभी इंडिया के किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं होता, इस कारण से। अच्छे-अच्छे शब्द थे आदिकाल में, नालन्दा, तक्षशिला विश्वविद्यालय के भी तो नाम थे; आचार्यों के नाम थे। आचार्य कितना बढ़िया शब्द है। प्रोफेसर से भी ज्यादा वजनदार शब्द है आचार्य। वह छोड़ दिया हमने। प्रेसिडेंट ले आये, चेयरपर्सन ले आये।

एक तो मेरा निवेदन है कि इसमें प्रेसिडेंट, जिसको वाइस-चांसलर के इक्विवेलेंट सारे पावर दिये गये हैं, उसकी योग्यता निर्धारित होनी चाहिये।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मालिक तो हो सकता है, वह बिल्डिंग बना रहा है, पैसा लगा रहा है। वैसे इसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा है, उद्देश्य उच्च शिक्षा का है, तो उसकी भी योग्यता निर्धारित होनी चाहिये। जब हमने सरपंच की कर दी, पंचायत समिति की कर दी, जिला परिषद की कर दी और यू जी सी स्केल के अन्तर्गत सब टीचर्स की कर दी, तो फिर बिना योग्यता का आयेगा, उसका क्या प्रभाव पडेगा?

दूसरा मेरा निवेदन है कि इन्होंने प्रयोगशालाएं दी हैं, 8 प्रयोगशालाएं दी हैं, भौतिकी की दो हैं, लेकिन इसमें जितने सब्जैक्ट हैं, 20 सब्जैक्ट हैं, पर्यावरण पढ़ाने के लिए बगीचा चाहिये, इसमें तो उसका प्रावधान ही नहीं किया। यह पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, मानविकी, इस प्रकार के सारे विषय हम लेकर आये हैं लेकिन लेबोरेटरी तो 8 ही दे रहे हैं हम।

हम जब नियामक आयोग की बात कर रहे हैं और हमारे माननीय मंत्रीजी ने यह आश्वस्त किया है कि मैं रेग्यूलेटरी सिस्टम का निर्माण करूंगा और नियंत्रण करूंगा, आज कलम हमारे हाथ में है, तो फिर यह छूट किस बात की दे रहे हैं? चालाकी से एक लाइन जरूर लिख दी उन्होंने, यह कह रहे हैं कि 15,361 वर्ग मीटर में हम बना देंगे, जबकि चाहिए कम था। उसके अलावा कोई चीज नहीं देखी गई।

20 सब्जैक्ट हैं, 80 कक्षाएं हो जायेंगी; पी जी करेंगे तो फिर 20 हो जायेंगे। उसके हिसाब से इसमें लिखा है 2,979 किताबें। इससे ज्यादा तो विद्यार्थी ही हो जायेंगे।

मैं प्राइवेट सैक्टर को रोकने के पक्ष में नहीं हूं। हम पब्लिक सैक्टर में सबको पढ़ा भी नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: रुक भी नहीं रहा है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): यह आवश्यकता है, लेकिन उनको मनमानी की आवश्यकता नहीं है, चाहे जो पुरस दें। हम सब लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, क्या सरकार ने इसमें लगाया है? क्या इसमें कहीं यह लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम चैक करने की भी सरकार की कोई व्यवस्था होगी, पाठ्यक्रम में वह क्या पढ़ायेगा?

ये बेसिक चीजें हैं...

श्री अध्यक्षः सुझाव दीजिए। कितना बोलेंगे? सुझाव दीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सुझाव में मैं यही कह रहा हूं कि कमरे पूरे होने चाहिये..

श्री अध्यक्षः बस हो गया। हो गया तो विराजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): योग्यता होनी चाहिये, नियंत्रण होना चाहिये, सरकार की सहभागिता होनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः वे सब बात आ गयीं। विराजिए आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): यह विश्वविद्यालय का एक्ट है, कुछ बातें सामने आ जायें तो अच्छी बात है।

श्री अध्यक्षः सब आई हैं, सारी विस्तार से आ गई हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं ज्यादा बोल भी नहीं रहा।

इसमें जितने चेयरपर्सन को पावर दिये गये हैं, क्योंकि जब हम कुलपति को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसकी जगह प्रेसिडेंट शब्द रख दिया, उसको भी थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लें, मैं तो व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करूंगा नहीं, लेकिन फिर शैक्षणिक पावर तो उसको ही होनी चाहिये। जो भी करेगा चेयरपर्सन करेगा या उसकी अनुमति से करेगा। वह तो दुकान हो गई। डिग्री की क्या गारंटी है, जब हमारे पास निरीक्षण के पावर हैं ही नहीं, पाठ्यक्रम चैक करने के पावर हैं ही नहीं, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जायेगा? राजस्थान में हम इसको स्थापित कर रहे हैं, राजस्थान की कल्चर के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि वह उनको पढ़ाना पड़ेगा। यहां की विरासत के बारे में कुछ नहीं लिखा गया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उसकी विरासत को भी जोड़ा जाना चाहिये।

मैं एक बार आर एस एस के कैम्प में नागपुर गया, दक्षिण के कहने के लिए चार लोग थे, वे अधिकारी लेवल के लोग थे। उन्होंने पूछा, कहां से आये हो आप? मैंने कहा कि मैं राजस्थान से, आओ, आओ, महाराणा प्रताप के वहां से। मतलब, ऐसी ख्याति है।

राजस्थान में पैदा हुए हमारे जितने राष्ट्रीय पुरुष हैं, उनका किसी सब्जैक्ट में तो मेंशन करें। परसों बात आ रही थी, 16 किलो की गोभी अजीतगढ़ में एक अनपढ़ किसान ने पैदा की। पुरस्कार लेने पहुंचा। मेंशन नहीं करते हो उस चीज को। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चीजें हैं, राजस्थान की प्रसिद्धियां हैं, विरासत है, इन चीजों को भी इसमें शामिल करके जोड़ा जाना चाहिए। आप

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सारे विश्व को पढ़ाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, हम रोकेंगे भी नहीं, लेकिन राजस्थान को तो पढ़ाओ कम से कम। राजस्थान का कुछ पार्ट बच्चा एक बार तो पढ़े।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैंने जन मत जानने हेतु परिचालित करने के लिए निवेदन किया था, आपसे अनुमति चाहता हूं कि वह विथड्रा करने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा के अन्दर सरकार आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक लेकर आई है। मैं थोड़े-से मेरे सुझाव हैं, वह दूंगा।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी सरकार ने, पिछली सरकार ने भी, इस सरकार ने भी, लगातार राजस्थान के अन्दर प्राइवेट विश्वविद्यालयों को जमीनें आबंटित कीं। प्राइवेट विश्वविद्यालय थोक के भाव राजस्थान के अन्दर खुले। एक तरीके से मनमानी प्राइवेट विश्वविद्यालय के लोगों ने की। सबसे ताजा उदाहरण है जिससे राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा, जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी कल भी सदन के अन्दर चर्चा हुई थी। 25 हजार फर्जी डिग्रियां जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने बांटीं। पूरे देश के अन्दर इस राजस्थान को अपमानित होना पड़ा। मैं सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि कल उन्होंने यह कहा कि सरकार को इसकी प्रोपर्टी को जब्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव दूंगा कि आप प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलिए, हम प्राइवेट विश्वविद्यालयों का कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इनके नियंत्रण का सरकार के पास अधिकार होना चाहिए। विश्वविद्यालय नियामक आयोग बनाने की बात हमेशा कही जाती है। अगर आप पहले चाहते तो विश्वविद्यालय नियामक आयोग का विधेयक भी इस सत्र के अन्दर ले आ जाते। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इनको सस्ती दर पर जमीनें देना, उसके बाद ये इसको व्यापार का एक केन्द्र बना लेते हैं। पढ़ाई से इनका कोई लेना-देना नहीं।

आज राजस्थान के अन्दर हमारे मुख्य राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। आज विश्वविद्यालय फर्जी

(श्री हनुमान बेनीवाल)
डिग्रियां बांटने, पुनर्मूल्यांकन, रेगिंग, फर्जी एडमिशन की संस्था बनकर रह गये। राजस्थान विश्वविद्यालय का आज से बीस साल पहले बहुत बड़ा नाम था। राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अगर कहीं पर जाता था तो उसका बहुत मान-सम्मान इस देश में होता था; मान-सम्मान की दृष्टि से पूरा देश देखता था। आज दुर्भाग्य से राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षाविद कुलपति की नियुक्ति सरकार लम्बे टाइम से नहीं कर पा रही है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, अरबों रुपये की जमीनें इनको दी जा रही हैं। स्वायत्ता का हनन, आपके स्वायत्त विश्वविद्यालय हैं, इन पर तो सरकार हस्तक्षेप कर रही है और प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मनमानी का अधिकार राजस्थान की सरकार दे रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही बात, शिक्षा मंत्रीजी विराजे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो देश के अन्दर राष्ट्रपति होता है। आप बताओ, इन्होंने तो नई दुकानें खोल लीं। प्रेसिडेंट का पद होगा, चेयरपर्सन का पद होगा। कुलपति का इसके अन्दर कोई जिक्र नहीं है। कुल सचिव का अलग कार्यालय होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करता हूं कि आप प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने से पहले, प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण के लिए विश्वविद्यालय नियामक आयोग लाए। सरकारी हस्तक्षेप हो। जमीन अपन दे रहे हैं, इनको सारा पैसा अपन दे रहे हैं, तो कम से कम सरकार का नियंत्रण भी होना चाहिए। ये चाहे जिसको एडमिशन दे सकते हैं, जो 40 परसेंट से पास है वह एडमिशन ले सकता है। इनके कोई नियम-कायदे नहीं हैं, नियम-कायदे बदलते रहते हैं। इसके सारे पावर हैं वह प्रेसिडेंट को, इसके अन्दर जो चेयरपर्सन लिखा है वह अपनी मनमर्जी करता है। अपनी मनमर्जी करके, फिर जैसे मामला जोधपुर के अन्दर खुला, इससे पूरा प्रदेश, पूरे देश में बदनाम हुआ। शिक्षा मंत्री जी को, सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए।

मेरे हिसाब से यह ग्लोबल विश्वविद्यायल, बीकानेर का जो विधेयक है, इसको एक बार पारित कराने से पूर्व जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय बीकानेर विधेयक, 2015 को जन मत जानने के लिए मैंने अनुरोध किया था। मैं इस संदर्भ में मेरे विचार रख रहा हूं।

(श्री रमेश)

निजी विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वस्तरीय सुविधा की बात की जाती है, भारी-भरकम फीस वसूली जाती है लेकिन पूरे संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जाते। राज्य के बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो निर्धारित मापदण्ड को पूरा करते हैं। अधिकांश विश्वविद्यालयों में बड़ी-बड़ी बात की जाती है लेकिन कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, केवल छात्रों का शोषण किया जाता है। इन विश्वविद्यालयों का प्रबंधन अपने विरुद्ध किसी प्रकार की बात को स्वीकार नहीं करता है, ऐसी शिकायत करने वाले विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जाता है।

इन विश्वविद्यालयों में कुशल शिक्षकों के स्थान पर, बहुत कम संख्या में अनुभवी शिक्षक और बड़ी संख्या में उसी विद्यालय से पास-आउट छात्रों से काम चलाया जाता है। इनके निरीक्षण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। सारा विश्वविद्यालय प्रबंधन के इशारों पर चलता है।

इन विश्वविद्यालयों द्वारा वसूली जाने वाली फीस बहुत अधिक है। इसको नियमित करने का कोई तरीका नहीं ढूंढा गया है। लाखों रुपये की फीस चुकाने के बाद मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे अधिकांश गरीब बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

इसलिए मेरी राज्य सरकार से अपील है कि इनकी फीस का निर्धारण किया जाए जिससे राज्य के गरीब परिवारों को संरक्षण मिल सके। राज्य के विश्वविद्यालयों में बी पी एल और गरीब परिवारों के बच्चों को इनसे शिक्षा हेतु कोटा निर्धारण किया जाए। साथ ही मैं बी पी एल परिवारों के प्रतिशत-अनुपात में रखा जाए। एस सी, एस टी, ओ बी सी, एस बी सी, विकलांग, महिलाओं के प्रवेश और इनकी छात्रवृति की एक विशेष मानिटरिंग की व्यवस्था की जाए।

विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार का नियंत्रण अति-आवश्यक है, चाहे वे निजी विश्वविद्यालय ही क्यों न हों। ये शिक्षा के केन्द्र हमारे बच्चों के भविष्य को बनाते हैं। यदि इन पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। इससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अभिशाप होगा।

बस, एक लास्ट है, इसको और बोल दूं। उसके बाद आपके आदेश की पालना कर रहा हूं।

इन विश्वविद्यालयों द्वारा एडमिशन के समय कई मदों में पैसा लिया जाता है लेकिन छात्र द्वारा एडमिशन नहीं लिए जाने पर हजारों रुपये की वसूली

(श्री रमेश)

की जाती है। उसको वापस नहीं लोटाते हैं। इस पर विचार करें। न्यूनतम वसूली हो; पैसे को वापस लौटाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक को दो माह के लिए जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। जितने स्वीट और शोर्ट सुझाव आये हैं, मैं सोचता हूं कि आपका उत्तर भी उतना ही स्वीट और शोर्ट होगा।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 की स्थापना से सम्बन्धित विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुआ है। उसमें कई माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिये, कई कमियां यहां बताने का प्रयास किया।

मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे देश में 18 से 23 वर्ष के नौजवानों में से केवल 19.4 प्रतिशत नौजवान ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है, हमारे यहां केवल 18.2 प्रतिशत बच्चे नौजवान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज हमारा राज्य 21वें पायदान पर है।

इसी प्रकार यदि विश्व स्तर की बात की जाए, तो आज अमेरिका में 95 परसेंट बच्चे, इंग्लैण्ड में 59 प्रतिशत, रशिया में 76 परसेंट, चाइना में 25 परसेंट बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम अपने राज्य की तुलना विश्व स्तर के देशों से करें और हमारे देश के अन्य राज्यों से करें, तो हमें निश्चित रूप से बहुत लम्बी दूरी तय करनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2017 तक सकल नामांकन अनुपात को 25.2 प्रतिशत तक ले जाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आप सबको पता है कि यह सरकार चाहते हुए भी, क्योंकि वितीय संसाधन सीमित हैं, हम केवल सरकारी संसाधनों से यह लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। इसी के लिए निजी विश्वविद्यालय और निजी महाविद्यालय का जो कंसेप्ट है, वह यहां पर आया।

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 2007 में जब वसुन्धराजी हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं, तो सबसे पहले निजी विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में स्थापित हों, इस बात का विचार आया और पहले हमने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक

(श्री कालीचरण सराफ)

एक्ट बना करके प्रस्तुत किया। परन्तु सुप्रीम कोर्ट में वह चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश मिला कि अलग-अलग विश्वविद्यालयों के अलग-अलग बिल होने चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखकर, फिर अलग-अलग विश्वविद्यालयों के पृथक-पृथक बिल हम लोगों ने विधान सभा में प्रस्तुत किये।

पहले वसुन्धराजी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी बिल आये। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी बिल आये। 2007 में 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, 2008 में 9 की हुई, फिर 2009 में 3 विश्वविद्यालय बने, 2010 में 3, 2011 में 8, 2012 में 6, 2013 में 7 । यानी, अभी तक कुल 40 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में हमारे राजस्थान प्रदेश में चल रहे हैं। इसका सबसे सुखद परिणाम जो हुआ ...(व्यवधान) मैं पांच मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसका सुखद परिणाम हुआ, वह यह हुआ कि जहां पहले हमारे प्रदेश के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आदि में जाते थे, ये विश्वविद्यालय खुलने के बाद आज हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते। अपितु जो अन्य राज्यों के बच्चे हैं, चाहे वह कर्नाटक का हो, महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, आज ये बच्चे यहां हमारे प्रदेश में पढ़ने के लिए आते हैं। इससे बच्चों को उच्च शिक्षा तो प्राप्त हो ही रही है, इसके साथ-साथ कई लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिला; करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में हुआ। आज चाहे यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, उससे होटल व्यवसाय में भी इजाफा हुआ। अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट भी हमारे यहां खुले। बाहर के बच्चों के लिए हास्टल की सुविधाएं भी यहां मुहैया हुईं। कई लोगों को, हजारों लोगों को इससे रोजगार मिला। मुझे पूरी आशा है कि अभी कई विश्वविद्यालयों के जो आवेदन-पत्र हमारे पाइपलाइन में हैं, निश्चित रूप से ये निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे, तो इससे प्रदेश की बहबूदी और अग्रसर होगी।

जहां तक, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि हर एक्ट में जो धारा 44 है, उसमें हमको यह अधिकार है कि कहीं पर भी कोई अनियमितता होती है तो वहां हम प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, उसका विघटन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार का इसमें नियंत्रण नहीं है। अभी जैसा मैंने कल भी कहा था कि जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का हाल हुआ, 25 हजार फर्जी अंकतालिकाएं और डिग्रियां उन्होंने वहां पर वितरित कीं। तो हमने एस.ओ.जी.

(श्री कालीचरण सराफ)

से उसकी जांच करवाई। जांच में वे दोषी पाये गये, चालान पेश कर दिया। जो कमेटी बनाई है, उसकी दो महीने में रिपोर्ट आने के बाद, यदि आवश्यक हुआ, तो निश्चित रूप से वहां प्रशासक भी नियुक्त किया जायेगा, और उसको यदि विघटित करने की बात हुई तो विघटित करके सारी सम्पत्ति को भी हम जब्त करने में पीछे नहीं रहेंगे।

जहां तक नियामक आयोग की बात है, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और बाकी ने कहा कि आपने कहा था कि नियामक आयोग का गठन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभाग ने नियामक आयोग का विधेयक बना लिया है और वह अभी विधि विभाग में परीक्षण के लिए गया हुआ है। जैसे ही विधि विभाग उस विधेयक को हमें वापस देगा, ओ.के. करेगा, उसके बाद हम अध्यादेश के जरिये नियामक आयोग का गठन करेंगे। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

यह कोई पहला बिल नहीं है, 40 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं।

इसलिए मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जन मत जानने के लिए जो माननीय सदस्यों ने आग्रह किया है, उसको वे वापस लें और इस विधेयक को पारित करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री मदन राठौड़, श्री जोगाराम पटेल, डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य ने आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक पर जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाये?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

2 से 47 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सराफ।

विधेयक का पारण

आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सांगानेर के विधायक, अपनी वह परम्परा चल रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिलकुल संक्षेप में। अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में और राज्य के लिए बहुत आवश्यक बातें निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का 41वां या 42वां बिल है, जो हम इस सदन में पारित कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि पहला बिल मैंने ही पेश किया था और आज अंतिम बिल पर, अंतिम न सही, आज आखिरी बिल जो आया, आगे और आयेंगे, उस पर मैं बोल रहा हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला तो यह कि जब अपनी नई सरकार बनी थी, बनते ही आपने जब बिल पेश किये थे तो मैंने आपसे दो बातों का आग्रह किया था। जब कांग्रेस सरकार के समय बिल बने थे, तो वे नाम परिवर्तन के बिल लाये थे, चेयर-पर्सन, प्रसिडेंट, प्रति-प्रसिडेंट, प्रोवेस्ट, ये सब लाये थे। उसमें श्रीमान् राजेन्द्रसिंहजी राठौड़, आदरणीय गुलाबजी कटारिया, आदि ने बहुत जोर से इनका विरोध किया था और विरोध करके वाक-आउट भी किया था। फिर आपको जब इसका स्मरण कराया गया तो आपने कहा था कि हम इनको संशोधित कर लेंगे। आपने अभी तक इसको संशोधित नहीं किया है। इसलिए कृपा करके इनको संशोधित करावें। कम से कम इस बात को ध्यान रखें कि हम हाउस में या तो कोई बात कहें नहीं, कहें तो उस बात को निश्चित रूप से हमको पूरा करना चाहिए। यह मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। कृपया एक तो इसको स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष: जोरदार आग्रह है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इसका दो मिनट का एक इतिहास भी सुनिये, जो सारी ये दुकानें बन गयी हैं, इनको नियंत्रित करने का अधिकार हाउस के पास ही है। इसका इतिहास यह है कि जब श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य मंत्री बने थे, उन्होंने 110 विश्वविद्यालय खोल दिये थे। एक-एक दुकान पर एक-एक विश्वविद्यालय बन गया था। प्रोफेसर यशपाल शर्मा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गये थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे विश्वविद्यालयों को रिजेक्ट कर दिया।

इसके बाद में सबसे पहले मैंने बिल प्रस्तुत किया था जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज का एक ही बिल होगा और जो नई यूनिवर्सिटी बनेगी, वह उस अनुसूची में शामिल हो जाएगी, लेकिन जोधपुर उच्च न्यायालय ने उसको रोके रखा। हमने फिर इसका रास्ता निकालकर अलग-अलग विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग बिल बनाया।

क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन बातें कही थीं, पहली बात तो यह कही थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए; किसी संस्था के द्वारा, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, उसके द्वारा विश्वविद्यालय बनना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरा उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय को बनाते समय ये तीन बातें देखनी चाहिए। एक-दो करोड़ का फंड, हमने तय किया, ताकि वह बनाने वाला भाग जाए तो उसका क्या होगा। इतनी जमीन,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इतना कंस्ट्रक्शन, ऐसी फैकल्टी, ये सब बातें तय करने के लिए, इसके लिए फिर हमने तीन उप कुलपतियों की कमेटी बनाना शुरू किया। वह उप कुलपतियों की कमेटी से आकर बात होगी।

तो मूल बात जब यह विश्वविद्यालय बनाने की आई थी, तो यह नहीं आई थी, कि आर्टस के लिए कालेज खोल देंगे, आर्टस की यूनिवर्सिटी बन जाएगी। विषय-विशेष विशेषज्ञों की, जिसमें सरकार के विश्वविद्यालय काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे विश्वविद्यालय, जो नई-नई चीजें जो आ रही हैं, जिन पर खर्च होता है, वह इंवेस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी बनें। यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं बने कि आर्टस की बी.ए. की डिग्री, बी.एससी. की डिग्री और बी.काम. की डिग्री जो कालेजों से मिलती हैं, जो एम.ए. और एम.काम. की डिग्रियां मिलती हैं, उनके लिए ये विश्वविद्यालय नहीं बने, तकनीकी चीजों के लिए बनें। उसके स्थान पर ये विश्वविद्यालय जनरल बन गये। चलो, बन गये।

मेरा अब आपसे आग्रह यह है कि आज तक, हमारे पास यह शिकायत आ गयी, 8 विश्वविद्यालय जो बने हैं वे फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं, यह माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया। उन 8 में से एक भी विश्वविद्यालय पर आपने 44 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की? क्यों दो महीने का समय दिया जाता है?

श्री रमेश (सपोटरा): माल खा गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, माल नहीं खाये। आपकी ही बनाई हुई हैं, साहब। इसको आप चेंज मत करिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सबकी यह पवित्र जिम्मेदारी है कि राजस्थान का नाम हिन्दुस्तान में इस बात के लिए नहीं हो कि वहां पर फर्जी डिग्री मिलती हैं।

इसलिए एक बार उस पर जबरदस्त प्रहार अगर नहीं किया तो यह शिक्षा के विश्वविद्यालय नहीं, शिक्षा की दुकानें बन जाएंगी। इसलिए किसी भी कीमत पर जिन-जिन विश्वविद्यालयों ने, चाहे किसी का राजनीतिक कनेक्शन हो, चाहे किसी का उसमें हस्तक्षेप हो, उन विश्वविद्यालयों में तुरन्त प्रशासक नियुक्त करके सरकार के नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। एक डिग्री भी अगर फर्जी दी है तो उसको विश्वविद्यालय चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक।

माननीय मंत्री महोदय, फिर मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने कहा है कि हम नियामक आयोग तुरन्त बना देंगे और आर्डिनेंस जारी कर देंगे। आप बनाएं, आर्डिनेंस जारी करें लेकिन इन तीन बातों का ध्यान रखें। पहला, यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कुलपति की और इनकी योग्यताएं निर्धारित करें और इनकी नियुक्ति में किसी न किसी प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप हो। बिना सरकार की अनुमति के कुलपति, कुल-सचिव, इनके वे तीन-तीन नाम भेजें, चार-चार नाम भेजें, लेकिन उसमें सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। एक।

जिस प्रकार से आप सिंडीकेट में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में एम.एल.एज. को नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार उस क्षेत्र के विधायकों को उन विश्वविद्यालयों की उस समिति में आपको भागीदार बनाना चाहिए। दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बहुत बढ़िया सुझाव है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तीसरा सबसे बड़ा काम है, जैसे प्राइवेट कालेज चलते हैं, प्राइवेट स्कूल चलते हैं, लेकिन परीक्षा के सम्बन्ध में एक नियंत्रण है। तो उसी प्रकार से चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाएं, चाहे राजस्थान का यूनिवर्सिटीज का एक बोर्ड बनाएं, जो कि इनकी परीक्षा, उनका पाठ्यक्रम, इस पर किसी न किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण कर सके। अपने ही घर में परीक्षा ले ली और अपना ही सर्टिफिकेट दे दिया, इस काम से इसका स्टैंडर्ड नहीं बनता। एक। तो इसलिए मैं यह चाहूंगा।

दूसरा, एक एक्रेडिटेशन, इनका क्रम क्या है? इनमें एक नम्बर का विश्वविद्यालय कौन सा है? दूसरा कौन सा है? इस प्रकार से उनको एक्रेडिटेशन करने का एक सिस्टम तैयार करें और राजस्थान में वह जारी होना चाहिए कि राजस्थान में एक नम्बर का विश्वविद्यालय यह है। तो जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेने जाएगा तो उसको सरकार की तरफ से जो उसको एक्रेडिटेशन मिलेगा कि यह विश्वविद्यालय ऐसा है, इसकी फैकल्टी ऐसी है, तब ये विश्वविद्यालय काम करेंगे।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, ज्यादा समय नहीं लेकर, निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और शिक्षा की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए..., अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्रीजी, हर चीज पेट से जुड़ रही है लेकिन शिक्षा केवल पेट से नहीं जुड़नी चाहिए, शिक्षा दिमाग से भी जुड़नी चाहिए। शिक्षा अगर केवल पेट से जुड़ गयी तो फिर सारा काम समाप्त हो जाएगा।

इसलिए मैं चाहूंगा कि इन चारों बातों पर आप ध्यान करें और बिल, जहां तक विश्वविद्यालय बनाने का सवाल है, मैं इसके पक्ष में हूं। हमारे देश में, अमरीका में 900 यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे यहां पर विश्वविद्यालय कम हैं। सैम पित्रोदा की अध्यक्ष में जो ज्ञान आयोग बना था, उन्होंने सिफारिश की थी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि 1,500 विश्वविद्यालय बनने चाहिए। अभी राजस्थान में पांच और विश्वविद्यालय, 50 यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, वे बननी चाहिए, लेकिन वे किस प्रकार की बनें, उनका स्वरूप क्या हो, इसकी ओर आप ध्यान दें।

और, वैसे हमारे मंत्रीजी जो हैं न, साहब, ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): विद्वान हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या बोलना चाहते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बीच में वे टोक रहे हैं। मैं विद्वान नहीं बोल रहा हूं, व्यवस्थापक बहुत अच्छे हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): किस बात की?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, तो किस बात में कम हैं? रोज हमारी व्यवस्था करते हैं, रोज। तो आप इनको, बुद्धि का प्रयोग चाहे कम करें लेकिन बनिया बुद्धि का प्रयोग करते हुए, इनको नियंत्रण में लें। यही कहता हुआ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप इनकी व्यवस्था करते हों? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो। मंत्री महोदय। आप बैठो। क्या है? बैठिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा अधिकार है, सर। तृतीय वाचन पर बोलने का सदस्य का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, वह आ गया। विराजिए। कृपया विराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पारित की स्टेज पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे मालूम है लेकिन मैंने उनसे निवेदन कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमारे एक माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं। आपकी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: फिर तो अब आप भी कहिए। मैंने उनको मना किया है, आप भी कहिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। उच्च शिक्षा मंत्रीजी का बिल हो, हमारे मित्र का बिल हो और फिर मैं नहीं बोलूं, यह तो बात जंची नहीं न।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं जंची। मित्रता खूब निभा रहे हैं आप। मित्रता खूब निभा रहे हैं। क्या इसको ओपन करना, आ गयीं सारी बातें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कल रात में लास्ट में बढ़िया-बढ़िया बोल कर गये आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जी, जी, हुकूम। आपको कोई दिक्कत है क्या?

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): यह शिक्षा का है, इसमें दोस्ती नहीं चलेगी, साहब।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): दोस्ती नहीं, साहब, मेरे मित्र हैं। मैं नहीं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को भी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज पहली बार माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ऐसा भाषण सुना कि जो राजस्थान से बाहर देश में ही नहीं, विदेशों में भी पहुंच गये वह। काका, यहीं होंगे। आज हमारे शिक्षा मंत्रीजी विदेशों में पहुंच गये। चाइना में इतना परसेंट है, अमरीका में इतना परसेंट हायर एजुकेशन है। (व्यवधान) हां, काका, ध्यान रखना। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह परसेंटेज आप अकेले ही लें, आपका ही ठेका है क्या परसेंटेज लेने का? परसेंटेज ये भी ले सकते हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यही कह रहा हूं न कि ये परसेंटेज ले रहे हैं कि कितने परसेंटेज विद्यार्थी, कितना परसेंट विद्यार्थी हायर एजुकेशन में जा रहा है, और आप इनके बारे में थोड़ी टिप्पणी करते समय ध्यान रखें, हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। यह परसेंटेज नहीं, परसेंटेज देते हैं। कितना परसेंटेज ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): किसको देते हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): किसको देते हैं! विश्वविद्यालयों को। विश्वविद्यालयों को। कितना परसेंट वाला विश्वविद्यालय अच्छा है, खराब है; एक्रेडिटेशन करते हैं।

मैं यह कहना चाह रहा था कि विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए काफी प्रयास किये जाते हैं, काफी पैसा भी लगा हुआ है और वहां पर हायर एजुकेशन का मतलब यह है कि वे किसी न किसी प्रकार की खोज करते हैं, शोध-पत्र प्रकाशित करते हैं और उन शोधों को प्रकाशित करने के लिए विभिन्न प्रकार

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

की एजेंसीज से एड भी लेते हैं। हमारे जो प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, उनका मकसद भी यही होना चाहिए कि नई-नई चीजों पर शोध करें, विद्यार्थियों को शोध के अवसर उपलब्ध करवाएं और उन शोधों के माध्यम से नई-नई चीजों को बाजार में लेकर आए, नई-नई चीजों को लोगों को दें, ज्ञान और विज्ञान को विकसित करें। यूरोप, जापान या अमरीका, ये बहुत सारी चीजों पर इंवेंशन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और आजकल तो खोज यह हो रही है कि कार सड़क पर भी चले, हवा में भी चले और पानी में भी चले।

श्री अध्यक्ष: आप इसके बारे में बोलिए न। कार कहां चल रही है!

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं खोज की बात कर रहा हूं, सर।

श्री अध्यक्ष: कार कहां चल रही है। आप तो इसके बारे में बोलो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, वे तो व्हाइट हाउस में हैं, व्हाइट हाउस में। (व्यवधान) इनके बस की बात नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हमारे यहां के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बहुत सारी खोज कर सकते हैं। बहुत सारे विषयों पर शोध कर सकते हैं और उन शोधों के माध्यम से हम राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वह एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे वह इलेक्ट्रोनिक सेक्टर में हो और चाहे वह अन्य किसी क्षेत्र में हो। मैं समझता हूं कि इन शोधों को बढ़ाने की आवश्यकता है और उन शोधों को बढ़ाने के लिए ये जो विश्वविद्यालय खड़े हुए हैं, इनमें एक एजुकेशन माफिया पनप रहा है। इस एजुकेशन माफिया को रोकने के लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कदम उठाये हैं। यह एजुकेशन माफिया इस प्रकार से राजस्थान का नाम तो बदनाम कर ही रहा है, छात्रों के भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है। फीस अनाप-शनाप है इनकी। होस्टलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके खाने की, रहने की चिंता नहीं है; उनको फैसिलिटी की चिंता नहीं है, शोध की चिंता नहीं है और केवल विश्वविद्यालय में बच्चे आएं, उनको अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट देकर के और बड़े-बड़े अखबरों में मेरी यह ग्रेडिंग है, यह है, वह करके विश्वविद्यालयों में छात्रों को आमंत्रित करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, जो नियामक आयोग बना रहे हो, इसमें माननीय सदस्य को जरूर रखना।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चा इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है, उसकी फीस पर भी नियंत्रण हो। वह हास्टल में

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

फीस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हास्टल में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, उसकी फीस लग रही है कि नहीं लग रही है, इसकी भी चिन्ता करें ना। चार महीने हास्टल खाली रहता है, फिर भी फीस....(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहुत सुझाव दे दिये आपने, अब समाप्त कीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं एक बात और कहूंगा।

श्री अध्यक्षः हां, बस एक बात कहकर समाप्त कीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): फैकल्टी मेम्बर्स पर नियंत्रण नहीं है। लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स वे लोग रखते हैं और एक विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर जाता है, दूसरे विश्वविद्यालय में जाता है, तीसरे में भी जाता है, चौथे में भी जाता है और पैसा सब जगह से लेता है। जबकि कानून यह है कि केवल एक ही विश्वविद्यालय में काम करेगा।

श्री अध्यक्षः विराजिये। श्री भंवरसिंह। आप विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप विराजिये। आप कह देना उनको। हां, आप शार्ट में। सब बातें आ गयीं करीब-करीब। रिपीट करने से क्या फायदा?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय बीकानेर में खोलने के लिए बिल लाया गया। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में पहली बार निजी क्षेत्र में राजकीय विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। बीकानेर से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर खारा गांव में इस विश्वविद्यालय को बनाया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सैकड़ों बीघा जमीन पर यह विश्वविद्यालय बनाया गया है, लेकिन यह शहर से दूर होने की वजह से और चारों तरफ से खुले हुए क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय बन रहा है। इसमें अभी तक, इस कैम्पस में थोड़ा-सा निर्माण जरूर किया गया है भवन का, लेकिन चारदीवारी का निर्माण आज तक इस विश्वविद्यालय में नहीं किया गया है। सुरक्षा के प्रावधान, आदि के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर शहर से दूर यह विश्वविद्यालय होने की वजह से यहां सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान हों, इस सम्बन्ध में भी दिशा-निर्देश माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से दिये जाने चाहिये।

(श्री भंवरसिंह)

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय, शिक्षा के साथ-साथ इनमें व्यावसायिक सोच ज्यादा रहती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रामनारायण बजाज विश्वविद्यालय, जो बीकानेर में बन रहा है, मैं कहूंगा कि बीकानेर एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो बी.पी.एल. और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उन विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु और शिक्षण हेतु विशेष छूट दी जानी चाहिये।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ट्रस्ट के द्वारा हजारों बीघा जमीन खारा गांव में ली गयी है। उस गांव के जिन स्थानीय किसानों की जमीन इस विश्वविद्यालय में अवाप्त की गयी है, या खरीदी गयी है, तो उन किसानों के परिवारों के बच्चों को उसमें विशेष रियायत देकर एडमिशन का प्रावधान किया जाये और जिन किसानों की भूमि इसमें आई है, उन परिवारों के एक सदस्य को कम से कम इस विश्वविद्यालय में रोजगार भी दिया जाये। क्योंकि इतना बड़ा सेट-अप होगा, तो निश्चित रूप से संसाधनों की और स्टाफ की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी।

इसके अलावा, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बस, एक बात ही निवेदन कीजिये अब आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जहां एक तरफ बीकानेर में निजी विश्वविद्यालय खोलने का बिल सरकार के द्वारा लाया गया है, वहीं बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय, जो खोला हुआ था और जिसका बिल इस सरकार को पिछले वर्ष मार्च, 2014 में लाना था, वह तो सरकार के द्वारा नहीं लाया गया और बीकानेर में खुले-खुलाये विश्वविद्यालय, जिसमें वी.सी. लगा, जिसमें 47 बीघा जमीन आबंटित हो गयी, जिसके लिए करोड़ों रुपये का बजट राज्य सरकार के द्वारा दिया गया; बीकानेर सम्भाग का आम आदमी इस बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को खोलने के लिए बार-बार सरकार से गुहार कर रहा है। तीन बार बीकानेर इस तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए...

श्री अध्यक्ष: इसके बारे में बोल लिए। श्री प्रह्लाद गुंजल।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उच्च शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: आप पटरी से उतर गये, विराजिये। इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर की इस मांग को भी बीकानेर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ध्यान में रखा जावे, आने वाले समय में उसका बिल लाया जावे।

(श्री भंवरसिंह)

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय राजस्थान में और भी विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वही हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को भी बंद करने की बात हमने अखबारों में पढ़ी है और सरकार इस बारे में विचार कर रही है। तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि राजस्थान में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से नये निजी विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिये लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा जो पूर्व में निर्णय लिए गये हैं, वे निर्णय राजस्थान के आम आदमी के हित में, राजस्थान में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थे। निश्चित रूप से उन निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं करके, जो मंत्रिमण्डलीय उप-समिति बनाई गई है, उस मंत्रिमण्डलीय उप-समिति द्वारा जल्दी से जल्दी उसका निर्णय करवाकर जो विश्वविद्यालय सरकार ने खोले हैं, उनको भी पूर्ण स्वरूप में स्थापित किया जाना चाहिये।

अन्त में कहना चाहूंगा कि बीकानेर जिले में जो तीन राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़, कोलायत और खाजूवाला में खोले गये थे, मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि उन तीनों राजकीय महाविद्यालयों को भी, बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र की और जनता की भावना और आवश्यकता को देखते हुए उन तीनों राजकीय महाविद्यालयों को भी, जो जुलाई से सत्र चालू होने जा रहा है, उस सत्र में चालू किया जाये।

एक बार पुन: मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर के इस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए भी जो वहां पर्याप्त संसाधन होने चाहिये, उन संसाधनों की आवश्यकता एवं उनकी पूर्ति है या नहीं है, इस बात के लिए एक समिति बनाकर उस क्षेत्र का विशेष निरीक्षण किया जाये और उसके बाद बीकानेर में एक सुंदर और एक अच्छी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बने, उसके लिए हम निवेदन करना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार।

श्री अध्यक्ष: क्या बोलेंगे आप? दो मिनट।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बहुत संक्षेप में, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बोलिए। हां, दो मिनट।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015, एक निजी विश्वविद्यालय का एक कानून हम बनाने जा रहे हैं। जैसा शिक्षा मंत्रीजी, बहुत सीमित बोलूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा शिक्षा मंत्रीजी ने सदन को अवगत कराया कि अब तक इस प्रकार की 40-42 यूनिवर्सिटीज इंडिविजुअल एक्ट के आधार पर, जो यह सदन बनाता है, इस राजस्थान में स्थापित हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस विधेयक को पारित करेंगे।

स्व-पोषित विश्वविद्यालय होने के कारण इनके आंतरिक प्रबन्ध और संचालन पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। अभी जब मंत्रीजी कह रहे थे कि हम एक नियामक आयोग बनाएंगे, और दस यूनिवर्सिटीज के घोटाले सामने आये हैं।

यह बात सच है, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश में दक्षिणी भारत के राज्यों से हम पिछड़े हैं। मैं जब पढ़ता था, तब का सत्य वर्णन कर रहा हूं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, दक्षिणी भारत के राज्यों में हजारों विद्यार्थी पढ़ने जाते थे। हमारे यहां तब ये चीजें नहीं थीं, आज आ गयीं, पर इनके गुणात्मक सुधार के मूल्यांकन के लिए, हमको स्थायी नियंत्रण रखने के लिए जैसे नियामक आयोग की आप बात कर रहे हैं, मंत्री महोदय, एक बार आप दक्षिण भारत का अध्ययन करें, जहां ये चीजें 50 साल पहले स्थापित हो गयीं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और कई राज्यों में हायर एजुकेशन कमीशन बना हुआ है।

आपने बिल बना दिया और बिल बनाकर स्वतन्त्र रूप से काम करने का उसको अधिकार दे दिया। वह घोटाला करता है, घपला करता है, फर्जी डिग्री बांटता है, पूरे देश में प्रचारित होता है और एक या दो विश्वविद्यालय की गलती के कारण, अगर इस प्रदेश में 50 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, सारे विश्वविद्यालय और सारे प्रदेश के शैक्षणिक जगत की प्रतिष्ठा सारे देश में धूमिल होती है। उसका असर सीधा-सीधा अगर किसी पर पड़ता है तो उस विद्यार्थी पर पड़ता है जो डिग्री हाथ में लेकर निकलता है और रोजगार के लिए पूरे देश के कोने-कोने में जाता है।

इसलिए एक राष्ट्रीय हायर एजुकेशन कमीशन हो और हायर एजुकेशन को इन पूरे स्टेटों ने बनाया हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक ने बनाया हुआ है, तमिलनाडु ने बनाया हुआ है, और भी कई प्रदेशों में है, जितनी मुझे जानकारी मिली है। हमारे यहां हायर एजुकेशन कमीशन बनाकर उसको

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इतनी पावर दें कि उनके आन्तरिक प्रबन्ध और शिक्षा का गुणात्मक मूल्यांकन करें।

जिस शोध की बात, आज हम इस एक्ट में पारित करके दे देते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, शोध ऐसा सब्जेक्ट है जो पचासों सालों तक शिक्षा का आधार बनता है, आने वाली पीढ़ी के लिए। उस शोध के आधार पर अपना भविष्य तय करते हैं, अपने एग्जाम्स देते हैं, जो शोध है वह गाइड बनता है, शोध शिक्षा का आधार बनता है। उस शोध की परमिशन हायर एजुकेशन कमीशन, जैसे यू जी सी के मापदण्ड होते हैं, ऐसे आप हायर एजुकेशन के

(13.00 बजे)

मापदंड बनाएं। जो भी निजी विश्वविद्यालय आयेगा, वह शोध या विशिष्ट शैक्षणिक उनकी मान्यता हायर एजुकेशन को पांच या दस साल के उनके गुणात्मक शिक्षा के स्तर के मूल्यांकन के बाद जारी हो, इस प्रकार की व्यवस्था हायर एजुकेशन कमीशन में, जो देश के दूसरे राज्यों में हैं, हमारे यहां भी होनी चाहिए। अगर हम यह करेंगे तो निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार होगा और प्रदेश के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय कालीचरणजी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक, किशनपोल से आने वाले माननीय विधायक, कोलायत से आने वाले माननीय विधायक और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक ने कुछ सुझाव दिये हैं।

मैं यह बताना चाहूंगा, सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हम जो राजस्थान में लाये हैं तो उसके पीछे उद्देश्य यह था कि नये-नये सब्जेक्ट्स हमारे प्रदेश में आने चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आने के बाद बायो-टेक्नोलोजी, नैनो-टेक्नोलोजी, हास्पिटेलिटी, मैनेजमेंट, फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसे कई नये सब्जेक्ट्स हमारे यहां इंट्रोड्यूस हुए हैं।

आपने दूसरी बात यह कही कि आठ विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं के प्रकरण आपके सामने आये हैं, तो आपने क्या कार्यवाही की? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इसके लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी बनायी है और उसको निर्देश दिया है कि दो महीने के अन्दर-अन्दर वह जांच करके रिपोर्ट दें। जांच में दोषी पाये जाने पर, मैं आपको यह विश्वास दिलाना

(श्री कालीचरण सराफ)

चाहता हूं, किसी भी विश्वविद्यालय को, चाहे कितना भी राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आवश्यकता हुई तो प्रशासक नियुक्त करेंगे और यदि विघटन करने की आवश्यकता हुई तो विघटित करके उसकी सारी जमीन को भी हम जब्त करने में पीछे नहीं रहेंगे।

इसी प्रकार से आपने कहा कि कुलपति की योग्यता, नियुक्ति और सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता हो, सिंडिकेट में क्षेत्रीय विधायक का प्रतिनिधित्व हो, राजस्थान में एक यू.जी.सी. बोर्ड बने, तो यह नियामक आयोग जो बन रहा है उसमें इन सब बातों को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। हमने विधेयक बना लिया है, वह विधि विभाग में अभी वैटिंग, क्या होती है, वैटिंग के लिए ...

श्री अध्यक्ष: वैटिंग, वैटिंग।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): वहां चल रहा है। तो यह राजेन्द्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप उस विधेयक को अप्रूव करें, तो हम उसको अध्यादेश के माध्यम से लागू करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वैट करने के लिए आपको राजेन्द्रजी से सेट करना पड़ेगा।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हां, हां, राजेन्द्रजी से बात कर ली मैंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो राजेन्द्रजी से सेट करो, तब वैट होगा वह।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: ये तो आपको भी सेट कर लेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हमारे किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोरदार बात कही, विद्वान साथी हैं, विश्वविद्यालयों में शोध कार्य होने चाहिए, तो विश्वविद्यालयों में, भगवन्, वे कहां गये? गये। विश्वविद्यालयों में शोध कार्य होते ही हैं और शोध कार्य के बाद ही उनको पीएच.डी. की डिग्री मिलती है। तो उन्होंने कोई नई बात नहीं बतायी। इसलिए मैं उनकी बात का कोई ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पीएच.डी. दिलवा दीजिए, डाक्टरेट दिलवा दीजिए आप इनको।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): कोलायत से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि हजारों बीघा जमीन हमने अवाप्त कर ली। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 एकड़ जमीन...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): खरीदी हैं लेकिन किसानों की तो है न, साहब।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सुनो, भाई।

30 एकड़ जमीन उनकी स्वयं की थी संस्था के पास विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए ग्राम खारा तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर में; 30 एकड़ जमीन उनके पास उपलब्ध थी। उसके बाद ही हमने उनको एल.ओ.आई. जारी की है। इसलिए हमने कोई जमीन नहीं दी उनको।

दूसरा आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। बात बिलकुल सही है। 15,261 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इन्होंने प्रशासनिक और अकादमिक कार्यों के लिए भवन निर्मित कर लिया है और हम उनको निर्देश देंगे कि जल्दी से जल्दी उसकी चारदीवारी का निर्माण भी कर लें।

आपने तकनीकी विश्वविद्यालय और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लिए कहा, तो पहले भी आपने जब यह मामला उठाया था तो मैंने कहा था कि अभी तक उनको बंद करने का विचार नहीं किया गया है। ये मामले मंत्रिमण्डलीय उप-समिति में विचाराधीन हैं। वहां जो भी निर्णय होगा, उसके बाद कैबिनेट में इसमें फाइनल निर्णय करेंगे।

जहां तक नियामक आयोग का सवाल है, मैंने बता ही दिया कि नियामक आयोग निश्चित रूप से गठित होगा; होगा; होगा; किसी हालत में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पारित करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

श्रीमती अनिता भदेल। राजस्थान डायना-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को आप विचारार्थ लेने के लिए...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार डायना क्यों याद आ रही है? डायना चली गयी। वह डाकण है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): डायन है।

श्री अध्यक्ष: निकल जाता है जरा। दिमाग में रहता है न। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटसरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पहले बोलने के लिए अनुमति दे दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसमें तो मेरा है, साहब, पहले।

श्री अध्यक्ष: पहले आपका है लेकिन मैंने इनको इजाजत दी है। विराजिये। इसके बाद आपका है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं पांच मिनट बोलूंगा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

जो एक्ट राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 है, इसको मैंने जन मत जानने के लिए परिचालित किया है, निवेदन प्रस्ताव किया है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि जो यह एक्ट बनाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो इसमें जो परिभाषा है, वह कोई ज्यादा स्पष्ट नहीं है। उसको स्पष्ट किया जाना जरूरी है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसमें आई.पी.सी. के और एस.सी., एस.टी. एक्ट के जो प्रावधान हैं, वे लागू होंगे, नहीं होंगे। तो अलग से इसमें ऐसा प्रताड़ित करने पर उसको सात साल की, या जो भी सज़ा है, लेकिन इसमें आई.पी.सी. का क्या रोल रहेगा? आई.पी.सी. तो अपने आप में हट तो सकती नहीं। वे धाराएं तो लगेंगी ही लगेंगी। इसलिए इस एक्ट में वह बात भी आ जानी चाहिए थी।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(13.07 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

दूसरा, ग्राम पंचायतें कई जगह खाप हैं, जाति पंचायतें हैं, ये फैसले करती हैं और वे फैसले करती हैं। उनके बारे में क्या प्रावधान होंगे, यह भी कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है और उसमें सज़ा का प्रावधान क्या रहेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। वह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

तीसरा, इसमें आया है कि जो संयुक्त जुर्माना है वह जज करेगा, लेकिन वह जज कितनी समय सीमा में करेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है।

एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह बात, माननीय सभापति महोदय, इसमें यह है कि ऐसी प्रताड़ित महिला के पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी? उसकी सम्पत्ति को नुकसान हो गया; मान लीजिए, उसकी हत्या हो गयी, तो उसकी पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी? आपने एक्ट में लिखा है ...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हत्या के बाद क्या पुनर्वास होगा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसकी औलाद का नहीं होगा? उसके वारिसान का नहीं होगा? उसका परिवार नहीं है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उसका परिवार नहीं है क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उस महिला का बोला आपने। जिसकी हत्या हो जाएगी, उसका पुनर्वास कहां होगा? वह तो फिर ...(व्यवधान) वह ही तो डायन बन जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने यह भी बोला था कि अगर उसके साथ में शारीरिक प्रताड़ना की गयी ...

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, अगर आप ही जवाब दे देंगे तो फिर आदरणीय मंत्री महोदया क्या जवाब देंगी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर उसके साथ में प्रताड़ना की गयी, सम्पत्ति का नुकसान किया गया, तो उसके बारे में क्या होगा? यह बात मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। अगर मर भी जाए, मान लीजिए, मर गयी, तो उसके वारिसान का पुनर्वास करना...

श्री सभापति: आदरणीय सम्माननीय सदस्य, आप इधर मुखातिब हो जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस एक्ट में जो धारा 4 है उसमें 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है, जो, मैं समझता हूं, डायन प्रताड़ना का दंड है वह कम होगा। इसको एक लाख रुपये किया जाना चाहिए।

जो धारा 5 है उसमें डायन-वृत्ति के लिए दंड है, उसमें दस हजार रुपये का किया गया है। उसमें भी 50 हजार रुपये होना चाहिए।

जो धारा 7 है डायन-प्रताड़ना से पीड़ित स्त्री की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए दंड, उसमें आपने एक लाख रुपये का प्रावधान किया है, जबकि कम से कम पांच लाख रुपये उसको मुआवजा मिलना चाहिए। यह भी मेरा इसके माध्यम से निवेदन रहेगा।

तीसरा, धारा 9 है, वह मृत्यु पर जुर्माना व सम्पत्ति की क्षति उसके उत्तराधिकारियों को मिले, इस बात का प्रावधान नहीं किया गया है धारा 9 में। तो उनके वारिसान को जो जुर्माना है, वह भरण-पोषण के लिए मिले, पुनर्वास के लिए मिले।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आसन की बगैर अनुमति के जो कोई भी सदस्य बोले हैं, अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, अब आप विराज जाएं।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि आसन जिस सदस्य को बोलने की इजाजत देता है, If you concede the Floor then I will not allow you to speak again.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, जो धारा 9 है उसमें भी 60 परसेंट राशि जो जुर्माने की जमा होगी, उसको देने की बात कही है। मैं समझता हूं, 60 परसेंट क्यों? उसमें 100 प्रतिशत राशि उनको दिये जाने का प्रावधान होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैंने 5 मिनट अध्यक्षजी से मांगे थे, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी मेरी बात समाप्त कर रहा हूं।

जो भी ये प्रताड़नाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उसमें पुलिस को और प्रशासन सबको पता रहता है। इस एक्ट में कहीं भी, जो यह कृत्य कारित करेगा उसके खिलाफ तो है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन होगा, उनकी जो नेग्लीजेंस होगी, उसको पता लगने के बाद में भी उसने कोई

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कार्यवाही नहीं की, तो जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ भी यह व्यवस्था इस एक्ट में होनी चाहिए। उनके खिलाफ क्या होगी? अगर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद होंगे, तो, मैं समझता हूं, इनमें और ज्यादा कमी होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए यह जो एक्ट लाया गया है, इसमें काफी कमियां हैं। यह बहुत बड़े समुदाय, जो कम शिक्षित हैं, जो कम पढ़े-लिखे हैं, जो शहरों के नजदीक नहीं हैं, वहां पर अशिक्षित समुदायों में यह प्रथा ज्यादा है। इसको जितने भी एन जी ओ और सामाजिक संगठन हैं, उन सबकी राय लेकर के, उसके बाद में बढ़िया एक्ट बने। उसके बाद इस प्रकार से महिला उत्पीड़न का, जिस प्रकार से डायन-प्रताड़ना होती है, उसमें रोक लगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको मुआवजा मिले, इस बात का प्रावधान हो। इसलिए सबको सम्मिलित करते हुए, इसको जन मत जानने के लिए परिचालित करके, उसके बाद में करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015, इस पर सदन में चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि हमें कोर्ट बार-बार निर्देश दे रहा है। पहले पदनाम परिवर्तन करने के लिए एक विधेयक लाना पड़ा। वह विधेयक भी कोर्ट के निर्देश से। अभी भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 11 फरवरी, 2015 को, Court want that either the Government enact law by Feb. 11, 2014. or the Court would declare Rajasthan a backward state. यदि डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक नहीं लाये तो राजस्थान बैकवर्ड स्टेट माना जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह समझ में नहीं आया। जबकि हमारे यहां पहले से ही इस प्रकार के विधेयक हैं, ऐसे कानून हैं जिसमें प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्राम एट्रोसिटीज एक्ट है अपने यहां, Rajasthan Women Prevention and Protection from Atrocities Bill, 2011. "A crime would be conceded to have been committed when any person or community intentionally or inadvertently abates, conspires, aids and instigates the identification of a woman as witch, leading to her mental or physical torture and humiliation. '' यह पहले से ही हमारे यहां प्रावधान है, यह एक्ट है। मैं सोचता हूं कि नये विधेयक को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, जैसे डायन की यदि बात करें तो यह जेंडर, जैसे पुरुष के लिए क्या कहेंगे? महिला के लिए तो डायन कह दिया।

श्री सभापति: फेमेनिन जेंडर है यह।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तो पुरुष को क्या कहेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पुरुष को डाकी कहेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): डाकी कहोगे। नहीं, यह भी ठीक नहीं है। सभापति महोदय, यह अंधविश्वास है और ऐसा कुछ होता नहीं है।

मैं सोचता हूं कि आप तो जानकार हैं, अपना यह विधान सभा भवन बना, कई माननीय सदस्यों को पता होगा कि पास में ही श्मशान घाट है, श्मशान घाट के बिलकुल निकट है। जब इस भवन के लिए पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा के, आदरणीय हरिशंकरजी भाभड़ा साहब ने यह स्थान चिह्नित किया था, तो कई लोगों ने कहा कि पास में मत बनाओ। फिर भी तय हुआ और भवन बनने लगा। तो यहां पर बताते हैं कि पत्थर फेंके जाते थे। काफी समय तक तो ये ठेकेदार, वगैरह भी घबराते रहे कि निर्माण करें कि नहीं करें। बाद में जब दृढ़ निश्चय हो गया तो निर्माण कर लिया। अब हमारे विपक्षी लोग, जब हम यहां सदन में आये थे, तो उन्होंने कहा कि एक भूत है जो यहां पर 65 प्रतिशत लोगों को दुबारा सदन में आने नहीं देता है।

एक माननीय सदस्य: आप आये हो न।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तत्काल बाद में। तत्काल बाद तो मैं भी नहीं आया। मैं भी एक टर्म छोड़ने के बाद आया हूं।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): हम आये हैं न।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, हां, आप आये हों। 65 प्रतिशत बोला मैंने। (व्यवधान) ऐसा ये अभी बोल रहे थे, कई लोग आते हैं जिन्होंने चोटी पकड़ रखी है भूत की। वे तो बार-बार आ जाते हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): राज दुबारा रिपीट नहीं हुआ, इनका यह कहना है, इस हाउस में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मुझे कहना तो नहीं चाहिए। लेकिन माननीय सदस्य ने, जो खुद भी राठौड़ हैं, मुझ जैसे निरीह व्यक्ति पर, सीधे व्यक्ति पर, यह आरोप लगा दिया कि मैंने भूत की चोटी पकड़ रखी है। सभापति महोदय, अगर मेरे पर यह आरोप लगता कि मैंने भूतनी का हाथ पकड़ रखा है, तब तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। इसलिए एक्सपंज कराओ इसको।

श्री सभापति: इस प्रकार का अगर कोई व्याकरण के माध्यम से शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो, तो उस पर उचित निर्देश दिये जाते हैं कि उसको अपलिखित किया जाये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वैसे हमेशा सामंती राठौड़, एक पीड़ित राठौड़ पर हमला करता आया है।

श्री सभापति: इसका विशेष उल्लेख किया जाये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। दोनों की स्पेलिंग में फर्क है, 'ए' का और 'ई' का।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा है कि मदनजी राठौड़ ने भूत की चोटी पकड़ने का आरोप लगाया है, उस पर आपत्ति दर्ज की है और यह भी कहा है साथ में कि वे अगर यह कहते कि मैंने किसी भूतनी का हाथ पकड़ रखा है तो मुझे आपत्ति नहीं होती। जरा इसको यह स्पष्ट कर दें।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप इस पर रिएक्शन देना चाहेंगे? Would you like to react on this?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मुझे मेरे शब्द वापस दो। इन्होंने जहां कहा है, मेरा घर में घुसना बंद हो जायेगा। (व्यवधान) जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, अब इस उम्र में...। सभापति महोदय, इसलिए मैं मेरे शब्द वापस लेना चाहता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो कोर्ट का हस्तक्षेप बार-बार, या इस प्रकार के शब्द प्रयोग ये कर लेवें, इस पर देखना चाहिए। यह नहीं करना चाहिए। वहां से भय खाकर के बार-बार हम लायें...। मैं सोचता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने इसको जन मत जानने के लिए परिचालित करने के लिए निवेदन किया था।

सभापति महोदय, इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जैसे सबसे पहले तो डायन, अब डायन किसे कहेंगे? उसकी जो इन्होंने परिभाषा दी है, डायन में इन्होंने बताया है कि 'ऐसी स्त्री अभिप्रेत है, जो डायन, डाकन, डाकिन या अन्य नाम से जाना जाता हो'। अब अन्य नाम से क्या मतलब है? 'जिसकी पहचान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वाली स्त्री के रूप में इस विश्वास के साथ की जाए कि वह स्त्री किसी बुरी शक्ति के कब्जे में हैं। यह मैं सोचता हूं कि इसकी परिभाषा में भी, अब बुरी शक्ति तो वे बतायेंगे, मंत्रीजी जब बोलेंगे।

एक माननीय सदस्यः शक्ति तो सुनी है, बुरी शक्ति क्या है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब डायन-वृत्ति, इसकी जो परिभाषा दी है, जैसे हम देखते हैं, कई लोग भिक्षा मांगते हैं तो भिक्षा-वृत्ति, तो यह किसके लिए लागू होता है। ठीक इसी प्रकार से जो डायन-वृत्ति लिखा है, उसकी जो परिभाषा दी है, उसमें दिया है कि 'टोना-टोटका, तंत्र-मंत्र, जादू-टोना, झाड़-फूंक या इस प्रकार के नामों से जिसको जाना जाता है, अलौकिक जादुई शक्ति का प्रयोग अभिप्रेत है।' यह थोड़ा-सा, मैं सोचता हूं, परिभाषाओं में भी क्लीयर करना चाहिए। परिभाषा एकदम स्पष्ट हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा।

फिर डायन चिकित्सक की परिभाषा दी है। अब डायन चिकित्सक तो क्या, अंधविश्वास को मिटाने वाला डायन चिकित्सक हो गया, जो अंधविश्वास मिटाने का काम करे, लेकिन यहां दूसरा दिया है, उसको सज़ा देने का प्रावधान है। यदि कोई यह कहे कि इसको डायन लग गई और हम कहें कि अंधविश्वास मत करो, अंधविश्वास मत करो। यह ठीक बात नहीं है। कोई डायन होती ही नहीं है, न कोई लगती है। हमने चिकित्सा कर दी,...(व्यवधान) बार-बार चिकित्सा मंत्रीजी पर आप कर रहे हैं। डायन चिकित्सक यदि चिकित्सा कर ले, तो मैं सोचता हूं कि उसको सज़ा का प्रावधान रखा है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार आप अंधविश्वास नहीं करते, आप इनमें विश्वास भी नहीं करते, कई लोग नहीं भी करते। एक ऐसा ही बहादुर था जिसने कहा कि मैं बिलकुल नहीं करता; होता ही नहीं है; न भूत होता है, न प्रेत होता है और न डायन होती है। तो हिम्मत करके, उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि जा, श्मशान घाट में कील ठोक कर आ जा, वह श्मशान घाट में गया और कील ठोक दी और कील ठोकते समय गलती से उसकी धोती उसके अन्दर ठुक गई। जब वह वापस लौटने लगा तो धोती खिंच गई और खिंचते ही उसको लगा कि वास्तव में यहां भूत है और मुझे पकड़ लिया उसने, और वह मर गया। ये अंधविश्वास इस प्रकार के होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए यदि कोई इस प्रकार का विश्वास दिलाए किसी महिला को, लोग लेकर आते हैं कि इसको डायन लग गई है और किसी ने उसको सलाह दी इस प्रकार की, केवल एक उदाहरण देकर उसके मन का यह भ्रम मिटवा दिया, तो वह डायन चिकित्सक हो गया। और वह डायन चिकित्सक हो गया तो उसको भी सज़ा का प्रावधान हो गया। तो भला करना ही गुनाह है क्या? यह बात ठीक नहीं है।

(श्री मदन राठौड़)

थोड़ा इसका, मतलब, अपन लाये हैं एक्ट, 11 फरवरी को ही कोर्ट ने डांट पिला दी और अपन लेकर आये हैं। तो मैं सोचता हूं कि इस पर थोड़ा सोच-विचार करने की जरूरत है। बार-बार इस प्रकार से और कोर्ट से भय खा कर तत्काल हम कुछ भी कर दें, नहीं तो हमको पिछड़ा, बैकवर्ड स्टेट कह देंगे, यह तो मैं सोचता हूं कि किसी के कह देने मात्र से तो होता नहीं है। बहुत अधिक इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहती हैं।

डायन-प्रताड़ना के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी ऐसा काम, अब देखिये, उसमें बाकी सब तो समझ में आता है, इसमें 2 में लिखा है, जो परिभाषा 2(घ) (ii) में, उसकी सम्पति को हानि पहुंचाना। अब इसमें देखिये आप, यह नहीं लिखा है कि डायन कहकर सम्पत्ति को हानि पहुंचाना, ऐसा नहीं है। बाकी सब देते-देते, 2(घ) (ii), ''ऐसी स्त्री को, चाहे मानसिक या शारीरिक रूप से तंग करना, अपहानि करना या उसे क्षति पहुंचाना...'' यहां तक तो ठीक है; आगे दिया है, ''...अथवा उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाना...''। अब सम्पत्ति को हानि तो आपस में किसी प्रकार का विवाद हो गया, उसकी सम्पत्ति का कोई नुकसान हो गया, तो उसको कोई डायन मानेंगे क्या इसमें? डायन प्रताड़ना में गिना जाएगा?

फिर, इस प्रकार से डायनवृत्ति का प्रयोग या अभ्यास नहीं करेगा। 3 में दिया है, डायन प्रताड़ना और डायनवृत्ति का निषेध, इसमें अभ्यास नहीं करेगा। अभ्यास क्या करेगा? फिर इस पर सज़ा का प्रावधान भी रखा है 1 वर्ष से 5 वर्ष; 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 5 वर्ष तक की सज़ा दे सकेंगे। 50 हजार रुपये का जुर्माना, या दोनों ही सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है। यह थोड़ा-सा इसमें देखने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें कई ऐसे प्रावधान दिए हैं जिनमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे, अब वह सहायता नहीं दे, वह भी अपराधी! कोई कहे, मैं इस पचड़े में पड़ता नहीं। कोई बताये, कोई आये और कहे कि तुम मदद करो मेरी; वह कहे, नहीं, नहीं, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। कोई जाता ही नहीं है, वह भी इसमें सज़ा का प्रावधान है कि क्यों नहीं करते हो। यह थोड़ा-सा यह लिखा है धारा 8 में, "सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति।" इसमें अपराधी को दो तो समझ में आता है, लेकिन अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के

(श्री मदन राठौड़)

अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं, वह दोषी है, और उसको भी इसी प्रकार से जुर्माना और सज़ा, यह प्रावधान इसमें रखा है। तो मैं सोचता हूं कि यह ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार से धारा 8 के (3)(ख) में, जो वह ठीक समझे, सज़ा दी, कौनसी? इसमें 'जो वह ठीक समझे'। यानी, जो भी पकड़ेगा और वह कोर्ट के अन्दर...। यानी, जहां भी प्रावधान, इसमें प्रावधान 1 साल वाला या 2 साल वाला नहीं है, 'जो वह ठीक समझे', यह प्रावधान रखा है। जुर्माना भी भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

फिर इसमें राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले निवारण और संरक्षा कार्य का है। इसमें ठीक है कि अंधविश्वास मिटाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने का काम यदि करे, यहां तक तो ठीक है। एक इसमें, माननीय सभापति महोदय, यह दिया है कि बार-बार आते-जाते, किसी भी स्थान पर बार-बार आते-जाते; इसमें जो संकेत है वह संकेत, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने भी इस बात को समझा कि कहां बार-बार आते-जाते हैं? क्या वह मजार है। या कोई ऐसा स्थान है, कोई झाड़-फूंक ओझा का कोई घर है? क्या है? इसको तो जरा क्लीयर करना चाहिए कि कहां आते हैं।

वास्तव में अंधविश्वास तो है, यह तो मानना पड़ेगा कि समाज में अंधविश्वास है, उसको मिटाने के लिए पहले से प्रावधान भी हैं, और भी प्रयास करने चाहिए, यहां तक तो समझ में आता है लेकिन इसके लिए इस प्रकार का प्रावधान एकदम कर देना, तत्काल...। अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो कह रहे थे कि इसमें सज़ा और बढ़ानी चाहिए, मैं सोचता हूं कि इस एट्रोसिटीज के अलावा विधेयक भी लाना चाहते हैं, इसमें समाज को जागरूक करने की जरूरत है, समाज में प्रेरणा देने की जरूरत है, अंधविश्वास को मिटाने की जरूरत है, जागरूकता पैदा करने का प्रयास, यह समझ में आता है, इसको प्रेरित करते; मतलब, उसमें कोई इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि समाज में कोई जाग्रति करने का काम करें, ऐसे लोगों को प्रेरित करके भेजें, यह कोई प्रावधान करते तो समझ में आता लेकिन कहीं पर भी, किसी भी प्रकार से इस एक्ट का दुरुपयोग होगा। उसको समझने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, 'बुरी आत्मा', यह इसमें शब्द बताया गया है, लिखा गया है। अब आत्मा, 'बुरी आत्मा', उसको कैसे पहचानेंगे? इसको कोई पहचानने का तो हो कि बुरी आत्मा है। (व्यवधान) खुद मरेंगे तो दूसरों को पता लगेगा। जिसको लगेंगे, उसको पता लगेगा।

(श्री मदन राठौड़)

तो, माननीय सभापति महोदय, मैंने अब ठीक है, सरकार लेकर आई है, आप तो यह विधेयक बनाएंगे; इसमें कहीं निर्दोष लोगों को फंसाया जाए, देखिये, यह बात तो जरूरी है, इस बात के दुरुपयोग होने की ज्यादा सम्भावना है। कई महिलाएं खुद ऐसे नाटक करती हैं। यह वास्तव में अपन गांवे में देखते हैं कि कोई अच्छा भजन चल रहा है, यह बात बिलकुल सही है, कोई अच्छा भजन चल रहा है और भजन सुनने वालों में से कोई एकदम से उठकर अचानक वह भाव ले आती है, कूदने लग जाती है। अब उसको क्या कहेंगे आप? (व्यवधान)... अब वह ले आये। महिलाओं के लिए नहीं...(व्यवधान) महिलाएं ऐसे कूदने लग जाती हैं और भाव आ जाते हैं, यह अंधविश्वास नहीं है तो क्या है?

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): महिलाएं कूदती हैं पर उसका इलाज भी पुरुष ही करते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): भजन-कीर्तन सुनकर, यह अपन कई बार देखते हैं, उसको भाव आ गया। ऐसा अक्सर, अपन सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, शहरों में भी इस प्रकार का मिलता है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी आता है, पुरुष भी डांस करते हैं। कई भजनों में पुरुष भी डांस करते हैं। महिलाओं का ही क्यों बताते हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पुरुषों को भी आता है। तो उसका एक्ट कौन लाएगा? पुरुषों के लिए भी एक्ट आपको लाना पड़ेगा। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि पुरुषों का तो इसमें लिखा ही नहीं है। आपने डायन-प्रताड़ना लिखा है। मैं यह कह रहा हूं, वह मग्न हो जाता है। वास्तव में यह डायन-वायन कुछ भी नहीं है। वह उस भाव में इतना भाव-विभोर हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है कि वह नाचने लग जाता है, और नाचता है तो लोग उसको पानी का छींटा मारते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आपके भी भाव आ गया है, मुझे लगता है। वे जो-जो बोल रहे हैं, वैसे आपके भाव आ रहा है।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): सभापति महोदय, एक आध्यात्मिकता चीज अलग होती है और डायन प्रथा अलग चीज होती है और आध्यात्मिकता के साथ आदमी जुड़ा हुआ होता है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, भोपाजी एक उपनाम होता है और एक भक्त होता है भगवान का। उसी तरह से आप जो बता रहे थे कि डायन प्रथा एक अंधविश्वास है।

(श्री ओटाराम)

हम जब पहली बार यहां जीतकर आये थे तो हमारे सम्माननीय घनश्यामजी भाई साहब और माननीय सदस्य, सभी रात को यहां सोने आये थे, इसी विधान सभा में। जिस विधान सभा को सम्माननीय भैरोंसिंहजी ने, उन्होंने इस जगह को निश्चित किया था, रात को हम सभी यहां बिस्तर लेकर सोये थे। (व्यवधान) धरना था हमारा। धरना था, तो उसमें रात को किसी ने कहा कि यह तो श्मशान है। हम भी यहां नये-नये आये हुए थे। रात को यहां भूत आता है, प्रेत आता है, ऐसी बात चली थी। हमने कहा कि हम सो तो गये, जो भी होगा, आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप चिमटा लेकर आये थे।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): चिमटा-विमटा मैं नहीं रखता, परन्तु मैं आप सबसे, डायन प्रथा एक अंधविश्वास है, अंधविश्वास, पर कई स्थान ऐसे होते हैं जो धार्मिक स्थल होते हैं, उस धार्मिक स्थल पर अपन जैसे दर्शन करने जाते हैं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर में भगवान की कोई दया या कृपा नहीं होती। उनके मन में यह होता है कि यहां जाते ही अपने शरीर में वह आ जाएगा, डाकन आ जाएगी, या भूत आ जाएगा। परन्तु भूत-प्रेत आज दिन तक किसी ने देखा है क्या? देखा है भूत? (व्यवधान) आपने तो देखा है, इसीलिए तो आप दूसरी बार आये।

कहने का मतलब यह है कि जो भी स्थान है, जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ आदमी है, जो भगवान से डाइरेक्ट, अपन बिंदी क्यों लगाते हैं, ध्यान को एकाग्र करने के लिए कि अपना ध्यान एक जगह सीमित हो। यह होती है एकाग्रता। उसी तरह से अपने ध्यान में यह हो जाता है कि अपन, मैंने मेरी नजरों से देखा, कई बार किसी स्थान पर जाते हैं, तो उस स्थान पर जाते ही वे लोग देखते ही धूजना चालू हो जाते हैं, कंपन करना चालू कर देते हैं। वह क्या है? उसको कोई भूत थोड़े ही लगा है, परन्तु वहां रहने वाले लोगों को होता है उन स्थानों पर। वह ऐसा भय का वातावरण बना देते हैं कि आपके शरीर में डाकन आ गयी, आपके शरीर में भूत आ गया। परन्तु भूत, डाकन एक अंधविश्वास है।

जिस तरह से यह अंधविश्वास की तरफ से यह लाया गया, यह वाकई में आज के युग के हिसाब से, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक चिकित्सा...। पहले एक बार की बात है, जब नाक से ज्यादा पानी टपकता था, उसको साइनस

(श्री ओटाराम)

कहते हैं, जो पानी आता है, अपने गांव में जाते थे तो क्या कहते थे, थोड़ा अजवायन गर्म करके सूंघो, उससे ठीक हो जाएगी। यह कई तरह की न झाड़ होती है, न फूंक होती है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसी को बिच्छू ने काट दिया, परन्तु उसका झाड़ा; झाड़ा क्या होता है, झाड़ा कुछ भी नहीं होता। अपने एक झाड़ होता है, झाड़ पर ऐसे फूल होते हैं; उस फूल को एक साल में हाथ में लेकर ऐसे मसल दो, बारह महीने तक उसके कहीं बिच्छू काट गया, तो हाथ लगा दो, उतर जाता है। कई तरह के ऐसे होते हैं जो अपने यहां विद्यमान हैं। कई झाड़ियां भी ऐसी हैं। उसी तरह से कई स्थान भी ऐसे हैं।

अब यह डाकन और भूत, मेरी तो 50 साल की उम्र हुई, मैंने तो देखा ही नहीं। जहां भूत हैं, वहां चले जाते हैं अपन तो। आध्यात्मिक जो आदमी है, जिसका इष्ट प्रबल है, उसके नजदीक कोई चीज नहीं आती। न तंत्र, मंत्र, टोटका-वेटका, कुछ नहीं आता। यह जो भूत-प्रेत, कई पढ़े-लिखे आज के लोग हैं उनको कभी भूत लगा क्या?

हमारे डेरे चलते हैं रोज के। जो भेड़-बकरी लेकर मालवा जाते हैं और रात को अंधेरा होने के बाद डेरा डाल देते हैं और डेरा डालने के बाद सुबह पता चलता है कि यहां श्मशान था। पूरी रात वहीं सोये रहते हैं। होता है कई बार। परन्तु वहां पता ही नहीं लगता कि यहां श्मशान था। श्मशान तो जहां प्राण छूट रहे हैं घर में, वहां श्मशान है। वहां तो उसकी सिर्फ देह है, देह को जलाकर आ रहे हैं। श्मशान तो घर में ही है।

कहने का मतलब यह है कि आज जो यह बिल लाये हैं डायन प्रथा वाला, इस बात पर आप सबकी जो राय है, यह एक साइकोलोजी होती है, मेरे दिमाग में। मैंने अपनी नजरों से देखा, ऊंझा अपने एक स्थान है, वहां हजारों लोग जाते हैं, मेरे दातार, अपने राजस्थान से जाते हैं ज्यादातर। मेहंदीपुर बालाजी, वहां गेट के अन्दर जैसे ही घुसने लगते हैं तो लोग ऐसे-ऐसे करना चालू हो जाते हैं। अब उनको न तो हनुमानजी मिले, न किसी ने कहा कि आपके क्या है। उस गेट के अन्दर, उस जगह पर जाते ही लोगों में ऐसा हो जाता है।

कुछ तो साइकोलोजी होती है और कई बार लोगों के आपस में कोई झगड़े होते हैं घर में। झगड़े होते हैं, घनश्यामजी भाई साहब ने मुझे कह दिया कि आप डाकन हो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको तो डाकी कहेंगे।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): मैं तो डाकी हूं ही नहीं, डाकन भी नहीं हूं।

मेरे कहने का मतलब यह है, पहले क्या होता था, कई परिवार ऐसे होते थे, जो जमीन से जुड़े हुए गरीब परिवार के लोग होते थे, उन परिवारों को देखते थे कि ये तो साधन-सम्पन्न हैं और इनको कैसे दबाया जाएं। तो उनको दबाने के लिए उनके परिवार पर यह आरोप लग जाता था कि यह डाकन है। तो उस घर का कोई विश्वास नहीं करते थे। सबसे मेन पाइंट यह था। ऐसे करते-करते कई परिवार ऐसे उजड़ गये, जो आज दिन तक उस परिवार का कोई सहयोग नहीं कर रहा है। कहीं गांवों में, छोटे-छोटे गांवों में यह समस्या होती है।

मैं तो आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि जो भी यह बिल लाये हैं बहुत अच्छा बिल है और इस बिल का समर्थन करना चाहिए। उसके लिए अपन को एक जागरूकता...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): इसके लिए अपन सबको मिलकर एक जागरूकता लानी पड़ेगी और इसके लिए प्रचार-प्रसार करके, अपन सबको मिलकर इस अंधविश्वास को कैसे दूर किया जाय, यह हम सभी मिलकर कर सकते हैं।

दूसरा आप कह रहे थे, नजर। हनुमानजी की नजर तो मुझे नहीं लग रही है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप जहां जाते हो, तो आपका पता लग जाय कि ओटारामजी आ रहे हैं तो भूत अपने आप आगे भाग जाता है। यह मान्यता है।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): हमारी उत्पत्ति जब भगवान शंकर ने की, देवासी समाज की, उत्पत्ति करते ही कहा, क्योंकि शिव और पार्वती से हमारी उत्पत्ति हुई; हमारा नाम है देवासी; देह के ऊपर से भगवान शंकर ने मैल निकालकर हमारी उत्पत्ति की थी, इसलिए देवासी; जैसे ही वे निकले और श्मशान की तरफ वे जाने लगे तो उन्होंने, क्यों जा रहा है भूत? हमारे को देवासी भी कहते हैं और भूत भी कहते हैं। इसलिए कहा था, भगवान शंकर ने कहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम भूत हैं। भगवान शंकर का नाम भी भूत है। जिस तरह से हमारी उत्पत्ति हुई थी, उसी तरह से भगवान देह से हमारी उत्पत्ति की गई, इसलिए देवासी नाम रखा गया।

(श्री ओटाराम)

भगवान की राई नाम की जो परी थी उससे शादी करने से राइकाणी हुई। वह आंख से काणी थी और राई उसका नाम था, इसलिए राइकाणी। जो हमारे घर में देवासी होती है, उसको राईकाणी कहते हैं।

राईका, राह बारै रैबारी न, गांव बारै घर। मतलब हमारे जितने भी मकान होते हैं वे गांव से बाहर होते हैं। वह गांव के बीच में इसलिए नहीं रखते कि हमारी मवेशी भी ऐसे ही रहती हैं। इसलिए हमारे यह साधन रहता है कि चराई के लिए क्या व्यवस्था होती है और उसके लिए गांव से बाहर रहते हैं। तो नजर किसी के ऊपर नहीं रहती। (व्यवधान) रैबारी मिनख नहीं है क्या?

कहने का मतलब यह है कि न तो नजर है, अपन सब नर और नारायण की देह हैं। अपना शरीर नारायण का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप। मैं तो कहता हूं कि वे भूत और प्रेत किसको लगते हैं, जो कि गलत खान-पान करते हैं। वह आपके मुसलमानों में नापाक कहते हैं। समझ गये, आपके वहां नापाक हैं। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सबको गांव जाना है आज। सब सदस्य जाना चाहते हैं।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): जाना ही तो है सबको। सब वह ही तो तैयारी कर रहे हैं। जाने के बाद न तो भूत होता है, न प्रेत होते हैं। सब परमात्मा के पास जाते हैं। आज दिन तक सबका जन्म हुआ है, कहां से आये और वापस कहां जाएंगे, किसी को पता है क्या?

तो जिस तरह से आप सबने, यह डायन का लाया है, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य आदरणीय मदनजी ने जो बात कही और अपन जो सभी एम.एल.एज. बैठे हैं, अपन सबका दायित्व होता है कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से इस अंधविश्वास को कैसे खतम किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम्माननीय मंत्रीजी के आध्यात्मिक उद्‌बोधन के उपरांत अब कुछ और शेष रह गया है क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं तो यह कह रहा था, सभापति महोदय, जैसे माननीय मंत्रीजी ने भी बोला, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार के माननीय मुख्य मंत्रीजी थे अशोक गहलोतजी, वे भी जादू करते थे। (व्यवधान) जादू-टोना करते थे। मैंने उनके पिताजी का नहीं बोला, आप गलत बोल रहे हैं, मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं। वे भी स्वयं अपने आप में एक जादूगर थे, ऐसा चर्चित है और वे करवाते थे। खैर, जैसा खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य बोले....

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति सदन में नहीं है, उसके बारे में कैसे चर्चा हो रही है? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सदन में हैं, वे सदन के सदस्य हैं। वे इस सदन के सदस्य हैं। आपको पता नहीं है।

श्री रमेश (सपोटरा): जादूगर की बात चल रही है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह आप यदि नहीं मानो सदन के सदस्य, आते नहीं हैं, इसका मतलब क्या हो गया? यदि वे सदन में नहीं आयें, यह बात भी ठीक है कि उनको सदन में आना चाहिए, वे सदन में कई, 2-3 टेन्योर में नहीं आये, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि आप उनको सदन का सदस्य मानोगे ही नहीं। यह बात ठीक नहीं है।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं जादूगर की बात कर रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैंने यह इसलिए कहा कि वे इस सदन के सदस्य हैं। अब ये माननीय रमेशजी कह रहे हैं कि वे सदन के सदस्य नहीं हैं। अब वे आये नहीं, सदन में नहीं आते, यह उनकी इच्छा की बात है। उनको सदन में आना चाहिए, भाग लेना चाहिए, और नहीं लेंगे तो यही माना जाएगा। ये मानते रहेंगे और इनका भ्रम बढ़ता जाएगा।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सदस्य, वे जो हमारे अशोक गहलोत जी हैं, इस विधान सभा के सदस्य हैं लेकिन वे जादूगर नहीं हैं। जादूगर हैं क्या? यह बताइये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप खुद पत्थर फेंककर सिर मत करो। (व्यवधान) ये जो आप पत्थर फेंककर सिर नीचे कर रहे हैं, यह बात है? (व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सभापति जी, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं जादूगर कहलाना पसंद करते हैं, अपने आपको कहते हैं और उनके पिताजी लक्ष्मण सिंहजी जादूगर थे और मैंने कई शो उनके देखे हैं। इसलिए आप करेक्ट हो जाओ कि वे जादूगर हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब बोलो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, जादूगर हैं, इसलिए न होते हुए भी यहां उपस्थित हैं।

श्री सभापति: सम्मानतीय सदस्य, आप विषय पर आ जाओ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, एक इसमें धारा 6 का (3) जो है उसमें 'अनुष्ठान करवाता है, अब अनुष्ठान को इसमें ले लिया। यह तो पवित्र काम है। अनुष्ठान करना तो अच्छा काम है। अब इसमें भी कोई अच्छा काम करे, अनुष्ठान करे उसको भी आप डायन प्रताड़ना में लोगे।

इसमें शब्द का प्रयोग जो है, कोई नाराज नहीं हो, लेकिन ऐसे लिए गये हैं जिनमें कोई मन्दिर हो या कोई धार्मिक स्थान हो, उन्हीं पर यह लागू होता है। ऐसा मत करो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इसको करो तो इतना व्यापक करो, व्यापक शब्द मैंने इसलिए कहा कि कई लोग इस निमित्त आप देखेंगे कि दरगाहों पर जाते हैं, मजार पर जाते हैं। दरगाह, मजार कुछ भी कहो या कोई गिरिजाघर में जाए, तो वे भी तो इसमें जोड़ देते।

इसलिए यह जो केवल अनुष्ठान शब्द जो दिया है, मैं सोचता हूं कि यह ठीक नहीं है और इस पर थोड़ा-सा विचार करना चाहिए। अनुष्ठान करवाने वाले को कोई सज़ा दे। अनुष्ठान तो अच्छे काम के लिए होता है। यदि कोई कहे, कोई भ्रम पैदा करे और उसके मन में शुद्धिकरण पैदा करने के लिए कोई इस प्रकार का काम करे, अनुष्ठान करवाये और यह कहे कि अब आपके कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, अब जो कुछ भी डायन-वायन थी वह सब चली गई, अनुष्ठान हो गया, तो इलाज तो हो ही गया न। डायन-वायन नहीं होती है, यह हम सब मानते हैं, लेकिन उसके मन का वहम है, भ्रम है, वह यदि अनुष्ठान करवाने से मिट जाता है। तो यह तो अच्छा काम है और इसके लिए सज़ा का प्रावधान करना ठीक बात नहीं है।

इसलिए मैंने जो कुछ भी निवेदन किया है, इस पर यदि थोड़ा-बहुत अपन कुछ आगे, जब इसके आप विस्तार से नियम बनायें, तो इनका समाधान करने का प्रयास करें।

मैंने जो जन मत जानने के लिए प्रस्ताव किया था, मैं आपसे उसको विथड्रा करने की अनुमति चाहूंगा।

श्री सभापति: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 पर चर्चा चल रही है और इसमें बहुत ही कम धाराएं देकर यह विधेयक लाया गया है। इसमें धारा 2 डायन की परिभाषा, डायन वृत्ति या डायन चिकित्सक कहो या डायन प्रताड़ना, चार भागों में बांटा गया है। उसके बाद में धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 में सज़ा का प्रावधान

(श्री सुखराम विश्नोई)

किया गया है। धारा 10 में इसमें आई.पी.सी. किस तरह से लागू होगी, आई.पी.सी. के कौन-कौन से अध्याय इसमें लागू होंगे, वह है।

माननीय सभापति महोदय, डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, डायन वृत्ति, मेरा जहां तक मानना है, गांवे में पढ़ाई कम होती है। एक डेली कार्निक ने किताब लिखी थी, चेतन-अचेतन मन। आदमी के दो मन होते हैं, चेतन और अचेतन। जो चेतन मन में आदमी की धारणाएं बन जाती हैं कि मैं उस स्थान पर जाऊंगा और मुझे भोपाजी या ओझा जी यह कहेंगे, तो वहां जाते ही उसके अचेतन मन में जो धारणाएं फीड की हुई थीं वे उसको बाहर धकेलती हैं और अपने आप कम्पन करने लगता है।

इसके साथ ही एक हिस्टीरिया नाम की बीमारी मेडिकल में है। हिस्टीरिया बीमारी होती है। मैं तो नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली हिस्टीरिया का नाम ले रहा हूं, हिस्टीरिया नाम की बीमारी होती है। अमूमन हमारे वहां एक पीर की जाल है और वहां पर 7-8 औरतें लड़ती-झगड़ती हैं। हम जब वहां पहली बार देखने के लिए गये, तो हमने कहा कि यह तो इनको हिस्टीरिया है, ले जाकर ट्रीटमेंट हो जायेगा। अमूमन गांवे में, जैसे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह भाव आ जाता है। भाव कुछ नहीं है, हिस्टीरिया की बीमारी है। कोई भी औरत जिसके चार-पांच बच्चे हो गये, दो-तीन बच्चे हो गये। 50 साल के बाद में किसी के कोई भाव नहीं आता है, किसी के कोई बीमारी नहीं होती है। कोई भी औरत गांव में अंधविश्वास की वजह से और जो चेतन मन में बातें तय होती हैं, अचेतन मन में फीड हो जाती हैं और जब उस स्थान पर जाती है, जिस तरह का विचार बनता है, उसी हिसाब से वह कार्यक्रम होता है।

तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो अधिनियम लाया गया है, इस अधिनियम में सज़ा का प्रावधान किया गया है। वह सज़ा का प्रावधान, एक तरफ तो सेक्शन-34 आई पी सी के अध्याय-3, अध्याय-4, अध्याय-5 और 5(क) और 149 और अध्याय-23 में इनको कवर किया गया है, इन आई पी सी की धाराओं से। तो मेरा यह मानना है कि इसमें जो सज़ा का प्रावधान दिया गया है, वह सज़ा का प्रावधान इस आई पी सी की धाराओं से मेल नहीं खाता है। तो यह पूरा का पूरा जो सज़ा का प्रावधान किया गया है, वह डायन वृत्ति का लेकर, उस आई पी सी से कवर्ड हो।

(श्री सुखराम विश्नोई)

उसके साथ ही, इसमें सेक्शन-5 में, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब सामान्यत: सभी के ऊपर यह जो सेक्शन-5 है, इस सेक्शन के अन्दर सामूहिक रूप से जो जुर्माना देने की बात कही गई है, वह एक अव्यावहारिकता की बात है। यह किस तरह से वसूल किया जाएगा, केवल मात्र दो-तीन बातें इसमें लिखी हुई हैं। अपराधी या अपराधियों का पता लगाने की या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं करता है, इस तरह की बातें कही गई हैं। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजपत्र को गांवों में कौन पढ़ता है? यह जो बात कही गई है, यह अव्यावहारिक बात है। इस तरह का सामूहिक जुर्माना नहीं हो सकता और यह व्यावहारिक बात भी नहीं है।

फिर आगे कहा गया है कि ढोल पीटकर इन बातों को लोगों को समझाया जायेगा। एक तरफ तो आप ढोल पीटने की बात कर रहे हों, दूसरी तरफ सामूहिक जुर्माना लगा रहे हों। ये दोनों बातें, एक तरफ तो मान रहे हो कि शिक्षा की कमी है, अखबारों की कमी है, टी.वी. वगैरह की कमी है, उन आदिवासी एरिये में, या जो पिछड़े हुए लोग हैं, जहां पढ़ाई कम है। तो मेरी यह मान्यता है कि ये दो तरह की बातें हैं। एक तरफ ढोल पीटकर उनको चेता भी रहे हो, दूसरी तरफ जुर्माना भी कर रहे हो। ये दोनों बात साथ नहीं चल सकतीं।

इसलिए सैक्शन-5 है, उस सैक्शन में कम से कम यह खुलासा होना चाहिए, ताकि स्पष्ट जब इसकी इस धारा के अन्दर, एक्ट के अन्दर, किसी आदमी को पकड़ेंगे और जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद वकीलों के जरिये, जब दलीलें पेश होंगी तो वह आराम से निकल जायेगा, आराम से छूट सकेगा क्योंकि इसमें जिस तरह के स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए, वे प्रावधान नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली निवारक संरक्षा बेकार गई। इसमें कहा गया है कि अंधविश्वास है, इसलिए अंधविश्वास को खतम करने के लिए कौन-कौनसी व्यवस्था है, उस पर जोर दिया जाए। तो कम से कम इस अधिनियम पर जोर न देकर, और जहां पढ़ाई कम है, उन क्षेत्रों के अन्दर अंधविश्वास को भगाने के लिए, रूढ़ि हैं, कुरीति हैं, जो परम्पराएं, गलत कस्टम बने हुए हैं, उनका किस तरह से निवारण किया जाये, इस तरह से उनको किया जाए। वह केवल मात्र विद्याध्ययन करने से ही उसका निवारण हो सकता है। तो विद्या पर जोर दिया जाए।

(श्री सुखराम विश्नोई)

विद्या के साथ में, इस तरह की वृत्तियां चलती हैं गांवों में। जिस तरह से पश्चिमी बंगाल के अन्दर जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं, वे सामाजिक संगठन बाकायदा ये जो जादूगर लोग बहुत सारे केमिकल्स को मिलाकर या दूसरे प्रोसेस से जिस तरह से करतब करते हैं और बाकायदा वहां के जो संगठन हैं, उन गांव वालों को चेताते हैं। इसमें कोई जादू-टोना नहीं है। इसमें एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत कार्रवाई की गई है। यह गलत कार्रवाई है।

इसी के तहत, राजस्थान के अन्दर भी जिस तरह से गांवों के अन्दर ओझा लोग हैं, भोपा लोग हैं, जिस प्रकार का ये प्रचार करते हैं, लोगों को भरमाते हैं। इनका प्रतिरोध करने के लिए नाटकों के मार्फत, स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाकर, इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि लोग उनकी तरफ न जाएं और लोग यह विश्वास करें कि वाकई में यह टोना-टोटका कुछ भी नहीं है, केवल मात्र देखने के लिए है। यह भावना जब लोगों में बैठेगी, तभी जाकर इस तरह के जो डायन-प्रताड़ना सम्बन्धी विधेयक बने हैं, विधेयक तो पहले भी बहुत सारे बने हैं, मेरे हिसाब से इस 14वीं विधान सभा के चौथे सत्र में 6-7-8 इस तरह के विधेयक बन गये हैं और उन सात-आठों में से मुश्किल से एक-दो ही कामयाब हैं। बाकी केवल मात्र कि हमने इतने विधेयक पास कर दिये। जैसे प्लास्टिक के बारे में बनाये हैं, बहुत सारे विधेयक हैं, तम्बाकू नियंत्रण के बारे में बने हैं परन्तु कोई प्रभावी नहीं हैं।

यह जो विधेयक बना है, यह विधेयक भी उन गांवों में कैसे पहुंचेगा, जहां इस तरह से लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं कि हर वक्त, हर पूर्णिमा को मेले लगते हैं, हर पूनम को लगते हैं, हर मंगलवार को लगते हैं। बाकायदा वहां पर आप, यह धरातल की बात है, वहां जाकर आप महसूस करोगे कि वे अंधविश्वास में जकड़े हुए लोग हैं। बाकायदा पूरे समर्पित होते हैं और वहां जाने के बाद, या यहां मेहन्दीपुर के बालाजी चले जाओ, जब औरतें अन्दर जाती हैं तो यूं कम्पन करती हैं। वे ऊपर हाथ फेरते हैं, छांटा देते हैं और फिर बाहर आकर शांत हो जाती हैं। केवल मात्र वह मानसिक रोग है और केवल मात्र अचेतन मन में जो भावना चेतन मन के द्वारा फीड की हुई है। जैसे ही मेहन्दीपुर बालाजी चले गये, अचेतन मन की भावना जाग्रत हो गई और जाते ही वह आदमी कम्पन करने लगता है। केवल मात्र यह एक पढ़ाई की कमी की वजह से है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

तो मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि इस तरह की कमेटी बनाई जाए जिसमें वैज्ञानिक तरीके से लोगों को समझाया जाए, एक वैज्ञानिक सोच पैदा की जाए। वैज्ञानिक सोच पैदा होगी, तभी जाकर इन टोने-टोटकों से, यह जो नाटक कर रहे हैं, या जादू-टोना कर रहे हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा।

मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हैं। इनके स्पष्ट नहीं होने से इस विधेयक को जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान...

श्री सभापतिः मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जिन्होंने जन मत जानने हेतु अपने-अपने नाम दिये हैं, आप क्या सभी बोलना चाहेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, जिनके भाव आएंगे, वही बोलेंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापतिः वैसे मैं एक निवेदन करता हूं, आसन ने आज से पहले, अध्यक्ष महोदय ने प्रतिबन्ध जरूर लगाया, आसन भी अध्यक्ष महोदय के निर्देश से अब बंधा हुआ है। I will not allow anyone over...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): महिलाओं को अलाउ हैं ना?

श्री सभापतिः आपको पूरा समय है। (व्यवधान) मैंने अभी तो यह कहा ही नहीं कि आपको समय नहीं है। बाकी 10 मिनट के लिए मैं आपको विवेकपूर्ण अपने भाषण को या अभिव्यक्ति को समाप्त करने का आग्रह कर रहा हूं। निर्देश नहीं दे रहा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, अभी महिला सदस्यों ने बताया कि महिलाओं को पूरा समय है और देना भी चाहिए। महिलाएं अंधविश्वास से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं और जो तकलीफ आ रही है...

माननीय सभापति महोदय, यह देश धर्म और आध्यात्मिक चिंतन से चला है। ऐसे कई उदाहरण रामायण में आये हैं और महाभारत काल में आये

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

हैं, योद्धा बाण छोड़ता है और बाण जब निकालता है तब कोई मंत्र और उस हिसाब से बाण का निर्माण हो जाता है, बाण निर्मित हो जाता है। मतलब यह है कि आध्यात्मिक ताकत, आध्यात्मिक शक्ति इस देश में है।

अब यह अभी भाव वाली बात आई। जब शरीर के पांचों तंत्र किसी दैवीय शक्ति से एकाग्र हो जाते हैं तो मन में इस प्रकार का भाव आता है और वह उस समय कुछ शब्दावली निकलती है, वह यथार्थ का रूप लेती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जो कहना चाह रहा था, हमारे आध्यात्मिक ऐसे कई शास्त्रों में लिखा हुआ है...

(14.00 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

देखिए, कुछ यथार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है और वह साक्षात् हमने देखा है कि ब्रह्माजी के मंदिर बनाने पर शाप मिला हुआ है। कोई व्यक्ति अगर ब्रह्माजी के मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा करेगा तो उसके प्राणों को छोड़ना पड़ेगा और यह हमने देखा है। पूरे विश्व में दो ब्रह्माजी के मंदिर हैं और अभी हाल ही में खेतारामजी बाऊजी ने ब्रह्माजी के मंदिर की प्रतिष्ठा की, लाख-लाख लोग बैठे थे और उनके सामने जैसे ही इधर तो मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और उन्होंने उधर अपने प्राणों को छोड़ दिया। यह हमने देखा है। मतलब यह है कि धार्मिक और आध्यात्मिकता इस देश के ज़र्रे-ज़र्रे में है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा।

अब, माननीय सभापति महोदय, मनुष्य जन्म लेता है। हम ब्रह्माण्ड में ग्रहों पर विश्वास करते हैं। किस समय किस ग्रह की स्थिति उसके जन्म के समय क्या होती है और उसके कारण उसके जीवन में आचार, विचार और भाव पैदा होते हैं। उन ग्रहों में किस समय कौन से ग्रह उसकी राशि पर प्रभाव करते हैं। वह ब्रह्माण्ड में विचरण करते हैं ग्रह और उस समय में उस व्यक्ति के द्वारा किस समय क्या होता है, यह ब्रह्माण्ड और उसके सम्बन्ध में आने पर तय होता है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए हम हमारे पितृ देव की पूजा करते हैं, हर परिवार करता है और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अब उसके अन्दर कई ऐसी धारणाएं भी चलती हैं कि किसी की एक्सिडेंटल डैथ हो गई

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

या किसी की अनायास मृत्यु हो गई, तो कहीं न कहीं वह आत्मा मरती नहीं है। इस ब्रह्माण्ड में विचरण करने वाली जो आत्माएं हैं, किस समय किस आत्मा का कहां प्रभाव होता है, उसमें व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

इसके लिए एक ही बात है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, अब मेरे आहौर विधान सभा क्षेत्र में मामाजी के और झुझारजी, सैकड़ों स्थान हैं, वहां जाते हैं, मन में श्रद्धा है, जाकर उनको नमते हैं। ठीक है। तो यह जो मन में श्रद्धा है और आध्यात्मिक भाव है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन यह जो बिल लाया गया है कि जो अंधविश्वास और मानसिक रूप से एक महिला बिलकुल जकड़ जाती है। अब उस मानसिक रूप से इतनी जकड़ गई महिला को कोई न कोई मनो वैज्ञानिक तरीके से ही ठीक करना पड़ता है। उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है; उसके लिए इलाज नहीं है। मानसिक रूप से ग्रसित महिला का मनोवैज्ञानिक तरीके से, अब उस मनोवैज्ञानिक तरीके में एक तरीका यह है कि आध्यात्मिक या धार्मिक स्थल पर महिला जाती है, ठीक हो जाती है, वहां तक तो ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, हर काम के अन्दर कहीं न कहीं काला बाज़ारी होती है। तो इन आध्यात्मिक स्थानों के नाम को भी लेकर कहीं न कहीं कालाबाज़ारी हो जाती है। इसलिए ऐसे कुछ दलाल लोग, ऐसे कुछ एजेंट लोग, इस प्रकार से महिलाओं को जकड़ देते हैं और उनका शोषण किया जाता है। उनका शोषण न हो, इसीलिए यह बिल लाया गया है।

लेकिन वास्तविकता को कहीं न कहीं स्वीकार करना पड़ेगा, वह मनोवैज्ञानिक इलाज में कोई अगर आध्यात्मिक का भाव अच्छा है, तो वहां तक तो ठीक है। क्योंकि उस मानसिक रोगी का इलाज अस्पतालों से नहीं है, उसका तो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक इलाज ही होता है।

माननीय सभापति महोदय, इस देश की पवित्रता और इस देश के धार्मिक स्थानों की पवित्रता, वह बनी रहने देने के लिए, यह अंधविश्वास जिस तरह से घटित हो रहा है; ऐसा है, गांवों के आदिवासी, अभी समारामजी माननीय विधायक कह रहे थे, उन आदिवासी क्षेत्र में हर गांव में ऐसा है, अरे, या तो डाकन है। ऐसा नहीं है, किसी की नजर तेज होती है। मैंने भोपाजी से निवेदन किया कि ये नजर क्या है? नजर तेज होती है। नजर का मतलब यह है कि उनके उस जन्म के नक्षत्र के समय, कोई इस प्रकार के नक्षत्र का उस पर असर है। इसलिए उनकी कहीं न कहीं इस प्रकार की नजर तेज होती है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

लेकिन उसका यह कोई अंध विश्वास इलाज नहीं है। यह अंधविश्वास के रूप में जहां-जहां भी, देखिए, इस अंधविश्वास के रूप में ऐसा नहीं हो कि आपका कानून हर सामान्य व्यक्ति का गला घोंट दे, हर गांव की उस भोली-भाली जनता का गला घोंट दे। ऐसा कानून नहीं हो। इस अंधविश्वास के नाम पर वास्तव में लूटपाट करने वाले लोग, जैसे अभी बात चली, आज गोरवाड़, मारवाड़ के अन्दर बस में चले जाइए, हर दूसरी बस के अन्दर एक महिला घूमती दिखेगी। अब वह मानसिक रोग से ग्रसित हो गई है। वहां कोई न कोई बेड़ा दातार, अब ठीक है, वह धार्मिक स्थान है, हम भी उसके प्रति बिलकुल आशान्वित हैं, नमन करते हैं लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पानी दे दिया और वह घूमने लग जाती है महिला, बसों में बाल बिखेर लेती है, कपड़े बिखेर लेती है, घूमने लग जाती है।

तो यह जो तकलीफ पैदा की जा रही है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, निवेदन करूंगा कि इन तकलीफों की गहराई तक जाएं आप, नियम बनाने से नहीं चलेगा, एक व्यावहारिकता निर्माण करनी पड़ेगी सामाजिक जीवन के अन्दर, यह ऐसा नहीं है। देखिए, धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ो; आप देवी-देवताओं को मानो, बिलकुल मानो। मंदिर जाओ, आप पूजा अर्चना करिए; आप अपने आपको समर्पण भाव में रखिए, निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। तो ये अच्छे भाव पैदा करने के लिए, न कि इस प्रकार कहीं, माननीय मंत्री महोदय, 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और उसकी भी जनजाति और ऐसे आदिवासी गांव में यह भोली-भाली जनता रहती है। कहीं यह न हो कि आपका यह कानून उन भोली-भाली जनता का गला घोंट दें। इसलिए व्यावहारिकता खड़ी करो आप, उनमें ज्ञान पैदा करो, आप उनमें ज्ञानता का प्रसार करो। उन लोगों में इस प्रकार का ज्ञान पैदा करो कि इस अंधविश्वास के पीछे वे पागल नहीं हों।

यह करने के लिए हमें कहीं न कहीं, एक बात अभी सुमेरपुर के माननीय विधायक कह रहे थे, वह विषय कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, ये अनुष्ठान, नव-रात्रि में देवी के समक्ष हर परिवार, लगभग-लगभग हर परिवार में अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान का मतलब यह नहीं होता कि वह अंधविश्वास है। अब अनुष्ठान करते समय कोई अगर दर्शन कर ले, वह अपने आप में मान ले कि मैं ठीक हो गया हूं, तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से उसका ठीक होना है। फिर मैं यह कह रहा हूं, कई ऐसे

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

धार्मिक स्थान, पवित्र स्थान, जहां किसी न किसी तपस्वी ने, किसी न किसी सन्यासी ने, माननीय सभापति महोदय, हमारे शास्त्रों में ऐसी बात है कि किसी भी मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की; मतलब, जैसे अगर किसी की समाधि है, उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनी है, मतलब, उसकी सौ गुणा उम्र वहां पर आपको प्रचलित मिलेगी। यह है, मतलब, उस सन्यासी, उस तपस्वी के प्रति नमते हैं, झुकते हैं, तो जिस तपस्वी ने जिस भूमि में तपस्या की है वह भूमि पवित्र होगी। वहां पर वातावरण, मतलब, वहां जो ब्रह्माण्ड और ऐसे कुछ ग्रह जो ब्रह्माण्ड के वातावरण को दूषित करने वाले हैं, वहां पर विचरण नहीं करेंगे; वह भूमि पवित्र होगी।

इसीलिए मेरा निवेदन यह है कि ये जो हमारी धार्मिक श्रद्धा, साधु-संतों की तपस्या की तपस्वी भूमि, उसकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा अच्छी बनी रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि कानून के मामले में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस लगे। लेकिन गांवों के अन्दर ये जादू-टोने और भ्रमित करने के लिए जो महिलाओं में डाकन या डाकी कह देना, यह किसी को प्रताड़ित करने वाला जो विषय है, इस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। यह नियम ठीक है। (व्यवधान) झम तो वह है जिस आत्मा का मोक्ष नहीं होता है और वह भटकती रहती है। तो वह झम होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे धार्मिक स्थानों की प्रतिष्ठा अच्छी बनी हुई रहे और जो नियम है, वह जहां तक गांवों में चाहे महिलाओं में हो, पुरुषों में हो, खाली महिला ही नहीं, पुरुष भी ऐसे अंधविश्वास के प्रति आधारित होते हैं। महिलाओं से पहले वे पुरुष ग्रसित होते हैं, मैं मानता हूं इस बात को। माननीय महिला सदस्या फ़रमा रही हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, महिलाएं जितनी दोषी हैं उतने के उतने पुरुष भी दोषी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर से माननीय मंत्री महोदया से यही निवेदन करूंगा कि इन धार्मिक प्रतिष्ठानों की प्रतिष्ठा बनी हुई रहे, उनको किसी प्रकार से ठेस नहीं लगे और ऐसा वातावरण हम तैयार करें कि इस अंधविश्वास की दुनिया से हम बाहर निकलकर, एक बहुत बड़े अच्छे वैज्ञानिक रूप में, हमारा जो साधु-संतों का, ऋषि-मुनियों का जिस प्रकार से भारत भूमि का एक इतिहास है, उस इतिहास में हम रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैंने जो प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेने के लिए आपसे निवेदन करता हूं।

श्री सभापतिः श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मौका दिया।

सारी महिला सदस्यों को रिप्रजेंट कर रही हूं मैं। बहुत सीरियस मैटर है जिसको यहां मजाक में लिया जा रहा है।

आप देखिये, जो हमारे पिछड़े गांव हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वहां पर महिलाएं इस स्थिति से जो रूबरू होती हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, उस पर अगर हम लोग एक बार विचार कर लें, तो बहुत ही दुःखद स्थिति हो जाती है। शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को, बाल काट दिये जाते हैं, महिलाओं को पेड़ों से बांध दिया जाता है, चिमटों से दाग दिया जाता है, मारापीटी की जाती है और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा उन लोगों को धक्का लगता है। इन सबका सबसे प्रमुख कारण जो मैंने देखा है गांवों में हो सकता है मेरी नालेज कुछ लिमिटेड हो। ज्यादातर कारण ये होते हैं कि या तो सेक्सुअल असाल्ट होता है या फिर प्रोपर्टी होता है। आप देखिये, भरे-पूरे परिवार में महिला का पति जब तक जिन्दा रहता है, उसके परिवार के लोग जब तक रहते हैं, तब तक वह डाकन या डायन नहीं होती है, लेकिन अगर उसके परिवार में पति की मृत्यु हो गयी है और प्रोपर्टी को हड़पना है, या नैबरहुड से कोई सैक्सुअल असाल्ट होता है और महिला उसका हथियार बनने के लिए तैयार नहीं होती है, तो वह डायन हो जाती है तो ये अचानक परिवर्तन किस कारण से होता है और उस महिला के साथ क्या बीतती है, यह अगर हम लोग इस सदन में बैठकर विचार करें तो एक बहुत अच्छा इश्यू है।

मैं साधुवाद देना चाहूंगी हमारी मंत्री महोदया को और हमारी सरकार को कि इस तरह का बिल लेकर आये हैं और यह मैं मानती हूं कि वीमन एम्पावरमेंट के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है।

नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वीमन का एक सर्वे हुआ है, सभापति महोदय, और उसमें यह बताया गया है, 1997 से लेकर 2015 तक जो रिपोर्ट आयी हैं उनके अन्दर आया है कि साढ़े चार सौ महिलाओं को डायन बना कर प्रताड़ित किया गया है। ये तो वे केसेज हैं जो रिकार्डेड हैं। ज्यादातर महिलाएं शर्म के मारे या डर के मारे या तो गांव छोड़ जाती हैं और इस तरह के जो कैसेज हैं वे बहुत कम रिकार्ड होते हैं।

इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगी, सभापति महोदय, जनरली ये जो केसेज होते हैं, ये होते हैं, कई बार तो कारण होते हैं, प्रोपर्टी या सेक्सुअल

(श्रीमती अलका सिंह)

रीजन्स होते हैं, लेकिन कई बार मेंटल डिस्आर्डर्स भी महिलाओं में हो जाते हैं और इन मानसिक बीमारियों में सिज़ोफेनिया हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और पैनिक डिस्आर्डर्स हो जाते हैं और इनको यह मान लिया जाता है कि इसमें डायन आ गयी है। सभापति महोदय, आज तक किसी पुरुष में डायन क्यों नहीं आई? यह एक सोचनीय विषय है। इस पर हमें विचार करना चाहिए कि पुरुष क्यों नहीं होता है इस तरह की घटनाओं का शिकार। क्योंकि हमारा समाज पुरुष-प्रधान हो गया है। गार्गी, मैत्रेयी का जो जमाना था वे समाप्त होता जा रहा है और पुरुषों का एकाधिकार होता जा रहा है। पुरुषों का टारगेट या पुरुष अपने हित के लिए भी इस तरह से महिलाओं को आगे करने लग गये हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य हंसने की यह बात नहीं है। महिलाओं के बारे में संवेदनशील होना चाहिए आपको। (व्यवधान) मैं खुद भी इतनी बुद्धि रखती हूं, माननीय सदस्य, मैं एल एल एम, पीएच डी हूं।

इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि ये जो मंदिर होते हैं, इस बिल में यह कहीं नहीं कहा गया है, जैसे कई मंदिर ऐसे होते हैं, हमारे यहां मेहंदीपुर बालाजी का स्थान है, आस्था का प्रतीक है, लेकिन वहां पर भी अगर आप जाएं एक बार और उस मंदिर में झांक कर देखें, तो घबराहट होने लग जाती है। महिलाओं में इतनी शक्ति होती है और वे सिर पटकती हैं। लोग कहते हैं कि भाव आते हैं। जैसे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह रहे थे कि भाव आ जाता है, महिला भजन गाती-गाती नाचने लगती है। तो ये भाव तो, माननीय सदस्य, पुरुषों में भी आ जाते हैं। मैंने कई जगह देखा है कि ये जो मंदिर होते हैं, इनमें पुरुष भी नाचते-गाते हैं। तो भाव आना...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, मैडम। ये भाव हमारे भिण्डाजी को आता है हमेशा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): भिण्डाजी हमारे माननीय सदस्य हैं। भाव काफी देर से आप में आ रहे हैं, माननीय सदस्य। तो ये भाव पुरुषों में भी आ जाते हैं और यह एक तरह से हिप्नोटिज्म है।

श्री सभापति: आपके जो प्रश्न है ना, उनके उत्तर माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी के पास हैं। उनसे आप पूछ लें।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मैं उनसे भी चर्चा कर लूंगी। थोड़ा-सा बोल लूं, फिर मैं उनसे भी चर्चा कर लूंगी।

श्री सभापतिः वे बता देंगे आपको।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): वे आदरणीय हैं, मैं उनसे भी चर्चा कर लूंगी।

श्री सभापतिः नहीं, उनको पूरा ज्ञान है इसका।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): थोड़ा-सा ज्ञान मेरा भी बता दूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो।

श्री सभापतिः आप बता दें।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): तो मंदिरों में इस तरह की कोई व्यवस्था है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है।

इसके अलावा, कई ऐसे स्थान होते हैं, जैसे अभी आहौर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि आजकल बाबा बनना भी एक बिजनेस हो गया है। लोग अपने दलाल चारों तरफ छोड़ देते हैं और यह सही है कि जो अनपढ़ महिलाएं होती हैं, वे इनका शिकार हो जाती हैं। कई आप जैसे पुरुष भी होते हैं जो उन महिलाओं को उनके पास ले जाते हैं और उन दलालों को...(व्यवधान)

श्री सभापतिः किनके जैसे पुरुष?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सदस्य। आपको नहीं कहा, सभापति महोदय।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, महिलाएं अपने-आप नहीं जातीं, उन मंदिरों पर पुरुष लेकर जाते हैं। आपको नहीं कह रहे हैं। आपकी घर वाली का नाम नहीं है। जो महिलाएं जाती हैं, उनको पुरुष लेकर जाते हैं। यह बता रही हैं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): पुरुष लेकर जाते हैं, मैं वह बता रही हूं।

श्री सभापतिः ये इशारा आप थोड़ा सही किया करो, नहीं भ्रम हो जाता है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): पुरुष उनको लेकर जाते हैं इस तरह के इलाज के लिए और उन बाबाओं के पास जाकर पानी का छींटा डाला और महिला ठीक हो जाती है। तो इसमें कहीं न कहीं पुरुषों की मानसिकता भी रहती है। तो सुधार की वहां भी काफी ज्यादा गुंजाइश है।

तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो कानून है, यह जो लाया गया है 2011 में, वीमन एट्रोसिटीज एक्ट में भी इसका प्रावधान था, महिलाओं के खिलाफ इस तरह के कोई मामले हों तो उनमें कानून बना हुआ था, लेकिन मैं

(श्रीमती अलका सिंह)

सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि इन कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए और जहां भी ऐसे मामले हों, और इसके लिए जरूरी है कि पब्लिक अवेकड हो। गवर्नमेंट हमारी हो, या इधर की हो, कानून हम लोग बना देते हैं लेकिन जब तक उनकी पालना की व्यवस्था सही नहीं होती है, तो इन कानूनों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। 'शारदा' एक्ट बना हुआ है लेकिन आज भी आप देखिये, आखातीज में बहुत शादियां होती हैं। तो इनमें अवेकनिंग प्रोग्राम सरकार की तरफ से, एन जी ओज की तरफ से, हम जन-प्रतिनिधियों की तरफ से चलाये जाएं, तो यह डायन-प्रताड़ना का जो बिल बना है, वह और भी प्रभावी ढंग से लागू हो सकेगा।

आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आपका जो प्रस्ताव है?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सारी। और ये जो मैंने जन मत जानने के लिए परिचालित करने के लिए जो सिफारिश की थी, उसके लिए मैं सदन की अनुमति चाहती हूं कि उसको मैं विथड्रा करूं।

श्री सभापति: श्री जोगाराम।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह आवश्यक है कि जोगाराम जी हर बिल पर बोलें? बड़े विद्वान हैं।

श्री सभापति: नहीं, पर आसन रोक नहीं सकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप उनसे चेष्टा तो करके देखें, श्रीमान्।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप उस दिन मुझे रोक रहे हैं जिस दिन मुझे बोलना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको रोकूंगा तो नहीं, पर आसन से इस प्रकार की व्यवस्था पहले दी जा चुकी है कि कोई भी माननीय सदस्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति दस मिनट के भीतर-भीतर कर दे। उसका आप थोड़ा ध्यान रखें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं जो निवेदन कर रहा था, वह यह है कि जितना गम्भीर विषय है, आज उतना ही उसको हल्के में लिया जा रहा है। इसलिए आज तो समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक बहुत गम्भीर विषय है।

श्री सभापति: नहीं, आसन व्यवस्था दे चुका है। दे चुका एक बार।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं आसन की व्यवस्था से पाबंद हूं, उसकी आप चिन्ता न करें, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि हम इस गम्भीर विषय को गम्भीरता से लें। इतना आसान विषय नहीं है। यह बिल जो आ रहा है वह उतना ही गम्भीर है। हम सब उसको हंसी-मजाक में या टोना-टोटके में, उस तरफ ले गये हैं। इसलिए विषय गम्भीरता से हट गया है।

पहला मेरा निवेदन है कि इस बिल के आने से पहले बहुत बड़ा इतिहास रहा है। हम किसी व्यक्ति या पुरुष या स्त्री को दोष नहीं दे सकते। यह हमारी बहुत बड़ी सभ्यता रही है, उस सभ्यता का धीरे-धीरे जो दोष आया है, उसका एक परिणाम हुआ है। सबको पता है कि हमारे समाज में ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। हमारी मां या बहन को किस तरह मारा गया, पीटा गया, उसके बाल काटे गये, किसी पशु पर बैठाया गया, गांव में फेरा गया। नग्न अवस्था में फेरा गया। ऐसे जब अनेक प्रकरण विभिन्न कोर्टों में आये, तब जाकर यह देखा गया कि इस आफेंस के लिए कौनसी सज़ा दें। आफेंस के लिए आई पी सी में अनेक प्रावधान हैं, मर्डर के हैं, असाल्ट के हैं, डिफेमेशन के हैं, लेकिन जिस वैव में यह आफेंस कमिट किया जा रहा है, उसका प्रोपर एक्शन आई पी सी में नहीं था। इसी वजह से अनेक बार वे जो ऐसा कृत्य करते थे, वह चाहे सामूहिक रूप से करो या इंडिविजुअली करो, वे कोर्ट से छूट जाते थे और यह बार-बार फील किया गया कि नहीं, इसके सम्बन्ध में कोई सख्त कानून बनाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आप उस क्षेत्र से आते हैं, इन परिस्थितियों से वाकिफ हैं, कोई यह कहना कि यह सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों या गांवों में ही होता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बड़े-बड़े शहरों, जोधपुर का अनुभव तो मैं बता सकता हूं कि बड़े-बड़े शहरों में आजकल ये ज्यादा हो रहे हैं। हमारे कई ऐसे स्थान होते हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे स्थान होते हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वहां सुबह-सुबह आप जावें तो हमारी मां-बहनों की भीड़ लगी रहती है। उनको किस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। या उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

कोई वजह हो सकती है। मैं आदर के साथ कहूंगा, जैसा अलका बहन ने कहा, उसके कई कारण हो सकते हैं, प्रोपर्टी का कारण भी हो सकता है, शारीरिक कारण भी हो सकता है और कई कारण हो सकते हैं लेकिन यह जो गम्भीर समस्या हमारे समाज में है, हम जिस सोसाइटी में आज रह रहे हैं

(श्री जोगाराम पटेल)

और उस सोसाइटी में हमारी किसी मां और बहन के बाल काट देवें और उसको पशु पर बैठा कर गांव में फिराएं और हम आकर यहां उसको मजाक में लेवें, तो इससे ज्यादा सीरियस बात नहीं हो सकती। अगर हम सीरियसता से लें तो सीरियसता हो सकती है और जिस विषय में हमको नहीं बोलना, उसमें दो-दो घंटे भी बोल लेते हैं, हम भाषण भी दे देते हैं। क्या आज इस सभ्य समाज में यह सदन यह मंजूर करेगा कि राजस्थान की किसी मां या बहन के साथ ऐसी दुर्घटना हो? क्या यह सदन मंजूर करेगा कि राजस्थान में बैठी किसी महिला के साथ ऐसा अपराध घटित हो और हम बैठे-बैठे इसको हल्के में ले लें? मेरा नम्र निवेदन है कि मैं इस विषय पर सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी गम्भीरता से इस विधेयक को लाया गया है, उतनी ही गम्भीरता से इसको लेना चाहिये।

इसके पीछे लम्बा इतिहास होने के बाद यह बिल आया है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं ...

श्री सभापतिः सदन पूरा गम्भीर है, आप तो अपने संशोधन रखो। सदन पूरा गम्भीर है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहूंगा, कृपया आप सुनें।

मैं दूसरा निवेदन यह भी करूंगा, ऐसे अनेक स्थान हुए हैं, चाहे जालौर का धानता हो या मेरे विधान सभा क्षेत्र का सजाड़ा हो, ऐसे स्थान जहां कई वर्षों तक बसों में भीड़ लगी रहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद पता लगा, वहां कुछ भी नहीं है। जो हमारी अनपढ़ता है या और कोई हमारी रूढ़िवादी प्रवृत्तियां रही हैं, या और कोई कारण रहे हैं, उन सबके आधार पर यह बिल आया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बिल पर आने से पहले दो-तीन बातें निवेदन करूंगा कि यह बिल बहुत अच्छा है लेकिन इसमें एक-दो सुझाव-योग्य बातें भी हैं। इस बिल में तीन पार्ट आपने किये हैं, एक में आपने आफेंस को डिफाइन किया है, दूसरे पार्ट में आपने सज़ा के प्रावधान किये हैं और तीसरे में आपने जनरल प्रोविजन बनाये हैं, उसके प्रिवेंटिव एक्शन के लिए किया है। यह चार पार्ट में इस एक्ट को आपने बनाया है।

प्रिवेंटिव एक्शन इंसफिशिएंट है। मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा कि प्रिवेंटिव एक्शन को थोड़ा और डेलिब्रेट करके, प्रिवेंटिव एक्शन ही

(श्री जोगाराम पटेल)

इसमें जरूरी है। जितनी अवेयरनेस आयेगी, जैसा अनेक माननीय सदस्यों ने कहा, जितनी अवेयरनेस आयेगी, उतना ही इसका बेनिफिट होगा और अवेयरनेस जितनी कम होगी, उतना ही इसका नुकसान भी होगा। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स वाला जो पार्ट है, उसमें ज्यादा एम्फेसिस किया जाये। उसमें और कैसा हो सकता है, क्या-क्या उपाय हो सकते हैं।

मैं डेफिनेटन आफेंस में जाने से पहले आपसे इतना निवेदन अवश्य करूंगा, आपने जो सैक्शन 8 बनाया है उसको थोड़ा गम्भीरता से पढ़ना पडेगा और लगता है कि वह आपको कहीं न कहीं विथड्रा करना पड़ेगा। सैक्शन 8 अगर रहेगा तो मिस-यूज होने की पूरी पूरी सम्भावना रहेगी। सैक्शन 8 में लिखा है, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। ऐसा कोई ला नहीं बन सकता कि वह पब्लिक एट लार्ज पर एक ही साथ जुर्माना लगा दे। यह जो एक्ट लाया जा रहा है, इस एक्ट में जो प्रोविजन किये जा रहे हैं, वे सामूहिक पब्लिक एट लार्ज, we can understand in our language. In legal term an offence against a society or public at large cannot enacted in this House. How can we say कि 500, 1000, 2000, 50 आदमियों ने मिलकर सामूहिक आफेंस किया, इसलिए सामूहिक आरोपित किया जा रहा है?

मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन भी है कि यह जो सेक्शन 8 बनाया गया है, वह बनाया गया है, ‘‘सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। यदि विहित रीति से जांच करने के पश्चात राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किये जाने से सम्बन्धित है...’’ अपराध नहीं किया उन्होंने, सभापति महोदय। मैं आपसे निवेदन कर रहा था...‘‘ दण्डनीय किसी अपराध के किये जाने से सम्बन्धित हैं या उसके दुष्प्रेरक हैं, या ऐसे अपराध के किये जाने से सम्बन्धित व्यक्तियों को संश्रय दे रहे हैं, या अपराधी या अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं, या ऐसे अपराध के किये जाने के महत्वपूर्ण साक्ष्य को दबा रहे हैं, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।’’

किसी पब्लिक-एट-लार्ज पर जुर्माना या पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आप इसको रिकंसिडर करें, एक बार इसको दिखवावें। कभी भी कोई ऐसा आफेंस भी कमिट हुआ है जो पब्लिक-एट-लार्ज ने कमिट किया है, उसने आफेंस कमिट नहीं किया है,

(श्री जोगाराम पटेल)

वह उससे सम्बन्धित हो सकता है। आपकी शब्दावली देखें, दण्डनीय किसी अपराध के किये जाने से सम्बन्धित है, या उसकी अपनी शक्ति के अनुसार उसने आफेंस कमिट करने से नहीं रोका है, या उसने किसी साक्ष्य को दबाया है। अगर उसने किसी साक्ष्य को दबाया है तो सी आर पी सी के प्रोविजन उसके लिए सफिशिएंट हैं, आई पी सी के प्रोविजन उसके लिए सफिशिएंट हैं लेकिन यह कोई आफेंस ही नहीं हो सकता कि किसी अपराध में पूरा गांव या पूरा क्षेत्र, आपने 'क्षेत्र' वर्ड यूज किया है। अगर ऐसा कानून आ गया, तब तो फिर किसी को भी, कहीं पर भी रहता हो, एक नोटिफिकेशन करके किसी को भी मुलजिम बना देंगे, हजारों को मुलजिम बना देंगे, लाखों को मुलजिम बना देंगे। आपको एक नोटिफिकेशन ही तो करना है। यह कहेंगे कि मारवाड़ के जितने भी लोग हैं, उन सब के ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो ऐसा आफेंस नहीं हो सकता। पहला तो मैं यह निवेदन कर रहा था।

इसी का दूसरा पार्ट है और यह अपने आप पहला क्लाज दूसरे क्लाज को खतम करेगा। "ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी और ऐसे जुर्माने का ऐसे निवासियों के बीच प्रभाजन कर सकेगी...'' प्रभाजन का मतलब बांट सकेगी, इतना आप दो, इतना आप दो। "...प्रभाजन कर सकेगी जो सामूहिक रूप से ऐसा जुर्माना देने के दायित्वाधीन हैं और ऐसा प्रभाजन राज्य सरकार वहां के निवासियों के व्यक्तिगत क्षमता के सम्बन्ध में अपने निर्णय के अनुसार करेगी।" अब मेरी कितनी पेनल्टी देने की क्षमता है, उतना मेरे ऊपर लगेगा। इनकी देने की क्षमता नहीं, आफेंस इन्होंने कमिट किया और पेमेंट मेरे को करना है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप में क्षमता बहुत है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय मंत्री महोदय, जिस वे में हम कानून ला रहे हैं, उसका परिणाम आज ही अपने सामने है और जिस वे में हम इसको ले रहे हैं, वह जो भुगतते हैं उनको पता लगता है।

"...सामूहिक रूप से ऐसा जुर्माना देने के दायित्वाधीन हैं और ऐसा प्रभाजन राज्य सरकार वहां के निवासियों के व्यक्तिगत क्षमता...'' किसी के पेमेंट देने की या पेनल्टी पेमेंट देने की कितनी क्षमता है, उस पेमेंट करने की क्षमता के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, पेनल्टी आफेंस के अनुसार लगाई जा सकती है। इसलिए यह कानून कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कानून कि आपके पास अरबों रुपये हैं, इसलिए आप पर एक लाख का जुर्माना;

(श्री जोगाराम पटेल)

आपकी सौ रुपये की क्षमता है, इसलिए आप पर एक रुपये का जुर्माना। यह जो आपने आफेंस को कमिट करने का किया है, ...''व्यक्तिगत क्षमता के सम्बन्ध में अपने निर्णय के अनुसार करेगी, परन्तु किसी निवासी के बारे में प्रभाजित जुर्माना तब तक वसूल नहीं किया जायेगा जब तक उसके द्वारा उप-धारा (3) के अधीन फाइल की गई अर्जी का निपटारा नहीं कर दिया जाता। ''अब वह जाकर एप्लिकेशन लगायेगा और एप्लिकेशन लगाने के बाद यह कहेगा कि मैंने आफेंस कमिट नहीं किया है।

सब-धारा (3) पढ़ूं, उससे पहले (2) पढ़ें, यह सब-धारा (3) की एप्लिकेशन लगेगी उप धारा (1) के अधीन सामूहिक जुर्माने के अधिरोपण से या प्रभाजन के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, विहित कालावधि के भीतर, राज्य सरकार के समक्ष...'' आफेंस की पेनल्टी गवर्नमेंट खुद लगा रही है। ''...या ऐसे किसी प्राधिकारी के समक्ष जिसे वह सरकार इस निमित विनिर्दिष्ट करे, ऐसे जुर्माने से छूट पाने के लिए या प्रभाजन के आदेश में परिवर्तन के लिए अर्जी दाखिल कर सकेगा।'' Either alter the offence or exempt from the offence. ''...परन्तु ऐसी अर्जी फाइल करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी। राज्य सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अर्जीदार को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।'' करने के बाद वह कह सकता है, आपने आफेंस कमिट नहीं किया लेकिन उसका प्रोविजन लगा दिया। ''...परन्तु इस धारा के अधीन छूट दी गयी या कम की गयी जुर्माने की रकम किसी व्यक्ति से वसूलनीय नहीं होगी और किसी क्षेत्र के निवासियों पर उप धारा (1) के अधीन अधिरोपित कुल जुर्माना उस विस्तार तक कम किया जायेगा।'' 10 आदमियों ने लगाई, 10 आदमियों पर जो पेनल्टी लगी, वह कम करके बाकी लगेगी।''

उप धारा (3) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के पीड़ित व्यक्तियों को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग में नहीं आता है, उप धारा (1) के अधीन अधिरोपित सामूहिक जुर्माने से या उसके किसी प्रभाग का संदाय करने के दायित्व से छूट दे सकेगी।'' यह जो प्रोविजन 1 था, वह सब क्लाज (1) था, वह यहां सब क्लोज 4 में आकर खतम हो गया।

(श्री जोगाराम पटेल)

उसके आगे आपने इसकी रिकवरी कैसे बढ़ा दी, एज ए लैंड रेवेन्यू। एज ए लैंड रेवेन्यू सामूहिक जुर्माना कैसे वसूल होगा, लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रोविजन, जो 257 है, वह मैं लेकर आया हूं, कैसे रिकवरी हो सकती है, रिकवरी के क्या प्रोविजन बनाये हैं। इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय जुर्माना भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा। आइडेंटिफिकेशन नहीं, रिकवरी का कलक्टर का सर्टिफिकेट नहीं। भू-राजस्व में जाने से पहले रिकवरी का सर्टिफिकेट कलक्टर द्वारा इश्यू होगा और कलक्टर द्वारा इश्यू होने के बाद ही आथोराइज्ड आफिसर, जो तहसीलदार होता है अभी तक प्रोवाइडेड, और किसी एक्ट में और हो सकता है, वह तब जाकर रिकवरी करेगा भू-राजस्व अधिनियम में। आपने सीधी रिकवरी भू-राजस्व अधिनियम में आरोपित कर दी।

भू-राजस्व में आरोपित करने के बाद, 6 पढ़ने के बाद वापस एक निवेदन करूंगा, ''इस धारा के अधीन वसूल किए गए जुर्माने के शुद्ध आगमों का उपयोग इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के पुनरुद्धार और पुनर्वास में किया जाएगा। कितने ही वर्ष बीत जाए, लैण्ड रेवेन्यू की रिकवरी नहीं होती है। उस पीड़ित का पुनर्वास कैसे होगा?

इसलिए मेरा सब्मिशन यह है कि यह जो पब्लिक-एट-लार्ज पर पेनल्टी का प्रोविजन बनाया गया है, विदाउट ऐनी अपोर्च्यूनिटी आफ हीयरिंग के बनाया गया है। पब्लिक एट लॉर्ज पर पेनल्टी के प्रोविजन कभी भी किसी भी कानून में इतिहास में आज तक नहीं बने हैं। कोई न कोई पूरा गांव ,कोई एरिया, कोई पर्टिकूलर कम्यूनिटी, जो भी है, उसमें पब्लिक-एट-लाज-में-बाई वे आफ-नोटिफिकेशन उसको पर्सनल हीयरिंग का कोई अपोर्च्यूनिटी इसमें नहीं रखी है। अपोर्च्यूनिटी आफ हीयरिंग है वह फंडामेंटल रूल है। किसी को भी आरोपित करने के लिए, इसलिए मेरा सब्मिशन है, माननीय मंत्री महोदया, इसको आप कंसिडर करें, सेक्शन 8 को। इतना ही मेरा निवेदन था।

उप धारा (2) का मैंने पहले एक पेंडिंग रखा था, एक लाइन के लिए निवेदन करूंगा, ''उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना की उद्‌घोषणा ऐसे क्षेत्र में ढोल पीट कर या ऐसी अन्य रीति से की जाएगी...'' यह पब्लिकेशन का ढोल पीटकर वाला जो पुराना सिस्टम है, इसके लिए आप पब्लिकेशन बाई मीडिया, बाई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, और किसी से भी करें। ढोल कितना

(श्री जोगाराम पटेल)

पीटा कितना नहीं पीटा; यह पब्लिकेशन प्रोपर नहीं है। इसलिए पब्लिकेशन के प्रोपर प्रोविजन बनाएं। एक तो मेरा यह निवेदन था।

दूसरा मेरा निवेदन था, वह यह था कि आपने यह डेफिनेशन, डायन, डायन वृत्ति, डायन चिकित्सक, डायन प्रथा में दी है लेकिन इसमें डिफेमेशन इनक्लूड किया है। तो डिफेमेशन को जब तक आई पी सी के सेक्शन 499 से नहीं हटाएंगे, आपका डिफेमेशन नहीं हो पाएगा।

डायन प्रताड़ना (घ) में दिया है, सेक्शन 2 (घ) में, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा निम्नलिखित कार्य या आचरण अभिप्रेत है- किसी स्त्री की डायन के रूप में पहचान करना, दोष लगाना या मानहानि करना।'' इसलिए मानहानि करना जो शब्द है, वह मानहानि करना शब्द आई पी सी में, डिफेमेशन की आलरेडी डिफाइंन, उसकी पेनल्टी आलरैडी प्रोवाइडेड है। इसलिए इसको डिफेमेशन को अलग करके, या डिफेमेशन की शब्दावली है उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका तात्पर्य यही है कि मीयरली उसको डायन कहने से उसका डिफेमेशन हो रहा है तो उसी लाइन में उसको लिखना पड़ेगा।

अंत में मैं आपसे तीन बातें अवश्य निवेदन करूंगा। आपने सब-क्लाज (2) की पेनल्टी बनाई, सब-क्लाज 2 की पेनल्टी में मिनिमम सैंटेंस सात साल किया है। उससे कम सज़ा हो ही नहीं सकती। मिनिमम पेनल्टी में 7 साल किया, किस तरह से एक्ट बनाया, उससे बहुत गम्भीर विवाद पैदा हो जाएंगे। किसी को अकारण रूप से फंसा दिया जाएगा। ''जो कोई भी स्त्री को डायन के रूप में चिह्नित करते हुए उसे कोई भी अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए बाध्य करता है, या उसको नग्न अथवा कम वस्त्रों में या पुते हुए चेहरे या शरीर के साथ प्रदर्शित या प्रस्तुत करता है, या किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करता है जो मानव गरिमा के प्रति अनादरपूर्ण है, या उसे उसके घर अथवा अन्य सम्पत्ति से बेकब्जा करता है, तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकेगी...''। उसे जुर्माने के लिए 50 हजार जुर्माने के लिए।

डायन वृत्ति के लिए, ''कोई डायन वृत्ति या अन्य समान वृत्तियों का प्रयोग किसी व्यक्ति को हानि अथवा क्षति पहुंचाने के आशय से करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास जो एक वर्ष तक हो सकती है। इसलिए यह जो

(श्री जोगाराम पटेल)

पेनल्टी की गई है वह बहुत हार्ड पेनल्टी है सात वर्ष तक की। इसलिए भी मैं आपके सामने निवेदन करूंगा ।

लास्ट में सैक्शन 7 का भी निवेदन करूंगा, यह भी आपको रिकसिडर करना पड़ेगा, एक्ट तो किसी भी रूप में कानून के अनुसार बन ही नहीं सकता। मैं निवेदन भी करूंगा, हमारे ला डिपार्टमेंट से इसको एक बार आप दिखाकर, कभी ऐसा भी हुआ है? एक पेनल्टी आन पब्लिक-एट-लार्ज सैक्शन 7 बनाया है, ''जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा कारित की जाती है और यह साबित हो जाता है कि उसकी मृत्यु से पूर्व उसके साथ डायन प्रताड़ना की गयी थी तो धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार डायन प्रताड़ना के कारित किए जाने में सम्मिलित हो, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी...'' मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, जिसने आफेंस कमिट नहीं किया, गांव में पांच सौ आदमी बैठे हैं, 500 आदमी दाह संस्कार में चले गये तो वे पांचों आदमी, सातों आदमी, सौ आदमी, पांच सौ आदमी पर कम से कम सात साल की सज़ा। मिनिमम सेंटेंस कर दिया। कोर्ट भी चाहे, कोई भी चाहे, इससे कम नहीं कर सकती । यह बड़ा हार्श सैक्शन 7 वाला आफेंस है। मैं आपके कहे बिना दो मिनट में खतम ही कर रहा हूं। इसको भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है।

अंत में मैं दो बातें निवेदन भी करूंगा कि हमारी यह कुप्रथा है, अंधविश्वास के कारण हो, विश्वास के कारण हो। ये जो आरोप लगाये जा रहे हैं कि किसी अंधविश्वास में, आदिवासी क्षेत्र में होते हैं, मैं कह सकता हूं कि नहीं, पढ़े-लिखे लोगों में भी, आप कभी शहर में आकर देखें, पढ़े-लिखे लोगों में भी ऐसी कई कुप्रथाएं हैं। कुप्रथा के कारण ही ऐसे कानून लाने की आवश्यकता रहती है। इसके लिए सामाजिक सरोकार की योजना है, जिसकी वजह से अवेयरनैस आए, मां-बहन का पूरा सत्कार हो। उसको यह लगे कि हमारे प्रोपर्टी का डिस्प्यूट या और कोई भी डिस्प्यूट उनका रिजाल्व हो। ऐसे प्रोविजन इस एक्ट में इफेक्टिव रूप में बनाये जाने आवश्यक हैं, जो नहीं बनाये गये हैं।

मैं पुनः निवेदन करूंगा कि राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम लाया गया है, यह बिल लाया गया है इसके प्रावधान हैं उनको एक बार रिकंसिडर किए जाए। रिकंसिडर के बाद, यह एक्ट लाना तो जरूरी है लेकिन कुछ प्रावधान हैं वे विवादित हैं, अननैचुरल हैं। कान्स्टीट्यूशन फंडामेंटल

(श्री जोगाराम पटेल)

के ला के विपरीत हैं। इसलिए इनको कंसिडर किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा जन मत जानने का जो प्रस्ताव है उसे तो वापस लेने की अनुमति चाहता हूं, लेकिन फिर भी माननीय मंत्री महोदया से अवश्य निवेदन करूंगा कि आप एक बार इसको कंसिडर करें। जिस भावना से आप कानून लाएं वह बहुत अच्छा है, जिस वजह से लाएं वह वाजिब है...

श्री सभापतिः सुश्री कीर्ति कुमारी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसको एक बार और कंसिडर करें। धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय। मैं बहुत गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं। बड़े अच्छे सुझाव आये हैं। लूणी से आने वाले, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, एक तरफ तो आप इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। आप इसको फिर क्या, या तो प्रवर समिति की बात करें, जन मत जानने की बात करें। आप बाध्य नहीं हैं। रूलिंग पार्टी के भले ही हैं, आप बाध्य नहीं हैं। क्योंकि वह तो बहुमत से पास होगा। वाकई में आपके सुझाव अच्छे आये हैं।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है, किसी एक्ट में कहीं, लॉ डिपार्टमेंट बताएंगे, सामूहिक जुर्माने का प्रावधान है। मुझे ध्यान पड़ता है। या तो मैंने किसी कमेटी में देखा था। ऐसा है, मुझे ध्यान पड़ता है,...

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): सभापति महोदय, आपको मैं जानकारी दूं, सामूहिक जुर्माने का प्रोविजन है वह एस सी, एस टी एक्ट के तहत प्रोविजन किया हुआ है और वहीं से इसको लिया गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने वही कहा, मैंने पढ़ा है। मैं आपको कोई बिलिटिल करने के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका भी यूज आज दिन तक नहीं हुआ। आप प्रावधान कर देते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, आपने वापस ले लिया, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके जो हार्श प्रोविजन हैं, उनके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान आकर्षित किया है। या तो इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए, जो सरकार चाहती नहीं है।

श्री सभापतिः यह निर्णय सदन कर देगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जी?

श्री सभापतिः क्या करना है, कहां सौंपना है, पास करना है, यह निर्णय सदन कर देगा। सदन करेगा ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वही मैंने कहा है। सुझाव आये हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदया से भी निवेदन करूंगा, इस पर रिकंसिडर करें। कोई जल्दी भी नहीं है। अगर आप इसे प्रवर समिति को सौंप देंगी तो इसमें बहुत अच्छे सुझाव आएंगे। आपके सामने है। बाकी आपकी इच्छा है।

श्री सभापतिः सुश्री कीर्ति कुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि मुझे आपने बोलने का समय दिया।

आज चर्चा का विषय है, डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा देश विश्व गुरु, हमारा देश जहां वैदिक काल से महिलाओं की पूजा होती रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, उस देश की यह हालत हुई कि महिलाओं को डायन कहकर उनको प्रताड़ना...। कुछ वर्षों पहले तक तो ज्यादा दी जा रही थी लेकिन अब शायद ये प्रताड़नाएं समय के साथ कम भी हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का और मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं की भावनाओं को समझा। जिस महिला के ऊपर डायन का आरोप लगाया जाता है, सोचिएगा कि उसकी क्या दशा होती होगी, या वह किस तरीके से परिवार में या समाज में फेस कर सकती होगी।

मेरे दो-तीन विचार हैं, जो मैं व्यक्त करना चाहती हूं। शायद आज के इस वैज्ञानिक और अर्थ प्रधान युग में भी शिक्षा की कमी और चिकित्सा की कमी ऐसी रही, ग्रामीण क्षेत्र में रहो या पिछड़े हुए समाजों में रहो या शिक्षित लोगों में भी रहो, जो टाइम पर सम्बन्धित महिलाओं का इलाज नहीं करवा पाये, या परिवार के सदस्यों के पास में सही शिक्षा नहीं है, ऐसी परिस्थितियां ही शायद आज डायन एक्ट हमको लाने के लिए विवश कर रही हैं। जो यह एक्ट आया है, इसकी धाराओं में बहुत अच्छा है कि जो चिकित्सक बन करके इसका समाधान करना चाहते हैं, उनके लिए सख्ती से, जो भी हो, वह कानून का उपयोग हो। कानून में शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, प्रशासन, सभी और विशेष रूप से हम महिलाएं भी, कि हम किस कारण से पुरुषों के आगे या अन्य

(सुश्री कीर्तिकुमारी)
महिलाओं के आगे असहाय महसूस करें और इस तरह का हो, हम महिलाओं को भी बहुत आगे बढ़ करके इसमें कानून के साथ में एक कदम उठाना चाहिए। तभी यह कानून बहुत अच्छा पारित भी होगा।

मुझे आज आपने बोलने का मौका भी दिया। राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक को जो मैंने जन मत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखा था, इसको वापस लेने के लिए, सभापति महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 विचार के लिए सदन में लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी मांडलगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने एक बहुत गम्भीर बात कही कि आजादी के 67 साल बाद जिसे हम अंधविश्वास कहकर कानून से रोक लगाने का आज प्रयास कर रहे हैं और अंधविश्वास को समाप्त करने का आधार शिक्षा है। इस कानून को इस सदन में पारित करने के साथ-साथ हमको यह आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम आजादी के 67 साल बाद इस राजस्थान के उस गरीब तबके को, इस राजस्थान के दलित, आदिवासी तबके को, जो अंधविश्वासों का शिकार है, अंधविश्वास उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है, उनका शैक्षणिक उन्नयन आज हम इस स्तर पर नहीं कर पाये कि उसमें प्रचलित अंधविश्वासों पर नियंत्रण करने के लिए आज हमको कानून का सहारा लेना पड़ रहा है।

लेकिन जो कुछ भी हो, माननीय सभापति महोदय, मैं आज माननीय मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं। समाज में आये दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। डायन को निर्वस्त्र करके गांव में घुमा दिया गया, पेड़ से बांध दिया गया। माननीय सभापति महोदय, हमारी कल्चर जो है, चाहे पुरुष प्रधान राष्ट्र हो, लेकिन मां का इतना बड़ा सम्मान रहा है। उस मां को हम गरीब, दलित, शोषित, उपेक्षित, अमीर, पूंजीपति कहकर परिभाषित, अंतरित नहीं कर सकते। मां का इतना बड़ा सम्मान रहा है। जिस नारी की प्रताड़ना के खिलाफ हम कानून ला रहे हैं, वह शब्द अगर इस देश में किसी नदी के साथ जुड जाये तो गंगा मां कह कर पूजा करने लग जाएं, किसी पेड़ के साथ जुड़ जाए तो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

तुलसी मां कहकर पूजा करने लग जाएं और किसी पशु के साथ मां जैसा शब्द जुड़ जाए तो गाय की भी पूजा करने लग जाएं। आज उस मां, चाहे वह गरीब हो, दलित हो, उसको अंधविश्वासों के कारण जो प्रताड़ना मिलती रही, लगातार पिछले कई वर्षों से, उसके सम्मान के लिए एक मील का पत्थर यह कानून साबित होगा। समाज में अंधविश्वास के आधार पर प्रताड़ित करने की जिस प्रकार की प्रवृत्तियां चली आ रही हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए कानून अपने आप में सरकार का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा।

इसीलिए, माननीय सभापति महोदय, अभी जब लूणी और बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, प्रोपर्टी कारण हो सकता है, इसका शैक्षिक कारण भी हो सकता है और मनोरोग भी इसका कारण हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, 99 परसेंट डायन प्रवृत्ति के मामलों में व्यक्ति मनोरोग का शिकार होता है। जब व्यक्ति मनोरोग का शिकार होता है, कितनी बड़ी विडम्बना यह कही जा सकती है व्यवस्था की और समाज की व्यवस्था की, कि उस मनोरोगी को, जिसको मानवीय संवेदनाओं की जरूरत होती है, उन मानवीय संवेदनाओं की जरूरत के स्थान पर उसको प्रताड़ना मिले। मैं समझता हूं, इससे हीनस और घृणित काम इस समाज की व्यवस्था में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उस हीनियस आर्फेंस के खिलाफ अगर आज यह कानून लेकर आये, तो मैं कह सकता हूं कि इस कानून में जिन सज़ा के प्रावधानों पर माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है, मैं कहता हूं कि अगर इससे गम्भीर, एक कदम आगे बढ़कर भी, कि जिसको संवेदनाओं से भर दो।

हमारे समाज में यह प्रचलित पद्धतियां रही हैं, माननीय सभापति महोदय, कोई आदमी पागल हो गया तो लोग उससे छेड़खानी करते थे, बच्चे, लेकिन जो संवेदनशील व्यक्ति थे, वे कहते थे, यह औघड़ है, इसमें जादू की शक्ति है, अगर किसी ने छेड़ा तो वह उसको खा जाएगा। उसके पीछे उसको औघड़ और जादुई शक्ति पुंज स्थापित करने की धारणा नहीं थी। जो प्रकृति का और भगवान का मारा व्यक्ति हो, मनोरोग के कारण जो बिलकुल सड़क पर नग्न अवस्था में घूम रहा हो, उसको समाज के किसी व्यक्ति की शारीरिक प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़े, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं देते थे। जैसे नीम आक्सीजन देता है तो कह दिया, देव निवास करता है, इसको मत काटो। पीपल, जो 24 घण्टे आक्सीजन देता है, तो व्यवस्था दे दी, इसमें देवता निवास करते हैं, इसको मत

(श्री प्रहलाद गुंजल)

काटो, वरना आपको भूत लग जाएगा। ये जो व्यवस्थाएं थीं कि पागल मनोरोगी घूम रहा है तो उसको औघड़ कह देना, तब भी हमारे मानवीय समाज के अन्दर मानवीय संवेदनाएं जिंदा थीं। आज हम देख रहे हैं, इस लोकतंत्र की व्यवस्था, इतना गम्भीर बिल हंसी-मजाक का पात्र बनता चला जा रहा है और उस पर चर्चा होने के बजाय...।

मैं तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर मैं एक-एक खण्ड से चर्चा करूंगा तो बहुत लम्बी हो जाएगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने प्रोविजन किया है, सज़ा का। माननीय मंत्री महोदय, मैं 2 (घ) पर आऊंगा, खण्ड 2 का (घ) (ii), 'ऐसी स्त्री को, चाहे मानसिक या शारीरिक रूप से, तंग करना, अपहानि करना या उसे क्षति पहुंचाना अथवा उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाना', आप इसमें जोड़ें, 'उसका सामाजिक बहिष्कार करना'। आज की तारीख में यह हो गया कि किसी को भी अगर समाज में तंग करना है तो कह दो, इसके घर में डायन है और सामाजिक बहिष्कार कर दो। यह जितना आपने इसमें उल्लेख किया है, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, इसके बराबर 50 प्रतिशत घटनाएं अकेले सामाजिक बहिष्कार की होती हैं। अगर हमने सामाजिक बहिष्कार की इस वृत्ति पर भी रोक नहीं लगाई और इस प्रकार से डायन कह कर, अपमानित करके, प्रताड़ित करके, सामाजिक बहिष्कार करने वाले लोगों को इस एक्ट के दायरे में लाकर हमने दण्डित करने का प्रयास नहीं किया, तो मैं आज कह सकता हूं कि यह सदन इस वृत्ति पर रोक लगाने का अधूरा बिल पारित कर रहा है। लोग पीटेंगे नहीं, उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। लोग मौन रूप से चर्चा करेंगे, अमुक घर में डायन निवास करती है, उसके घर में जाने की जरूरत नहीं, उसको शादी-समारोह में, सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सामाजिक बहिष्कार की वृत्ति को भी इसमें निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कुछ और विषयों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ इम्पोर्टेण्ट इश्यू हैं, माननीय सभापति महोदय। धारा 8 पर व्यापक चर्चा हुई है, अगर कोई षड्यंत्र करता है तो निश्चित रूप से दण्ड मिलना चाहिए लेकिन इसमें जो लिखा है, ...'अपराधी या अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं'....वे भी दण्ड के भागी होंगे। माननीय सभापति

(श्री प्रहलाद गुंजल)

महोदय, हम इस समाज की मानसिकता को जानते हैं। धीरे-धीरे अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन के साथ-साथ ह्यूमेनिटी बढ़ रही है, मानवता बढ़ रही है, शिक्षा के बाद। वरना हम आज से 20 साल पहले तक देखते थे, आप तो डाकन के कहने वाले दोषियों को पकड़वाने की बात कह रहे हो, सड़क पर एक्सिडेंट से व्यक्ति तड़पता हुआ मरता रहता था लेकिन कोई उठाकर उसको अस्पताल तक ले जाने की जहमत नहीं जुटा पाता था। समाज की ऐसी वृत्ति रहती थी कि वह आफत ही नहीं लेना चाहता। जो आदमी, जिसका इस अपराध से सरोकार नहीं है, उसको आप यह कहकर परिभाषित करके कि वह हमें इस अपराध में भागीदारी करने वाले लोगों को पकड़वाने या बताने में सहयोग नहीं कर रहा है, मैं समझता हूं कि इसके सीमा क्षेत्र को इतना बड़ा बना रहे हैं कि किसी गांव में अगर डायन की घटना हो गयी, मैं इस कानून का पक्षधर हूं, मजबूत बनाया जाना चाहिए; अगर डायन की घटना हो गयी तो पुलिस को आप इतना बड़ा स्वच्छंद अधिकार दे रहे हो कि सारे के सारे गांव को लाकर, उठाकर, थाने में भर देगी, या सारा का सारा गांव झोंपड़ियां छोड़ कर निश्चित रूप से पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा, पुलिस के भय से इसलिए निश्चित रूप से इस पंक्ति को इसमें से विलोपित करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिए। आपकी मंशा पर कहीं सवाल नहीं है। हम देखते हैं रोज कि कोई घटना घटती है, पुलिस जाती है, गांव का गांव भाग जाता है। जब यह कानून पुलिस को यह प्रिवलेज दे देगा कि किसी गांव में डायन के नाम पर किसी महिला को प्रताड़ित किया गया है, पुलिस आएगी और सबको पकड़ कर ले जाएगी। जो अपराधी है उसको भी, जिसने अपराध आंखों से देखा है और बता नहीं रहा है, मौन धारण करके बैठा है, कोई उसने अपराध कारित नहीं किया, उसको भी पकड़कर ले जाएगी, तो इसका भय समाज में जिस व्यापक रूप से फैलेगा, मैं समझता हूं कि इसको निश्चित रूप से, इस क्लाज को हटाया जाना चाहिए।

कुछ बातें और कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह जो परिभाषाएं दी हैं, इन परिभाषाओं में- 'डायन से ऐसी स्त्री अभिप्रेत है जिसे स्थानीय रूप में 'डायन', 'डाकन', 'डाकिन' या अन्यथा नाम से जाना जाता हो।' इसकी जगह पर अच्छा होता कि कोई परिभाषित करके, किसी को डाकन नहीं कह सकते। डायन नाम से जानने का अंधविश्वास प्रचलित हो, अगर यह होता तो उसका सम्मान होता।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इससे आगे जो यह कहा है कि ''डायन वृत्ति' से दुराशयपूर्वक आत्मा का आवाहन करने या सम्मोहन करने या चुराये गये माल का पता लगाने के लिए अलौकिक या जादुई शक्ति का उपयोग अभिप्रेत है', 'या चुराये गये', माननीय सभापति महोदय, यह चुराये गये माल का अभिप्रेत क्या है? हम यह एक्ट पारित कर रहे हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, अलौकिक जादुई शक्ति का उपयोग करता है, जहां डायन के उपचार के लिए कोई जादू करे, टोना करे, शरीर में कोई हवा लाने का प्रयास करे, लेकिन चुराये गये माल या अन्य विधियों के लिए अलौकिक शक्ति का आह्वान करता हो; माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान में हर तीन कोस के बाद कहीं तेजाजी, कहीं भौमियाजी, कहीं पाबूजी, कहीं किसी प्रकार के कोई न कोई ऊत-प्रेत चबूतरे मिलेंगे और इस हिन्दुस्तान में हर गांव में चार-चार देवता आपको शरीर में आते हुए मिल जाएंगे। चुराई गयी या अन्य प्रकार की विधियों को अगर हमने इस एक्ट में शामिल किया तो जो समाज की व्यवस्था है और परम्परा है, चाहे वह आडम्बर हो, ढोंग हो, विज्ञान उसको नहीं मानता हो, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रचलित परम्पराओं और मान्यताओं को, हम अंध-विश्वासों को समाप्त करें, प्रचलित परम्पराओं और मान्यताओं को समाप्त करने के लिए हम कानून नहीं लाएं।

आगे इसमें जो लिखा है- उन्हें टोना-टोटका, आप कानून के दायरे में लाओ। जादू-टोना, झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र, तांत्रिक प्रयोग को आप इसमें लाएं, लेकिन 'मंत्र' शब्द को इसमें से विलोपित करें। वेद मंत्र दुनिया के विज्ञान के जनक हैं, वेदों के मंत्रों में से दुनिया का विज्ञान पैदा हुआ है और इसीलिए मंत्र को अगर हम, तंत्र के साथ मंत्र प्रयोग, मंत्र को इसमें अगर जोड़ेंगे तो फिर मंत्र की परिभाषा हमको करनी पड़ेगी कि किस प्रकार का मंत्र। इसलिए इस 'मंत्र' शब्द को निश्चित रूप से हमें इसमें से विलोपित करना चाहिए और जादू-टोना केवल।

खूब चर्चा चली, पूर्व मुख्य मंत्रीजी को लेकर भी कहा गया। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण अंचल में जादू-टोना केवल डाकन, भूत छुड़ाने के लिए ही नहीं, जादू-टोना हमारी कल्चर का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तहजीब का हिस्सा है और आज भी इस समाज में हजारों लोग इस राजस्थान में ऐसे मिल जाएंगे जो कोई बांस गाड़ कर, उस पर पैदल चलते हुए और जादू-टोना करके अपनी आजीविका पालते हैं, पेट भरते हैं। कहीं ऐसा न हो कि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

डायन प्रथा के नाम पर हम यह कानून लाकर जादू-टोना पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जादू-टोना हमारी विरासत का, संस्कृति का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, जो परम्परागत तरीके से कई लोगों की आजीविका का आधार है, उस पर कहीं विपरीत असर तो नहीं डाल रहा है। इसलिए इस पर भी गम्भीरतापूर्वक डिफाइन करें कि जादू-टोना, जो अंध विश्वासों को आगे बढ़ाता हो। कहीं न कहीं जब आप इसके रूल-रेग्यूलेशन बनाएं एक्ट की लाइट में, तो निश्चित रूप से इस पर प्रभाव डाला जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बहुत गम्भीर बिल है, मैं समझता हूं कि इस पर बोलने की बहुत आवश्यकता है। सामाजिक बहिष्कार का भी लेना चाहिए। निजी परिवार में भी अन्दर-अन्दर कई बार महिलाएं इस प्रकार की प्रताड़ना..., इसको जितना व्यापक हो सकता है, जितना कठोर दंडों का प्रावधान हो सकता है, वह किया जाना चाहिए, परन्तु जो कुछ व्यावहारिक बातें मैंने बताई हैं, उन पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इस सदन को यह भी चिंतन करना चाहिए कि हम इतना शैक्षणिक उन्नयन इस प्रदेश का नहीं कर पाए, कि हम शिक्षा के आधार पर अंध-विश्वासों से इस प्रदेश को बाहर नहीं ले पाए। साथ ही साथ, इस चुनौती को भी यह सदन स्वीकार करे।

मैं समझता हूं कि हम इस कानून के लाने के साथ-साथ एक बहुत न्यायकारी पहल की ओर बढ़ रहे हैं। अगर चुनौती को स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम होगा। इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

मैंने जो जन मत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसे वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापतिः श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 जो आज सदन में लाया गया है, वह बहुत ही चिंतनीय और समाज को सोचने के लिए विवश करने वाला विधेयक है। हमारे वर्षों पुराना अंध-विश्वास और उस अंध-विश्वास में समाज में प्रचलित, समाज और मानवता के लिए यह एक अभिशाप के रूप में साबित हो रहा है। आज भी, इस जमाने में भी, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उनको डायन, डाकन और विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कहीं भी अगर देश की आजादी के बाद

(श्री केसाराम चौधरी)

भी ऐसी वृत्तियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती, तो फिर इस सदन में यह जो कानून लाया गया है, वह वास्तव में हमारे लिए एक बहुत ही सोचने के लिए और चिंतन करने का विषय है कि इस तरह की वृत्तियां और यह कोई महिलाओं के लिए नहीं, यह इसमें लिखा है कि- 'डायन के रूप में चिह्नित की गयी स्त्रियों की और इसी प्रकार के कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों की बढ़ती और बार-बार होती बर्बर हत्या पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए शिकायतें/ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।' इसलिए ऐसा बिल लाना अति आवश्यक हो गया था। माननीय न्यायालयों द्वारा भी सरकार के प्रति कई तरह की टीका-टिप्पणी की गयी।

यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि हम इस समाज में महिलाओं के साथ, जिस देश में महिलाओं को पूजनीय स्थान दिया हुआ है, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता', जहां पर औरतों की पूजा होती है, वहां पर भगवान निवास करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में है और हम ही लोग उनके ऊपर अत्याचार करें, उनको डायन बतायें या इनके ऊपर किसी तरह का कोई करें, तो सरकार को मजबूर होकर ऐसे बिल लाने की आवश्यकता पड़ती है। सरकार जो बिल लायी है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं कि समाज में जिस तरह का अंध-विश्वास और रूढ़िवादिता फैली हुई है, उसको मिटाने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए।

सरकार ने यह 'डायन-चिकित्सक' की जो डेफिनेशन व्यक्त की है, 'डायन-चिकित्सक' नहीं, उसको तांत्रिक बतायें। जो तांत्रिक लोग होते हैं, वे इस तरह के कारनामे करते हैं। चिकित्सक से आप कैसे उसको, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? चिकित्सक तो फिर हास्पिटल में बैठा हुआ, वह भी डायन चिकित्सक हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे फिर? उसने भी डायन का इलाज किया, कोई दवाई दी, तो कहेंगे कि तुमने भी इसका इलाज किया। तो इसके लिए इस शब्द का उपयुक्त कोई न कोई ऐसा, इसके लिए चिंतन करना चाहिए।

इसके साथ ही अपने ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, अब तो जरक भी कहना गुनाह हो गया है कि जरक के ऊपर डाकन चढ़ती थी। दोनों का नाम लेना गुनाह हो गया, कानूनी अपराध हो गया।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अब पूरे गांव में इस तरह का कोई स्त्री के साथ, कोई डायन कहेंगे और उसमें सामूहिक रूप से, पूरे गांव वालों को सामूहिक रूप से किसी तरह से दोषी मान लिया जाएगा। तो इसके लिए जिसको अधिकार दिया गया है, कलक्टर और एस.डी.एम. लेवल और ऊपर डीवाई.एस.पी. रैंक के व्यक्ति तक को अधिकार दिये गये हैं कि वह इसकी जांच करेगा और सामूहिक रूप से भी इन सबको दोषी मान लें, ऐसा तो कभी

(15.00 बजे)

होता नहीं। मगर जो वास्तव में ऐसा दोष करता है, उसको सज़ा मिले, इसके लिए कानून में कोई न कोई प्रावधान करना चाहिये।

ऐसे स्थानों को भी इसमें बताया है कि कोई व्यक्ति समूह के द्वारा या बार-बार आना, या बार-बार जाना; यह तो मंदिरों में जाना, या किसी भोपाजी, पाबूजी जैसे कई स्थान हैं, वहां पर जाते हैं; लोग समूह में जाते हैं, समूह में आते हैं, तो क्या वहां जाने और आने वाले व्यक्तियों को भी दोषी मान लिया जाएगा?

इसलिए इस कानून में थोड़ा कोई न कोई ऐसा सुधार किया जाए जिससे इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके और इसमें कोई न कोई सुधार किया जा सके। इस समाज में जब तक शिक्षा की कमी है, किसी तरह की बीमारियां हैं, गांवों में अंध-विश्वास है, उसको मिटाने के लिए हमें सामूहिक रूप से कोई न कोई ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिये जिससे इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।

मगर मैं इस बिल की सराहना करता हूं कि वास्तव में मानवता की जो वेदना है, पीड़ा है, उस पीड़ा को, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोकने के लिए जो बिल लाया गया है, यह कम से कम एक अच्छी ऐसी सोच तो पैदा हुई है कि महिलाओं को किस तरह से सुरक्षित किया जाये। इसके लिए मैं मेरे दिये हुए प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आज के बाद तो यह मामला खतम ही हो जाएगा। आज-आज बोल लें, फिर तो किसी को डायन भी नहीं कह सकते।

सभापति महोदय, राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015, जो सरकार आज सदन में लेकर आई है, सबसे पहले तो प्रधान मंत्री मोदीजी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो नये-नये कानून रोज आप बना रहे हो और पिछले तीन-चार दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ विधान सभा का सत्र इसलिए आगे बढ़ाया गया कि आनन-फानन में विधेयक पारित कराने थे, संशोधन विधेयक लाने थे और आप लाये हो तो पास तो आप कराओगे, क्योंकि आपका बहुमत है, लेकिन आपके प्रधान मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि रोज तीन नये कानून, जो अनावश्यक रूप से इस देश के अन्दर बने हैं, इनको कम किया जाए, खतम किया जाए।

यह डायन प्रथा का जो आप विधेयक लेकर आये हो, इसमें अभी भी आई.पी.सी. के अन्दर प्रावधान हैं। इसमें जो इस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करता है, आज से पहले भी डायन प्रथा को लेकर या डायन के नाम पर राजस्थान के अन्दर जहां भी प्रताड़ित किया गया, उनको सज़ा मिली है, आई.पी.सी. के अन्दर उसका प्रावधान है, लेकिन इस विधेयक को खाली इसलिए पास कराना कि हम बाहर अपनी उपलब्धि बता दें, कि सत्र के अन्दर हम इतने विधेयक लेकर आये, डायन प्रथा का विधेयक लेकर आये हैं।

अभी बहुत बड़ा प्रचलन इस देश के अन्दर अब नहीं बचा। इस प्रदेश के अन्दर, मैं बताऊं, सभापति महोदय, आज से 40-50 साल पहले और 20-30 साल पहले जब हम बच्चे थे, तब दादी-नानी यह कहा करती थीं कि डाकन आ जाएगी, डायन आ जाएगी, काला टीका लगाओ। बच्चे डायन के नाम से डर के मारे सो जाते थे। लेकिन अब यह प्रथा बहुत कम जिलों में राजस्थान के अन्दर रही है। अगर विधेयक सही रूप में लाना चाहते थे, तो आज से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 1977 में, 1990 में, 1993 में और 2003, जब डायन प्रथा का बहुत बड़ा प्रचलन राजस्थान के अन्दर था। आपको उस वक्त चाहिये था, जब डायन प्रथा वास्तव में बहुत विकराल रूप के अन्दर एक भयंकर समस्या थी इस राजस्थान की। तब तो आप विधेयक लाये नहीं और जब यह खतम हो रही है, यह ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रकाश फैलेगा, यह अंध-विश्वास निश्चित रूप से इस राजस्थान में अपने आप ही खतम हो जाएगा।

सभापति महोदय, इसमें कोई नया कानून लाकर इस तरह इसको आप पारित करा दोगे और यह कानून का रूप ले लेगा, तो बहुत बड़ा...। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कहीं कि इसमें ऐसी कई धाराएं और कई ऐसे बिन्दु हैं, जिनमें निश्चित रूप से जहां सज़ा का प्रावधान रखा गया है, या

(श्री हनुमान बेनीवाल)

इसके अन्दर जो आपके ये दंड दिये गये हैं, जो चिकित्सक है, अब कौनसा चिकित्सक है? अगर अस्पताल के अन्दर इलाज कराने जायें, वह होम्योपैथिक का चिकित्सक है, आयुर्वेदिक का है, राठौड़ साहब वाले महकमे का है, किसी अन्य महकमे का है, तो उसको भी आप दंड थोड़े ही दे दोगे? और गांव के अन्दर, आज जैसे मेरा गांव है, वहां कोई डायन आ जाये, तो निश्चित रूप से सरकार मेरे ऊपर पूरी मेहरबान है, तो मुझे तो पहले मुलजिम बना देगी, हनुमानजी ने कराया होगा।

तो, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसमें बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद ...(व्यवधान) आपका भी है। आप हराकर आये हो सरकार को।

सभापति महोदय, कोई डायन प्रथा रोके और निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर डायन जैसा शब्द आज के युग में नहीं, हम भी चाहते हैं कि इस नाम पर मां-बहन-बेटी को प्रताड़ित न करें और हमारे आज के इस सभ्य समाज के अन्दर किसी महिला का अपमान न हो। मेरे से पूर्व में कई महिला विधायक बोल रही थीं और उनकी चिन्ता बिलकुल वाजिब थी, यह समाज किसी को ताकत नहीं देता, किसी को यह आजादी नहीं देता कि महिलाओं का अपमान हो और मेरे हिसाब से कोई ऐसा समाज इस देश के अन्दर नहीं होगा। महिलाओं की इतिहास के अन्दर सारी जो शुरुआत होती है, वह महिला का बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे घर में भी मां-बहन-बेटी होती हैं, और मां ही इस सृष्टि की रचयिता हुई है।

निश्चित रूप से आज सब लोग इस बात के लिए चिन्तित हैं, हम सब चिन्तित हैं, पूरा विपक्ष चिन्तित है, लेकिन इसमें आपने कई प्रावधान ऐसे डाल दिये और मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में इस एक्ट की यहां राजस्थान के अन्दर आवश्यकता थी। अच्छा तो यह होता, सबसे पहले आप राजस्थान के अन्दर इस चीज का सर्वे कराते, एक कमेटी बनाते, जिसमें भोपाजी और दो-तीन जो वरिष्ठ इस मामले के अन्दर ज्ञानी हैं, इनकी कमेटी बनाकर और राजस्थान में उन जिलों का सर्वे करते, उन गांवों का सर्वे करते। आज नागौर में तो डायन प्रथा है ही नहीं, तो फिर कहां से आप कर दोगे? पाली में अलग सर्वे होता। सब जन-प्रतिनिधियों की राय जानी जाती। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, आपने कहा था कि आपने भूत को देखा है। जरा वह भी बता दो। आपने कहा था न अभी थोड़ी देर पहले, भूत को देखा था आपने। जरा वह भी बता दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भूत और भूतनी दोनों को देखा है, और जिन्दा देखा है मैंने तो। अब बताना नहीं चाहता मैं। डर लगता है भूत से।

एक माननीय सदस्य: साक्षात् खड़े हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अगर तिवाड़ीजी कहें तो मैं बता दूं भूत। भोपाजी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर।

सभापति महोदय, यह अंध-विश्वास की परम्परा को राजस्थान में शिक्षा के माध्यम से खतम किया जा सकता है। डायन कोई महिला ही होती है, यह भी एक अंध-विश्वास है। डायन और भूतनी में क्या अन्तर है? अभी तो आपको इस चीज के लिए भी एक विधेयक और लेकर आना पड़ेगा कि भूतनी और डायन, श्रवणजी और हम यही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि भूतनी लग गई पीछे, डायन लग गई। यह भी अलग से लाओगे, कि इसी में है इसका, भूतनी वाला?

सरकार इसका सर्वे करवाये और जो सज़ा के प्रावधान रखे हैं, निश्चित रूप से उन पर पुनर्विचार होना चाहिये। आपने इसके अन्दर, अगर कोई इलाज करेगा, उसको भी शामिल कर लिया। कोई जादू-टोना और हमारे जो पुराने हैं, अब मुझे तो लगता है कि धीरे-धीरे जो हमारी आस्था है, एक राज्य और देश, इससे पहले तो सामाजिक अपना ढांचा चला आया है हजारों वर्षों से, वह भी एक सिस्टम है। आज सूर्य नमस्कार भी किया जाता है। हर तरह के मंत्र-तत्र सब होते हैं, अब आप इन सबको ही खतम कर दोगे क्या? इसमें तो यही है कि मंत्र, जादू- टोना, अब जादू की पूरी बात आई थी, ठीक है, इस बार अशोक जी का जादू नहीं चला, पहले तो दो बार जादू से आ गये थे। यह भी जादू उसमें ही आता है।

सभापति महोदय, किसी अप्राकृतिक मृत्यु के लिए, जो आप लेकर आये हैं, पहले से ही है यह तो। अगर कोई साबित हो जाता है कि किसी की मृत्यु के लिए फलां आदमी जिम्मेदार है तो आई.पी.सी. में 306 के अन्दर प्रावधान है, जिसकी वजह से मरी है तो उसको वैसे ही कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस विधेयक को आनन-फानन के अन्दर लाने की आपको आवश्यकता थी।

सभापति महोदय, बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ के बाद निश्चित रूप से इस देश के अन्दर राजस्थान का नम्बर आता है, इस डायन प्रथा में।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि इनका दो बार जादू नहीं चला। यह भी उसी जादू में आते हैं। मतलब, इनको भी कोई दंडित करने वाला नियम है क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप बना दो नियम। आपके हाथ में है यह सारा।

सभापति महोदय, राजस्थान में कानून लाने के बजाय लोगों को इस मामले के अन्दर जागरूक किया जाये। अब आप देखिये, आज से 15 से 20 साल पहले, 30 साल पहले, हम देखते थे कि जैसे रामदेवरा का मेला भरता है, हमारे उधर वीर तेजाजी का मेला भरता है, सालासर का है, वहां लोग कोई 20-50 लोग पैदल जाते थे और आज लाखों-करोड़ों लोग उन मेलों के अन्दर जाते हैं। तो अपने आप भक्ति और आस्था लोगों की जगी है। निश्चित रूप से आप अगर प्रयास करते, इस कानून लाने के बजाय, इस डायन प्रथा को लेकर आप इतनी जागरूकता राजस्थान के लोगों के अन्दर पैदा कर देते, तो मेरे हिसाब से आपको इस एक्ट को लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक्ट लाये हो, इसका दुरुपयोग भी होगा। अब आप तो कह रहे हो कि पूरे गांव को ही कर देंगे। वह तो पुलिस के हाथ के अन्दर चला गया। फिर जज उसकी सज़ा तय करेगा, सात साल, तीन साल, एक साल, आजीवन कारावास। आगे के मुकदमे तो कोर्टों में सम्भल ही नहीं रहे हैं, लाखों-करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुकदमों का निस्तारण जल्दी करें। कहां से करेंगे? पद ही खाली पड़े हैं। क्या कह रहे हैं?

एक माननीय सदस्य: आप पर कितने हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे पर तो राठौड़ साहब बता देंगे।

सभापति महोदय, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, राजस्थान में मात्र दस जिलों में ही डायन का पढ़ने को मिलता है जहां डायन का टोना-टोटका भी किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी का बहुत बड़ा धाम है, जहां लोग कहते हैं और निश्चित रूप से इस राजस्थान में रहने वाला हर व्यक्ति, खाली यूं बातें करने से नहीं होता। डायन, भूत-प्रेत से कौन नहीं डरता है? हां, विधान सभा में बैठे हो, अभी तो डर नहीं लग रहा है लेकिन जैसी ही बाहर निकल जाएंगे, अंधेरा होगा, तो करीब-करीब लोग डरते हैं कि डायन, भूत-प्रेत।

साहब, यह लोक देवताओं की धरती है और यहां तो हर गांव के अन्दर है। अभी कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि

(श्री हनुमान बेनीवाल)

तेजा जी का, भोमिया जी का, पाबूजी का हर जगह स्थान है, देवरे हर गांव के अन्दर तीन-तीन, चार-चार देवरे बने हुए हैं। तो निश्चित रूप वहां भी जैसे-जैसे सांप काट जाता है और सांप काटे हुए व्यक्ति हैं, हमारे हरिरामजी का झोरड़ा के अन्दर मेला भरता है और गोगामेड़ी के अन्दर गोगाजी का और तेजा जी का, अगर कितना ही जहरीला सांप काट जाए और व्यक्ति वहां चला जाता है तो उसके डंक को वहां के भोपा चूंसते हैं और वह आदमी जिंदा होता है। आज तक तो हमने मरा हुआ आदमी नहीं देखा।

तो निश्चित रूप से जो हमारी सामाजिक आस्था है, मान्यता है, इनको हम अलग नहीं रख सकते। हां, डायन प्रथा को खतम करने के लिए हम डायन प्रथा के लिए खिलाफ हैं। किसी स्त्री को डायन कहकर उसको समाज से आप बहिष्कृत कर दो, उस परिवार पर क्या बीतेगी? उनका मानसिक शोषण होगा और फिर उसको लोग लेकर चल देंगे, डायन, डायन, डायन। यह उस परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

हम कोई आपके इस विधेयक के खिलाफ नहीं, लेकिन इस विधेयक को पहले राजस्थान में सर्वे करा करके कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता है कि नहीं है, इसमें अगर आप ज्यादा तरीके से करते, तो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहता।

सभापति महोदय, अभी इस विधेयक को भी आप क्यों लाये? अभी हाई कोर्ट ने कहा कि पांचवां राज्य राजस्थान है। आप लोग क्या कर रहे हो? और हाई कोर्ट की डांट खाने के बाद इस विधेयक को लेकर आप यहां पर आये हैं।

थोड़ा पढ़ने दो। ये 2015 कागजों में महिला उत्पीड़न अधिनियम को बताया गया लेकिन यह विधान सभा में नहीं रखने के कारण केन्द्र से मंजूरी के लिए अटका रहा। पहले जो लाये थे।

सभापति महोदय, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, टोंक व जयपुर के कुछ गांवों में यह प्रथा अभी भी, अख़बार के माध्यम से पढ़ने को मिल जाती है, चल रही है। कई मामले सामने आये। पिछले साल करौली में एक मामला सामने आया था। अभी देवली, टोंक के बोरड़ा गांव में सफाईकर्मी सीता देवी को डायन बताकर लाठियों से पीटा था। केवल परिपत्र जारी करने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने 22 जनवरी को पीड़िता व परिजन को दो-दो लाख मुआवजा देने के लिए कहा था। राजस्थान पीड़ित

(श्री हनुमान बेनीवाल)

प्रतिकर योजना, 2011 के उचित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था कर जागरूकता फैलायी जाए।

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बातें कहीं और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने चिंता की। 'हां पक्ष' में बैठे लोग अपनी बात कह देते हैं और जो जन मत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव वे लेकर आते हैं उनको उसको वापस लेना पड़ता है। हम देखते थे, यहां के लोग जब उधर थे ये ही काम वे करते थे, भाषण देते थे और लास्ट में अपना वापस लेते थे। इसमें एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताऊं, सभापति महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पहले भी कई बार आग्रह कर चुका है कि कोई भी माननीय सदस्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एकाध मिनट तो दें।

श्री सभापति: हां, आप एकाध मिनट और ले लो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अपन तो, साहब, एक ही जगह से आते हैं मारवाड़ से। ध्यान रखो थोड़ा-सा।

सभापति महोदय, हमारे पिछली बार पूर्व जिला कलक्टर थे, उसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि बाहर यह प्रचलन था कि वह डायन है और जहां भी रिश्ता आता, वह रिश्ता टूट जाता था। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक आई.ए.एस. अधिकारी की शादी नहीं हो और सिर्फ इस राजस्थान के अन्दर। सभापति महोदय, मैं यहां यह कहना नहीं चाहता था लेकिन मेरे से चर्चा नहीं करके रहा नहीं गया। मैंने कहा, यह बात सदन के ध्यान में आनी चाहिए कि इस राजस्थान के अन्दर इसलिए शादी नहीं हो कि उसका बाहर यह प्रचलन हो कि यह डायन है। बार-बार उसके रिश्ते होते थे और रिश्ते टूट जाते थे।

तो, सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के विरोध में हूं लेकिन इस विधेयक को पारित करने से पहले एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी जाए जो राजस्थान के प्रत्येक जिले और गांव के अन्दर जाकर, जहां वास्तव में डायन की प्रथा चल रही है, या इस कानून को बनाने की आवश्यकता है, तभी इस कानून को बनाया जाए। नहीं तो अनावश्यक ही इस कानून को बनाकर, फिर पुलिस को एक ऐसा हथियार नहीं दें, फिर कोर्ट को एक ऐसा हथियार नहीं दें कि आमजन को और राजनीतिक, पालिटिकल, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको तंग करने का एक हथियार और सत्ता पक्ष को मिल जाए, और सरकार को मिल जाए।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

इसलिए मैं इस विधेयक को जन मत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश भंसाली। (व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरे पीछे बैठे हुए विधायक जी ने कहा है, आपको क्या लेना-देना डायन से?

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया में कोई सबसे अच्छा शब्द है तो वह मां है। मां की तुलना में कोई शब्द नहीं है। जितना प्यार उसको बोलने में आदमी उद्वेलित होता है, वैसा कोई नहीं है। इसलिए स्त्री को डायन कहना, यह वास्तव में जो अधिनियम लाया गया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। क्योंकि हमारे यहां परम्परा से हम साधु-संतों, सन्यासियों की पूजा करते हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा था, भोपा जी। भगवान शिव की देन है यह शब्द, चाहे भूत शब्द भी उन्होंने दिया। जब भी ऐसा कोई प्रकरण होता है तो लोग 'ओम नम: शिवाय' कहकर उसको शांत कर देते हैं। तो वह करीब-करीब ठीक हो जाती है। इसी तरह से सम्मोहन, टोका-टाकी, मंत्र-तंत्र, जादू-टोना, झाड़-फूंक और यहां तक कि सती माता के भी जाकर लोग यह प्रार्थना करते हैं कि उन पर यह जो क्लेश आया है वह मिट जाए।

डायन-प्रताड़ना में जो दंड के प्रोविजंस किये गये हैं सेक्शन 8 में, वे काफी हार्श हैं और मेरा ऐसा विश्वास है, अगर यह कानून, यह बन तो जाएगा निश्चित रूप से परन्तु उसके होने से, जिस तरह से आज अस्पर्शता के कारण कोर्ट में इतने केसेज बनते हैं, वैसे ही केसेज इस डायन प्रथा को लेकर बनेंगे। जिससे आम आदमी को बड़ा नुकसान होगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल होगा और न्याय के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा।

मेरा निवेदन है कि आज जितने मंदिर हैं, भूतेश्वर महादेव, भोपेश्वर महादेव, लोकेश्वर महादेव, देवेश्वर महादेव, ये सब महादेव के जितने मंदिर हैं उनमें लोग इसीलिए जाते हैं कि उनके जाने से आत्मिक शांति मिलती है, भगवान का भजन करने का उनका होता है और रुद्राक्ष पहनने के बाद कहते हैं कि ऐसा कोई असर हो ही नहीं सकता, न भूत का हो सकता है, न प्रेत का हो सकता है।

तो मेरा कहना है, आप तो पाली से आ रहे हैं, ओम बन्ना का नाम इसलिए सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध हो गया कि वे मोटर साइकल के एक्सिडेंट से शहीद हो गये, उनके प्रति लोगों का बहुत भक्ति भाव है परन्तु मैं यह भी मानता हूं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपने देखी है क्या?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं बात कह रहा हूं, उसको सुनो।

पाली के जिलाधीश महोदय, नीरज जी ने जो काम किया और उन्होंने तीन-चार रातें बितायीं और फिर देखा कि वास्तव में यह मोटर साइकल अपने आप चलती है या नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, तो उसको एक तरफ कर दिया। उसके बाद में न तो ओम बन्ना का नाम, परन्तु आज जब मैं आटो-रिक्शा में घूम रहा था तो वहां आया, 'ओम बन्ना' की गाड़ी। तो, मतलब, ओम बन्ना की गाड़ी सारे हिन्दुस्तान में चल रही है इसी नाम से कि उसमें लोगों की आस्था भर गयी। (व्यवधान) सुमरेपुर में तो जगह बन गयी, मंदिर बन गया है उनके लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, माननीय सदस्य अभी तक भूत तो मान रहे हैं। इनकी भूत में आस्था है। अभी भी ये मान रहे हैं कि भूत हैं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): नहीं, नहीं, भूत में कोई आस्था नहीं है, न डायन में आस्था है। मेरी आस्था केवल, और केवल, मां में है और मां के लिए हम अच्छे शब्द ही प्रयोग लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप कह रहे थे, भूतों का मंदिर है और उनका मंदिर है। हमारे माननीय सदस्य, गोविन्द सिंह जी डोटसारा, जो कांग्रेस से आये हैं, इनका जो विधान सभा क्षेत्र है लक्ष्मणगढ़, जो इनका हैडक्वार्टर है, उसमें डाकणों का मंदिर है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, है। माननीय सभापति महोदय, सही फरमा रहे हैं। उसके जीर्णोद्धार पर अब 50 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। अभी काम चालू है।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं जो बात कह रहा था कि हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है। मैं न तो इसके पक्ष में हूं कि किसी को डायन कहा जाये। मैं निश्चित रूप से इसका विरोधी हूं। मैं उस स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से आया हूं, जिस घर में 1944 में लड़की की शादी बिना घूंघट के हुई थी। इस प्रथा में, अंधविश्वास में विश्वास हमारी फैमिली नहीं करती है। फिर भी आम आदमी की जो आस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा यही निवेदन है।

मैंने इसको जन मत जानने हेतु परिचालित करने हेतु जो प्रस्ताव रखा था, उसे मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक जन मत जानने हेतु ...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन सूना हो गया। डायन के चक्कर में ही हो गया क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैंने तो इस तरह से पिन-ड्रोप साइलेंस बहुत समय बाद देखा है।

श्री सभापति: वैसे भी व्यवधान जो करते हैं न, वे सत्ता पक्ष वाले नहीं करते। उनको ज्यादा भय है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): डायन का डर है।

श्री सभापति: आप लोगों को ज्यादा भय लग गया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, इतनी देर से जो चर्चाएं चल रही थीं, सभी ने अलग-अलग तरह के विचार रखे। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सम्मान दिया जाता रहा, पूजा जाता रहा, लेकिन वह सारी संस्कृति किस तरह से समाप्त होती जा रही है। दिन भर से जिस विषय पर चर्चा चल रही थी कि जो यह शब्द है, डायन हो, बेताल हो, प्रेतात्मा हो, इन विषयों के बारे में सिर्फ सोच होती है, जो समाज की सोच है।

अभी कई सम्माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस तरह की प्रवृत्ति महिलाओं में अधिक पायी जाती है। यह जो सोच आपकी है, आपने क्या कभी यह सोचा है कि महिला...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धमका दो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एकदम से आवाज कैसे तेज हो गयी?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): महिला जो शब्द है, उसका अर्थ कभी सोचा है, समझा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप माननीय मोहनलालजी की तरफ देख-देख कर 'महिला', 'महिला' कैसे कह रही हों?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इसलिए कह रही हूं कि महिलाओं के प्रति जो सोच समाज की बदलती जा रही है, उस सोच का कारण यह है। कौन प्रताड़ित करता है महिलाओं को? महिलाएं नहीं करतीं। महिलाओं की इस कंडिशन का जिम्मेदार जहां तक है तो वह पुरुष समाज है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कितनी सही बात है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): किसलिए है? चाहे वह बचपन में हो तो उसके भाई हों, उसके फादर हों; शादी करके जिस परिवार में जाये तो चाहे पति हो, बेटे हों। कई-कई परिवारों की ऐसी कंडिशन होती है कि इतना प्रताड़ित करने के बाद में वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहू। बहू।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): बोलने दो न आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): संतुलन किसलिए खो बैठती है? जैसे आप बार-बार बोल रहे हैं, बहू, बहू। वह बहू को भी सास किसलिए करती है, वह आप करवाते हों।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज खुलकर बोलो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप जिसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, पुरुष तो बेचारा है, उसकी सास का मेन है। आज जहां भी, चाहे देश का मामला हो, या कहीं का भी हो, 90 परसेंट महिला ही उत्तरदायी होती है। पुरुष तो बेचारा है।

श्री सभापति: आप तो सुन लो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, ये बार-बार महिलाओं के लिए बोल रहे हैं।

श्री सभापति: ठीक बात है। चुपचाप सुन लो, उसी में शांति है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि जो 70-80 परसेंट शराब पीकर पुरुष अपनी पत्नी को मारता है, अपनी मां को मारता है, उसके लिए कौनसा पुरुष जिम्मेदार नहीं है? कौनसी सास और मां जिम्मेदार है? यह हर गांव की घटना है, हर पंचायत की घटना है। आप भी अगर ईमान से बतायें तो आपके गांव में भी कोई न कोई तो पुरुष ऐसा होगा।

वह महिला मजदूरी करके लाती है, अपने बच्चों को पालती है, पोषती है और खाना खिलाती है। शाम को आते ही पुरुष-प्रधान क्या करते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। (व्यवधान) मेरे को तो नहीं। मैं तो महिला वर्ग, महिला जाति की बात कर रही हूं। मैं मेरी बात नहीं कर रही हूं। खुद की बात करना इस सदन में अलाउ नहीं है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए, माननीय सदस्य।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जो आप यह कानून लाये हों, इसमें कई घटनाएं अपने राजस्थान की भी हैं। अभी भी हैं। वर्तमान में 2-4 महीने पहले राजसमंद के पास हुई थी।

अच्छी बात है कि कानून लाये हैं, इससे महिला वर्ग को मजबूती मिलेगी लेकिन इस कानून में जो यह दिया गया है, 'सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति', इसके अन्दर सामूहिक जुर्माना, यह मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसमें बदलाव होना चाहिए। किसी भी तरीके से करें। यह तो जो कानून के जानकार हैं, उनसे जानकारी लें।

जुर्माने में यह वसूली के लिए 5 में, 'इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय जुर्माना भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा' इसमें परिवर्तन होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक है पेज नंबर 6 पर 11 में, 'विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही'। इसमें भी यह दिया गया है कि 'जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस को, जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो', उसको अगर कोई ऐसी सूचना मिल जाये तो वह किस आधार पर यह तय करेगा? कोई भी किसी के लिए भी फोन कर देगा। कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं आ रहे हैं। इस तरह से दंडित करेगा कानून? यह उचित व्यवस्था नहीं है। इसमें सभी उस ग्राम के ग्रामवासी अगर हैं, तो उनको सभी को सामूहिक सज़ा का प्रावधान है। यह उचित नहीं है। इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि यह जो सोच है, इस सोच को आप बदलें। महिला जो सम्मानित है, आप घर-परिवार से आते हैं, 'मां' की परिभाषा की, 'मां' आप सबके लिए कितना कुछ करती है। उसके लिए मैं दो लाइन कहना चाहूंगी—

मां तेरे आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा।
मां तेरी गोद को पाने के लिए भगवान भी तरसा होगा।।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह जो विधेयक है, उसे दो महीने के लिए जन मत जानने हेतु परिचालित करने का विचार रखती हूं और इसे परिचालित करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री सुंदरलाल।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, यह बिल तो लाये हैं लेकिन दुनिया भर के झाड़गीर गांव में बैठे हैं, दुनिया भर के बूझागर बैठे हैं। ऋषि दयानन्दजी ने इसके खिलाफ प्रचार किया था। उससे देश में सुधार हुआ था।

गांव में झाड़गीर अभी भी बैठे हैं। एक औरत काम करती चली गयी बूझागर के पास। उसके हाथों में चूड़ी नहीं थी। जाकर के आखे रखे, तो कई बार नाड़ हिलाकर बोला कि तेरा घर वाला पितर बन रहा है। बोली, वह तो खेत में जांटी छांग रहा है, तुम पितर बना रहे हो। ऐसे-ऐसे झाड़गीर तो अभी भी बैठे हैं गांवों में।

एक दूसरे झाड़गीर के पास गये तो उसने पूछा कि आपके क्या लड़ गया? उसने कहा कि सांप। फिर कहा कि ऐसे कैसे पूछ रहे हो? तो झाड़गीर ने कहा कि सांप लड़ गया तो रुपया लूंगा और बिच्छू लड़ गया तो चार आने लूंगा। उसने कहा कि झाड़े में भी फर्क है क्या?

झाड़गीर तो आपके जगह-जगह पर हैं। सबसे ज्यादा, मैं आपको बताना चाहता हूं, गरीबों को ज्यादा परेशान करते हैं ये झाड़गीर। ईमानदारी की बात है कि गरीब जितने भी हैं उनको झाड़गीर परेशान करते हैं। वे उनके चक्कर में ज्यादा आते हैं।

एक बार मैं एक जगह गया तो चार-पांच आदमी जमीन पर लोट रहे थे। मैंने पूछा कि किसलिए ये जमीन पर लोट रहे हैं? उन्होंने कहा कि भगत आएगा। मैंने पूछा कि वह क्या करेगा, तो उन्होंने कहा कि वह हमें बहाल कर देगा। उन लोगों में से दो मर गये। उनकी पत्नियों ने कहा कि हमारे पति मर गये। तो मैंने कहा कि वहां क्यों पटक कर आये? अगर बीमार थे तो दवाई दिलवानी थी।

इसलिए झाड़गीर की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ताबीज बांधे यहां भी घूम रहे हैं। इसलिए झाड़े से कोई ठीक हो जाएगा, झाड़गीर कोई कुछ नहीं कर सकता। ऋषि दयानन्द ने पूरे देश में अलख जगाई, उससे विद्वान आदमी नहीं हुआ कोई, उसने सारा देश घूमकर कहा कि कुछ नहीं है झाड़गीर। लेकिन आज यह जो कानून लाये हैं, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं लेकिन झाड़गीर हर गांव में तैयार बैठे हैं।

एक दिन एक लड़का पंख लिए हुए बैठा था। मैं वहां गया, वहां और लोग भी बैठे थे, मैंने पूछा कि क्या बात है? वे बोले, यह पंख मारेगा, आप भी इसके पास चले जाओ। मैंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं तो सात बार एम एल ए रहा, एक ही झाड़गीर के पास नहीं गया।

(श्री सुन्दरलाल)

ऋषि दयानन्द ने भी यह कहा कि सच्ची चीज को मानो, गलत चीज को मत मानो। नब्बे परसेंट तो गलत है।

इसलिए यह डायन वाला मामला जो है, पता नहीं, कब थी और कब नहीं। बिना काम के कानून लाकर देश में रख दिये और कोई लेना-देना ही नहीं है। कहां डायन हुई और कहां है, कोई लेना नहीं और कोई देना नहीं।

अभी माननीय सदस्या जो बोल रही थीं, स्त्रियों ने किस-किस को क्या -क्या किया है। पता है क्या आपको, पूरणमल को किसने निकाला? उसकी मौसी ने निकाला। राम को बारह साल का बनवास उसकी मौसी ने दिलवाया। आपको पता है कहां का? मैं इतिहास की हजार बात बता सकता हूं क्योंकि मैं गायककार हूं, मुझे पता है सबका। इसलिए जो कमी कहीं है उसका जिक्र मत करो। डायन का बिल है ...(व्यवधान)

इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो झाड़गीर हैं वे सबसे ज्यादा तो मेरी जाति के बैरी हैं, जो गरीब हैं उनके अधिकांश के ताबीज बंधे हुए हैं। एक औरत जा रही थी, उससे मैंने पूछा कि बच्चे के साथ कहां जा रही हो? तो उसने कहा कि चार ताबीज लाई हूं, चारों देवताओं के हैं। मैंने कहा कि इन ताबीजों से ही यह बोदा हो गया है। इतना बोझ लटका रखा है इसके।

इसलिए यह जो फण्डा वाला मामला है, वह ऋषि दयानन्दजी ने खतम किया था और हरियाणा में और अपने यहां आदरणीय भैरोसिंहजी शेखावत के समय में आर्य समाज को उदयपुर में मकान दिलवाया था। भैरोसिंहजी ने दिलवाया था आर्य समाज को, उससे पहले नहीं था। आर्य समाज से ही देश में उत्थान हुआ है, नहीं तो ये झाड़गीर मार देते लोगों को और गरीबों को तो आज भी मारते हैं।

एक बार मैं चांदपोल से निकल रहा था तो बीसेक आदमी जमीन पर बोरी पर लेट-लेट कर खिसक रहे थे। मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि कल्याणजी के मन्दिर में जा रहे हैं। मैंने कहा कि इस तरह तो तब तक देह ही छिल जाएगी। कल्याणजी के जाकर क्या करेंगे? बाद में जाकर हास्पिटल में भर्ती कराएंगे और राजेन्द्र को कहेंगे कि आप हैल्थ मिनिस्टर हैं। देह छिल गई, तो इसमें राजेन्द्र क्या करेगा? जब आप सड़क पर देह रगड़ेंगे तो पड़ेंगे ही। (व्यवधान) मजाक नहीं, मैने कई बार देखा इस तरह से। पैदल, धरती पर लोट -लोट कर आदमी जाते हैं।

इसलिए इस कानून में क्या है, इसकी बात तो छोड़ो, लेकिन झाड़गीरों

(श्री सुन्दरलाल)

को खतम करने के लिए ऐसा कानून लाओ, बूझा करने वालों को बंद कर दे। किस नाम की बूझा करता है वह? जगह-जगह बैठे हैं। दुनिया भर के बाबाजी तो एम पी ही बन गए। झाड़गीर आदमी का क्या कर लें, जब बाबा ही एम पी बन जाएं।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इस बिल में जो किया है प्रदेश में, मैंने तो चार-पांच दिन पहले एक बात कही थी, उसका विरोध हो रहा है, मैंने कहा था कि पढ़ने वाली लड़कियों को, लड़कों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, इससे गड़बड़ होती है। तो उन्होंने कहा कि सुन्दरलाल के पुतले फूंकेंगे। मैंने कहा कि बीस साल और बढ़ जाएगी उम्र। फूंको पुतलों को। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सत्य बात कही थी कि पढ़ने वाली बच्ची और बच्चे को मोबाइल स्कूल में मत दो। घर जाकर बात कर लो मोबाइल से। हमारे 13 लड़कियों का मोबाइल बंद करके भेजा गया। इस तरह की बात है।

मैं ज्यादा इस लम्बे-चौड़े पर नहीं बोलूंगा लेकिन इन झाड़गीर के चक्कर में आएंगे तो दस हजार वर्ष तो पहले दुःख पाए और आगे भी दुःख पाएंगे। इसलिए इनके चक्कर में मत आ जाना, मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015, आज इस सदन में लाया जा रहा है। वास्तव में यह विधेयक राजस्थान की महिलाओं के लिए और खासकर उन महिलाओं के लिए जो वास्तव में गांवों की गरीब महिलाएं हैं, किसी तरह का सहारा उनका नहीं है; जो महिलाएं इस तरह के कृत्यों से प्रताड़ित होती हैं, इस विधेयक को लाने के बाद, मुझे ऐसा लगता है, उन महिलाओं को एक सम्बल मिलेगा। वैसे जो हमारी संस्कृति है, वैसे देवी-देवताओं का देश है और अनेकों देवियों ने भी इस भारत भूमि पर, भारत माता पर जन्म लिया और शुरू से ही महिला को पूजा गया है, एक देवी के रूप में देखा गया। मुझे लगता है कि जो वर्तमान में स्थिति बनी, यह स्थिति मुगलों के समय में भी नहीं थी। ऐसी स्थिति आज महिलाओं की हो चुकी है।

मैं कहना चाहूंगी, राज्य सरकार डायन प्रथा के संत्रास पर काबू पाने के लिए एवं डायनवृत्ति के निवारण के लिए जो विधेयक लेकर आई है, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का, माननीय सी एम साहिबा का,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय मंत्री महोदया का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने महिलाओं के मान सम्मान के लिए और उनके प्रति जो सजगता आपने दिखाई है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो डायनवृत्ति है, यह जो समाज में व्याप्त है, वह एक ऐसी बुराई है, ऐसी प्रथा है जिसमें सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित होना पड़ता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एस सी, एस टी की महिलाएं, ओ बी सी की महिलाएं, जो मैंने आंकड़े देखें हैं और ऐसी गरीब महिलाएं जिनके आगे-पीछे किसी का सहारा नहीं है, ऐसी महिलाओं को इसका शिकार बनाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर दो-चार महिलाओं को डायन घोषित नहीं किया हुआ होगा। हर गांव में हमें ऐसी एक-दो महिलाएं देखने को मिल सकती हैं और मैं तो कहना चाहूंगी कि उन महिलाओं पर किस तरह के आरोप लगाये जाते हैं, किस तरह से गांवों से बेदखल उनको किया जाता है, किस तरह से मारपीट उन महिलाओं के साथ की जाती है। प्रदेश में कितने ही उदाहरण हर लोगों को देखने को मिले हैं। इवन गांव के अन्दर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए और बच्चा तो क्या, किसी पशु की भी मृत्यु हो जाए, तो सीधा-सीधा आरोप उस महिला के ऊपर लगाया जाता है। मुझे लगता है कि इस विधेयक के आने के बाद, जो कदम सरकार ने उठाया है, प्रदेश की सभी महिलाएं उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगी, उनका धन्यवाद करना चाहेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि ये जो झाड़-फूंक करने वाले तांत्रिक हैं, इस कानून को लाने के बाद कहीं न कहीं हमें इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, कानून लागू होने के तुरन्त बाद ही हम ऐसे स्थानों को चिन्हित करें। वैसे मेरा कहना किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। क्योंकि हम आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, अनेकों मंदिर-मस्जिद हमारे हैं, हम पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, ये सारे काम हम लोग करते हैं लेकिन हम किस तरह से इस झाड़-फूंक की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, इसमें जो सज़ा का प्रावधान आपने किया है, मुझे लगता है कि वह बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि कमाई के चक्कर में ये तांत्रिक महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते आये हैं, अनाचार करते आये हैं, दुराचार करते आये हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेज हम लोगों के सामने आ चुके हैं।

मैं तो यह कहूंगी कि आज का जो दिन है, जिस तरह कल का दिन

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, उसी तरह आज का दिन भी हमारे लिए इतना महत्व का दिन है कि आज यह विधेयक राजस्थान की विधान सभा में लाया गया। एक वह दिन था जिस समय हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत सती प्रथा का कानून भी इस सदन में लेकर आयें। यह बड़ी खुशी की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी, खासकर ऐसे आंकड़े हमारे सामने हैं, मैं आपको 2004 से 2009 तक के आंकड़े बताना चाहूंगी। 137 मुकदमे दर्ज हुए और उन मुकदमों का अवलोकन करें तो एस सी, एस टी व ओ बी सी की महिलाएं थीं। मुझे लगता है, इस वर्ग को जितना फायदा मिलेगा, वह वर्ग हमेशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद रखेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस कानून को लाने के बाद सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कम से कम महिलाएं मान-सम्मान से जी सकेंगी और जिस तरह की बहुत सारी बातें हमारे सामने आयीं, कभी-कभार ऐसी स्थितियां राजस्थान के अन्दर पैदा हुईं कि नरेगा में अगर रोजगार लेने के लिए महिला जाती थी तो यह कहकर उसको रोक दिया गया था कि यह डायन है। कम से कम इन सारी बातों से उसको निजात मिलेगी।

मैं उदाहरण के तौर पर आपको 2003 की घटना बताना चाहूंगी। जोधपुर में निमाणा गांव था, उस गांव की एक घटना है। विमला देवी, वैसे वह इस सदन की सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताना चाहूंगी, उस महिला की सास की मृत्यु हुई और उसकी सास की मृत्यु होने के बाद उस महिला को इसलिए प्रताड़ित किया गया कि उसकी सास भी डायन थी और इस तरह के लक्षण उसमें आ गये। इस तरह की घटनाएं उस गांव के अन्दर हुईं। तो मुझे लगता है जो हमारा प्रदेश वीरांगनाओं के नाम से जाना जाता है, जो देवियों का देश है; आज भी अगर किसी भगवान का नाम लें, अगर हम कृष्ण भगवान का भी नाम लेंगे तो उसके आगे भी हम लगाएंगे राधेश्याम, भगवान राम का नाम लेंगे तो उसके आगे हम सीताराम लगाएंगे, ऐसा हमारा देश है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उस महिला को इतनी बुरी तरह से पीटा गया। बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की गयी। उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद उस महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। थक-हारकर उस महिला को उस गांव को छोड़ना पड़ा। गांव छोड़ने के बाद, 2006 में जब वह महिला

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

वापस गांव के अन्दर आयी, आप देखें, वापस उस महिला की मार-पीटकर यह हालत की कि वापस उसको गांव छोड़ने को मजबूर होना पड़ा।

मुझे लगता है, इस विधेयक का बहुत जबरदस्त फायदा हम लोगों को मिलने वाला है।

अभी मेरी बहन चर्चा कर रही थीं। यह 2009 में जो घटना घटित हुई, उस पर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो दिहाड़ी करने वाला उसका पति था नेमीचंद, उसे भी इसी तरह गधे पर बिठाकर जुलूस निकाला गया, क्योंकि किसी के घोड़े की मृत्यु हो गयी थी।

मैं तो कहूंगी कि इस विधेयक में जो कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे प्रावधान किये, उनका फायदा महिलाओं को होने वाला है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी मुझे नजर आयी हैं। मैं कहना चाहूंगी कि उनमें भी हमें...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आसन पहले भी आग्रह कर चुका है, आपको बीच में मौका दिया है, आप एक मिनट में अपनी बात खतम कर दें। एक मिनट में।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं कहना चाहूंगी कि कुछ संशोधन भी हमें करने चाहिए। खासकर एक बात निवेदन करना चाहूंगी कि जब हम न्यूज चैनलों को खोलते हैं, सवेरे टीवी के सामने बैठते हैं, तो आज भी हमारी धार्मिक आस्था के केन्द्र हैं उनका सीधा प्रसारण किया जाता है, चाहे कोटा का हमारा गोदावरी धाम मंदिर ले लें, या चाहे और मंदिर ले लें, वहां पर महिलाओं की गर्दनें हिलती रहती हैं। इस पर भी हम लोग पाबंदी लगाएंगे, तो मुझे लगता है, बहुत अच्छा फायदा होने वाला है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान में ऐसे स्थानों को चिह्नित करें, क्योंकि मेरी कांस्टिट्यूएंसी में भी गत वर्ष एक ऐसा काण्ड हुआ। चेचट के पास कोटड़ी गांव है वहां पर डायन छुड़ाने के नाम से एक व्यक्ति द्वारा, आये दिन उसके भाव आता था, या जो कुछ भी होता था, इस भाव में, शराब पीकर उसके शरीर में भाव आया।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, मंदिरों पर प्रतिबंध लगाया, तो मंदिर वाले न जाने किस-किस पर प्रतिबंध लगा देंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मंदिर के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाएं। जो महिलाएं गर्दन हिलाती हैं, उसको नहीं दिखाया जाए। मेरा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

यह निवेदन है। मैं खुद भगवान को इतना मानती हूं, रोज भगवान की पूजा किये बिना घर से नहीं निकलती हूं। इसलिए मैं यह नहीं बोल सकती।

(15.45 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

मेरा यह निवेदन है कि जो गर्दन हिलाते हुए मंदिरों का सीधा प्रसारण दिखाया जाता है उस पर हम लोग रोक लगाएं, न कि मंदिर जाने से, न पूजा करने से। यह मेरा निवेदन है।

मैं एक और बात कहना चाहूंगी। जो राशि इसमें रखी गयी है, उस राशि को बढ़ाने की बात मैं करूंगी। आपने बिन्दु संख्या 5 में दिया है, उसमें आपने यह प्रावधान रखा है कि 10 हजार की राशि दी जाएगी। इसको भी 50 हजार किया जाय। इस एक्ट के अन्दर जो धारा में 50 हजार का प्रावधान रखा, इसमें बढ़ाकर अगर एक लाख करते हैं, तो, मुझे लगता है, यह बहुत अच्छा निर्णय हमारा होगा। इसके अलावा, जो जुर्माने की राशि है, जो 60 परसेंट हमको लौटानी है, अगर उसको हंड्रेड हम लोग करेंगे, तो यह भी बहुत अच्छा कानून लाया गया माना जाएगा।

यही बात कहते हुए, अपनी बात को विराम देना चाहूंगी।

श्री सभापतिः रमेशजी। समय का ध्यान रखें, रमेशजी।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को जन मत जानने के लिए अनुरोध किया। इस विषय पर मैं शायद अंतिम वक्ता हूं। मुझसे पूर्व काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, लेकिन मेरे भी कुछ विचार हैं जो संक्षिप्त में ही कहूंगा।

आज डायन प्रथा पर बात चल रही है। सबसे पहले हमारी सरकार यह कानून लेकर आयी कि डायन प्रथा बंद हो या समाप्त हो। इससे पहले जो समाज में फैली हुई अंधविश्वास की अव्यवस्था और शिक्षा की कमी अशिक्षित लोगों में वर्षों से चली आ रही है, इस तरह के वातावरण को सबसे पहले दूर करना होगा। वर्षों पहले से समाज में जिस प्रकार की व्यवस्था चली आ रही है, डायन को परिभाषित किया है कि कौन डायन है, किसको आप डायन कहेंगे। वह भी समझ से परे है। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने कहा कि डायन वह महिला, वह मनोरोगी महिला है, उसको ये डायन कह रहे हैं। जो गरीब थी,

(श्री रमेश)

विधवा थी, या समाज के ऐसे तबके से थी, जो दलित कहें या अति गरीब थी, उन्हीं पर प्रताड़ना होती आयी और लोग करते रहे। कुछ मैटर ऐसे भी रहे कि ज्यादातर विधवा महिलाएं थीं, जिनकी सम्पत्ति पर कब्जा करने का एक षड्यंत्र था। इस प्रकार का वातावरण वर्षों से चला आ रहा है।

जो कानून आप लाये हैं, इस प्रकार का कानून सरकार पहले भी ला चुकी है और वह चल रहा है। उसके द्वारा लोगों को सज़ा भी मिली है। जब तक सरकार शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं करेगी, शिक्षित नहीं करेगी, लोगों में जो अंधविश्वास है, वे ही अधिकतर लोग इस प्रथा को स्वीकार करते हैं। उस अंधविश्वास को समाप्त करना होगा। आप ऐसी स्कीम बनाएं, शिक्षा का प्रचार-प्रसार करें, या नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि एक वहम है या आपकी ऐसी कोई प्रोब्लम्स हैं, बीमारी हो गयी है। यह डायन नहीं है। इस तरह का आप जब तक वातावरण नहीं लाएंगे और डण्डे के जोर से इस कानून को लागू करेंगे, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इसमें निर्दोष लोगों को सज़ा मिले। इस बात का भी सरकार को ध्यान रखना होगा। क्योंकि अभी तक देखने में आया है कि जो भी डायन प्रथा की बात हुई है, डाकन की बात हुई, इसमें कहीं पर भी समृद्ध परिवार की किसी महिला को डायन नहीं बताया गया है। इस कानून के माध्यम से वहां के रहने वाले लोगों में आप डवलपमेंट, विकास ले जाएं, शिक्षा का प्रसार करें, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायें और वहां के लोगों को जागरूक करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा।

आपने इस बिल में डायन-चिकित्सक को डिफाइन किया है। तो आप डायन-चिकित्सक को हटायें और उसकी जगह इसका उपचार करने वाला व्यक्ति को परिभाषित करें; नहीं तो जो भोपा हैं, मन्दिरों में पुजारी हैं, या बाबा हैं, उनको भी एक तरह से आपने चिकित्सक घोषित कर दिया।

इसी तरह से आपने इसमें जो सामूहिक दण्ड का प्रावधान रखा है धारा 8 में, उसको आपको हटाना होगा। क्योंकि जुर्माना किस पर करोगे? हजारों लोग इसमें फंस जाएंगे। और होगा लास्ट में वही, कि गिने-चुने लोग रह जाएंगे, कमजोर लोग इसमें फंस जायेंगे। उनको सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है इसको भी हटाया जाए।

आज यह जो कानून लाये हैं, तो कोर्ट की फटकार के बाद यह विधेयक लेकर आये हैं।

(श्री रमेश)

एक इसमें है कि सम्पत्ति को हानि पहुंचाना। किसी प्रकार का आपस में कहीं विवाद हो गया, बंटवारे की बात हो गई। यह कानून बनने के बाद कोई महिला उस पर आरोप लगा देगी कि मुझे डायन कहा, या इस तरह प्रताड़ित किया, या अर्द्धनग्न किया, या मुझे पोत दिया गया। तो इस प्रकार इसको जो परिभाषित किया है, इसमें सम्पत्ति के विवाद में इस कानून का सहारा लेकर किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया जाए।

सैक्शन 8 में डायन के अपराधी को पकड़वाने में, सहयोग करने में, श्रेय देने में, जो लोग फंस जायेंगे, जुर्माने की राशि किस पर तय होगी? तो इस प्रकार व्यवस्था और भी आप लोगों ने की है।

डायन वृत्ति के लिए दण्ड तीन वर्ष, जुर्माना दस हजार रुपये, डायन चिकित्सक तीन वर्ष की सज़ा और दस हजार जुर्माना; कोई अनुष्ठान करेगा तो उस पर भी सात वर्ष तक की सज़ा और पचास हजार रुपये जुर्माना, इस तरह का प्रावधान रखा है। अच्छी बात है, अगर वास्तव में कोई इस तरह का कार्य करता है, गलत कार्य सिद्ध हो जाता है, तो वह सज़ा का हकदार है लेकिन इस कानून के सहारे या इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए जिससे निर्दोष व्यक्तियों को नहीं फंसाया जाए।

मैंने जो इसमें अपने विचार रखे, जो मैंने बात कही, तो राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को दो माह के लिए जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भंवर सिंहजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को मेरे द्वारा जन मत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में बहुत छोटी-छोटी बातों को लेकर महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, उनको डायन करार दे दिया जाता है। जैसे गाय ने दूध देना बन्द कर दिया, कुएं में पानी कम हो गया, छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो जाए, महिला अगर मानसिक संतुलन खो बैठती है, या इस प्रकार की गांव में कई अनहोनी घटनाएं होती हैं जो साधारणत: होती हैं लेकिन उसमें गांव की कुछ महिलाओं को डायन बताकर उनका कारण मान लिया जाता है।

(श्री भंवरसिंह)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे प्रदेश में, शहरों में, डायन या इस प्रकार के नामों का या इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बिलकुल भी सुनने को नहीं मिलता है। जहां तक मैं समझता हूं, आज भी हमारे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के जो भूत-भूतनी, डाकन, भोपा, झाड़-फूंक, इन सबको ज्यादा मान्यता दी गई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और विशेषकर महिलाओं में शिक्षा का प्रचार-प्रसार ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। जहां शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, चाहे किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के, किसी भी क्षेत्र के हैं, वे इन सब बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन जो पिछड़ा हुआ और ग्रामीण, आदिवासी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां इन मान्यताओं को ज्यादा माना जाता है।

सभापति महोदय, आज भी हम जब गांवों में जाते हैं, लोग बीमार होते हैं लेकिन वहां लोगों को पूछते हैं, मिलते हैं, तो यही बात होती है कि इसके फलां देवता का दोष हो गया, या अन्य प्रकार के जो अविश्वास होते हैं, अंधविश्वास होते हैं उनमें आ जाते हैं और इलाज करवाने के लिए डाक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। हमारा प्रदेश धर्म प्रधान है, धार्मिक मान्यताएं भी हैं और हर गांव में भोमिया जी, पितृजी या अन्य जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देवता होते हैं उनको हम मानते हैं और उनका दोष मानकर हम झाड़-फूंक करवाने के लिए अलग-अलग जगह जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि हरिरामजी का, गोगाजी का, तेजा जी का, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब सांप काट जाता है तो हम उस व्यक्ति को सीधा अस्पताल नहीं ले जाकर, इनके मंदिर पर लेकर जाते हैं और वहां जो भोपे होते हैं वे उसका जहर चूसते हैं। निश्चित रूप से इलाज भी वहां होता है।

वहीं मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम सूरजगढ़ के उप चुनावों में झुन्झुनूं जिले में गये हुए थे, हमारे माननीय सदस्य काका यहां विराजमान हैं, इनके विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है नरहड़ शरीफ, वहां गये। तो मैंने देखा कि वहां सैकड़ों की तादाद में युवक और युवतियां चक्कर काट रहे हैं और एक तरह से उनके अन्दर, जैसे प्रेत आत्मा होती है उस तरह से आई हुई है और वे वहां आये हुए थे। मैंने जब पूछा, वहां जानकारी ली, तो पता चला कि इन लोगों में भूत-प्रेत आत्मा घुसी हुई है और यहां आने के बाद

(श्री भंवरसिंह)

यहां इलाज होता है। वहां लोगों की बहुत बड़ी मान्यता है और पूरे प्रदेश के लोग वहां आते हैं।

तो निश्चित रूप से इस बात की आलोचना करना भी मैं उचित नहीं मानता हूं, लेकिन, सभापति महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो डायन का या अंधविश्वास है, उनको दूर करने के उपाय के सम्बन्ध में सरकार और मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके बारे में जन-जागरण अभियान चलाया जाए और शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। जैसे-जैसे हमारे समाज में शिक्षा बढ़ेगी, अपने आप ही ये कुरीतियां, ये अंधविश्वास, खतम होते चले जाएंगे।

जहां तक इस कानून को बनाने की बात है, आज से 20-30 साल पहले अंधविश्वास बहुत ज्यादा था और इस कानून को आज से कई साल पहले लाना चाहिए था। आपकी सरकारें भी समय-समय पर रही हैं। मैं इस कानून के खिलाफ नहीं हूं लेकिन यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानून को बनाने के पहले से ही पुलिस के पास गांव की भोली-भाली जनता को नाजायज रूप से तंग करने के लिए बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारी धाराएं हैं और यह एक और

(16.00 बजे)

हथियार पुलिस को दे दिया जाएगा जिससे कि इस कानून का मिस्यूज कर सकें।

सभापति महोदय, इस विधेयक में जो कमियां हैं, उन कमियों को निकालकर, तीन माह के लिए जन मत जानने हेतु परिचालित करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा और उन कमियों को दूर करने के बाद, राजस्थान में अंधविश्वास को किस प्रकार से दूर किया जा सके, राजस्थान की मातृशक्ति का, राजस्थान की महिला शक्ति का ज्यादा से ज्यादा मान और सम्मान हो, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस कानून को जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाए और जो भी गलत इसमें धाराएं जोड़ी गई हैं, जो नियम बनाये गये हैं, उनको निकाला जाए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। तरुणरायजी कागा। आप पेश करना चाहेंगे अपना संशोधन? क्योंकि मंत्री महोदय का एक साथ जवाब आ जाएगा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति: मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप संशोधन पेश करना चाह रहे हैं अपना, या इस पर ही बोलना चाहेंगे? आप संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं?

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): जी हां, बोलना चाह रहा हूं। इसमें मेरी एक ही लाइन है, खास तौर पर इसमें मैंने जो शब्द कहा है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, आप बोलिए।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): सभापति महोदय, यह राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 जो इस सदन में लाया गया है, इसके लिए हमारे इस हाउस के तमाम माननीय सदस्यों ने अपने खयालात का मुजाहिरा बहुत बड़ी तफ्सील और वजाहत के किया है और मुख्तलिफ धाराओं और दफाओं के बारे में भी काफी कुछ जिक्र किया है।

आपने जिस तरह से फरमाया, हालांकि खण्ड-2 में ज्यादा जिक्र नहीं करके, मैंने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ''डायन-प्रताड़ना'', हालांकि मेरा यह मानना था कि डायन की डेफिनेशन दी आपने कहीं, लेकिन 'डायन' जो शब्द है या 'डायन' की जो परख है, या 'डायन' की जो शिनाख्त है, उसका वाजेह तौर पर इसमें कहीं मुझे जिक्र नहीं मालूम हुआ। हालांकि डायन किसी को कह दें तो वह डायन हो गयी या डायन में जिस तरह से भाव आए हैं, वह डायन है, या इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। डायन क्या है?

हालांकि यह जिस तरह से माननीय महिला सदस्यों को इंगित करके बातें कही गई हैं, मैं मानता हूं कि यह आज कई वर्षों के बाद, अब कई कदीम -ए-रवायतों के बाद इस बिल को लाने की जो जरूरत हुई, वह पहले भी थी और हमारे कई रूल्स और कानूनों में भी इसका जिक्र है लेकिन मैं यह कहूंगा, ''अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया।'' यह अजीब सिलसिला है। यह प्रताड़ना हमारे इस समाज में, इसी दानिशवर समाज में हमारे जन्म से शुरुआत हो जाती है। जब हमारे यहां या तो थाली बजती है, या हमारे किसी कन्या का जन्म होता है, उससे इसका आगाज होता है। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। हमारा यह बुद्धिजीवी वर्ग, हमारा यह एक बहुत बड़ा दानिशवर कौम, हम कभी कितनी-कितनी सालों से अब इस साइंसी जमाने में, हम इस आजाद भारत में इस तरह से जलीली हरकतों से जुड़े हैं। हम अभी तक इसी कुंठा से आजाद नहीं हो पाये। आज के युग में भी हम हमारी बच्चियों को मार देते हैं; जन्मजात से हम उनका सत्यानाश कर

(श्री तरुण राय कागा)

देते हैं। हमारी बच्चियों के लिए हमारे को रहम और करम भी नहीं होता है। हमारी कितनी ही उसके लिए भी ये बहनें और माताएं जिम्मेदार हैं।

जिस तरह से शकुन्तलाजी ने कहा था, सास और बहू के किस्से आते हैं। हमारे समाज में जब तक हम हमारे लग्न देखते हैं, उनकी राशियों का मिलान करते हैं, बहुत अच्छी तरह से शादियां धूमधाम से करते हैं लेकिन जब कुछ दिन के बाद किस्मत और खुदा को रजा महसूस है, जब किसी के पति का देहांत हो जाता है तो उसे डायन कहना शुरू हो जाता है। वह सास कहती है, देवरानी-जेठानी कहती है, उसे पास-पड़ोस के कहते हैं कि यह मनहूस डायन आई है, इसलिए तुम्हारे लड़के का देहान्त हो गया। मैं सही कह रहा हूं। उसके बाद भी, हालांकि हमारे कई रवायतें ऐसी रहीं जिसके लिए उन औरतों को या तो सती होना पड़ा, या उसके लिए जुल्मों की शुरुआत उसी समय से हो गई।

हमारे शुरू से ही यह शिक्षा दी जाती है, शिक्षा यह दी जाती है कि आप कन्या हैं तो जन्म के बाद में यह व्रत रखो, आप अपने सुहाग के लिए यह प्रार्थना करो, शादी के बाद भी यह करो कि हमारे पति की बहुत बड़ी दीर्घायु हो, जीवन में इस तरह से हो, लेकिन यह हमारे पुरुषों के लिए लागू नहीं है कि हमारी पत्नी की भी बड़ी उम्र हो, या हमारी पत्नी भी हमारा साथ दे, हमारी जीवन-साथी हो, कोई ऐसा व्रत नहीं है। कोई ऐसा इस तरह से हमारे पर कानून लागू नहीं है। उसी से यह भी शुरुआत हो जाती है।

लेकिन भ्रांतियां पैदा की जाती हैं। हमारी बच्चियां नौजवान होने के बाद भी, या औरतों के बाद भी, जिस तरह हमारी बहन अलका सिंह भी कह रही थीं कि इस तरह से सेक्सुअल, या इस तरह से सम्पत्ति का बंटवारा, या हमारी जायदाद के लिए इस तरह से हमारे औरतों पर जुल्म ढाये जाते हैं, उसको डायन का दर्जा हासिल कराते हैं।

हमारे यहां बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारी है या खिफकानी बीमारी है, उससे भी ग्रस्त होकर, उससे भी जकड़ कर, उससे मुतास्सिर होकर, कोई भी अगर हमारे मासिक धर्म भी होता है माताओं-बहनों के लिए, तभी कहते हैं कि आप बरतन के हाथ लगाआगे, यह खराब है; या आप इस तरह से करोगे, खराब है। या इस तरह से कई चीजों की उनके ऊपर पाबंदियां आयद की जाती हैं जिससे उनके दिमाग में कई बातें इस तरह से आ जाती हैं। उसके बाद भी हम यह नहीं चूकते हैं। उसके बाद भी जिस तरह से लोग बच्चियों और

(श्री तरुण राय कागा)

औरतों के दिमाग में मानसिक तनाव होता है, जिस्मानी उनके ऊपर बातें होती हैं, उसके लिए भी उनको हमारा समाज, विश्वास-अविश्वास के बीच में अंधविश्वास में धकेला जाता है। इसलिए कई चीजें ऐसी होती हैं हमारे घरों में जो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें कृपया। विराजिए। विराजिए।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): हां, साहब, मैं वही कर रहा हूं।

मैंने जो तथाकथित शब्द इस्तेमाल किया और डायन की डेफिनेशन के लिए, मैंने उसके लिए भी बात कही। उसकी रजात इसमें होनी चाहिए। हां, देर आयद दुरस्त आयद। देर से भी आप कानून लागू करने जा रहे हैं, जिसके लिए भी आप काबिले-तारीफ है; मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं, लेकिन हमारी जो बेवा-खवातीन हैं, विधवाएं हैं, उनके ऊपर क्या-क्या जुल्म ढाये जाते हैं। कुछ गाहे-बगाहे हमारी माताओं ने दबी जुबान में जरूर कुछ न कुछ उनका जिक्र किया है लेकिन मैं उनके लिए भी यह कहूंगा, ''न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की, घुट-घुट कर मर जाऊं, यह मर्जी है मेरे सय्याद की।'' हमारी ऐसी हालत है।

मैं यह कहता हूं, अभी हमारे किसी माननीय सदस्य ने कहा था, भूतनी और डायन में क्या फर्क है। यहां यह भी बात, किसी ने अपनी तकरीर में कहा, उन्होंने अपने भाषण में यह बात की थी। मैं कहता हूं, अभी हमारे जिस तरह से इसका डेफिनेशन किया गया है, या परिभाषित किया गया है, उसमें मैं तो यही कहूंगा कि जो डायन जो जिंदा है, वह और भूतनी, वह मरी हुई होती है, परन्तु लागू सिर्फ वह औरतों के लिए हो रहा है। उसके लिए भूत और डाकी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन मैं यह कहता हूं, इसी धारा में जिस तरह से गैभी कहा गया है उसको डाकी कहते तो अच्छा होता। उस शब्द का इस्तेमाल इस तरह से कहते, तो हमारी ये चीज़ें हैं जो इस मानस से मुनव्वर होकर भी इस तरह से उलझी हुई हैं।

हमारे सभापति महोदय, की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए कहता हूं कि आजादी के बाद भी जिस तरह से यह कानून लाया जा रहा है, यह बहुत ही अच्छा है और बढ़िया है; हमारे सब लोगों की इसके लिए इज्जत आबरू के लिए है। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

मैंने जो जन मत जानने हेतु प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेता हूं। शुक्रिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय सभापति महोदय, अभी सदन के लगभग माननीय 19 सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा करते हुए अपने सुझाव और अपनी आशंकाएं और इसके प्रभाव के बारे में यहां विचार अपने प्रस्तुत किये। कुछ शंकाएं निर्मूल हैं जिनके बारे में मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी।

माननीय सदस्य द्वारा यह भी कहा गया कि चूंकि कोर्ट ने जल्दबाजी की है, कोर्ट ने निर्देश किये हैं, इसलिए आप जल्दी-जल्दी में यह बिल ले आये हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि यह बिल पिछली सरकार की बजट घोषणा 2011 में भी था, लेकिन 2011 से लेकर 2015 तक यह बिल सदन में प्रस्तुत नहीं हुआ।

उसके कारण से, अभी आपने पिछले दिनों ही देखा होगा, इसी बजट सत्र के दौरान ही समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा भी है हम सबने, पहली घटना तो भीलवाड़ा की बदनौर तहसील में हुई। मुस्लिम परिवार में परिवार के लोगों द्वारा ही उस महिला को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया, यह कहकर कि इसमें डाकन है, जबकि उसके सात वर्ष का बेटा है, पूरा भरा-पूरा परिवार है और उसको पूरी रात देवस्थान के नाम से एक मजार पर बैठाया गया। सुबह उसने अपने परिवार, पीहर पक्ष के लोगों को फोन से इस बात की इत्तला दी। तब जाकर के उसको हास्पिटल में एडमिट कराया। बुरी तरह से चिमटे से और फूंकनी से, उनसे गर्म करके उसको मारा। अभी दो तीन दिन पुरानी घटना है, टोंक जिले की देवली तहसील में कोई वाल्मीकि समाज की महिला थी, वह मंदिर में झाडू लगाने जाती थी और उस पर कुछ लोगों ने शंका जाहिर की कि यह डाकिन है। चूंकि किसी परिवार में उनकी बच्ची की दुर्घटना से मृत्यु हो गई, इसलिए यह आरोप लगाते हुए कि दुर्घटना से मृत्यु नहीं हुई है, इसकी नजर खराब थी, इसने हमारी बेटी पर नजर रख ली थी और इसके कारण से यह डाकन है और इसके कारण से हमारी बेटी की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। उसको बुरी तरह से पीटा, उसके हाथ-पैर तोड़ दिये, हड्डियां सारी टूट गई उसकी। लगभग 70 साल की महिला थी, जिसका आलरैडी परिवार है, बच्चे हैं। उसको फिर हास्पिटल में एडमिट कराया और फिर मुकदमा दर्ज हुआ।

(श्रीमती अनिता भदेल)

अभी पिछले एक साल पहले राजसमंद जिले की भी एक घटना आपको याद दिलाना चाहूंगी। राजसमन्द जिले में डाकन बताकर के, महिला को पूरी तरह से नग्न करके, वस्त्र उसके सारे उतार करके, उसको काले रंग से पोतकर के, पूरे गांव में घुमाया गया। फिर यह मुद्दा उस समय भी विधान सभा में उठा था। तब माननीय हमारे गुलाब जी, जो हमारे गृह मंत्रीजी हैं, उन्होंने इस बात का जवाब उस समय दिया था कि हम कानून की जो उस समय मौजूदा धाराएं हैं, उनके तहत मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि यह बिल लाना क्यों आवश्यक हुआ। क्योंकि जो वर्तमान में हमारी आई.पी.सी. की धाराएं हैं उन धाराओं में इस अपराध के तहत कोई यदि न्यायालय सज़ा सुनाना चाहे, तो वह इस अपराध के तहत सज़ा नहीं होकर के, वह आई.पी.सी. की जो धाराएं हैं, उनके तहत ही वह अपराध को उसमें डिफाइन किया जाता है और उसमें उसको सज़ा दी जाती है।

बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या अलका जी ने जो बात कही, लगभग-लगभग नेशनल फेडरेशन आफ इंडिया के सर्वे में 400 के लगभग मुक़दमे इस डायन प्रथा के नाम से, डायन के नाम से, महिलाओं को हानि पहुंचाने, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करने और उनकी सम्पत्ति को हड़पने को लेकर के जो मामले हैं वे लगभग 400 मामले दर्ज किये गए हैं। अकेले मैं राजस्थान राज्य की बात करूं, तो लगभग यह संख्या जो है विगत वर्षों यदि ऐसी घटनाओं की संख्या की राजस्थान प्रदेश के बारे में बता करूं, तो गृह विभाग के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि में राज्य में कुल 43 मामले हैं। वे मामले हैं जो थानों में दर्ज हुए हैं। जो दर्ज नहीं हो पाये हैं, जो प्रकाश में नहीं आये, उनकी तो बहुत लम्बी श्रृंखला है। यह आंकड़ा दर्ज हुए मामलों की संख्या का है। ऐसे हज़ारों मामले हो सकते हैं जो पुलिस थानों में परिजनों, समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में पीड़ित महिलाएं दर्ज नहीं कराती हैं।

माननीय सभापति महोदय, वैसे तो यह कहा जाता है, यह जो डायन प्रथा है, वह बहुत सदियों पुरानी अंधविश्वासों के प्रचलन के कारण से है और इसकी आड़ में..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): डायन का सारा मामला आपने तय कर दिया, लेकिन इससे बचा कैसे जाएगा?

श्री सभापति: आप विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह बताइए ना, यह बहुत जरूरी है। यह तो यही बताएंगी ना, कानून बनाने वाले ही बताएंगे।

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य। वे बोल रही हैं, जवाब देंगी न। आप बैठ जाएं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जवाब क्या देंगी, जब बना ही देंगे? (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): गलत थोड़े ही बोल रही हैं। हकीकत तो बयां कर रही हैं यहां पर। गलत थोड़े ही बोल रही हैं मंत्रीजी।

श्री सभापति: अब आप विराजें, माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): महिला की बात थोड़े ही है। मैं यह कह रहा हूं, जैसे कोई गांव में पांच आदमियों ने कह दिया, मेरे इस भाई ने इसको डायन कह दिया, तो उसको थाने वाले ले जाएंगे पकड़ करके।

श्री सभापति: अब आप विराजिए। उनका उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उत्तर क्या होगा तो?

श्री सभापति: उत्तर तो आएगा ही। उत्तर तो होते ही हैं। उत्तर तो आएगा सरकार का।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह सारा नया बोझ और डाल रहे हो हमारे ऊपर आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अनुभवी सदस्य हैं। मंत्री महोदया, जवाब दे रही हैं, आप उनका उत्तर तो सुन लीजिए। उसके पश्चात् आपको कोई शंका हो तो आप पूछ लीजिएगा उनसे।

माननीय मंत्री महोदया आरम्भ करें।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाह रही थी सदन को कि अंधविश्वासों के कारण से जो परम्पराएं हमारे समाज में हैं और उन परम्पराओं की आड़ लेकर के महिलाओं को शाब्दिक, कई बार शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से भी उत्पीड़न करने और जो उसका उत्पीड़न होता है, उससे उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए यह बिल लाया गया है। ऐसी प्रवृत्ति महिलाओं के लिए ही

(श्रीमती अनिता भदेल)

नहीं बल्कि यह जो प्रवृत्ति महिलाओं के रखी जाती है, यह मानव समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा द्योतक है कि हमारा इतना अच्छा मानव समाज है, हमने इतनी प्रगति की है, उसके बावजूद भी आज भी गांवों में इस प्रकार की प्रथा है कि हम किसी को भी डाकन कह करके उसको अपराधी घोषित कर देते हैं। अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यदि कुएं में पानी कम हो गया, यदि गाय ने दूध कम दे दिया, तो भी हम किसी को भी राह चलते महिलाओं को अपमान की दृष्टि से डाकन बता देते हैं। जनरली, मैंने भी यह व्यावहारिक जीवन में यह देखा है, यदि किसी महिला के संतान नहीं होती है, तो माननीय सभापति महोदय, उसके परिवार जन ही, उसके नाते -रिश्तेदार भी, किसी के भी छोटा बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा जन्म लेता है, तो उससे उसको छुपाते हैं, दूर रखते हैं और एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, कहते हैं, यह डाकन है, इसको बच्चे को मत दिखाना। ऐसी भी कई बार घटनाएं समाज में, परिवार में होती हैं। तो यह जो है, यह कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है, न कि सभ्य समाज का, सभ्य संस्कृति का प्रतीक है।

इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा देश जिसमें नारी को बहुत उच्च स्थान दिया गया है, जिसमें हम यह कहते हैं नारी जो है दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का रूप है; हम अर्द्ध-नारेश्वर की पूजा करते हैं और इसके साथ-साथ में हमने बहुत अधिक महिलाओं को पुरातन संस्कृति में, यदि हम महिलाओं के सम्मान की बात करें और यह कहें कि महिलाएं उस समय अपना बहुत उच्च स्थान रखती थीं, उन्होंने अपनी प्रतिभाओं का लोहा भी मनवाया है, अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। प्राचीन काल से लेकर के अब तक, प्राचीन काल की यदि मैं बात करूं तो गार्गी, अहिल्या, पार्वती और ऐसी सैकड़ों महिलाएं, जिनके कारण से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, बहुत सारी श्रृंखला है। उसके बावजूद भी यदि हमारे समाज में यह प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप से यह बहुत ही गलत दिशा की ओर हमें संकेत करती है। हम यह कह सकते हैं कि हमारे समाज में पुरुषों से अधिक उच्च स्थान हमने महिलाओं को दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि ऐसी प्रथा हमारे यहां है, यह बहुत बुरी बात है, जिसको हमें समय रहते हटाना होगा, जिसके लिए उपाय करने होंगे। चाहे वे विधि के माध्यम से किये जाएं, चाहे वे अवेयरनेस के माध्यम से किये जाएं, चाहे वे प्रचार-प्रसार के माध्यम से किये जाएं, चाहे वे समझाइश से किये जाएं, तरीके बहुत सारे हमें

(श्रीमती अनिता भदेल)

अपनाने होंगे, तभी हम इस बुरी प्रथा पर काबू पा सकते हैं, इस बुरी प्रथा को समाप्त कर सकते हैं।

मैं, सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसी कई सारी किंवदंतियां हमारे समाज में हैं, वर्जनाएं हैं हमारे समाज में, जो महिला को प्रताड़ित करने के लिए काम में ली जाती हैं। डायनवृत्ति का अपराध मूलत: महिलाओं के परिजन द्वारा भी लगाया जाता है, साथ में समाज के अन्य प्रभावशाली वर्गों द्वारा भी लगाया जाता है और ग्राम स्तर पर भी इसको कई बार राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण भी मिल जाता है। संस्थाएं भी इसको प्राय: संरक्षण दे देती हैं, जिसके कारण से यह प्रथा समाप्त नहीं हो पा रही है।

यदि यह प्रथा किसी न किसी कारण से, जो सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य बात कह रहे थे कि भजन यदि कहीं होता है तो महिला उठ करके घूमने लग जाती है, मैं आपको कहना चाहूंगी कि न सिर्फ महिलाएं, बल्कि पुरुष भी कई भजनों में उठ करके घूमने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई? किस कारण से आई? व्यक्ति के संवेग होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, कई बार व्यक्ति उन भावनाओं को दबा नहीं पाता है, अपने अन्दर नहीं रख पाता और उनका वह प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन के नाते से वे भावनाएं उसकी इस रूप में बाहर आती हैं। तो हम उसको यह नहीं कह सकते कि वह अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकता। डायन प्रथा से और उस तरह से अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने में, दोनों में बहुत अन्तर है। इसको मिक्स-अप किया जा रहा है, जिसको हमें मिक्स-अप नहीं करना चाहिए।

महिलाओं में जो यह इस प्रकार की प्रवृत्ति कई बार आती है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि कई बार मानसिक और शारीरिक रूप से वे बीमारियों से ग्रस्त होती हैं, कई बार परिवार में उनको उपेक्षा मिलती है और उपेक्षा के कारण से वे अन्दर ही अन्दर घुटती रहती हैं। वे कहीं बता नहीं पातीं, कहीं बोल नहीं पातीं और इस रूप में कई बार वे चीजें बाहर आती हैं। उसका उपाय यह है कि हम एक अच्छे मनोचिकित्सक को उनको दिखायें, उनकी प्रोब्लम्स को सोल्व करें तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं समाधान ला सकते हैं। लेकिन उनको डायन बता करके, उनको पीड़ित करना, उनको मारना, उनको पीटना, उनको बुरी तरह से अपमानित करना, यह कतई भी सभ्य समाज का द्योतक नहीं है।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय, कई बार

(श्रीमती अनिता भदेल)

कमजोर वर्गों में यह बात आई ध्यान में। निश्चित रूप से यह बात सही है कि कमजोर वर्ग की महिलाओं, विशेषकर विधवा एकल महिलाओं में ऐसी विकृत मानसिकता के कारण से, जो विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं वे भी उनकी सम्पत्ति को हड़पने के लिए या उनको शिकार बनाने के लिए, उनको डाकन बताकर के, उनका बहुत सीधा-सा और बहुत आसान तरीका है कि उसको डाकन बता करके अपमानित करो और उसकी सम्पत्ति को हड़प लो। तो यह इतना आसान तरीका सोच करके लोग उसको अधिक संख्या इस्तेमाल करते हैं।

तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कई बार कम साक्षरता के कारण से और पिछड़ेपन के कारण से भी यह कुप्रथा की जो जड़ है, उसको हमें समाप्त करने की आवश्यकता है और उसको समाप्त करने के लिए बिल में प्रोविजन हमने किये हैं कि हम उनको कैसे अवेयरनेस के द्वारा समाप्त कर सकते हैं, हम दण्डात्मक प्रोविजन्स करके उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ी चिन्ता जाहिर की है, आपने सेक्शन-8 में सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बहुत सारी शंकाएं की हैं और, माननीय सभापति महोदय, आपने भी एक बार बीच में भी उठकर के यह बात पूछी थी कि यह शायद किसी और, जो बिल है, उसमें भी यह प्रोविजन है। तो मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि यह जो प्रोविजन है वह आलरेडी दूसरे बिल्स में भी हैं। यह कोई नया नहीं है। सबसे पुराना सामूहिक जुर्माने का जो प्रोविजन हैं, वह सामाजिक सुधार से जुड़े हुए सभी प्रकार के अधिनियमों में और बिलों में है। द प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 की धारा 10-ए में यह आलरैडी प्रोविजन है; उसके बाद में सती निवारण अधिनियम में यह प्रोविजन है; अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में यह प्रोविजन है। तो इस तरह से सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और प्रभाजन करने एवं वसूल किये जाने के प्रावधान उक्त सभी कानूनों में हैं। इस कानून में भी उस प्रोविजन को डाला गया है। पीड़ित व्यक्तियों के पुनरुद्धार के लिए इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है। तो इसलिए यह शंका आपकी निराधार है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि यदि ऐसा-वैसा होता तो वह प्रोविजन आलरेडी है अभी तक तो वह हुआ नहीं। इसलिए हमें शंका नहीं करनी चाहिए।

एक बहुत बड़ी बात कही गयी है अनुष्ठान के बारे में। मुझे बड़ा

(श्रीमती अनिता भदेल)

आश्चर्य हो रहा है कि अनुष्ठान के बारे में इस प्रकार की चर्चा कैसे आयी सदन में। क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। इसका जो सेक्शन-6 है डायन चिकित्सक के लिए दण्ड, उसकी जो उप धारा-(2) है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के तात्पर्य से है। कोई अनुष्ठान यदि वह अच्छे काम के लिए करे, वर्षा आनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, उसके लिए अनुष्ठान करे तो करे, बहुत अच्छी बात है। किसी समाज की बहबूदी के लिए, परिवार की अच्छाई के लिए, परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए अनुष्ठान करे तो उसमें कोई रोक-टोक नहीं है। इसमें उस अनुष्ठान से तात्पर्य है कि जिसमें किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के लिए यदि वह अनुष्ठान किया जाता है। क्योंकि आहौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत सारे एजेंट और बहुत सारे लोग इस प्रकार के बन गये हैं जो ढोंगी रूप में, ढोंग करके इस प्रकार का काम करते हैं और वे कहते हैं कि आप तो इतने पैसे ले आना, आप इतने रुपये ले आना, मैं इसकी डाकन छुड़ा दूंगा, मैं इसका भूत उतार दूंगा, मैं इसका यह कर दूंगा। तो ऐसे जो ढोंगी लोग हैं, जो इस प्रकार का कृत्य पैसे लेकर के करते हैं, इस प्रकार का अनुष्ठान करते हैं, और कहते हैं, इसमें पचास हजार रुपये लगेंगे, इसमें एक लाख रुपये लगेंगे, यह इससे तात्पर्य है।

जो चिकित्सक है, डायन-चिकित्सक है, उसकी भी स्पष्ट परिभाषा इसमें दी गई है। कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह जो चिकित्सक है, वह तो ऐलोपैथी का चिकित्सक हो जाएगा। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मान लो, कोई डाकन है और मैं उसको यह समझाता हूं कि वह डाकन नहीं है, डाकन-वाकन नहीं होती है तो वह समझाइश वाला चिकित्सक भी इस श्रेणी में आ जाएगा क्या? इसमें स्पष्ट परिभाषा दे रखी है और मैं उसको वापस पढ़ करके आपको बताना चाहूंगी कि ''डायन चिकित्सक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे स्थानीय रूप में गुनिया, तांत्रिक, ओझा या अन्यथा नाम से जाना जाता है और...'', और इसके साथ है, ''...और जो यह दावा करता है कि उसके पास डायन को नियंत्रित करने या उसका उपचार करने की अलौकिक या जादुई शक्ति है'' डायन-कित्सक से अभिप्राय यह है। स्पष्ट रूप से परिभाषा में लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो यह दावा करे कि मेरे पास शक्ति है इस डायन को भगाने की दूर करने की, अलौकिक शक्ति है, यह उससे अभिप्रेत शब्द है। इसलिए इसको इसी अर्थ में लेना चाहिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

कोटा-उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि तंत्र-मंत्र, यह जो तंत्र-मंत्र है, यह तो एक ही शब्द है। यदि हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र का मतलब सिस्टम भी हो सकता है। झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र, ये बोलचाल की भाषा में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वे शब्द हैं। इसलिए मंत्र तो वेदों में जो लिखा हुआ है, मंत्र है, उस मंत्र से मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि झाड़-फूंक, अब झाड़-फूंक तो, फूंक को यदि एक अलग शब्द कहेंगे तो वह फूंक से भी हो सकता है, शब्द का अर्थ। तो इसलिए इस प्रकार के जो जादू-टोने, टोटके, झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र करते हैं, उससे अभिप्रेत ये शब्द हैं।

कई माननीय सदस्यों ने एक बात कही है कि आपने सज़ा का प्रोविजन कम किया है; आपने जो कम्पनसेशन की बात कही है, उस कम्पनसेशन में भी, अभी माननीया, चन्द्रकांताजी यह कह रही थी कि आपने जो कम्पनसेशन किया, वह बहुत कम रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, इसमें हमने कम्पनसेशन का जो सेक्शन-9 है, उसकी उप धारा (2) जो है, जब कोई न्यायालय जुर्माने का दण्ड अधिरोपित करता है तब वह न्यायालय निर्णय देते समय वसूल किये गये जुर्माने का कम से कम है यह। अधिक से अधिक तो कितना भी हो सकता है। कम से कम साठ प्रतिशत हमने इस बिल में ही प्रोविजन कर दिया; न्यायालय के ऊपर नहीं छोड़ा कि वह कितना तय करें। हमने इस बिल में प्रोविजन यह किया है कि कम से कम 60 प्रतिशत तो होना ही चाहिये। उससे अधिक कितना भी हो सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है।

इसी प्रकार जो दंड की धारा है जिसमें 50 हजार लिखा गया है, वह 50 हजार भी कम से कम है, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। इसलिए मैक्जिमम तो न्यायालय जो उचित समझे, जिस प्रकार की हानि उस महिला को हुई है, उसके आधार पर उसको तय करना है कि वह किस प्रकार की हानि हुई है। उसमें वह कम से कम 50 हजार है, अधिक से अधिक वह कितना भी हो सकता है।

मैं समझती हूं कि मैंने शायद सभी माननीय सदस्यों का जवाब दे दिया है।

अब माननीय सभापति महोदय से निवेदन करूंगी कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति: अभी पारित की स्टेज तो नहीं आई।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, श्रीमती अलका सिंह, श्री जोगाराम पटेल, सुश्री कीर्तिकुमारी, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री केसाराम चौधरी, श्री कैलाश भंसाली, प्रश्न यह है कि राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पर जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2 ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 से 15 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 15 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 से 15 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती अनिता भदेल।

विधेयक का पारण

राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): छोड़ो ना भाई साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): छोड़ ही रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, इधर की तो डाकन उतार दी, अभी उतारना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कौनसी चीज ले रखी है मैंने?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इससे ज्यादा क्या छुड़वाओगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं दो-तीन बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक आना चाहिये, यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक 1999 में पहले बिहार में भी आ गया था, और भी जगह आया है। मूल बात यह है कि विधेयक से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। विधेयक से भय पैदा होगा, कानून व्यवस्था बनाने में मदद होगी लेकिन जब तक हम सही बात को लोगों तक नहीं पहुंचायेंगे तब तक .....

(16.35 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय इस पर सुनने के लिए आ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे दु:ख इस बात का है...

श्री अध्यक्षः पर संक्षेप में बोलिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): संक्षेप से संक्षेप में। सारतत्व जो ग्रहण कर सकें, वही बोलूंगा।

श्री अध्यक्षः आप तो सूत्र बनाने वाले हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय तिवाड़ी साहब, आपने दु:ख इसी बात का बताया क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सूत्र में ही लो, साहब।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मुझे दु:ख इस बात का है कि हम उस देश में इस विधेयक की चर्चा कर रहे हैं जिस देश ने महिला के बारे में जितना कुछ कहा, किसी ने नहीं कहा। हम छोटी सी कुरीति को लेकर संपूर्ण समाज को लांछित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़ी-सी बात में अगर आपको कहूं, सबसे बड़ा विकसित देश तो अमरीका को बता रहे हैं, सबसे बढिया कल्चर बता रहे हैं, व्हाइट हाउस के दो कमरे अब्राहम लिंकन के लिए भूत मानकर आज भी रिजर्व हैं। बहुत बडे लेख आ गये, आर्टिकल आ गये हैं। दो चार पाँच घटनाएं हो जाये उन घटनाओं के कारण से पूरी संस्कृति को लांछित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

मैं इस विधेयक के बहुत पक्ष में हूं लेकिन मैं यह भी जानता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आ गये हैं हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी पीताम्बरा पीठ द्वितीया ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं। हम लोग त्रिपुर-सुंदरी के भी जाते हैं, विंध्यवासिनी के भी जाते हैं, कामाख्या के भी जाते हैं, वे तीनों ही तांत्रिक पीठ हैं। तंत्र का मतलब खराब काम नहीं है और मंत्र का मतलब भी खराब नहीं है। मंत्र, द्रष्टा सारे के सारे ऋषि थे, इसलिए तंत्र और मंत्र को इसके साथ जोडना, श्रीयंत्र भी तंत्र है जो सबके घरों में लगा हुआ है। इसलिए कानून बनाने वाले जो लोग हैं वह जिस कल्चर में रहकर कानून बनाते हैं उनको इन शब्दों का पता ही नहीं है, इसलिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं।

हम कहां-कहां उपयोग नहीं करते? हम पृथ्वी से शुरू करते हैं, माता पृथ्वी; पुत्रो अहं पृथिव्या; पृथ्वी से माता की शुरुआत करते हैं। फिर हम शुरूआत करते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप तो इस प्रसंग में नहीं हैं लेकिन मुझे कई बार पूछते हैं कि ये देवता तो महान् बन गये और इंसान क्यों नहीं बना? हमारे शास्त्रों में इसका बहुत उल्लेख किया हुआ है कि जो-जो लोग होशियार थे, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम अपने नाम के पहले लगा लिया, तो वे तो भगवान बन गये और जिन्होंने पत्नी का नाम बाद में लगाया, वे इंसान बन गये। जैसे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, शचिसचिपुरुन्द्राभ्यां

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नमः। लक्ष्मीनारायण, भगवान विष्णुजी ने अपने पहले लक्ष्मी का नाम लगा लिया, शिवजी ने पहले अपनी पत्नी उमा का नाम लगा लिया, रामजी ने पहले सीता का लगा लिया और कृष्णजी ने तो कई लगाये पर राधा के साथ साथ भी लगा लिया।

श्री अध्यक्ष: आप भी तो कुछ लगा लेते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, फिर तो मैं भगवान ही बन जाता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्षजी का तो भगवान बनने का कोई चांस नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारी संस्कृति ने कभी महिला को इस रूप में नहीं देखा है। इसलिए हमने हमेशा उनके नाम को पहले दिया है।

हजारों सालों में कोई विसंगतियां आ जाती हैं, आई हैं, लेकिन मैं एक बात सबके सामने और रखना चाहता हूं कि क्या पुरानी सारी बात खराब है और सारी नई बात ठीक है? क्या दुनिया में किसी व्यक्ति ने इन सारे आविष्कारों के बाद में आर्यभट्ट पैदा किया है? अगर करते तो अमरीका में नासा के सामने आर्यभट्ट का स्टेच्यू लगाकर नहीं लिखते कि दुनिया के पहले खगोल-शास्त्री आर्य भट्ट, उन्होंने तो किया। माधवन, इसरो के हमारे जो पूर्व चेयरमैन थे, अभी उन्होंने कहा है कि हम जो मंगल यान पर सबसे पहले पहुंचे, एक ही बार में पहुंचे, उसका कारण है कि हमने आर्यभट्ट की गणित का सहारा लिया, नासा की गणित का सहारा नहीं लिया। उन्होंने यह भी कहा कि हम घोषणा करते हैं कि और किसी को मंगल पर पानी नहीं मिला लेकिन हम पानी को मंगल पर खोजकर लाएंगे क्योंकि हमको इस प्रकार के वेद मंत्र मिले हैं जिससे हम जाएंगे। वेद मंत्र, मंत्र और तंत्र को इससे जोड़ना ठीक नहीं है।

अब रहा सवाल अनुष्ठान का, अनुष्ठान का मतलब एक ही है, हम किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर, किसी समयबद्ध रूप से बहुत अच्छे काम के लिए, पुरुषार्थ चतुष्टय के किसी काम के लिए, धर्म-अर्थ, काम और मोक्ष के किसी काम के लिए काम करते हैं तो वह अनुष्ठान होता है। यह अनुष्ठान नहीं है कि डाकन को निकाल दो, भूत को निकाल दो। अनुष्ठान इसका अर्थ नहीं है। जिन लोगों को कानून नहीं बनाना आता है, वे इन शब्दों का यहां पर प्रयोग कर देते हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वेद मंत्र, लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों को वेद मंत्र का अधिकार नहीं है, अगस्त्य ऋषि की पत्नी ब्रह्मवादिनी ने 28 यजुर्वेद के मंत्रों को दृष्ट करके उसमें लिखा है, उनके नाम से। लिखने वाली ही महिला है। इसलिए महिला के बारे में हमने ऐसा कभी नहीं कहा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में उनको देखा है।

लेकिन हमारे शास्त्रों में योनियों का वर्णन है, भूतों का भी है, प्रेतों का भी है, ब्रह्म राक्षसों का भी है। चुड़ैल का भी है, जिन्न का भी है, गंधर्व का भी है, राक्षस का भी है, वानर का भी है। यह वर्णन है। ये वर्णन उन्हीं लोगों ने लिखे हैं जिन लोगों ने वेद मंत्र भी लिखे हैं और जिन लोगों ने पृथ्वी और चन्द्रमा की दूरी भी नापी है, खगोल भी लिखा है, उन्हीं लोगों ने ये भी लिखे हैं। उसी में, जिस देवी की पूजा करते हैं, जहां अपने प्रद्युम्न सिंहजी भी जाते रहते हैं दतिया में। आप खुद बोलते थे डाकिनी शाकिनी तथा, ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्माण्डा भैरवा दयः, नष्यन्ति दर्शनात् तस्य..., यह वे भी उच्चारण करते रहते थे, उनकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है? लेकिन वह इस लोक के लिए नहीं है, यह परलोक के लिए थी। इस लोक में किसी को इस नाम से प्रताड़ित करना बिलकुल अनुचित काम है।

अब दो बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने कहा, विद्याः समस्ता तव देवि भेदाः। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। हे देवी विद्या, जितनी भी संसार में हैं वे आपके स्वरूप में है और स्त्रियां जितनी भी हैं वे भी आपके ही स्वरूप की ही प्रतीक हैं। जब देवी मां के स्वरूप की सारी स्त्रियां उसी रूप की हैं तो स्त्री डाकन कैसे हो सकती है? यह दुर्गा सप्तशती का श्लोक है विद्या समस्ता तव देवि भेदाः। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु।

एक प्रसंग और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, अध्यक्ष महोदय। शंकराचार्यजी हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। शंकराचार्यजी बनास पर खड़े थे, उनको अतिसार हो गया था, दुर्बलता आ गई थी। एक देवी उधर से गई, बोली, बेटा, मुझे जरा पानी का घड़ा मेरे सिर पर रख दे, बोले, मां मेरे में शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, आपने तो शक्ति की आराधना ही नहीं की, जब आपने शक्ति की आराधना ही नहीं की, आप तो अद्वैतवाद की प्रचारक हो, आप में शक्ति कहां से आएगी? तब शंकराचार्यजी ने एक बात कही, जटाधारी कंठे भुजंग पति हारी,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगति सहिक पदवी, भवानी ततपाणि ग्रहण परिपाटी फलम् इदम् । उन्होंने कहा कि यह शिवजी महाराज हैं वे जटाधारी हैं, गले में उनके सांप पड़ा है, भस्म लगाये हुए हैं। उस आदमी को लोगों ने जगदीश के रूप में मान लिया। हे जगदम्बा, आपसे उनकी शादी हुई, पार्वती माता, इसलिए वे जगदीश बने। तो आपकी सारी कृपा है, शिवजी की कृपा नहीं है।

जब हमने तो यह मान लिया कि देवी की कृपा से ही भगवान शंकर ही बनते हैं, तो फिर हम सारे हिन्दुस्तान के लोग देवी की आराधना ही करते हैं। देवियों को ऐसा रूप प्रदान नहीं करते। कुछ विसंगतियां आ गई हैं, उनसे सभी सांस्कृतिक मूल्यों को लांछित करना ठीक नहीं है।

इसलिए मैं इस कानून का स्वागत करता हूं। मैं यह आग्रह करता हूं कि यह तब दूर होगा जब हम शिक्षा का प्रचार करेंगे, जब हम इसको प्रचारित करेंगे। बीच के एक हजार साल के काल खण्ड में शिक्षा कम हो गई,

हमने हमारी स्त्रियों को घरों में रखना शुरू कर दिया, वे बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उनको बराबर का अधिकार नहीं था, इन सब कारणों से जो विसंगतियां आई हैं उन विसंगतियों को दूर करने के लिए भी इसको प्रोपेगेट करने के लिए भी, अगर हम प्रचार-प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से इस काम को सफल कर पाएंगे।

विधेयक अच्छा कदम है, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन इसमें कुछ शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसको हमें सोच-समझकर करना चाहिए। इतनी ही बात कहता हूं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 । श्री युनुस खान, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी। जरा संक्षेप में ही कहिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बिलकुल, साहब।

श्री अध्यक्ष: आज सबको जाना है, जल्दी में, तीन दिन बाद में। आज से ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रही है ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं समय बढ़ा दूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची में वर्णित विधेयकों के विचारार्थ और पारण होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय बढाया जाए?

(स्वीकृत)

बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 सदन में लाया गया है, मैं उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करता हूं।

विधेयक लाने का उद्देश्य यात्रियों और ऐसे टर्मिनलों के अन्य उपयोक्ताओं को अधिकतम आराम और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लाया गया है। मगर इसके पहले सरकार की यह मंशा जाग्रत हुई है, अच्छी बात है।

(श्री केसाराम चौधरी)

आज बस टर्मिनलों की स्थिति देखी जाए, बाथरूम वगैरह की व्यवस्थाओं को देखा जाए तो इतनी बुरी हालत है, जिसको ठीक करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

एक प्राधिकरण बनाया जा रहा है इस विधेयक के माध्यम से, यह प्राधिकरण काम करेगा। राजस्थान रोडवेज बहुत ही घाटे में चल रहा है। उस घाटे से उबारने के लिए क्या उपाय होंगे, इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। एक बस आपरेटर होता है वह अपनी रोजी-रोटी उस बस से कमाकर खा सकता है। हमारे पास करीबन 500-600 बसों का बेड़ा है, वह घाटे में चले और उसकी व्यवस्था ठीक नहीं हो, तो उसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह प्राधिकरण बनाया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में, प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ने के लिए बसों की व्यवस्था करने की सरकार की मंशा तो है, मगर मेरे क्षेत्र में काफी पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं जहां पर आज भी राजस्थान रोडवेज की बस देखने को भी नहीं मिलती। प्राइवेट बसों का भी टोटा पड़ रहा है। इस बिल के माध्यम से मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र के समस्त पंचायत हैडक्वाटर पर राजस्थान रोडवेज की बसों का किस तरह से संचालन हो सके, उसके लिए आप प्रयास करें; जनता को प्राइवेट बसों द्वारा अधिक किराया देकर यात्रा करनी पड़ती है, उससे बचायें।

बस अड्डों से, टर्मिनल से राजस्थान रोडवेज की बसें निकलती हैं। प्राइवेट बसों द्वारा उनके आगे-आगे चलना और उनके पीछे चलना, जितना भी प्रभार मिलता है, वे प्राइवेट बसों वाले ले जाते हैं और हमारी बसें खाली जाती हैं। इसी कारण से राजस्थान रोडवेज को बहुत घाटे में लिया जा रहा है। इसके लिए कोई पुख्ता प्रबंध करने की आवश्यकता है ताकि राजस्थान रोडवेज, इतनी बसों का बेड़ा होते हुए भी घाटे में नहीं चले।

जिन बसों को परमिट दिये गये हैं, उनको परमिट जयपुर से पाली का दिया हुआ है। बीच में उसका सवारियां लेने का अधिकार नहीं होता है मगर वे बीच में से सवारियों को उठाते हैं। इसलिए रोडवेज को जो फायदा होना चाहिए, सवारियां मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल पाती हैं। इसी कारण से हमारी रोडवेज आज घाटे में चल रही है।

(श्री केसाराम चौधरी)

इसको नफे में लाने के लिए अगर यह प्राधिकरण पुख्ता, सख्ती से काम करेगा, तो यह हमारे लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए, बहुत फायदे का सौदा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का जो प्रस्ताव दिया है, मैं आपकी आज्ञा से वापस लेने का आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः विराजिये। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015, यह विधेयक इसलिए लाया गया है कि रोडवेज की इतिश्री हो जाये, रोडवेज बंद हो जाये। पहले आलरैडी परिवहन विभाग बना हुआ है, परिवहन विभाग में बाकायदा एक्ट बना हुआ है। जब पूरी व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट एक्ट बना हुआ है, तो इस प्राधिकरण के बिल के पीछे यही मंशा झलकती है कि जिस तरह से पहले माननीया मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि हम प्राइवेट बस को महत्व देंगे, जैसा कि इस अथोरिटी बिल के सेक्शन 12 में, 'अधिसूचित बस टर्मिनलों का सृजन, विकास और परिचालन करना और ऐसे अधिसूचित बस टर्मिनलों से राज्य परिवहन उपक्रमों और प्राइवेट बस प्रचालकों द्वारा बसों के चलाये जाने को कारगर और सुकर बनाना...', माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि जब सरकारी बस डिपो पर प्राइवेट बस वाले आयेंगे तो सरकारी कहां चलेंगी? वे बसें जो प्राइवेट हैं, वे उनको लोभ-लालच देकर, सवारी बैठाकर ले चले जाएंगे। धीरे-धीरे बसें बंद हो जाएंगी। जो स्थिति मध्य प्रदेश में हुई थी, वह स्थिति आज राजस्थान सरकार की बस की होगी।

मेरे साथी, सोजत से आने वाले, केसारामजी कह रहे थे कि प्राइवेट बस वाले कहीं रोकते नहीं।

श्री अध्यक्षः मारवाड़ जंक्शन से।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मारवाड़ जंक्शन से।

माननीय अध्यक्षजी, आज रोडवेज जिंदा है तब तो गांव के इंटीरियर तक बस जाती है; चाहे एक सवारी मिले, वहां से वह ले करके आती है। ऐसे हमारे गांवों में प्राइवेट बसें चलती हैं। आमदनी कम हुई, बस बंद हो गई। लोग जाते हैं, बसें बंद क्यों की, कि हमारे तो आमदनी नहीं होती है। रोडवेज जाती है। यह कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे मुनाफा रहे, चाहे

(श्री सुखराम विश्नोई)

नहीं रहे, आवागमन की, यातायात की सुविधाएं हम पब्लिक को देंगे। यह जिम्मेदारी अपनी बनती है।

जब मुख्य मंत्रीजी ने यात्रा की थी और जब घोषणा पत्र जारी किया था और नारे दिये गये थे, कल्याणकारी, पारदर्शी सरकार है, कल्याणकारी की बात कहां गयी? अब तो प्राइवेट पर आ गये, सभी पी.पी.पी. मोड पर आ गये। तो यह जो विधेयक लाया जा रहा है, यह विधेयक अपने-आप में विरोधाभासी है।

माननीय अध्यक्षजी, इसमें अगर आप पढ़ेंगे, एक व्यवस्था का प्रश्न भी उठता है कि परिवहन विभाग का जो एक्ट है, उसको इसमें छेड़ा गया है। इसमें स्पष्ट है, सेक्शन 31 में, अपील और पुनरीक्षण है, स्पष्ट लिखा है, ''इस अधिनियम के अधीन किसी भी अधिकारी के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश की संसूचना से 60 दिन के भीतर – (क) यदि ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ है तो, प्रभारी सचिव, परिवहन विभाग को; और (ख) यदि ऐसा अधिकारी प्राधिकरण के अधीनस्थ है तो, प्राधिकरण...'' के पास जायेगा। मान लो, किसी के पेनल्टी कर दी, पहले जाएगा परिवहन के पास में, वह कहेगा मेरे पास क्यों आया, आप जाओ अथोरिटी के पास। फिर जाएगा अथोरिटी के पास। अथोरिटी कहेगी, उसके पास जाओ। वह घूमता फिरेगा।

माननीय अध्यक्षजी, यह जो एक्ट लाया गया है, इस एक्ट के अन्दर यह जो जुर्माने के प्रावधान किये गये हैं, दूसरे किये गये हैं, इसमें अपने-आप स्पष्ट नहीं है। जैसे कि, इसमें अपील का प्रावधान किया गया है, अथोरिटी की प्राधिकरण अधिकारी सुनेंगे, परिवहन की परिवहन वाले सुनेंगे। इसमें रिविजन का, रेफरेंस का भी हवाला दिया गया है, उसकी मियाद का भी हवाला दिया गया है, परन्तु कुल मिला करके जब परिवहन विभाग के अन्दर आप संशोधन नहीं कर रहे हैं तो इसके अन्दर संशोधन क्यों डाल रहे हो? कम से कम उस एक्ट के अन्दर होना चाहिए। इसमें तो अपील की मियाद दूसरी है, इसमें रिविजन की मियाद दूसरी है, उसमें मियाद दूसरी दे रखी है। तो कम से कम परिवहन विभाग को छेड़ना नहीं चाहिए था। जब छेड़ा गया है तो उसके अन्दर कानून की मंशा स्पष्ट नहीं दिखती है।

माननीय अध्यक्षजी, इसके अन्दर यह जो प्राधिकरण बना रहे हैं, प्राधिकरण के अन्दर कुल 8 सदस्य हैं। 8 में से 6 सदस्य सरकार नोमिनेट

(श्री सुखराम विश्नोई)

करेगी, और दो हैं, एक राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके और एक राजपत्र द्वारा अधिसूचना जारी करके नियुक्ति, पूर्णकालिक सदस्य होगा, और छह होंगे, छह में अलग-अलग हैं। उसके बाद में इन आठों में से अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष के लिए एक कमेटी अलग से बनाई गई है। उस कमेटी में राज्य सरकार का मुख्य सचिव, प्रभारी शासन सचिव वित्त विभाग का, प्रभारी शासन सचिव योजना विभाग का, प्रभारी शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग का, प्रभारी शासन सचिव परिवहन विभाग का, फिर ये तय करेंगे अध्यक्ष कौन है, और उसमें अध्यक्ष की क्या योग्यता है। इसमें आगे लिखा गया है, सदस्यों की योग्यता क्या होगी। योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है परन्तु डिस्क्वालिफाई कैसे होंगे, वह वर्णन किया गया है।

तो कम से कम इस ट्रिब्यूनल का, इस आयोग का, इस प्राधिकरण का अध्यक्ष, कोई राजनीतिक नियुक्ति होगी। माननीय अध्यक्षजी, यह कोई सातवां-आठवां प्राधिकरण ला रहे हैं। अब सुविधा हो गई सरकार को कि राजनीतिक नियुक्तियां होंगी ना, तो कम से कम 7-8 तो ज्यादा हो जाएंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें नम्बर लग सकता है। मतलब 7-8 आयोग तो बनाये हैं, पहले 25-30 आयोग तो बने हुए हैं, 7-8 आयोग और बना दिये। तो कम से कम, जो अध्यक्ष बनता है, वह रोडवेज, इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष टेक्निकल हैण्ड होना चाहिए, बी.ई. किया हुआ होना चाहिए। किसी राजनीतिक आदमी को बुलाकर डाल दिया, वह कुछ समझता नहीं है, तो इसमें कोई काम नहीं आयेगा।

माननीय अध्यक्षजी, इसके आगे, सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें, उसके आगे दण्ड का जो प्रावधान किया है, वह बड़ा रोचक प्रावधान है। इसमें एक सेक्शन 7 के अन्दर (3) में, 'ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण की किसी भी बैठक के समक्ष आते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का, दूसरा...', एक बार अध्यक्ष वेट दे देगा, वह फिर दूसरा वेट देगा। मतलब, पीठासीन व्यक्ति का, पीठासीन अधिकारी, उसका अध्यक्ष भी हो सकता है, उपाध्यक्ष भी हो सकता है, उसका दूसरा मत लगेगा। एक आदमी दो-दो बार मतदान करेंगे, यह भी इसमें त्रुटि है।

माननीय अध्यक्षजी, इसमें 12, प्राधिकरण के कर्तव्य और शक्तियां, इसमें (ग) के अन्दर, 'उधार लेना और इस अधिनियम के प्रयोजनों और

(श्री सुखराम विश्नोई)

उद्देश्यों के लिए संविदाएं करना'। उधार, एक तरफ तो हमारे माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं, रोडवेज घाटे में चल रही है, जब इस आयोग के लिए उधार ले रहे हो तो फिर दो घाटे में क्यों डाल रहे हो? रोडवेज में सुधार करो। उधार आप किस आधार पर लेंगे? आपके पास क्या साधन हैं? यह जो उधार लेने की परिपाटी डाली है, वह परिपाटी सही नहीं है। रोडवेज को मजबूत किया जाए ताकि सरकार और पब्लिक को सुविधा मिल सके।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्षजी, जो दण्ड के प्रावधान किये गये हैं, ये दण्ड के प्रावधान तालिबानी-टाइप प्रावधान हैं। इसमें सेक्शन 27 (क) 'पहले उल्लंघन की दशा में दस हजार रुपये तक की हो सकेगी; और' (ख) 'दूसरे या पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में दो हजार पांच सौ रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी।' एकदम ढाई हजार से कूद करके पचास हजार तक चले गये। तो कम से कम एक सुसंगत, एक रेलेवेंट बात आनी चाहिए थी, वह रेलेवेंट बात डाली नहीं गई। मान लो, किसी की एक बस पकड़ ली, प्राइवेट वाले की पकड़ ली, या कोई दूसरा ट्रक पकड़ लिया, बस ट्रिब्यूनल के अन्दर पकड़ ली, पचास हजार की पेनल्टी वह कहां से लायेगा? वह अधिकारी कहेगा, पैसे तो मैं कम नहीं कर सकता, पचास हजार तक की मेरे को पावर है। इसमें ढाई से पचास, माननीय मंत्रीजी, इससे रिश्वतखोरी बढ़ेगी। आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यूं ही बदनाम है और फिर आप उसके हाथ में उस्तरा दे रहे हो। फिर ये बेइमानी करेंगे। इसलिए, माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो ऊटपटांग लगाये गये हैं, इसको रद्द किया जाए। इसमें ढाई से तीन कर सकते हो, चार कर सकते हो। एकदम पचास तक पहुंच गये। इतनी आप उसको मोनोपोली दे रहे हो। वह आर.टी.ओ., ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर, खड़ा होकर कहेगा, ला ढाई, ढाई नहीं तो पचास तक करूंगा, वरना पैसे दे। तो यह रिश्वतखोरी बढ़ेगी, बेइमानी बढ़ेगी। माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के जो अधिकार दिये गये हैं, इन अधिकारों को वापस लिया जाये।

माननीय अध्यक्षजी, साथ ही मेरा निवेदन है कि कल हमने मंत्रीजी से मुलाकात की थी, बाड़मेर में एक बस डिपो बना हुआ है और 7 करोड़ का बना है। म्यूनिसिपेलिटी ने बनाया, नक्शा एप्रूव करके बनाया। डेढ़ साल हो गया, वह डिपो पड़ा है। उसके कोई दरवाजे खोलकर ले जा रहा है, कोई लट्टू, लाइट ले जा रहा है। कोई कुछ कर रहा है। रोडवेज ने कहा, रोडवेज के नक्शे के

(श्री सुखराम विश्नोई)

अनुसार उसको बनाया और 7 करोड़ रुपये नगरपालिका ने लगाये। कल जाकर के हम मंत्रीजी से मिले, मंत्रीजी ने पोजिटिव जवाब दिया। परन्तु ऐसी जो सार्वजनिक चीजें बनती हैं, कम से कम डेढ़ साल का समय लगता है। वह बाड़मेर सिटी जैसे मध्य स्थान के अन्दर कीमती जमीन में, उसी दिन आपको कब्जा लेना चाहिए था, ताकि लोगों को राहत मिलती।

(17.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है अंत के अन्दर, इस एक्ट के लास्ट में जो 41 धारा है, ''41. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति-', ये खुद इस तरह की बात करते हैं, ''(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हो और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।'' दो वर्ष तक इस एक्ट में कोई समस्या आती है, समस्या आज भी आ रही है, दो वर्ष की बात कर रहे हो, आज भी समस्या आ रही है, और अंत में इन्होंने लिखा है, ''इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब ये खुद कह रहे हैं कि इस कानून में त्रुटि है, इसमें कोई कठिनाई पैदा हो, हम बाद में, मतलब, सदन में रखें, तो बाद में रखने की बनिस्बत जन मत जानने के लिए प्रेषित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। आप विस्तार से भी बोलते हो और संक्षेप में भी बोलते हैं। आज संक्षेप में बोलने की स्थिति में बोलना।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बिलकुल संक्षेप में बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 पर चर्चा चल रही है। आपने भी सुना होगा कि कई यूनियन्स इसका विरोध कर रही हैं और बहुत जोरदार विरोध कर रही हैं। मैंने भी उनसे सम्पर्क किया कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो, बात क्या है, इसमें समस्या क्या आ रही है? तो उन लोगों का यह कहना था कि अभी जो

(श्री मदन राठौड़)

बस टर्मिनल्स हैं, अपना सिंधी कैम्प बस स्टैंड, वहां पर बसें आज भी खड़ी नहीं रह सकतीं। यह जो वर्तमान समय की रोडवेज की बसें हैं, उनको सही स्थान पर खड़ा करने के लिए स्थान नहीं है और यह निजी बसों को और वहां पर बुला लेंगे, तो फिर कैसे होगा, क्या स्थिति बनेगी उसकी? मतलब, न तो कोई यात्री आ सकता है।

पहले हम लोग जाते थे तो वहां पर पार्किंग की भी व्यवस्था थी और बहुत अच्छा एक वी.आई.पी. रेस्ट रूम भी बना हुआ था। जहां पर कि कोई भी, वी.आई.पी. का मतलब कोई एम.एल.ए., एम.पी. से नहीं है; जो आपकी डीलक्स बस में जाता है, जो अधिक किराया देकर रोडवेज को लाभ देना चाहता है, वहां पर वह रोडवेज की बस से यात्रा करना चाहता है, उसके लिए बैठने की व्यवस्था वहां पर थी। एयरकंडिशनर्स वहां पर लगे हुए थे, वहां पर टायलेट्स की व्यवस्था भी थी। वहां पर अब यह सब कुछ नहीं है।

वहां, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, आपने तो नहीं देखा लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं कि वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा करके छोड़ दिया है और गड्ढा करके कब से छोडा, मैं सोचता हूं कि लगभग दो-ढाई साल हो गये। ढाई साल से एक बहुत बड़ा गड्ढा करके वहां पर छोड़ा हुआ पड़ा है। वहां पर शायद कोई अंडर-ग्राउंड पार्किंग की कोई व्यवस्था करने की सोच उनकी होगी। कुछ भी नहीं किया, पडा है वहां पर।

अब आप सोचें कि वहां पर जब पहले बसें खड़ी होती थीं, जहां पर पार्किंग होती थी, तो क्या करेगा? कोई भी यात्री कहीं बाहर गाड़ी अपनी पार्किंग करके फिर अन्दर जाएगा और अपना सामान उठाकर, सामान ढोकर अपनी डीलक्स बस में बैठकर यात्रा करेगा। यह उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है और यह वास्तव में यात्रियों की भी समस्या है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि यह हमारी जो व्यवस्था सुधारने का काम अपन जो कर रहे हैं, इसमें सुधारने का नहीं हो रहा है।

दूसरा, अपने टर्मिनल्स की कीमतें तो बढ़ रही हैं; हां, जो बसें हैं उनका डेप्रिशिएशन हो रहा है लेकिन टर्मिनल्स की कीमतें बढ़ रही हैं। अब वहां पर आज निजी बसों को भेजेंगे, वे नोमिनल किराया देंगे और बताया यह जा रहा है कि वहां पर वह होटल्स का निर्माण करेंगे, वहां पर टायलेट्स का निर्माण करेंगे, वहां पर बीमा की सुविधा करेंगे, वहां पर बैंकिंग की सुविधा

(श्री मदन राठौड़)

देंगे। यह सब कुछ वहां देने की बातें की जा रही हैं जबकि वहां पर आज आलरैडी है, इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर पहले से ही थी, अभी तोड़-मरोड़ दिया दो-ढाई साल से। लेकिन यह गलत होगा, एक तो यह उन लोगों का कहना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक साल से।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, करीबन ढाई-तीन साल हो गये। मुझे पता है। मैं एक्स-एम.एल.ए. था, तब भी मैं वहां पर जाया करता था, इसलिए मुझे जानकारी है और कई लोगों ने देखा भी होगा। आप यूं मांड़ना चाहें दूसरे पर, तो ठीक नहीं है। यह बात स्वीकार करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, अपने राजस्थान के हाई कोर्ट ने भी एक निर्देश दिया था कि कोई भी बस टर्मिनल है उससे 200 मीटर दूरी, रेडियस के अन्दर कोई भी निजी बस खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन अब तो आप उसको अन्दर ही घुसा रहे हो। जब अन्दर आप घुसा देंगे तो उनको चिंता होना स्वाभाविक है। उन लोगों का यह कहना था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि यह टर्मिनल का विषय है आज, लेकिन रोडवेज को घाटे में लगातार लाये जाने के षड्यंत्र भी चल रहे थे और क्या चल रहे थे, कोई आज से नहीं चल रहे हैं, कई वर्षों से चल रहे हैं। जैसे एक रोडवेज जा रही है, उसके लिए तो आपने ड्राइवर को पाबंद किया है कि एक लीटर में तुझे 3.40 किलोमीटर का एवरेज देना होगा, यह आपने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि रख-रखाव की प्राब्लम भी होती है। और, जो निजी बसें हैं, जो आप अनुबंध पर ले रहे हैं, उनको आपने छूट दे दी कि 3.25 किलोमीटर का आप एवरेज दो। जब उनसे, अब बल्क में डीजल दिया जाता है, कोई एक-एक लीटर पर नहीं दिया जाता, एक-एक यात्रा पर नहीं दिया जाता है। यह जो निजी बसें अनुबंध पर ले रहे हैं, उनको 562 किलोमीटर आपको पर-डे देना है। अब आप हिसाब लगाएं कि कितना बड़ा लाभ उन अनुबंधित बसों को हो रहा है। वे डीजल उसमें से निकाल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ड्रम्स के ड्रम्स पकड़े गये हैं और यह मैं सोचता हूं कि अखबारों में भी यह बात आई है कि कई ड्रम पकड़े गये उनके यहां। डीजल की उन्होंने बचत की क्योंकि उनको एवरेज 3.25 ही देना है जबकि हमारी बसों को तो 3.40 का बताया हुआ है।

(श्री मदन राठौड़)

इसलिए यह थोड़ा-सा ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप निजी बसों को वहां पर प्रतिबंधित करेंगे तो वे आपकी शर्तों का पालन नहीं करेंगे और शर्तों का पालन नहीं किया तो क्या करेंगे, जैसे अभी वह माननीय सदस्य बता रहे थे, आप दो वर्ष के बाद में कोई न कोई कार्यवाही करेंगे। तो यह ठीक बात नहीं है।

इसी प्रकार से आप, जैसे 40 प्रकार की आप सुविधाएं दे रहे हैं महिलाओं को 30 परसेंट, तो वे लोग देंगे क्या? रोडवेज को देना पड़ रहा है। सीनियर सिटिजन्स को, उनका किराया भी कम करना पड़ रहा है, लेकिन निजी बसों के साथ में क्या होगा, यह आप देख लें। उनको समय की पाबंदी का कैसे करेंगे, यह आप देख लें। आप इस बात को भी मानें, टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने भी माना है कि रोडवेज सर्वाधिक टैक्स देती है। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन सर्वाधिक ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

नहीं, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: शुरू और अंत एक साथ ही हो गया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनें आप। अब इसमें मैं आऊंगा, अभी तक आया नहीं। मैं बाहर ही बाहर घूम रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: इतना ज्यादा समय नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत लम्बा चला था उसमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, एक मिनट। एक मिनट।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): देखिये, इसमें दिया है, 'अधिक्रमण', आपने परिभाषा में दिया है, 'अधिक्रमण'। 'अधिक्रमण' क्या है? 'अधिक्रमण' का जो मैंने शब्द निकाला देखिये, इसमें 'अधिक्रमण' का मतलब होता है सुपर-सेशन। सुपर-सेशन का मतलब होता है- पूर्व आदेश का परिवर्तन; किसी व्यक्ति या संस्था को हटा देना या दबा देना और उसके अधिकार अपने हाथ में लेना या किसी दूसरे को देना। यह होता है 'अधिक्रमण' । अब 'अधिक्रमण' शब्द आप कहां से लाये हो? आप बता सकें तो आप बता दें कि 'अधिक्रमण' का मतलब क्या है? यदि अभी बताना चाहें तो आप अभी बता दें।

श्री अध्यक्षः नहीं, जवाब आएगा, तब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यदि एन्क्रोचमेंट आपका है, तो एन्क्रोचमेंट का मतलब 'अतिक्रमण' होता है, 'अधिक्रमण' कभी भी नहीं होता।

इसी प्रकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो यह बताया 'पूर्णकालिक', 'पूर्णकालिक' का मतलब इन्होंने आगे दिया है- 'तीन वर्ष'। अब तीन वर्ष तक आप उसको रखेंगे और यदि बीच में अनियमितता पाई गयी, तो उसको बीच में हटा नहीं सकेंगे क्या? यह प्रावधान आपने इसमें रखा ही नहीं है।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने यह जो दिया, शब्द प्रयोग कैसे-कैसे कर रहे हैं, अब 'लिखतें', अब 'लिखतें', यह 'लिखतें' कौनसा शब्द है? 'लिखित' होता है। अब 'लिखतें' इन्होंने लिखा है; यह इसमें 9 में आपने प्रारम्भ में ही दिया है- 'लिखतें'।

ठीक इसी प्रकार से 12 में आपने दिया है, निजी बसों के लिए आपने, मतलब, वहां पर किस प्रकार की यह, यह इन्होंने बोल दिया, इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बस, बस। बहुत अच्छा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, वह मैं नहीं करूंगा लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं करूं कि जैसे कोई भी राशि, आप इसमें देखिए 18- जो प्राधिकरण की निधि, इसमें बजट-19 में जो दिया है, 19(2) में – 'कोई भी राशि प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से तब तक खर्च नहीं की जायेगी जब तक कि उसका व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता हो।' तो कम से कम फिर आप एक लाख तक का तो उनके हाथ में देते ताकि वह निर्णय करें, नहीं तो आपसे कब तक, आपसे कब तक अनुमति लेंगे और कब तक यह करेंगे। तो वे बैठे ही रहेंगे क्या?

इसी प्रकार से, यह जो अभी माननीय सदस्य ने बताया था, वह बात भी सामने है कि दो हजार पांच सौ से पचास हजार तक का; यानी पहला कोई उल्लंघन करेगा तो दस हजार रुपये तक की उस पर पेनल्टी एम्पोज करेंगे आप लेकिन दूसरी बार करेंगे तो दो हजार पांच सौ से लेकर पचास हजार के बीच में कहीं भी कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि इस पर भी थोड़ा-सा विचार करना चाहिए।

फिर इसमें अधिकारिता का वर्जन जो दिया है, मतलब, 'यथाउपबंधित के सिवाय, कोई भी अपील किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण को नहीं

(श्री मदन राठौड़)

हो सकेगी', तो किसी भी न्यायालय में क्यों नहीं हो सकेगी? यह आपने क्यों राइडर लगा रखा है?

ऐसे कई बिन्दु हैं। लेकिन थोड़ा-सा आप एक तो वहां पर सुविधाओं का; दूसरा, जो अपने निजी टर्मिनल्स हैं, वहां पर बहुत ज्यादा जगह यदि कहीं पर है, अन्य स्थानों पर, जैसे कई जगह आपकी बेकार पड़ी है, कई आपके टर्मिनल्स में दूसरे कई वर्षों से बैठे हैं, और वे छोड़ नहीं रहे हैं।

आपको यहां पर जयपुर जैसे महानगर में, यदि आप चाहें कि सारी की सारी बसें सिन्धी कैम्प से रवाना हों, मैं सोचता हूं यह ठीक बात नहीं है। दिल्ली की तरफ की बसों को आप दिल्ली की तरफ से करें; बीकानेर की तरफ जाने वाली बसों को वहां से शुरू करें; अजमेर साइड वाली बसों को उस तरफ करें, तो निश्चित रूप से आपके टर्मिनल्स का क्षेत्र भी बढ़ेगा और लोड कम होगा एक स्थान पर।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये। समाप्त कीजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ठीक, साहब। अब आप बिलकुल घंटी पर घंटी बजा रहे हैं, तो मैं तो अनुमति चाहूंगा आपसे कि मैं अपना जन मत वाला जो प्रस्ताव है, वापस लेने की अनुमति चाहूंगा...(व्यवधान) साहब, अभी ले कहां रहा हूं?

श्री अध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा। मुख्य पाइंट आ जाने चाहिये, जिससे कि इनको आगे मार्गदर्शन मिले। इसका उद्देश्य यही है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपसे कहते ही मुख्य रह गये कई।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया समय का ध्यान रखना।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, ज्यादा नहीं लूंगा समय।

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 ला रहे हैं। इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को हमारी जो पूंजी है पिछले 50-60 साल की, उसका उपयोग करने का अधिकार दे रहे हैं। यह सिस्टम जो बना रहे हैं, प्राधिकरण, वगैरह, तो उसकी जो-जो कमियां हैं, वह अलग विषय है, लेकिन इतने वर्षों में रोडवेज के कर्मचारियों ने, सरकार के अनुदान ने, सरकार की देखरेख ने इसको इस मुकाम तक पहुंचाया है और

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

करोड़ों-करोड़ों की पूंजी है, सिन्धी कैम्प को आज बेचेंगे तो आज हजारों करोड़ रुपये मिल सकते हैं, उस पूंजी का उपयोग करने के लिए हम निजी क्षेत्र को बुला रहे हैं। आज भी सिन्धी कैम्प के दरवाजे के बाहर सुबह-शाम प्राइवेट बसें लगी रहती हैं और वे रोडवेज में बैठना चाहते हैं, वह भी 10 रुपये कम करके, क्योंकि उसका कारण क्या है कि कभी भी हमने पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर से कम्पीटिशन नहीं कराया। कभी कम्पीटिशन कराया तो फिर उनको लाभ दिया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज का जो टैक्स है, जो आपके खाते में आता है, क्या उतना पैसा आपको निजी क्षेत्र दे रहा है? जब निजी क्षेत्र नहीं दे रहा और आप आपको लाइसेंस पकड़ा रहे हैं। अभी तक तो वह दरवाजे के बाहर ही सवारी पकड़ते थे, पैसे कम करके, वह अब अन्दर जाकर करेगा। यह अधिकार उसको दे रहे हैं। उसका दुष्परिणाम रोडवेज पर भी आयेगा, सरकार के टैक्स पर भी आयेगा; आज नहीं तो कल आयेगा। क्योंकि फिर मिलीभगत होना शुरू हो जाएगी। पहले जब नेशनलाइज्ड रूट नहीं थे, वहां पर अच्छी डीलक्स बसें, प्राइवेट चलती थीं, लेकिन उसमें भी लेनदेन होता था और यह तो कब हुआ, वरना पहले राजनेता बैठा करते थे चेयरमैन के पद पर। ऐसी स्थिति भी रही रोडवेज की।

लेकिन अब मेरा निवेदन है कि हम एक तो यह मूल्यांकन करें कि जो पैसा लगा है, उसकी बुक वेल्यू पर, तो बुक वेल्यू पर कम से कम उसका मूल्य निकालकर, उसमें कितना पैसा लगा है, उसके ब्याज के रूप में, रोडवेज का कितना रेशो रहेगा वहां से सवारी उठाने में, और कितना निजी बसों का रहेगा, उस तुलना में इन पर टैक्स इम्पोज किया ही जाना चाहिये। बिना उसके नहीं, कि हम केवल इस बात में रह जाएं कि सरकार तो कोई व्यवस्था नहीं कर सकती सब जगह। यह तो गलती पहले हुई है।

1956 के बाद कांग्रेस का एक ही आन्दोलन चला, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। डबल रोटी भी हम बनाएंगे और रोडवेज भी हम चलाएंगे, रेल भी हम चलाएंगे। 1992 में जाकर अवरोध पैदा हुआ। उसके बाद थोड़ी-सी स्थिति सुधरी।

उसमें भी राजस्थान में आज जो सड़कें बनी हैं, निजी क्षेत्र का योगदान है क्या? सड़कों की सुविधा उनको दे रहे हैं हम। एक टाइम में प्रेशर के रूप में, भयंकर प्रेशर के रूप में, वरना 20 रोडवेज की बसें मुंह पर खड़ी रहें

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

और अन्दर की गाड़ी को बाहर नहीं निकलने दें और सवारी को मालूम पड़ जाए कि यह तो डिले हो रहा है, तो प्राइवेट में बैठकर दिल्ली के लिए चल देता है। बड़ी चौपड़ पर देख लो रात को जाकर।

मैं यह चाहता हूं कि सरकारी प्रोपर्टी है, सरकारी सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करते हैं तो इतना तो देना ही चाहिये। सोशल इन्कम है, उसको सामाजिक उत्तरदायित्व में ही मान लें। उस रूप में इनके साथ व्यवहार किया जाए। एक तो मेरा यह सुझाव है।

सरकार प्राधिकरण के समय, अब जब चालू करेगी तो ये सब चीजें पहले तय हो जाएं और पब्लिक में भी प्रसारित किया जाए कि हम यह निर्णय करके इस रूप में पब्लिक सेक्टर-प्राइवेट सेक्टर को चलाना चाहते हैं। क्योंकि वर्षों-वर्षों से कर्मचारी क्यों आन्दोलित हैं? जिन्होंने 30-35 साल से सर्विस की है, पहले उनको हम कर्मचारी ही नहीं मानते थे। उस रूप में भी उनका रहा। तो आज जिनसे वे लड़ते रहे पिछले 10-15 साल से, उनको अधिकारपूर्वक हम अन्दर एन्टर करा रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत यह ध्यान रखा जावे कि private sector must pay. ऐसा नहीं कि जनता की सुविधा के लिए हम रोडवेज को छूट दे रहे हैं, प्राइवेट बसों को दे रहे हैं।

यह जरूरी है कि जितनी प्रोपर्टी सरकार की लगी है, वह सरकार के साथ-साथ समाज की प्रोपर्टी भी है, लेकिन उस प्रोपर्टी में से उनसे कितना हम वसूल कर सकते हैं। जो टैक्स चोरी की बात मैं कर रहा हूं, वह तो वन टाइम लेते हैं। सबने लिख दिया, ट्यूरिस्ट, कोई पकड़ता नहीं है। इस बहाने जाते हैं। देते तो हैं वे, कहीं दूसरी जगह पे करते हैं, व्यक्ति को पे करते हैं। समाज को तो नहीं करते, या राज्य को तो नहीं करते और कहीं पेमेंट करते हैं। इस प्रकार की चीजें कितने दिनों तक चलती रहती हैं? क्या सब जगह ट्यूरिस्ट जाते हैं उन बसों में? यहां से बांसवाड़ा, पूरी बस उनकी; यहां से डूंगरपुर, पूरी बस उनकी; यहां से बाड़मेर, पूरी बस उनकी।

तो केवल इस कारण से ये सुविधाएं तो सरकार ने दी हैं। और था क्या? अटलजी के पहले थे क्या नेशनल हाइवे? स्टेट हाइवेज का इतना डवलपमेंट हुआ था क्या? 50 पैसे का सैस जो जनता पर लगाया, आज भी 35 हजार करोड़ रुपये पड़े हैं उस कोष में। उस कोष से सड़कें बनी हैं, उस कोष से ये हाइवे और स्टेट हाइवे अपग्रेड हुए हैं। तो वह पैसा सोसायटी का ही है। उन पर हम छूट दे रहे हैं। उनसे क्या ले रहे हैं?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

यह भी मूल्यांकन किया जाना चाहिये कि रोडवेज कितना पे कर रही है और प्राइवेट सेक्टर कितना पे कर रहा है एक गाड़ी पर। उसका मूल्यांकन करके फिर कोई न कोई चीज इम्पोज की जाए।

बाकी तकनीकी रूप से, क्योंकि हमारे देश का एक ही दुर्भाग्य रहा, जो कहीं पसन्द नहीं आता सरकारी खजाने में, खांचे में कुछ फिट नहीं आता, उसको रोडवेज में भेज दो। पब्लिक इंटरेस्ट में उनके लिए है। हालांकि पहले तो यह स्थिति थी, यह तो 20 साल में बंद हुई है, वरना हारे हुए नेताओं की शरणस्थली था पब्लिक सेक्टर। जितने एंटरप्रिन्योर्स थे, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः उनके अनुभवों का लाभ लिया जाता था। आगे बोलो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन पहले था, वह अब क्यों बंद किया? आई.ए.एस. पर आश्रित हो गये हम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण कीजिये। विराजिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं एक सुझाव दूंगा।

श्री अध्यक्षः हां, एक सुझाव जल्दी दे दीजिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मेरा यह निवेदन है कि जो बसें हैं, सर्टिफिकेट अभी लेते हैं कि वह कितने साल चलेगी, क्योंकि वह जितने दिन तक चलती है, या ज्यादा उम्र तक चलती है तो फिर वह धुआं छोड़ती है जिसको हमें ही पीना पड़ता है। दिल्ली वालों ने तो बंद कर दिया, हम भी बंद करें। इसलिए एक तो बसों की जो फिटनेस है, उस पर कठोरता होनी चाहिये, प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर की तो हम उतनी ही चला पाते हैं, वरना वह तो घिस जाती है। एक तो यह निवेदन है।

दूसरा, कर्मचारियों की छंटनी नहीं होनी चाहिये। इसके कारण से अगर रोडवेज में बसें कम होंगी, तो छंटनी होगी, तो उनके परिवारों की आत्मा भी रोयेगी, उनकी भी आत्मा रो रही है। और जो वह सुविधा देते थे हमें, उन सुविधाओं में भी कटौती होगी। वे तो वसूल करते हैं, वे तो किसी के कहने से नहीं मानते, कितने ही कानून बना दो। वह तो it must be recovered, आये, चाहे नहीं जाये।

इस कारण से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रोडवेज को कम्पीटिटिव बनाएं। यह अच्छी बात है...

श्री अध्यक्षः बैठिये। दोनों सुझाव आ गये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): लेकिन वह प्राइवेट सेक्टर को पूंजी कमाने की छूट दे दें और रोडवेज बस पर इम्पोज कर दें। कम से कम इसमें ध्यान रखा जाना चाहिये। जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं आप?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सारी। माननीय अध्यक्षजी, मैंने जो जन मत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव किया था, उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्षः पटेलजी और गुंजल साहब ने तो तय कर लिया, कुछ पाइंट आप बोलेंगे, कुछ शायद वे बोलेंगे। यही आप आपस में चर्चा कर रहे थे, पटेल साहब?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना किसी भूमिका के तीन बातें रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः बहुत अच्छे, तीन ही रखना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहला तो यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के द्वारा आप एक काम्पीटेंट आथोरिटी बाडी कारपोरेट बना रहे हैं। बाडी-कारपोरेट वह है जिसकी खुद की सील है, खुद को पावर है, खुद प्रोपर्टी की एक पर्सन है, जनरल क्लाजेज एक्ट में। उसको प्रोपर्टी एक्वायर करने का भी राइट है, प्रोपर्टी डिस्पोज-आफ करने का भी राइट है, प्रोपर्टी होल्ड करने का भी राइट है। आज आपके पास कोई प्रोपर्टी है, ऐसा तो इस एक्ट में मेंशन नहीं है कहीं भी। फ्यूचर में प्रोपर्टी लेने का सेक्शन 14, 15 और 16 में आपने राइट क्लेम किया कि हम प्रोपर्टी गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, प्राइवेट भी ले सकते हैं, प्रोपर्टी को डिस्पोज-आफ भी कर सकते हैं। भविष्य में क्या आप कोई प्रोपर्टी लेकर ऐसा कोई बिजनेस या कोई धंधा या कोई वेलफेयर का काम करना चाहते हैं? वह आपने इसमें लिखा है कि हम बस टर्मिनल पर सुविधाएं देंगे। बस टर्मिनल तो आपका कोई आज है नहीं। राजस्थान में एक भी बस टर्मिनल आपका नहीं है। वह तो या तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, या रोडवेज कारपोरेशन का होगा, या और किसी का होगा। तो पहला जवाब तो आप इतना सा दे दें कि जब आपके पास कोई टर्मिनल है ही नहीं, तो आप डवलपमेंट किसका करेंगे, विकास किसका करेंगे, सुविधा किसको देंगे? एक बात तो यह है।

(श्री जोगाराम पटेल)

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इसमें आपने एन्क्रोचमेंट हटाने के प्रोविजन भी अपने हाथ में लिए हैं और जब आप एन्क्रोचमेंट हटायेंगे, तो जो प्रोपर्टी आज की तारीख में आप होल्ड नहीं कर रहे हैं तो कौनसी प्रोपर्टी से आप एन्क्रोचमेंट हटायेंगे? और एन्क्रोचमेंट हटाने का जुडिशियल पावर आपको, अथोरिटी को, बाडी-कारपोरेट को इस एक्ट में किस तरह से मिलेगा? क्योंकि आपने सिर्फ हटाने के पावर दिये हैं, उसके बाकी कोई प्रोविजन नहीं बताये हैं कि हम उसको नोटिस देंगे, कि उसका टाइटल डिसाइड करेंगे, कि उसको राइट-आफ-अपोर्च्यूनिटी देंगे। तो एक व्यक्ति का जो प्रोपर्टी होल्ड करने का फंडामेंटल राइट है, उस राइट को बिना उसको हीयरिंग दिये, उसके टाइटल को तय किये, उसके हक को तय किये, आप सीधे कैसे हटा देंगे?

तीसरा मेरा निवेदन यह है, अगर आपका उद्देश्य यह ही है कि हमारे ये जो रोडवेज के बस स्टैंड हैं उनका इम्प्रूवमेंट करना है, तो जोधपुर में सात बीघा जमीन मंडी की लेने का कार्य जो है, पिछले पांच वर्षों से आपकी लेने और देने की कार्यवाही चल रही है। मंडी विकसित इसलिए नहीं कर रही है, वह सात बीघा जमीन आपने ले ली, आप ले रहे हैं और आपका रोडवेज डिपो इसलिए डवलप नहीं हो रहा है कि वह मंडी खाली करके नहीं दे रही है, क्योंकि भदवासिया वाली जो प्रोपर्टी अब वह आपकी है, वह आप मंडी को नहीं दे रहे हैं। तो कृपया आप क्लीयर करें कि आखिर आपकी यह बात कब तक चलती रहेगी और कब जाकर आपका यह एपिसोड पूरा होगा कि यह प्रोपर्टी तो मंडी की रहेगी और यह प्रोपर्टी रोडवेज की रहेगी।

रोडवेज की बसों की जो वर्तमान हालत है, क्योंकि यह एक वेलफेयर स्टेट है, आपका काम वेलफेयर का है; पैसा कमाना इतना आपका उद्देश्य नहीं है जितना जनता को सुविधा देना है तो इस एक्ट के बनने के बाद जो आपका वेलफेयर का कांसेप्ट है या जनता की, पब्लिक की, जो सेवा करने का कासेप्ट है, यह कहीं भी आपने इसमें नहीं बताया। आपके ऐम्स एण्ड आब्जेक्ट्स भी देखेंगे, तो उसको होटलें बनाना, मोटलें बनाना, यह सारा काम तो आप करेंगे।

इसलिए तीसरा मेरा जवाब यह दें कि जोधपुर में भदवासिया कृषि उपज मंडी समिति, फल-सब्जी और रोडवेज डिपो को जो आपका गिविंग एण्ड टेकिंग चल रहा है पिछले पांच-छह सालों से, उसका कब तक पूरा हो जाएगा? और वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव के बारे में।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैंने जो जन मत जानने का प्रस्ताव किया है, उसे मैं विथड्रा करने की आपकी अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। आप भी कृपया जो ट्रेंड चल गया, उसके हिसाब से ही बोलें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आज बिलकुल ही शार्ट, स्वीट; आपके आदेशों की पालना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 के लिए मैंने जन मत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की जो मोटी-मोटी स्थिति है राजस्थान रोड़वेज की, वह यह है कि इनके पास में लगभग 4,500 बसे हैं; 16 लाख किलोमीटर रोजाना इनका संचालन होता है; जो हमारे पास में सड़कें हैं उसमें 11-12 परसेंट के लगभग यहां पर राजस्थान रोडवेज की बसें चलती हैं; 10 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं, लाभ उठाते हैं; 52 बस स्टैंड और 92 डिपो हैं, 21 हजार कर्मचारी हैं; और जो हमारी परिसम्पत्तियां हैं 125 के लगभग, उनकी जो डी.एल.सी. रेट, सरकारी दर है, वह तीन और साढ़े तीन हजार करोड़ के लगभग है और अगर हम इसकी मार्केट वेल्यू आंके तो लगभग 30 हजार करोड़ के लगभग इसकी मार्केट वैल्यू है। राजस्थान रोड़वेज के माध्यम से यात्रियों को, प्रदेश की जनता को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह कोई बिजनेस का कार्य नहीं है जिसके माध्यम से हम व्यापार करें, लाभ कमाएं, यह सुविधाओं के लिए बनी हुई है और हम निरन्तर सुविधाएं देते आ रहे हैं। इसकी स्थापना 01.10.1964 को हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, यह मुझे पता लग गया कि इसका प्राधिकरण क्यों बन रहा है? अध्यक्ष महोदय, यह प्राधिकरण इसलिए बन रहा है कि मंत्रीजी और हम एक ही स्कूल में, एक जगह रहे, एक जगह पढ़े ...

श्री अध्यक्ष: यह लिहाज जरूर रखोगे आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और इनको पता था कि गोविन्द सिंह डोटासरा की जन्म तिथि भी 01.10.64 है। इसलिए अब, पता नहीं, क्या इनके दिमाग में आया, वहां से तो मैं जीत कर आ गया लेकिन जन्म तिथि के साथ में जो स्थापना की गयी थी राजस्थान रोड़वेज की, उसके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

साथ में छेड़खानी करने का काम क्यूं कर रहे हैं मंत्रीजी, मेरे समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष: विशेष तौर से जवाब देना इस बात का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विशेष तौर से। अब अध्यक्ष महोदय का आदेश हो गया और आज मेरे पर असीम अनुकंपा, कृपा है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब से आयी है, इस सत्र में हमारे तो कान पक गये, प्राधिकरण, प्राधिकरण। रात को कभी सपने में भी जग जाते हैं तो प्राधिकरण, प्राधिकरण। यह क्या प्राधिकरण हो गया। पहले तीन सत्रों तक तो हम पी पी पी मोड, पी पी पी मोड, मतलब रात में...

श्री अध्यक्ष: आपके सपनों को साकार कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही तो कह रहा हूं न निवेदन। अब ये ही नहीं करेंगे और आपके आदेश से नहीं करेंगे, तो फिर हमारी सुनेगा कौन?

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इनकी जो स्थिति है, केवल पी पी पी मोड और प्राधिकरण। 30 हजार करोड़ रुपये की प्रोपर्टी को केवल 300 करोड़ रुपये, पिछले बजट में घोषणा की थी इन्होंने 300 करोड़ कि पता नहीं कितना देंगे, उसमें यह केवल 82 करोड़ रुपये दे पाये हैं। पिछले बजट में इन्होंने 300 करोड़ रुपये बस पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन को इक्विटी के देने का कहा था, पूर्व बजट में 360 का कहा था, इन्होंने केवल 80 करोड़ रुपये दिये हैं और अब की बार 300 करोड़ रुपये बस पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन को इक्विटी का देकर के हमारे प्रदेश की 30 हजार करोड़ रुपये की प्रोपर्टी प्राइवेट लोगों के हाथ में देने का सौदा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी गम्भीर बात हो नहीं सकती।

आप वाटरवर्क्स को, पूरे को; इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सब का प्राधिकरण; जो हमारी विरासत है उसके संरक्षण के नाम पर उसका भी प्राधिकरण। आज लाये नहीं वरना वह भी पास हो-हुआ जाता। कल नदियों का प्राधिकरण बना रहे थे। यह सरकार कुछ करेगी भी साढ़े तीन साल में, या

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्राधिकरण बनाकर और अपना जिम्मा छुड़ा लेना चाहती है? अपने उससे पिंड छुड़ाना चाहती है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की जनता को मोल नहीं चाहिए, उसको सुविधा चाहिए; अच्छी बस चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए। जो प्राइवेट बस वाले हैं उनकी दादागीरी से तंग आकर के, आज आये दिन झगड़े, आये दिन लूटपाट की घटना, चोरी की घटना। कोई अंकुश है क्या प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर? और जो सरकारी सिस्टम चला आ रहा था, उसको आप प्राइवेट लोगों के हाथ में देना चाह रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने दिया था न, पांच टुकड़े किये थे बिजली बोर्ड के। जब टुकड़े किये 15 हजार करोड़ का घाटा था और 77 हजार करोड़ रुपये का घाटा। क्या कर लिया आपने? हमारी लाभ की आर.एस.एम.एम. लिमिटेड है, जो सबसे ज्यादा लाभ दे रही है, अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान का रतन है, उसको भी डिस्इंवेस्टमेंट के नाम पर दे रहे हो प्राइवेट लोगों को। आप सड़क में टोल माफिया को पनपाने के लिए प्राइवेट में दे रहे हो। किस चीज को छोड़ोगे, यह तो बताओ। किस तरीके का आपका मैनेजमेंट है? क्या करना चाह रहे हो? यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आज स्थिति यह है कि जो रोडवेज के कर्मचारी हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, रोजाना धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं और राजस्थान रोडवेज ने एक नीति निकाल दी इनकी सरकार आने के बाद में, आपकी नहीं, इनकी; क्योंकि अपन तो, आप तो वैसे ही सर्वदलीय हैं, कोई दल नहीं है ...

श्री अध्यक्षः दोनों तरफ हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो कर्मचारियों को जब तनख्वाह नहीं मिली, तो कहा, जो बस रूट पर चल करके ठीक आमदनी लायेगा, उसको हम पहले तनख्वाह देंगे। यह कोई देखा है क्या कभी? (व्यवधान) आप विराज जाओ, विराज जाओ। आज मैं खड़ा नहीं हुआ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपने कहा, अपनी सरकार। अपनी कैसे हुई? आप दोनों की तो कैसे हो सकती है? यह तो सर्वव्यापी है।

श्री अध्यक्षः वे यील्ड नहीं कर रहे हैं। जोगारामजी, वे यील्ड नहीं कर रहे हैं, आप विराज जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज स्थिति यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कतार में लग करके राजस्थान के रोडवेज के कर्मचारियों को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तनख्वाह लेनी पड़ती है, कतार में लगकर, जैसे कहीं राशन की दुकान पर कतार लगती है न। यह नशा, जो डोडा पोस्त और अमल लेते हैं, ये भी आजकल डेढ़ साल से कतार में लगकर लेने लग गये हैं। यह स्थिति है। उसी तरह राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को कतार में लग करके तनख्वाह लेनी पड़ रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह शोचनीय विषय है हम सबके लिए, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो। हम हमारी उस जनता को जिसने हमें जिताकर इस सदन में भेजा है, सरकार बनाने का मौका दिया है, उसके प्रति हमारी जवाबदारी है कि हम उन्हें किस प्रकार से सुविधाएं प्रदान करें।

अफसरों की कोई कमी नहीं है। कार्य ठीक करने वाले अफसर भी हैं, ईमानदार अफसर भी हैं। मौजूदा जो प्रशासन है राजस्थान रोडवेज का, मैं समझता हूं, वह बहुत अच्छा प्रशासन है, जहां तक मेरी जानकारी है। आप उसको मौका दीजिए, उसको पैसा दीजिए, बजट दीजिए, नयी बसें खरीदिये। उसके बाद में देखिये।

हुआ था न मध्य प्रदेश में, दिया था प्राइवेट को, आज वहां पूरा का पूरा मध्य प्रदेश रोडवेज का सिस्टम खतम हो चुका है। पूरी की पूरी प्रोपर्टी प्राइवेट माफियाओं के हाथ में चली गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इस तरह का आप कर रहे हैं, वह ठीक नहीं कर रहे हैं। आज धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। जो इनको करना था, वह किया नहीं। इच्छा शक्ति नहीं है, या करना नहीं चाहते, मैं नहीं कह सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सिंधी कैंप बस अड्डे के चारों तरफ 300 बसें लगती हैं और सवा सौ से अधिक वहां पर दुकानें खुली हुई हैं ट्रैवल एजेंटों की। मंत्री महोदय को पता भी है, मंत्री महोदय ने निरीक्षण भी किया, कोशिश भी की लेकिन या तो कोशिश इनकी चली नहीं, या फिर इनमें इच्छाशक्ति मजबूत नहीं थी कि क्यों प्राइवेट लोगों पर हाथ डालें। दिसम्बर के महीने में बार-बार गये, चेष्टा की, आर टी ओ को भेजा। सारा सिस्टम फेल हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राधिकरण बनते ही ये सारे कहां चले जायेंगे? अगर उनको आपने परमिट नहीं दिया, जो बाहर लगाते हैं, मेरा दावा है मंत्रीजी को कि एक भी बस वाला घर नहीं बैठेगा, अपनी बस नहीं बेचेगा। आपको या तो उनको परमिट देना पड़ेगा, जनता के साथ लूट के लिए खुली छूट देनी पड़ेगी, अन्यथा वे वही बसें चलेंगी। आप कुछ भी उनका कर नहीं सकते।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मानवीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का और है। आज तो मैं ज्यादा बोल ही नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: इतना बोल लिए, फिर भी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 2,400 करोड़ रुपये के लगभग का घाटा है।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट और बोल लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट और बोल लेता हूं। आज तो मेहरबानी है आपकी।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर मंत्रीजी तो आज जवाब दे ही देंगे न।

श्री अध्यक्ष: अभी देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज एक भी सामाजिक संगठन का, एक भी जन-प्रतिनिधि का, एक भी एन जी ओ का, एक भी व्यापारी का, एक भी यात्री का कहीं से यह प्रस्ताव नहीं आया, किसी कर्मचारी का एक भी प्रस्ताव नहीं आया कि इसको इस तरह से प्राधिकरण बना दो। यह सोच कहां से डवलप हुई? यह सोच, वह जो माफिया लोग हैं, जो सरकार से अन्यथा लाभ लेना चाहते हैं। उन्होंने एक आइडिया फिट कर दिया। इस तरीके से 3 हजार करोड़ रुपये का सिस्टम है, डी एल सी रेट से ज्यादा आप ले नहीं सकते, वह पूरा प्राधिकरण में चला जायेगा 30 हजार करोड़ का मामला। उसके बाद में थोड़ा-बहुत रंग-रोगन करेंगे, शौचालय वगैरह थोड़े-बहुत बनायेंगे। अपना एक बड़ा-सा होटल स्थापित कर लेंगे। आये दिन लोगों का शोषण करने के अलावा इनके पास काम नहीं बचेगा।

इसलिए मेहरबानी करिये। माननीय मंत्री महोदय, आप इसको बचाइये, आपको इतिहास याद रखेगा। इस सरकार को प्राधिकरण सरकार मत बनाइये, सरकार को सरकार रहने दीजिये।

जब आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवेज के पास इतनी सम्पत्तियां हैं, 21 हजार कर्मचारी हैं। आपने आने के बाद में अघोषित रोक लगा दी कि राजस्थान रोडवेज ऋण नहीं ले सकता, राजस्थान रोडवेज नई बस नहीं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खरीद सकता, राजस्थान रोडवेज कोई काम नहीं कर सकता। भर्ती नहीं करे, बस नहीं ले, फिर क्या करेगा? उसको घुट-घुटकर मरने के लिए, इस षड्यंत्र से प्राधिकरण बनाकर के इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, उसको धूमिल करने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाये। लोगों की राय ली जाए; एन जी ओ से राय ली जाए; जनता से राय ली जाए। उसके बाद में यह राजस्थान रोडवेज किस प्रकार से और अच्छी तरीके से सेवाएं दे सके। यह सेवा है, यह कोई व्यापार नहीं है। आप तो फिर रेल को भी बंद कर दोगे कि रेल भी इस तरीके से है।

श्री अध्यक्ष: विराजो। विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, अंत में आपका धन्यवाद देते हुए, आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगा कि यह इस प्रकार से राजस्थान की जनता के साथ में जो आप घोर अन्याय करना चाहे रहे हैं, वह नहीं करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: विराजें। गुंजल साहब बड़े मुस्कराहट से बोल रहे हैं। आपने पाइंट बोल लिये और बाकी के वे बोल लेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा टाइम ही इनको दे दो।

श्री अध्यक्ष: आपका टाइम क्या? आपका टाइम ले लिया आपने।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा टाइम मैंने उनको दिया है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा। उतना ही टाइम उनको लेना है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 आज सदन में विचारार्थ है और पारित होने के बाद कानून की शक्ल में आ जायेगा। मैं बिन्दुवार बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा करेंगे। समझ में भी आ जायेगा उनको।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 (छ) में आप जायेंगे तो ''सुविधा' के अन्तर्गत अधिसूचित बस टर्मिनलों के उपयोक्ताओं के लिए होटल, मोटल, रेस्तरां, सेवा केन्द्र, अस्पताल, खरीददारी संकुल, कार्यालय संकुल, भंडारण सुविधाएं, संभार तंत्र केन्द्र, मनोरंजन संकुल और

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अन्य सेवाएं और सुविधाएं' मैं समझता हूं कि अगर राजस्थान की सरकार प्राधिकरण बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ रही है और इतनी सारी सुविधाएं हमारे किसी एक बस अड्डे पर हो जायेंगी तो हिन्दुस्तान की बड़ी से बड़ी एयरपोर्ट अथोरिटी का जो हवाई अड्डा है, वह भी हमारे बस अड्डे के सामने मात खा जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, धारा 4 में जो प्राधिकरण का गठन किया है और 12 में जो बेचान की शक्तियां दी हैं, वे पूछ रहे थे कि आपकी प्रोपर्टी क्या हैं? प्राधिकरण के गठन के पहले ही अध्याय 2 के सेक्शन 3 में, 'बस टर्मिनलों की अधिसूचना, राज्य सरकार उसमें निहित किसी भी बस टर्मिनल को उसके परिसर विनिर्दिष्ट करते हुए उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचित कर सकेगी', यानी सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी। आज की तारीख में जो राजस्थान रोडवेज की मौजूदा तमाम प्रोपर्टी है, वह उस प्राधिकरण में निहित हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्राधिकरण का गठन किया है, अभी प्राधिकरण के गठन की चर्चा भी नहीं आई; प्राधिकरण गठित होगा, धारा 4 (1) में, ''राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र राजपत्र में अधिसूचना, जो भी, प्राधिकरण गठित करेगी''। आप 4 (2) पढ़ लें, अगर प्राधिकरण की शक्तियों में, प्राधिकरण के कामों में खरीदने, बेचने का उल्लेख होता तो समझ में आता है। प्राधिकरण के गठन में ही बैकडोर से इसको डाल देना, ''यह प्राधिकरण शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला पूर्वोक्त नाम का, निगमित निकाय होगा जिसमें इस अधिनियम के उप बंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्तियों का अर्जन...'' यह तो हर उसमें आता है, ''धारण और व्ययन करने...'' यानी बेचने का रास्ता बन गया। ''...और संविदा करने की शक्ति होगी'।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 'संविदा' की बात पर तो मेरे समझ में आता है। सरकार पी पी पी मोड पर जा रही है, किसी बड़े उद्योगपति के साथ पब्लिक-प्राइवेट-पाटर्नरशिप के आधार पर बस अड्डों की हालत सुधारें, यह समझ में आता है, विकासवादी सोच हो सकती है; सारी की सारी दुनिया में पी पी पी मोड का ट्रेंड चल रहा है, विकसित देशों में भी यह ट्रेंड चल रहा है,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हमारे आज बस अड्डों पर ढंग के पेशाब घर नहीं हैं। लेकिन मैं यह बात कह रहा हूं, 12(3), बाकी तो इन्होंने कौन अध्यक्ष होगा, यह तय कर दिया, प्राधिकरण में कौन-कौन होंगे, पूर्णकालिक सदस्य और उसमें होटल, रेस्तरां तक के व्यक्ति होंगे, व्यावसायिक व्यक्ति भी होंगे; इनका चयन करेंगी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 4 सेक्रेटरीज की कमेटी।

आपके सेक्शन 12(3) में, इस प्राधिकरण के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन या तो स्वयं करेगा या रियायतग्राही अन्य एजेंसी के माध्यम से करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि प्राधिकरण बनाएंगे और प्राधिकरण में सरकारी अधिकारी होंगे, नोमिनी व्यक्ति होंगे और रियायतग्राही, जिसको खास तौर से रियायतग्राही कहा गया है यह वह व्यक्ति है जो पी पी पी मोड पर पैसा लगाने के लिए आएगा। आप उसको 12(3) में प्रिविलेज दे रहे हैं, प्राधिकरण इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन या तो स्वयं करेगा, या रियायतग्राही से या किसी भी व्यक्ति से आप बस अड्डों को छोड़ देंगे, आपका हस्तक्षेप खतम हो जाएगा कि आप सम्भालो, आपने पैसा लगाया, आप संभालो। उसके माध्यम से आप संचालित करेंगे।

मंत्रीजी की मंशा ठीक है, सरकार की मंशा ठीक है, बस अड्डों की स्थिति और यात्रियों को सुविधा और सम्पूर्ण प्रकार से इसके विकास के लिए यह बिल लेकर आना चाहती है, क्या गारंटी है? दस साल बाद इस प्रदेश में दूसरी सरकार आएगी और वह इस प्राधिकरण के रियायतग्राही हैं, सम्पूर्ण व्यवस्था को उनके हाथों में सौंप देगी और राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा-सा महसूस करेगी। एक दिन इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इन सारी परिस्थितियों के होने के बाद भी, 14, 15 और 16(1) का परन्तुक, 16(1) के परंतुक में 14, 15 में इन्होंने भूमि अर्जन का अधिकार ले लिया। अगर आप बस अड्डों की भूमि इनको दे रहे हैं, रियायतग्राही आ गया; 16(3) में आप कह रहे हैं, स्थायी स्थावर सम्पत्तियों के अर्जन और विक्रय; माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राधिकरण में देने के बाद यह तय कर दिया कि जयपुर की आबादी बढ़ गई, यहां तीन सौ बसें नहीं आ सकतीं, दूसरी जगह अपना प्राधिकरण अड्डा तय कर देगी, एक लाख रुपया वर्ग फीट का भाव है सिन्धी कैम्प का। आप तय करें कि वर्तमान में जो मौजूदा सम्पत्तियां हैं राजस्थान रोडवेज की,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्राधिकरण के गठन के बाद सारी सूचना धारा 3 के तहत जो उसमें समाहित होगी, उन प्रोपर्टियों को बेचने का अधिकार प्राधिकरण के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगा। यह उल्लेख इसमें कर दें। प्राधिकरण अपनी नई प्रोपर्टी जनरेट करती, नई प्रोपर्टी खरीदती, अधिग्रहित करती, आपने अधिग्रहण का भी प्रोविजन रख दिया। अगर उसके बाद उसको बेचती तो बात समझ में आती है। यह राजस्थान की रोडवेज की प्रोपर्टियां इस राजस्थान की जनता की प्रोपर्टी है इसका कोई व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता। सरकार मालिक नहीं हो सकती। सरकार जिस जनता ने बनाई है, कानून बनाकर उस प्रोपर्टी को बेचने का मालिकाना अधिकार यदि किसी रियायतग्राही को दे दें, जिसको आप 12(3) में ताकतवर बना रहे हों; सम्पूर्ण प्राधिकरण की सारी की सारी गतिविधियां संचालित करने का अधिकार किसी रियायतग्राही को भी हो सकता है। आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धारा 25 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आज चले जाएं आप, आपने कभी बस से भी यात्राएं की होंगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंधी कैम्प में पचासों दुकानदार हैं। कोटा के बस स्टैण्ड पर उतरते ही कभी भंवरलालजी शर्मा, कभी यहां मंत्री रहे थे, मंत्री रहते हुए भी बस से आ जाते थे और उतरकर बस स्टैण्ड पर चाय पीते थे। तो जब से बस अड्डा स्थापित हुआ, वहां पर कोई टीनेंट, किरायेदार बस अड्डे पर चाय की दुकान लगाकर बैठा है। इस अधिग्रहण के, वैसे तो एन्क्रोचमेंट है लेकिन इस 25 में उसको डिफाइन किया है आपने 'अतिक्रमण'। और अतिक्रमण आप इस कानून से शक्तियां लेकर, अपने आप, बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के, जो तीस-तीस, चालीस-चालीस साल से अपना लीगल अधिकार लेकर किरायेनामे का वहां बैठा हुआ है, उसको किसी प्रकार का प्रिविलेज दिए बगैर क्लाज तय कर दिया। पुलिस को भी मजबूरन इनको सहायता देनी पड़ेगी, इसमें आगे लिखा है, कहीं, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य। कोर्ट की डिक्री आये या नहीं आये, धारा 36 इस एक्ट की कहेगी कि आपका कोई प्राधिकरण का व्यक्ति जाएगा, धारा 36 में लिख दिया है कि हमको पुलिस की मदद दीजिए, और वह पुलिस का अधिकारी जाएगा। धारा 36 में लिख दिया। किसी कोर्ट की डिक्री की जरूरत नहीं है। डण्डा लेकर जाएगा। पचासों सालों से लोग अपने बच्चे पाल रहे हैं, एकदम से कोई बड़ा पूंजीपति आएगा और अपनी तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा करेगा। कोढ़ में खाज इस बात का कि जो गरीब आदमी पेट पाल रहा है, वह तो कोढ़ की तरह से नजर आएगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी चीजों के बहुत ठीक होते हुए भी, सरकार की मंशा ठीक होते हुए भी, मेरा यह मानना है कि इसमें कम से कम यह क्लाज डाल दिया जाता कि वर्तमान की मौजूदा राजस्थान रोडवेज की तमाम परिसम्पत्तियां इस अधिग्रहण के अध्यधीन किसी भी कानून के रहते बेचने का अधिकार किसी को नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि आपकी पवित्र मंशा की राजस्थान की जनता वाहवाही करती। अगर यह क्लाज नहीं है तो, मंत्रीजी, आप ठीक हैं, आपकी मंशा ठीक है, आपके बाद जो मंत्री और सरकार आने वाली है, इस जनता की प्रोपर्टीज को बेचेगी और....

श्री अध्यक्षः यह भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं आप? आने वाली, यह कैसे कर रहे हैं?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): दस-बीस साल बाद कोई सरकार आएगी, उसकी मंशा पवित्र होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो रियायतग्राही, जो आज पी पी पी मोड पर मालिक बनकर बैठा है उस समय जमीन बेचकर एक बड़ा भारी कारोबारी बन जाएगा, उद्योगपति बन जाएगा।

मैं समझता हूं कि इस पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। कानून बनाते समय, इसके उप-नियम बनाते समय, आप तय करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद। मैं जन मत जानने का प्रस्ताव वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 पर विचार हो रहा है और मैंने भी मेरा एक संशोधन दिया था जन मत जानने के लिए। उसी सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

1964 से लेकर आज तक रोडवेज ने जितने बस अड्डे बनाये, वह पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से बनाये, आम जनता के टैक्स के पैसों से बनाये। आप आज जो बस टर्मिनल प्राधिकरण बिल लाये हैं, इसमें जो बस अड्डे आएंगे उसमें से 95 परसेंट बस अड्डे वे हैं जो सरकारी हैं। उसके अलावा, थोड़े बहुत वे हो सकते हैं जो किसी दानदाता ने बनाये हों, या जन सहयोग से नगरपालिका ने बनाये हों। ये बस अड्डे उस बेशकीमती जगह पर हैं, जहां स्थित हैं, वह शहर की सबसे बेशकीमती जगह है। इन बस अड्डों में पहले से

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

ही बहुत ज्यादा कंजेशन है और अब जो इस विधेयक का उद्देश्य बताया गया है कि हम होटल विकसित करेंगे, हम बीमा क्षेत्र को देंगे, हम बैंक को देंगे, हम माल बनाएंगे, हम और कामर्शियल एक्टिविटीज इनमें डवलप करेंगे प्राधिकरण के माध्यम से; माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पब्लिक एक्सचेकर से जो बस अड्डे बने हैं उनको आप निजी हाथों में देने जा रहे हैं।

अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि प्राधिकरण के पास अपनी कोई सम्पत्ति तो है ही नहीं, इस एक्ट में सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि एक नोटिफिकेशन से जो रोडवेज के सारे बस अड्डे हैं वह सारी उनकी सम्पत्ति हो जाएगी। आपने एक तरफ तो रोडवेज को एक आदेश से डिनेशनलाइज कर दिया और दूसरी तरफ ये बस अड्डे जो इस प्रदेश की जनता की धरोहर थे, जनता की सुविधा के लिए थे, उनको आप प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। प्राइवेट हाथों में भी उन लोगों को देने जा रहे हो, जो सुविधा के लिए इनको विकसित नहीं करेंगे, इनमें कामर्शियल एक्टिविटीज चालू करेंगे।

आप सिंधी कैम्प का ही उदाहरण लें। आज वहां यह स्थिति है कि रोडवेज की बस खड़ी होने के लिए ही जगह नहीं है आप उन लोगों को उस बस अड्डे में खड़ा करने के लिए स्थान देने जा रहे हैं जो रोडवेज के सामने खड़े होकर रोडवेज से प्रतिस्पर्द्धा नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि लूट के सवारियां रोडवेज से ले जाते हैं। उनको आप लीगलाइज कर रहे हैं। उस बस अड्डे के अन्दर घुस कर, जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, राज्य सरकार का उपक्रम है, उससे सवारियां छीनकर ले जाएंगे।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बस अड्डे में आप दूसरी एक्टिविटी शुरू करेंगे, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रभाव यात्रियों पर पड़ेगा। उनके लिए स्पेस कम होगा।

मंशा इसकी यह लग रही है कि जो रोडवेज की सम्पत्ति बस अड्डों के मार्फत है उसको येन-केन-प्रकारेण किसी भी तरह निजी या प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। इसकी आपने पुख्ता व्यवस्था, माननीय मंत्रीजी, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बताना चाहूंगा कि धारा 14, 15, 16 में कर दी है इसमें। इस प्राधिकरण को आपने यहां तक शक्ति दे दी है कि वहां पर पहले से कुछ लोगों को, मान लो, कुछ शरणार्थी आये थे, या कोई और आये थे,

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

उनको आपने दुकानें आबंटित कीं और अब आप उनको अतिक्रमी मानकर वहां से हटाएंगे क्योंकि आपको तो सारा निजी क्षेत्र को देना है; वह व्यक्ति, जो कह रहे हैं, जिसको आपने इसमें मेम्बर भी रखा है कि जो पैसे लगाएगा वह भी प्राधिकरण में मेम्बर रहेगा। आप उसको थाली में परोसकर वे सब चीजें देने जा रहे हैं।

बहुत लम्बे समय तक, चाहे आदरणीय सुखाड़ियाजी की सरकार रही, माथुर साहब की रही, जोशी जी की रही, सम्माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार रही, वसुन्धरा जी की भी अब से पहले रही, अशोकजी गहलोत साहब की रही, जितनी सरकारें रहीं, उन्होंने घाटा उठाकर भी रोडवेज को चलाने की कोशिश की।

अध्यक्ष महोदय, रोडवेज न केवल बस सर्विस है, बल्कि वह हमारी समाज के प्रति एक अब्लिगेशन भी है। उसमें जो उद्देश्य दिखाये गये थे कि वह साफ-सुथरी बसें देंगे, आपको नियत समय पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस सदन में सरकार ने कई बार घोषणा की है कि हम 30 परसेंट कंसेशन बुजुर्गों को देंगे, महिलाओं को देंगे, विकलांगों को देंगे, क्या निजी क्षेत्र के लोग आपके उन वर्डस का आनर करेंगे?

इस तरह की व्यवस्था जो आप आज करने जा रहे हैं, यह ठीक है, हमारे मंत्रियों में होड़ लगी हुई है प्राधिकरणों के बिल लाने की। पहले झील प्राधिकरण बिल आया, फिर दूसरे मंत्रीजी लाये, फिर तीसरे लाये। अब हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब भी यह प्राधिकरण लेकर आ गये। प्राधिकरण आप लाएं, अच्छे उद्देश्य के लिए लाएं, तब तो ठीक है, लेकिन आप कुछ व्यक्ति विशेष को ओब्लाइज करना चाहते हैं।

आपका पी पी पी मोड, जो आप सड़कों में ला रहे थे, उसकी क्या स्थिति हुई है। आप उससे थोड़ा सबक लेते। उससे तो आपने सबक लिया नहीं और जो बहुत अच्छी पब्लिक अण्डरटेकिंग चल रही थी, रोडवेज का घाटा है तो उसमें बस अड्डों का क्या दोष है? बस अड्डे तो आम आदमी की सुविधा के लिए हैं। आप उनमें यात्रियों को सुविधाएं दें, अच्छी बस मिले, खड़े होने के लिए उनको सुविधा मिले। आप तो उनसे मुकाबला करने लग गये कि भारत सरकार ने दो-तीन एयरपोर्ट प्राइवेट लोगों को दे दिये। वह धनाढ्य लोगों का काम था, उसमें धनाढ्य लोग यूज करते हैं। उसमें बहुत सारा पैसा भी चाहिए। ये आपके बस अड्डे तो विकसित थे। आप इसको और अपने स्टेट एक्सचेकर से, या कुछ और लेवी लगाकर, इनको सुधार सकते थे।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आपकी बसें बीकानेर हाउस से चलती हैं। क्या वह भी आप प्राधिकरण को देकर निजी हाथों में दे देंगे?

इस तरह का काम आप करने जा रहे हैं, यह बिलकुल राजस्थान की जनता के हित में नहीं है, रोडवेज के हित में नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हित में नहीं है। एक तरफ तो आपने रोडवेज को डिनेशनलाइज कर दिया, दूसरी तरफ उसकी सम्पत्ति को भी अब आप खुर्द-बुर्द करने जा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले, हमने पढ़ा है कि आप रोडवेज के मुख्यालय तक को बेचने जा रहे हैं। इतने लम्बे समय से परिसम्पत्तियां बनी थीं, उनको आप यों ही खुर्द-बुर्द करते रहेंगे, या पब्लिक ने अपने खून-पसीने का पैसा लगाकर जनता के हित के लिए क्रिएट किया था? यह तो कोई कारण नहीं कि आप बाई वन-स्ट्रोक-आफ पेन उनको कर दें। आप विधेयक ले आए और एक ही नोटिफिकेशन से सारी सम्पत्तियां उस प्राधिकरण को दे देंगे।

उसके बाद प्राधिकरण को आपने अधिकार दे दिया कि वह प्राइवेट आदमी या किसी से कांट्रेक्ट कर सकता है। वे कांट्रेक्ट करेंगे, उस पर माल बनेंगे, उस पर होटल बनेगा, उस पर बैंक बनेगा, उस पर आप और कई एक्टीविटीज को चलाएंगे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जनता के लिए जो बस अड्डे बने थे, इसके उद्देश्य में तो यह कह रहे हैं कि हम जनता की सुविधाओं के लिए यह प्राधिकरण गठित करने जा रहे हैं ताकि जनता को और अधिक अच्छी सुविधाएं मिल सकें, लेकिन प्राधिकरण का उद्देश्य, जहां तक हम समझ पाये हैं, वह यह है कि रोडवेज को अपनी मौत मरने दिया जाय और जो पब्लिक के एक्सचेकर से बस अड्डे बने थे उनको निजी हाथों में दिया जाय और निजी लोग उन पर अपनी कमाई करें।

अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरा जो प्रस्ताव रखा था जन मत जानने का, उसे प्रस्तुत करता हूं।

आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना। मुकदमे के स्ट्रांगेस्ट पाइंट जो होते हैं, माननीय वकील साहब, मुकदमे के स्ट्रांगेस्ट पाइंट रखिए आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्षजी, बात तो संक्षेप में ही कही जाएगी और कोशिश यह भी की जाएगी कि जो बात कही जा चुकी है, उसको रिपीट भी न किया जाय।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की चर्चा के साथ ही धारा 3 व 4 की चर्चा हो गयी। एक ही विज्ञप्ति धारा 3 में जो जारी की जाएगी, वह राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। उस विज्ञप्ति के द्वारा राज्य सरकार उसमें निहित किसी भी बस टर्मिनल को उसके परिसर निर्दिष्ट करते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित कर सकेगी। इसके सब-सेक्शन (2) में लिखा है कि जो भी अधिसूचना निकलेगी, उसके साथ ही उसकी सारी सम्पत्ति प्राधिकरण में निहित हो जाएगी। धारा 3(2) तक तो प्राधिकरण का जन्म ही नहीं है, जन्म तो 4 में हों रहा है। आप एंश्योर करना चाहते हैं कि वे सब सम्पत्तियां प्राधिकरण की हो और धारा 4 में आप उसको जारी कर देंगे। वह एकाध दिन का आगे-पीछे भी नहीं होगा, आप बिलकुल ध्यान से सही समय पर भी जारी कर देंगे।

प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सम्पत्ति आज भी राज्य सरकार की है, अभी वह रोडवेज के पास है। रोडवेज के पास जो 92 बस टर्मिनल्स हैं राजस्थान में, उनकी डी एल सी रेट से कीमत करायी गयी है 2,900 कुछ करोड़, 3 हजार डी एल सी रेट है। उसकी कीमत मार्केट वेल्यू में कम से कम पांच गुनी मानी है। जयपुर जैसे बस अड्डे की जो 481 करोड़ की कीमत दर्शायी गयी है, उसको तो आप बिलकुल अकेले ही 15 गुना मानिए और 6 हजार करोड़ की मानिए।

प्रश्न सम्पत्ति की वेल्यूएशन का नहीं है। आप जिस बस टर्मिनल को ला रहे हैं उसके परपज क्या हैं? उसके जो अधिकार आपने धारा 12 में दिये हैं, उस धारा 12 में चर्चा हो गई है कि इसमें डाकखाने बनेंगे, धन विनिमय होगा, बैंक खुलेगा, बैंककारी सेवाएं आएगी, बीमा आएगी, दूरभाष सुविधाएं आएंगी और होटल बनेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं या साधारण आदमी बस में ट्रैवल करता है तो वह डाकखाने की जरूरत को नहीं देखता है, न वह बैंक की जरूरत को देखता है। वह वहां लेन-देन करने नहीं जाता है, न वह होटल में विश्राम करने जाता है, न वहां यात्री बनकर रहने के लिए जाता। उसको तो यह है कि उसकी बस साफ-सुथरी हो, उसका बस अड्डा साफ-सुथरा हो, उसको चाय चाहिए तो चाय का होटल हो, काफी चाहिए तो काफी की व्यवस्था हो और शुद्ध पानी मिले, ठण्डा पानी मिले, क्योंकि हमारे यहां गर्मी ज्यादा रहती है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपने जो बस टर्मिनल बनाया, उसका मुख्य उद्देश्य यह बताया कि राज्य परिवहन उपक्रमों और प्राइवेट बस प्रचालकों द्वारा बसों के चलाये जाने को कारगर और सुकर बनाना प्राधिकरण का कार्य होगा। आप तो दोनों एक ही बस टर्मिनल पर, राजकीय बसें यानी रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें दोनों का संचालन वहां से करना चाहते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि आपने अपील करने की जो शक्तियां दी हैं धारा 31 में, गौर फरमाएंगे, ''इस अधिनियम के अधीन किसी भी अधिकारी के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश की संसूचना से साठ दिन के भीतर, यदि ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ है तो प्रभारी सचिव, परिवहन विभाग को और यदि ऐसा अधिकारी प्राधिकरण के अधीनस्थ है तो प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।'' आपने एक विनिश्चय किया, प्राइवेट बस आनर्स को कहा कि आपको तो यहां आना पड़ेगा और यहां की समय-सारणी के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपको कौनसा अधिकार है, इस प्राधिकरण को, जो ऐसा नोटिस जारी करे? यदि परिवहन विभाग भी ऐसा नोटिस जारी करता है तो आपके यहां अपील का प्रावधान आपने किया ही है। यदि प्राधिकरण कोई ऐसा आर्डर करता है तो उसका भी प्राधिकरण के अधीनस्थ यदि आर्डर हुआ है तो प्राधिकरण को अपील जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक एस टी ए के पावर और आर टी ओ के पावर, माननीय मंत्री महोदय, इस प्राधिकरण बस टर्मिनल अथोरिटी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, तब तक कोई पाबन्दी किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की नहीं है कि वह अपनी बस को आपकी लाइन में लगाये।

(18.00 बजे)

आज मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि लाइन में वह लगा भी दे, आपका रोडवेज का भाड़ा तो रोडवेज द्वारा निर्धारित है और उसका भाड़ा अपनी सुविधा से है, जब तक एक बस टर्मिनल में दोनों तरह की बसों में एक ही प्रकार का भाड़ा एक-एक गन्तव्य स्थान का नहीं है और प्राइवेट बस का भाड़ा कम है, तो उसको कहने में क्या दिक्कत है कि 10 मिनट बाद चलना, मैं तो 20 रुपये कम लूंगा, 25 रुपये कम लूंगा? माननीय अध्यक्षजी, 60 किलोमीटर की यात्रा यदि रोडवेज में करनी है तो उसका किराया तो 42 रुपया है ही, 50 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर 4 रुपये तो उसको बीमा का और 3

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रुपया मानव संसाधन का, 7 रुपये देने पड़ते हैं। आप तो यह 7 रुपये लिए बिना बस में बिठा भी नहीं सकते। इस 7 रुपये को जब तक आप खतम नहीं करते हैं तब तक कोई पैरिटी दोनों के भाड़ों में, दोनों के चार्जेज में, बस यात्रा की टिकिट में हो नहीं सकती। मेरा निवेदन यह है कि जब तक प्राइवेट बस आनर और रोडवेज की बस के भाड़ों में एकरूपता नहीं होगी, तब तक क्यों कोई यात्री, जब उसी शानदार बस टर्मिनल से यात्रा करनी है तो 10 मिनट बाद यात्रा करके 25 रुपये क्यों न बचाये, 20 रुपये क्यों न बचाये? जबकि उसको मालूम ही है कि 10 मिनट बाद फ्रिक्वेंसी है, अभी तो रोडवेज लग रही है और फिर प्राइवेट लगेगी। अभी तो आपने घोषित भी नहीं किया है कि आप रोडवेज को 60 परसेंट देंगे या 40 परसेंट उसको देंगे, पर मैं यह मान लेता हूं कि चलो, फिफ्टी-फिफ्टी तो होगा ही। तो कुल मिलाकर जब तक टैरिफ में कोई एकरूपता नहीं है और किराया आपके बस टर्मिनल अथोरिटी के द्वारा ही टिकिट जारी नहीं किये जाते, तब तक रोडवेज टिकिट जारी करेगा, प्राइवेट बस आपरेटर अपनी टिकिट जारी करेगा।

आपकी जो बस टर्मिनल अथोरिटी है, वह तो जैसा आपने 12 के सब-सेक्शन (2) के (ख) में लिखा है कि "राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन, उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं और सुविधाओं के बारे में भाटक...", अध्यक्षजी, भाटक का मतलब रेंटल हुआ, ''...फीस या उपयोक्ता प्रभार, यूजर चार्जेज प्रभारित और संग्रहीत करना...''। तो आपकी बस टर्मिनल अथोरिटी को तो यह भाड़ा ही वसूल करना है, या फीस लेनी है कि एक बस आई तो उसकी फीस 100 रुपये है या 200 रुपये है।

और जो नियम बनाने के अधिकार आपने लिए हैं धारा 37 में, माननीय अध्यक्षजी, इस धारा 37 में जहां राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है, उसमें (ग) में लिखा है- ''प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन उपलब्ध करायी गयी सेवाओं और सुविधाओं के सम्बन्ध में भाटक, फीस या उपयोक्ता प्रभारों का प्रभारण और संग्रहण...''। तो आप तो खाली उसका रेंटल या फीस या यूजर चार्जेज वसूल करने वाले हैं।

मैं निवेदन करता हूं कि यह सारी जो बात कंसीव की गई है, अध्यक्ष जी, यह मिस-कंसीव्ड है। यह 3 हजार करोड़ रुपये का उनसे मंगाया है कि 92 बस टर्मिनल्स की कीमत 3 हजार है। आप साधारण बात समझें, माननीय मंत्रीजी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आखिर मार्केट रेट तो 5 गुना होगी ही होगी।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपके पास 15-20 हजार करोड़ की प्रोपर्टी है बस टर्मिनल्स के रूप में। आप इस रोडवेज को अपनी मौत मत मरने दीजिये, अन्यथा यह प्राइवेट कम्पीटिशन में कहीं टिकेगी नहीं। बस टर्मिनल्स आपने बना दिये और रोडवेज को कम्पीट करना पड़ गया प्राइवेट बस आनर्स से, तो जिनका भाड़ा आपसे निश्चित रूप से 20-25 परसेंट कम है और साल भर प्राइवेट आनर घाटा खाकर भी आपकी रोडवेज को बन्द करवाने का जो भी षड्यंत्र उसको करना है, वह करेगा।

और जो आपका रोडवेज का बेड़ा है, आधी बसें तो बीमार हैं, आधी बसें नकारा हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, रोडवेज के कर्मचारियों का जिक्र लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने किया कि दो महीने से उनको वेजेज मिल रही है और दो महीने से पेंशन मिल रही है।

मेरा निवेदन यह है कि आप बड़ा मन करके रोडवेज को रिट्रीव करें और रिट्रीव करके यह जो रेंटल, भाटक, फीस और यूजर चार्जेज के चक्कर में इस बस टर्मिनल का जो भी सोच है, यह सोच तो कुल मिलाकर पी.पी.पी. मोड का है, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं अभी कन्क्लूड करता हूं, अध्यक्ष जी। अधिक जल्दी न करिये।

श्री अध्यक्ष: कन्क्लूड कीजिये आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं कन्क्लूड करता हूं।

मेरा निवेदन यह है कि जब तक एक बस टर्मिनल अथोरिटी के द्वारा ही टिकिट जारी नहीं किये जाते और प्राइवेट आनर भी उसके कंट्रोल में नहीं आता और जब तक आप एस टी ए और आर टी ए के पावर इसको डेलीगेट नहीं करते और कानूनन आज आपका आर टी ए फेल हैं, आज रोडवेज फेल इसलिए है कि आपके आर टी ए और एस टी ए फेल हैं। आज तो वे प्राइवेट आनर्स के चक्कर में हैं। रोडवेज के आगे और पीछे प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं और रोडवेज की सवारियों को उठाती हैं और कौनसी यह बात माननीय मंत्री महोदय और सारी सरकार से छिपी है। प्राइवेट आनर बावजूद इसके कि उसको तो नोखा जाना है और जायेगा वह दिल्ली। ना तो आज तक रोक पाया है और न उसको रोकने की शक्ति आपके आर टी ओ और इंस्पेक्टर में है। उसके कारण से यह दुर्गति हुई है रोडवेज की।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मेरा निवेदन है कि इस बिल को आप लाये हैं वह अलग मुद्दा है लेकिन इस पर पुनर्विचार करिये और इस बस टर्मिनल अथोरिटी को बनाने का कष्ट न करिये।

श्री अध्यक्षः श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज-आज दूसरी बार आप विराजे हैं और मैं भी दूसरी बार बोल रहा हूं। इस चीज का आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः समय का ध्यान रखिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज तो इस सत्र का आखिरी दिन है, साहब, 5-10 मिनट तो बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्षः इसीलिए कि सब को जल्दी जाना है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 सरकार लेकर आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके कारण और उद्देश्य जो बताये हैं, मुझे लगता है, इसके पीछे कारण और उद्देश्य दूसरे नजर आ रहे हैं। 50 हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति रोडवेज और उस निगम की है। इस 50 हजार करोड़ की सम्पत्ति है और जो राजस्थान रोडवेज चल रही है, वह प्रतिदिन 16 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है और गरीब लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलती है, आम आदमी को राहत मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, एक साल में 1,460 नई बसों की आवश्यकता है। बस अड्डों के अधिग्रहण का रोडवेज की चारों यूनियनें विरोध कर रही हैं और लगातार धरना-प्रदर्शन यहां मुख्यालय पर चल रहा है। यह बस अड्डा प्राधिकरण जो बन रहा है, वह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ है। अब हमारे मंत्रीजी तो इन प्राधिकरणों के पीछे पड़ गये। पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ले आये क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. इनके पास है और आज यह बस अड्डा प्राधिकरण ले आये।

अध्यक्ष महोदय, 15 साल पहले जो सरकार थी 2000-01 के अन्दर, उसने बिजली बोर्ड को भंग कर बिजली कम्पनियां बनाईं और बिजली कम्पनियों का घाटा उस समय 500 करोड़ था और 15 साल के अन्दर वह घाटा बढ़कर 90 हजार करोड़ हो गया। अध्यक्ष महोदय, खाली कम्पनियां,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

प्राधिकरण और ये नये-नये एक्ट लाकर विधेयक पास कराने से, इस राजस्थान की जनता को न्याय मिलने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, रोडवेज में कोई घाटा नहीं है। 1,800 करोड़ का घाटा जो बता रहे हैं वह सिर्फ कागजों में लगता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा करने से यह जो नया प्राधिकरण बना दोगे, प्राइवेट लोग इसके अन्दर आ जाएंगे और 6 साल में वे अपनी मनमर्जी करके इस रोडवेज को पूरी तरीके से बन्द कर देंगे। क्योंकि प्राइवेट जो लोग हैं, आज अपन देखते हैं कि गांवों के अन्दर जो रोडवेज के रूट हुआ करते थे और बहुत मुनाफे में रोडवेज चलती थी, वहां प्राइवेट बसें जो चल रही हैं, ये आपके आर.टी.ओ., जिनको लाइसेंस देने के, परमिट देने के पावर हैं, सबसे ज्यादा प्राइवेट बसों में झगड़े अगर कहीं होते हैं तो वे नागौर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और प्राइवेट बसों का बहुत बड़ा माफिया नागौर में पनप गया है। उनको राजनैतिक संरक्षण लगातार नेताओं का मिलता रहा है और नेता भी उसके अन्दर इन्वाल्व हो गये। अध्यक्ष महोदय, 7 बजे कोई बस रवाना होगी नागौर से, जोधपुर से, जयपुर से, 7.10 बजे का परमिट दे दिया जाता है, 7.15 बजे का परमिट दे दिया जाता है, 7.30 बजे का दे दिया जाता है और फिर झगड़े होते हैं और झगड़े में कई जानें भी चली गईं। कई मामले राजस्थान के अन्दर पेण्डिंग हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से, सरकार से आग्रह करूंगा कि प्राधिकरण बनाने की बजाय एक बार इन पूरे मामलों की जांच कराएं और रोडवेज को आप मदद करे। सरकार रोडवेज को मदद करे तो निश्चित रूप से रोडवेज एक नये आयाम इस प्रदेश के अन्दर दे सकती है।

अध्यक्ष महोदय, 70 फीसदी विकसित 80 बस अड्डे हैं राजस्थान के, वे बेशकीमती जमीन पर हैं। सिंधी कैम्प का बस अड्डा है, आज उस बस अड्डे पर कई लोग व्यवसाय कर रहे हैं। कोई पुस्तक की दुकान लेकर बैठा है, कोई ज्यूस की दुकान लेकर बैठा है, कोई डेयरी लेकर बैठा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। अब आप इस एक्ट के माध्यम से अतिक्रमण हटा दोगे तो उनका क्या होगा? उन्होंने कुछ शर्तों पर, किराया लगातार दे रहे हैं कई वर्षों से।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से तो इसको आनन-फानन में लाया गया है और यह एक तरीके से जल्दबाजी में लाया गया है। यह अभी जो विधेयक लेकर आये हैं, इसको जन मत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए था। पहले जन-प्रतिनिधियों की राय लेते, सारा इसका खाका तैयार करते और उसके

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बाद इसको लेकर आते, तो निश्चित रूप से, हो सकता है, कोई मुनाफे की बात होती। इसके अन्दर रोडवेज और निजी बस संचालकों में होड़ मच जाएगी। एक बस अड्डे से, आप बताओ, प्राधिकरण अलग काम करेगा, रोडवेज अलग काम करेगी। उनके बीच झगड़े होंगे, झगड़े बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लगभग सभी हमारे जन-प्रतिनिधि, जो भी आते हैं, सरपंच, प्रधान, पंच, विधायक, हमेशा एक ही मांग करते हैं, हमारे गांव से प्राइवेट बस जाती है लेकिन हम यह मांग करते हैं कि रोडवेज चलाओ क्योंकि रोडवेज की यात्रा ज्यादा सुरक्षित है। रोडवेज में आज भी राजस्थान के गरीब की आत्मा बसती है। राजस्थान का हर गरीब व्यक्ति चाहता है कि मैं रोडवेज के अन्दर यात्रा करूं, वह सुरक्षित है लेकिन रोडवेज की स्थिति ठीक नहीं है। आज रोडवेज चलती है हमारे आगे-आगे, कई बार देखते हैं, यूं टेढ़ी चलती है रोडवेज की बसें कि कब इसका टायर निकल जाए और कब एक्सिडेंट हो जाए। कोई साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं। रोडवेज के जो बस अड्डे हैं, उन पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। करना तो आपको यह काम चाहिए था और बना रहे हो प्राधिकरण।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि 89 प्रतिशत मार्गों पर ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बसों के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। पुरानी, खटारा बसें, 100 से 150 तक यात्री, ऊपर-नीचे बैठाकर, सामान, जानवर, आदि तक ठूंस-ठूंस कर भरकर, धीरे-धीरे एक-एक सवारी को भरने के लिए, लम्बे समय तक बस को आगे-पीछे करते हुए, यात्रियों को नारकीय यात्रा प्रदान करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, बस अड्डा प्राधिकरण एक धोखा है। रोडवेज की बसें, रोडवेज के बस अड्डे, रोडवेज के समस्त कर्मचारी, राजस्थान की सरकार के अंग हैं लेकिन बस अड्डा प्राधिकरण अगर बन जाएगा तो राज्य की जनता के ऊपर दोहरे खर्चे का भार डाला जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग में विकास और सुविधा बढ़ाने के नाम पर पांच टुकड़े किये, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रोडवेज को झूठे आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर, घाटे के नाम पर, बदनाम करने की जो साजिश है, निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में अरबों रुपये खर्च करके, मुफ्त फीस, मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफार्म, साइकिल,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लैपटाप, स्कालरशिप देने के बावजूद सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है, प्राइवेट स्कूलों में संख्या बढ़ रही है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाई मिल रही है, मुफ्त जांच हो रही है, उसके बावजूद प्राइवेट अस्पतालों में संख्या बढ़ रही है। जबकि रोडवेज का किराया प्राइवेट से अधिक होने के बावजूद यात्री रोडवेज बसों की मांग करता है। इसका मतलब रोडवेज में इस राजस्थान के गरीब की आत्मा बसती है और इस रोडवेज को बंद करने की साजिश है, इसका मैं विरोध करता हूं। अतः आवश्यकता यह है कि बस अड्डा प्राधिकरण के बिल को बंद करते हुए, रोडवेज को नई बसों की खरीद की छूट देते हुए, 89 प्रतिशत अन्तरराज्यीय मार्गों पर निजी बस मालिकों की मनमानी एवं तानाशाहीपूर्ण रवैये पर अंकुश लगाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा मैं और निवेदन करूंगा। रोडवेज के अन्दर बहुत ज्यादा पद खाली हैं कंडक्टर्स और ड्राइवर्स के। एक ड्राइवर, जो सिर्फ गरीब व्यक्ति होगा, वही रोडवेज के अन्दर ड्राइवर के पद पर लगेगा क्योंकि ड्राइवर को तो 24 घंटे सचेत रहना पड़ता है। आठ घंटे की ड्यूटी दूसरे विभाग में देते हैं और ये 24-24 घंटों की दोहरी ड्यूटी करते हैं लेकिन इनको इतना भत्ता और पैसा नहीं मिलता है। तो सरकार को चाहिए कि ड्राइवर और कंडक्टर्स के खाली पद हैं, उनको भरा जाए, ताकि राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और।

साथ ही साथ, प्रोबेशन में कंडक्टर और ड्राइवर आप लेते हो। कई बार अचानक फ्लाइंग आ जाती है। वह बस अड्डे से बस रवाना होती है और फ्लाइंग वाले आते ही उसके चैक करते हैं और वह टिकट काट रहा होता है, फिर भी उसके रिमार्क लगा देते हैं कि आपने इतनी सवारियां बिना टिकट बिठा रखी है। वह तो सब कुछ सिस्टम मशीन से होता है लेकिन फिर भी उनके खिलाफ प्रोबेशन पीरियड में रिमार्क लगता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों में भी सरकार को गम्भीरता से उनको सुनना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर मजबूरी के अन्दर कोई व्यक्ति, गरीब आदमी के 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का रिमार्क उस पर लगता है तो उसकी भी ज्यादा, वैसे तो अपील का प्रावधान है, लेकिन ज्यादा तंग सरकार उनको नहीं करे, क्योंकि एक तरफ तो सरकार जवान को रोजगार देने की बात करती है...

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट। दूसरी तरफ बर्खास्त करके उनको घर भेजने का काम कर रही है। वह गलत है।

अध्यक्ष महोदय, बसों में टर्मिनल है ही नहीं तो फिर प्राधिकरण में सुविधाएं कैसे दे दोगे आप?

अध्यक्ष महोदय, रोडवेज और रेल, ये इसलिए चलती हैं, वेलफेयर, आम आदमी की सरकार है और सरकार आम आदमी की सुविधा का ध्यान रखती है, पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, लेकिन सड़कों के मामले में टोल टैक्स लग जाएगा। बची-खुची रोडवेज है, इसमें भी अगर इस तरह का मामला हो जाएगा तो राजस्थान का आम आदमी कहां जाएगा?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे आज अच्छी तरह याद है, 2012-13 के अन्दर रोडवेज में एम.डी. थे, जो आजकल एल एस जी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे हुए हैं, उन्होंने तो वोल्वो बसें अनुबंधित करके पांच-सात बसें लगा दीं रोडवेज के अन्दर और वे भी आज एल एस जी में पी.एस. बैठे हैं और अब कल वे नगरपालिकाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदीजी का जो सपना है कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, तो ऐसे अधिकारियों पर भी आप अंकुश लगाएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और, अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: हो गया। हो गया। अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आखिरी निवेदन मैं करूंगा। परिवहन विभाग जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और हर जगह +++ वे हर जगह अच्छी पोस्टिंग में बैठे हैं, चाहे चैक पोस्ट हैं, चाहे रोडवेज है। वे हर जगह दलाली और...

श्री अध्यक्ष: +++ अपलोपित किया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...जहां सबसे ज्यादा पैसे की आवक है, वहां वे लोग अच्छी पोस्टिंग पाने में सफल हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी भी 15 साल के राजनैतिक जीवन में बहुत आगे बढ़ गये।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

(अनुपस्थित)।

अब विराजिये आप। बैठिये आप। आप बैठ जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमारे हबीब साहब पीछे रह गये, बताओ। कितने सीनियर विधायक हैं, फिर भी ये उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो मैंने विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद, अध्यक्षजी।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): कैसे आरोप लगा रहे हों आप सीधे ही? सीधे आरोप लगा रहे हों।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015, इसको जन मत जानने हेतु दो महीने के लिए परिचालित किया जाए, इस विषय पर मैं मेरी बात कहूंगी।

इस विधेयक में जिक्र किया गया है कि कौन-कौनसी सुविधाएं दी जाएंगी, कौन-कौनसे नये कानून बनाये गये हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक भी शब्द कहीं इस तरीके का नहीं है, रोडवेज में एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी यात्रा करता है और गरीब से गरीब व्यक्ति भी, उस यात्री को क्या बेनिफिट दिया जाएगा। हर चीज का निजीकरण करना, फिर समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या करेगी। सरकार अपनी तरफ से कुछ भी नहीं; सब चीजें निजीकरण, प्राइवेट, पी पी पी मोड पर देकर सब चीजों से फ्री रहना चाहती है। जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है, जनता के अधिकारों की, जनता को फायदा देने की, ऐसी कोई भी बात का इसमें प्रावधान नहीं है। इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि जहां पर टर्मिनल नहीं हैं, बस स्टैण्ड नहीं हैं, वहां वे बनाये जाएंगे। इस चीज का भी कोई जिक्र नहीं है। जहां आलरेडी हैं, उनको सुधारने की व्यवस्था, लेकिन कैसे सुधार होगा?

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सही कह रहे थे माननीय सदस्य महोदय कि पेज नम्बर-6 पर जो दिया गया है, पेज नम्बर-9, 10, 11, 11 के (2) (3) और 12 (क) (ख) (ग) (घ), तो इस तरीके की जो ये व्यवस्थाएं हैं, इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह सही है कि जो व्यक्ति पीढ़ी-दर-पीढ़ी वहां पर दुकान चला रहा है, उसका घर का खर्चा चल रहा है, वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा है और जब उसका निजीकरण हो जाएगा तो वह अपनी व्यवस्था के हिसाब से उसको चलाएगा। उन सबको वहां, जैसे इसमें दिया गया है, इसमें अतिक्रमण वाली लाइन में डालकर के, तो उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। इनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं आपसे अनुरोध करूंगी, मंत्री महोदय, जहां पर बस स्टैण्ड नहीं हैं, जिस विधान सभा क्षेत्र में बस स्टैण्ड नहीं हैं, तो वहां पर बस स्टैण्ड बनाने का भी आप प्रावधान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसमें जो निजी बसों को शामिल कर रहे हैं, इससे तो आप सोच सकते हैं कि रोडवेज़ बस की या रोडवेज कर्मचारियों की क्या कंडिशन होगी। पहले ही उनकी सही कंडिशन नहीं है। परिवहन विभाग के चाहे परिचालक हों, चालक हों, अगर वे सस्पेंड हों तो बरसों तक वे बहाल नहीं होते। और विभागों में भी कर्मचारी होते हैं, गलती भी होती है लेकिन उनको बहाल कर दिया जाता है।

इसमें सबसे बड़ी जो गलती पाई गई है, अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था कि चाहे चालक हो, परिचालक हो, उनको पेंशन तो समय पर मिलती ही नहीं है। कई लोग तो बेचारे इंतजार करते-करते ही बुजुर्ग होकर के मर भी गये हैं लेकिन पेंशन उन्हें नहीं मिल पाई है।

तो ये जो सारे कारण हैं उनको दूर करते आप तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसी जगह बसें चलाने का इसमें विवरण करते कि जिस रूट पर डिस्ट्रिक्ट से लेकर राजधानी तक बसें नहीं चलती हैं, वहां का जिक्र करते। लेकिन हर चीज को निजीकरण में डालना उचित नहीं होगा। क्योंकि जो प्राइवेट बस वाले हैं, वे तो ऐसे ही रोडवेज़ बस के आगे बसें लगाकर के उसमें कम भाड़ा लेंगे, कम किराये में। तो रोडवेज़ बसें तो खाली चलेंगी। उनके लिए भी कोई प्रावधान करना चाहिए था जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी कि जो टोल टैक्स है, चाहे तीस किलोमीटर पर हो, चाहे बीस किलोमीटर पर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हो, मनमाना वसूला जा रहा है। जहां चालीस-पचास रुपये लिये जाते थे, वहां सत्तर से अस्सी रुपये तक अब लिये जाते हैं।

आपकी इजाजत से जरूर मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि यह 45 पेज का जो विधेयक है, इसमें जो पुराने बस स्टैण्ड हैं उनकी कंडिशन सुधारने की कोई योजना बनाते तो ज्यादा अच्छा होता। मेरे बानसूर में और नारायणपुर में भी अगर आप बस स्टैण्ड बनायें, चाहे पी पी पी मोड पर बनायें, या किसी अन्य योजना में बनायें, तो ज्यादा उचित रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि इन कमियों को सुधार कर थोड़ा-सा इसको जनता की भावनाओं को ध्यान को रखते हुए बनायें। राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है, वह सोच रही है कि कोई नये पी पी पी मोड पर हमारे लिए कोई नई सुविधा देंगे। रोडवेज के कर्मचारी, रोडवेज के जितने भी यात्री हैं, चाहे आप या हम हैं, वे सब एक उम्मीद देख रहे हैं।

इस विधेयक को जन मत जानने हेतु दो महीने के लिए परिचालित करने की आज्ञा चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर।

(अनुपस्थित)।

श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य बस सर्विस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु मैंने निवेदन किया था और इस पर अभी माननीय सदस्यों ने काफी ने अपने विचार रखे हैं, अपनी बात कही है।

सबसे पहले मैं राज्य सरकार को इस प्राधिकरण बनाने पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं और भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता और खोल दिया है, पुनः इस बात के लिए प्राधिकरण खोलते जा रहे हो, इसके लिए पुनः और बधाई आपको।

राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के माध्यम से 92 बस अड्डों को बचाने का कार्य किया जाएगा, मूल तो सारांश यह है। इसमें भी एक बड़ी बात है कि जो अन्य प्राधिकरण लायें, ला डिपार्टमेंट ने उन्हीं नियमों को फोलो किया है। जैसा कि किसी की कोई ठोस जिम्मेदारी नहीं होगी; जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा तो उसके प्रति, कोई अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ, कोई

(श्री रमेश)

प्रावधान नहीं रखा गया है। सबको सद्‌भावना के नाम पर खुली छूट दे दी है कि जो मनमर्जी से करना है वह करें।

अभी आपने सवा साल में कुछ तो किया नहीं, पर इस सत्र में एक उपलब्धि जरूर हासिल कर ली है कि आप एक के बाद एक नया रोजाना प्राधिकरण बिल लाये जा रहे हो। आखिरकार क्या इन प्राधिकरणों के माध्यम से इस राजस्थान की जनता का समाधान हो जाएगा?

आज राजस्थान रोडवेज की 92 बस अड्डों की सम्पत्ति करीब 30 हजार करोड़ से अधिक है और इसमें लगभग 21 हजार 500 कर्मचारी और 11 हजार के करीब रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इनके भविष्य के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने पहले कहा कि बिलकुल इनका ध्यान रखेंगे, इनको तनख्वाह देंगे, लेकिन आज यह स्थिति है कि 52 डिपो में समय पर, छह-छह महीने से, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। जो डिपो है उसकी आमदनी पर डिपेंड करता है। वे उसके आधार पर तनख्वाह दे रहे हैं।

तो इनकी मंशा से जाहिर होता है कि रोडवेज फेल और फेल होने के बाद जो बेशकीमती जमीन है इनको एक्वायर करें और ऐसा प्राधिकरण लायें कि कोई भी आदमी को न नोटिस देना है, न सुनवाई करनी है, सीधे एन्क्रोचमेंट के नाम पर राजस्थान में जितने भी बस स्टैण्ड हैं, उन पर जो व्यक्ति कोई चाय की दुकान लगाता है, कोई किसी स्टाल का काम है, कोई बुक्स हैं, सम्बन्धी अपनी रोजी-रोटी चला रहा है, तो इस बिल के माध्यम से जो नियम डाला है उसके माध्यम से उनको बाहर फेंक देंगे। वे लोग सड़कों पर आ जाएंगे और उनके परिवार को भूखा मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जो भी बिल ला रही है, सबसे पहले जो इस रोडवेज में कर्मचारी हैं और रोडवेज से सम्बन्धित बस स्टैण्डों पर जिनकी रोजी-रोटी चलती है, उनका परिवार का सहारा है, तो उस पर भी विचार करें और उनकी भी व्यवस्था करें।

आपकी इस बिल के माध्यम से बस अड्डों पर शापिंग माल, होटल, रेस्त्रां, बैंक, पोस्ट आफिस बनाने की योजना कितनी व्यावहारिक है, यह आपका पता लग जाएगा, लेकिन आपकी मंशा ही कुछ और है। आज रोडवेज की बसों का संचालन हो रहा है, इन रोडवेज बस अड्डों पर बैठने तक की सुविधा नहीं है। ऐसे में आप निजी बसें भी वहां से चलाएंगे 40 परसेंट के रेशों

(श्री रमेश)

में। क्या ये जो शापिंग माल बना रहे हो, होटल बना रहे हो, रेस्त्रां बना रहे हो, क्या केवल यात्रियों के लिए ही हैं, या फिर बाहर के लोगों को अलाउ करेंगे? अगर बाहर के लोगों को अलाउ करेंगे तो इतनी भीड़ हो जाएगी इन पर कि आपकी जो प्राधिकरण की व्यवस्था है, वह फेल हो जाएगी।

आप इन प्राधिकरणों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हो और बस अड्डों को आप निजी बसों के माध्यम से संचालित करवाओगे। तो सीधा-सीधा अर्थ यह दिखता है कि आपकी रोडवेज तो नीचे चली जाएगी। क्योंकि आपने देखा है, यह व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने कर रखी है कि प्राइवेट बसें भी अपने बस अड्डों से चलेंगी, वहां पर वहां के जो निजी बस वाले हैं वे किसी आदमी को बैठने नहीं देते, लट्ठ लेकर के खड़े हो जाते हैं। खाली बसें आती हैं राजस्थान सरकार की। आप देख लें, पता कर लें। यह स्थिति है। इसलिए यह स्थिति आ जाएगी कि हमारा रोडवेज़ घाटे से और घाटे में चला जाएगा, इन कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और सरकार की मंशा भी यही है कि यह सब चला जाए घाटे में, तो हम इससे कैसे बचें, और निजी हाथों में कैसे दें?

इस तरह की जो व्यवस्था है, वह न तो राज्य सरकार के हित में है, न जन हित में है। आपकी जो व्यवस्था है कि निजी संचालकों देंगे हम; बसों की भी बात हुई, आपने अनुबंध की बसें चलाने की भी निविदा निकाली थी लेकिन कोई भी संचालक जो प्राइवेट है, वह आपके पास निविदा देने नहीं आया।

तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपकी एक ही मंशा है कि कैसे इनकी भूमि अवाप्त की जाए। यह जो नया प्राधिकरण बिल लाये हों, इसके माध्यम से आप इस भूमि को हड़प कर और करोड़ों रुपये, पचास हजार करोड़ का, एक तरह से, आप चाहते हो, निजी हाथों में देकर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो।

मेरे से पहले वक्ताओं ने काफी बात कही है, पी पी पी माडल पर, कि ये नियम हैं, कैसे अर्जन करोगे, कैसे एंक्रोचमेंट को हटाओगे, कैसे प्राधिकरण, आपने फोर्थ में वह बता दिया और बिना नोटिस दिये उसको हटायेंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, वेलफेयर सिस्टम की बात की, हमारे लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अच्छी बात कही कि जन हित में काम हो तो अच्छा लगे, लेकिन सरकार की मंशा है कि हमें तो प्राधिकरणों के माध्यम से राजस्थान राज्य में, चाहे आप बस टर्मिनल प्राधिकरण की बात कर लें, चाहे सेज की बात कर लें, चाहे अन्य प्राधिकरणों की बात कर लें, एक ही मुद्दा घूम

(श्री रमेश)

कर आता है, जो रिजल्टेंट है, कि सभी जगह भूमि जहां-जहां दिख रही है उनका लैंड बैंक बनाओ, उन भूमियों को निजी हाथों में बेचो, माल खाओ और जनता जाए भाड़ में।

तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को कि जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि आपका सिस्टम क्या है और आप क्या चाहते हो। आप इन नियमों का हवाला देकर, और राज्य सरकार जन हित की बात करती है, तो जन हित की बात भी सामने आ रही है कि इस प्रकार आप घोटाला करना चाहते हों। इस प्रकार आप भ्रष्टाचार करना चाहते हो तो जनता चुप नहीं बैठेगी, जनता सड़कों पर आएगी, आपको भी बता देगी कि ये काम कैसे हो रहा है। आज हजारों कर्मचारी जब रोड पर आ जाएंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा?

तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल का मैं विरोध करता हूं और राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को जन मत जानने के लिए दो माह के लिए परिचालित किया जाए।

श्री अध्यक्षः श्री भंवर सिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को जन मत जानने के लिए मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया।

इस विधेयक में बस टर्मिनलों पर सुविधाओं के सृजन, विकास और प्रचालन की बात की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में जो सुविधाएं देने की बात की गई है उसमें बस टर्मिनलों के उपयोक्ताओं के लिए होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, सेवा केन्द्र, खरीददारी केन्द्र, मनोरंजन, आदि सुविधाएं देने के लिए इस टर्मिनल विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस अड्डों पर जो सुविधाएं देने की बात की गई है। उनमें से अधिकांश सुविधाएं देने के लिए तो अभी भी कोई रोक नहीं है। सभी बस अड्डों पर रेस्टोरेंट की, सेवा केन्द्रों की, जनरल स्टोर और ये सारे अभी भी इस कानून के बनने से पहले भी उपलब्ध हैं। इस प्राधिकरण को बनाने की जो मंशा है, उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

इसमें प्राइवेट बस संचालन, इन टर्मिनलों के माध्यम से इन बस अड्डों के द्वारा प्राइवेट और रोडवेज, दोनों तरह की बसें ये टर्मिनल बनने के बाद राजस्थान में चलेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से करीब पचास

(श्री भंवरसिंह)

साल पहले राजस्थान में रोडवेज की स्थापना की गई थी और इस उद्देश्य से की गई थी कि राजस्थान के आम आदमी को अच्छी सुविधाजनक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कोई सेवा शुरू की जाए और वह राजस्थान सरकार की सोच थी, एक महत्वपूर्ण योजना, एक अच्छी योजना राजस्थान में चालू की गई। पचास वर्षों से लाखों कर्मचारियों की दिन-रात की मेहनत से आज राजस्थान रोडवेज का इतना बड़ा बेड़ा पूरे राजस्थान में खड़ा किया गया। मैं जहां तक समझता हूं, राजस्थान रोडवेज मुनाफे में जरूर पीछे हो सकती है लेकिन आज राजस्थान के आम आदमी की भावना, राजस्थान का आम आदमी राजस्थान रोडवेज से जुड़ाव महसूस करता है। उसे लगता है कि हमारी सरकार की हमारे पैसे से, हमारे दिये गये टैक्स से, ये जो रोडवेज चलती है, यह निश्चित रूप से राजस्थान के आम आदमी की इसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यदि इस टर्मिनलों के माध्यम से राजस्थान की रोडवेज के बराबर प्राइवेट बसों को इन बस अड्डों पर लगाकर के सवारियां लेने की अनुमति दी जाएगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निजी बस आपरेटरों के और रोडवेज के बीच में झगड़े के अलावा कोई स्थिति नहीं होने वाली है।

श्री अध्यक्ष: आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज रोडवेज का किराया बीकानेर से जयपुर का तीन सौ रुपये है और प्राइवेट आपरेटर रोडवेज से शायद अच्छी और नयी लक्जरी बस में दो सौ रुपये में वे लेकर के आते हैं। अध्यक्ष महोदय, रोडवेज के एक ही बस स्टैण्ड पर प्राइवेट और सरकारी बसें दोनों लगेंगी और एक आपरेटर दो सौ रुपये में ला रहा है और सरकारी रोडवेज तीन सौ रुपये में लेकर के आ रही है, तो निश्चित रूप से रोडवेज का इसमें घाटा होना तय है और रोडवेज अभी जिस घाटे में चल रही है उससे ज्यादा घाटा होगा, बहुत ज्यादा होगा और धीरे-धीरे आने वाले दो-चार सालों में शायद रोडवेज को बंद करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि प्राइवेट बस आपरेटर कम किराये पर भी अच्छी बस व यात्री सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, सरकार को महीने का तीस-पैंतीस हजार रुपये टैक्स भी भरते हैं, उसके बावजूद प्राइवेट बसें फायदे में चलती हैं और रोडवेज का किराया अधिक होने के बावजूद, सरकारी उपक्रम होने के बावजूद, वे घाटे में चलती है। तो उस घाटे को कम करने के

(श्री भंवरसिंह)

लिए मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रोडवेज में लीकेज को कम किया जाए। रोडवेज में जो खर्चे हैं, उन खर्चों को कम करने की आवश्यकता है और साथ में नयी बसें, अच्छी बसें खरीद करके प्राइवेट आपरेटरों के अनुरूप, उनसे अच्छी सेवा यदि हम देंगे, तो निश्चित रूप से रोडवेज घाटे से निकलेगी और राजस्थान के आम आदमी को इसमें फायदा मिलने वाला है।

रोडवेज के कर्मचारी और इनकी सारी यूनियन के नेता रोडवेज के टर्मिनल का विरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आ गयी यह बात तो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा साथ में, राजस्थान के परिवहन मंत्रीजी यहां विराजे हैं, विशेषकर हमारे बीकानेर सम्भाग में ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नौ टन की क्षमता का जो ट्रक है वह आज बीस टन लेकर के चल रहा है, 16 टन की क्षमता का जो ट्रक है वह चालीस टन लेकर के चल रहा है और बीस टन की क्षमता का जो ट्रक है वह साठ टन लेकर के चल रहा है और खुले आम हजारों गाड़ियां रोजाना आर टी ओ और परिवहन विभाग के अधिकारियों के आंख के सामने से निकलती हैं। सरकार और परिवहन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करने की वजह से राजस्थान की रोड्स बुरी तरह से टूट रही हैं। दुर्घटनाओं का भी एक बहुत बड़ा कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरलोडिंग है। मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में ओवरलोडिंग की जो यह बढ़ती समस्या है, स्थानीय स्तर के जो जिला परिवहन अधिकारी हैं, स्थानीय जो इंस्पेक्टर हैं, उनकी साठ-गांठ से यह एक ओवरलोडिंग का बहुत-बड़ा रैकेट, एक मायाजाल चल रहा है। मेरा निवेदन रहेगा कि इस ओवरलोडिंग पर भी समय रहते कोई कार्यवाही की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को इसमें जो कमियां हैं, उनको जानने के लिए, और राजस्थान के आम आदमी से जुड़ा हुआ यह एक महकमा है और रोडवेज राजस्थान के आम आदमी से जुड़ाव रखने वाली है, तो इसमें इस विधेयक को पास करने से पहले तीन माह के लिए जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाए, जिससे कि इस विधेयक में कोई कमियां हैं वे सरकार के सामने आ सकें। राजस्थान के आम आदमी से जुडे हुए रोडवेज महकमे को बचाने की

(श्री भंवरसिंह)

आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, आज राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को जो विचारार्थ रखा था, उस पर चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, वहीं से मैं मेरी बात को शुरू करता हूं। इस अथोरिटी के बारे में उन्होंने कहा कि इसको अधिकार कहां से आयेंगे? अभी वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 में और राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 5.58 के तहत इन बस स्टैण्ड को अधिसूचित किया जाता है। जैसा कि चर्चा आई कि हम इस अथोरिटी को किस तरीके से अधिकार देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 में स्पष्ट है- "Parking place and halting station. The State Government or any authority authorised in this behalf by the State Govt. may…" अभी यह अधिकार हमारे इस राजस्थान मोटरयान नियम में 5.58 में पड़ाव और ठहराव के स्थान पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को और जिला कलक्टर को एवं जिला मजिस्ट्रेट को हमने दिये हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में जो हम यह प्राधिकरण बना रहे हैं, उसमें जो चर्चा आई, ज्यादातर माननीय सदस्यों ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को ही केन्द्रित रखा। आज हमारे जो बस टर्मिनल हैं उनकी संख्या अगर हम किसी को भी पूछें, क्योंकि इनको अधिसूचित जिला कलक्टर करते हैं, उनकी सूचनाओं को संकलन करने की ऐसी कोई भी अथोरिटी आज की तारीख में नहीं है कि वह बता सके, परिवहन विभाग या रोडवेज, कि आज की तारीख में इन माननीय जिला कलर्क्टस ने कितने कितने बस टर्मिनल अधिसूचित कर रखे हैं। इसलिए इस अथोरिटी को बनाने के लिए इसमें हमने यह प्रोविजन किये हैं। यह प्रोविजन, अथोरिटी बनने के बाद में जब यह अधिसूचना निकलेगी उसके पश्चात इसमें हमने खण्ड 12 में इस बात का प्रोविजन किया है, खण्ड 12 का उपखण्ड (2) (झ)- "ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना या

(श्री युनुस खान)

ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या साधक हों या राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदिष्ट की जायें।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बस टर्मिनल अथोरिटी हम बना रहे हैं, इसमें हमारी सरकार की मंशा बिलकुल साफ और स्पष्ट है। ज्यादातर माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आज राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में, अगर हम आंकडों पर नजर दौड़ाएं, तो बहुत कम बस स्टैण्ड हैं, जो जनता को सुविधाएं देते हैं। आज हमारी 188 नगरपालिकाएं भी हैं, उन नगरपालिकाओं ने अपने बस स्टैण्ड तो बना दिये, जिसमें भी सब नगरपालिकाओं ने बस अड्डे नहीं बनाये हैं, उसमें कुछ नगर पलिकाएं जो सक्षम थीं उन्होंने अपने बस अड्डे बनाये लेकिन उनको आपरेशन करने का, उनकी मेन्टीनेंस का, उसमें किस तरीके की सुविधाएं हों, किस तरीके से उनका रखरखाव हो, उसके नियम कायदे नहीं बनाये। आज राजस्थान में 45,446 गांव होंगे, उनमें, मान लीजिए, छोटे-छोटे बस ठहराव भी बनें, तो उनको रेग्यूलेट कौन करें।

इसी तरीके से, अध्यक्ष महोदय, एक चर्चा आई कि आर एस आर टी सी के जो 92 बस अड्डे हैं, उन अड्डों पर सरकार की नजर है और उनको अधिकृत करके प्राइवेट लोगों को दे दिये जायेंगे। मैं सोचता हूं कि आज जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो हमारे पास संकलन है, उसमें लगभग 92 आर एस आर टी सी के हैं, नगरीय निकायों के 80 हैं, पंचायतों ने जो अपने स्तर पर बनाये हैं वे हैं तो बहुत सारे लेकिन उनका संकलन भी नहीं है, रेग्यूलेट भी वे नहीं हो रहें उसमें हमारे पास उपलब्ध संख्या के अनुसार 35 हैं और दानदाता और अन्य ट्रस्टों ने जो बनाये हैं वे 18 हैं। कुल मिलाकर 225 बस अड्डे ऐसे हैं जिनको पूर्ण रूप से एक तरह से अधिसूचित तो नहीं कह सकते लेकिन किसी न किसी तरीके से सूचीबद्ध हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में जिस बात की माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की, चर्चा की, उसमें यह कहा कि रोडवेज, रोडवेज, रोडवेज। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जिस नेशनलाइजेशन और डिनेशनलाइजेशन की हाउस में बात की गई आज अगर हम आंकड़ों पर नजर दौडाएं तो मात्र 12 प्रतिशत नेशनलाइज्ड रूट्स पर आर एस आर टी सी अपनी बसें देता है और उसमें भी उनके पास मात्र साढ़े चार हजार बसें हैं। अगर कोई भी सरकार, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में हम हों, उनको हम

(श्री युनुस खान)

इतनी ही बसें और दे दें, तो भी वे राजस्थान की जनता को जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार सेवाएं नहीं दे सकतीं।

इसलिए यह बार-बार कहना कि इस रोडवेज को बंद किया जायेगा, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट रखा था उस समय भी उन्होंने बिलकुल स्पष्ट कहा था और उन्होंने यह संकेत दिया था कि हमारे रोडवेज के कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात नहीं किया जायेगा; इस रोडवेज को बंद नहीं किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ परिकल्पनाओं के आधार पर कि इस रोडवेज को मारना चाहते हैं, इस रोडवेज को बंद करना चाहते हैं, यह सरकार का उद्देश्य नहीं है।

हम आज अगर नजर दौड़ाएं, आज हिन्दुस्तान में एयरपोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया बनी हुई है, जिसकी चर्चा हमारे झुंझुनूं से आने वाले माननीय ओला जी ने की कि कुछ अड्डे बन गये, उससे क्या होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी आपने मुझे निर्देश भी दिया है, मैं जब जन्मा था उस समय स्वर्गीय शीशरामजी ओला इस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हुआ करते थे और उनके सुपुत्र ने आज यह मुद्दा उठाया है, तो मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एयरपोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया, आज जिस तरह से वहां एयर इंडिया भी अपना आपरेशन करती है, इंडियन एयरलाइंस भी करती है, सहारा भी करती है, जैट भी करती है और पी पी पी माडल पर भी वह डवलप हुआ है, वह प्रोपर्टी आज भी सरकार की है। सिर्फ जो कंसेशनर हैं उसने डवलप किया और जो सुविधाएं पैदा की हैं, उन सुविधाओं के बदले में वह अपने वहां से किराया वसूल कर रहा है और सबको फैसिलिटीज दे रहा है। मैं सोचता हूं कि बेहतरीन सुविधाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज हम बस स्टैण्ड को देखें तो पीने का पानी, छाया और टायलेट, टायलेट बने हुए हैं और सब सदस्यों ने यह कहा कि बस स्टैण्ड बने हुए हैं उन पर सारी सुविधाएं हैं, मैं सोचता हूं कि आज भी रोडवेज के किसी भी बस स्टैण्ड पर चले जाएं या जिन 80 नगर निकायों के बस स्टैण्ड की चर्चा की, कोई भी ऐसा टायलेट नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति जाकर टायलेट कर सके। पीने का शुद्ध पानी नहीं है, बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं, अच्छी छाया नहीं।

(श्री युनुस खान)

ये सब चीजें हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो घोषणा की थी, उसको ध्यान में रखते हुए यह अथोरिटी हम ला रहे हैं और इसी के माध्यम से इन सब चीजों को रेग्यूलेट करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में हम देखें, मैंने रोडवेज की बसों की चर्चा की, निजी क्षेत्र में 39,949 हमारी ऐसी बसें हैं जो अपनी सेवाएं दे रही हैं। अगर इन आंकड़ों पर जायं, कहां 4,500 और कहां 39,949 ! माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अकेले रोडवेज के भरोसे भी बैठे रहें, तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता को हम सेवाएं नहीं दे सकते। अगर आंकडों पर नजर दौडाएं तो आज 50 लाख यात्री इस राजस्थान में यात्रा करता है जिसमें रेलवे का शेयर अगर देखें तो वह 10-12 प्रतिशत है, बाकी 88 प्रतिशत शेयर हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वह आर एस आर टी सी है, चाहे हमारा निजी आपरेटर है, वे आज इन सेवाओं को देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन 39,949 बसों के माध्यम से जो लोग यात्रा करते हैं और आप और हम सब गांवे से आते हैं, सबको पता है कि किसी भी बस स्टैण्ड पर अगर महिला को टायलेट करने की इच्छा हो, कोई सुविधा लेनी हो, तो आज की तारीख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या हम राजस्थान की जनता को महज इसलिए लटका कर छोड़ दें कि हमें राजस्थान रोडवेज को जिंदा रखना है, सिर्फ इसी को पालना है और 21,000 लोगों का हम ध्यान रखें और राजस्थान के 7 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं उनकी सुविधाओं का बिलकुल ध्यान नहीं रखें?

इसलिए सरकार की प्राथमिकताओं में हमने इसको लिया है कि हम राजस्थान की जनता को इस हालात में नहीं छोड़ सकते, इसलिए बेहतरीन बस अड्डे हम उनको प्रोवाइड कराएं, यातायात के साधन प्रोवाइड कराएं।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस डिनेशनलाइजेशन की बात कही थी और लोगों ने शंकाएं की थीं, कल भी धरने और प्रदर्शन हुए लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्री जी ने जब बजट रखा था, उस समय निश्चित रूप से 2014-15 के बजट में यह जरूर कहा था कि राज्य में आर.एस.आर.टी.सी. की बसों के संचालन हेतु 80 बस अड्डे हैं। इन बस अड्डों पर यात्रियों के लिए वांछित सुविधाओं का व्यापक अभाव है। इन बस अड्डों का उचित विकास कर, न केवल बसों का सुचारु संचालन किया जा सकता है, बल्कि यात्रियों को होटल्स, रेस्टोरेंट्स, निजी बसों की सेवाएं भी उपलब्ध कराई

(श्री युनुस खान)

जा सकती हैं। इस हेतु राज्य में राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन बनाएंगे। 2014-15 के बजट में यह कहा।

अभी जब 2015-16 का बजट रखा तो माननीया मुख्य मंत्रीजी, हमने उनसे चर्चा की, चर्चा करने के बाद आया कि माननीया मुख्य मंत्रीजी खाली हम इन 92 बस अड्डों के लिए ही अगर इस तरीके का बस पोर्ट-सर्विस कारपोरेशन बनाएंगे, मैं सोचता हूं, उचित नहीं है। हमारे नगर निकायों के बस अड्डे हैं, पंचायतों के बस अड्डे हैं, इन सबके लिए इस तरह की एक रेग्यूलेटरी अथोरिटी बनायें, इसलिए उन्होंने परमिशन दी। इस बजट वर्ष में उन्होंने राजस्थान बस टर्मिनल अथोरिटी की बात कही।

उसी अथोरिटी को, मान लीजिए, आर.एस.आर.टी.सी. भूमि उपलब्ध कराता है तो एक्विटी के रूप में 300 करोड़ रुपये देने की बात कही। इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह सनसनी फैलाएं कि 6 हजार करोड़ की सिंधी कैम्प की जमीन...। अध्यक्ष महोदय, मेरे यह समझ में नहीं आता, आज अगर हम मार्केट रेट भी लें तो वहां डेढ़ लाख रुपये का भाव हो सकता है, जो आम चर्चा में आता है; डी एल सी को भी देखें, क्योंकि जयपुर की जमीनों की डी एल सी और मार्केट रेट लगभग बराबर है, उसको भी लें तो 29 हजार वर्ग मीटर की जमीन को अगर डेढ़ लाख से मल्टिप्लाई करें तो 450 करोड़ रुपये होते हैं, 450 करोड़। पूरे राजस्थान के अगर इन सारे बस अड्डों की जमीन को भी अगर सरकार एक साथ अधिसूचित कर देती है तो वह प्रोपर्टी किसी प्राइवेट व्यक्ति की नहीं होगी। वह प्रोपर्टी राज्य सरकार में निहित होगी। लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि रोडवेज के बस अड्डों को यह अथोरिटी बनाते ही तुरन्त एक ही दिन में अधिसूचित कर देगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अथोरिटी बनेगी, अथोरिटी बनने के बाद यह काम करना शुरू करेगी, फिर फेज-वाइज इस काम को शुरू करेंगे। मैं आपके माध्यम से हाउस को और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की इस तरह की कोई भी मंशा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजस्थान में....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार जब से आई है तब से बेचने की लगी हुई है। हमें इस बात का खतरा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, बैठ जाओ, खतरा मिटेगा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जिस तरीके से बस अड्डों की आवश्यकता है, उनकी सुविधाओं की आवश्यकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए अथोरिटी बनाई। बार-बार यह कह रहे हैं कि यह तो बस अथोरिटी बना रहे हैं, काम कब करेंगे? काम तो आपने शुरू किये थे, जिस बस अड्डे का जिक्र माननीय लूणकरणसर से आने वाले माननीय विधायक ने किया, जिस बस अड्डे का अन्य सदस्यों ने किया, जिसको सिंधी कैम्प के नाम से जाना जाता है, पूर्ववर्ती सरकार ने वहां काम शुरू किया था, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उस काम की क्या गति हुई? सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यही बात कही....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनके और बहुत अड्डे बनाये हुए हैं। उस पर अपने को नहीं जाना है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चलिये, मैं शोर्ट कर देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह टर्मिनल बनाने की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर इस विधेयक में, प्राधिकरण में, जमीन खण्ड-3 के तहत अधिसूचना जारी करके आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वह जमीन आएगी, वह सरकार के पास जाएगी। सरकार के बाद इस अथोरिटी के पास, सरकार चाहेगी, तो वह जमीन आएगी। चूंकि यह अथोरिटी भी सरकार की है। सरकार की जमीनें, अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो यह आर एस आर टी सी की लगभग 54 बस टर्मिनल की जमीनें राज्य सरकार की दी हुई हैं। इसलिए यह अथोरिटी भी सरकार है। जमीन बेचने का अधिकार तो सरकार के पास है। आज उसको अथोरिटी बनाने की जरूरत कहां है? जिस आर एस आर टी सी की वैशाली नगर की जमीन, जिसकी चर्चा की कि उसके मुख्यालय को बेच रहे हैं, कोई आर एस आर टी सी का मुख्यालय नहीं बेचा जा रहा । वहां पर तीन जमीनें हैं। उनमें से वैशाली नगर आगार जहां चलता है, टायर रिट्रेडिंग का वहां बहुत बड़ा कारखाना था। चूंकि अब पाल्यूशन की समस्या हो गई, उसको बगराना में राज्य सरकार ने जमीन दे दी, वह बगराना में शिफ्ट हो गया। वह जमीन खाली पड़ी है। आर एस आर टी सी का जो बोर्ड है वह स्वयं फैसला ले रहा है। सरकार के पास उन्होंने अभी एप्लिकेशन लगाई है कि हमारे इन हालात को देखते हुए, हमें नई बसें खरीदनी हैं; लोगों की थोड़ी सैलेरी, वगैरह की प्रोब्लम, उसको देखते हुए; चूंकि यह जमीन अब हमारे कोई काम नहीं आ रही है।

(श्री युनुस खान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो वह कोई बस अड्डा है, न वह कोई हैड आफिस है। वहां तो टायर रिट्रेड होते थे और एक पार्ट में वैशाली नगर का आगार चलता था। उसकी जमीन वहां पर आलरैडी अवेलेबल है। इसलिए इस तरीके की शंकाएं करना और इस पर अंगुली उठाना, मैं सोचता हूं, उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह अथोरिटी बन जाएगी, उसके बाद सरकार जमीनों की अधिसूचना जारी करेगी, उनको लेने के लिए। तो राज्य सरकार उसमें निहित किसी भी बस टर्मिनल को, उसके परिसर विनिर्दिष्ट करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचना करेगी। तब इनके पास जमीनें आना शुरू होंगी।

अभी तो अथोरिटी बनेगी, फिर उसका गठन होगा। उस गठन में भी चर्चा की, तो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी। वह कमेटी इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक छह सदस्यों का चयन करेगी। यह स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा चयन करने के बाद में ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बने...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चीफ सेक्रेटरी और बनाने पड़ेंगे। एक तो अथोरिटी के लिए ही रहेगा, मीटिंग्स करने के लिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ सेक्रेटरी एक दिन एक मीटिंग करते हैं, मैं सोचता हूं कि उसमें घंटे भर से ज्यादा नहीं। अगर लोंग टर्म के लिए इतनी बड़ी अथोरिटी बन रही है, राजस्थान की जनता की सुविधाओं के लिए इतनी बड़ी अथोरिटी बन रही है, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी एक घंटा दें और उसी में उसकी कमेटी तय कर लेगी, तो मैं सोचता हूं कि उनको रोज-रोज इस तरीके का निर्धारण नहीं करना पड़ेगा। उनका कार्यकाल है। इस तरीके की शंका बनाना, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य अगर पढ़ लेते तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा दिक्कत नहीं होती।

आपने मुझे निर्देश भी दिये और चूंकि ये बीच में खड़े भी हो गये, आपने मुझे कहा कि इनकी बात का जवाब देना। मैं आज तक तो इस हाउस में यह देख रहा था कि,यह बात सही है कि हम दोनों एक क्लास में पढ़े; यह बात भी सही है, इनके पिताजी मेरे स्कूल में हैडमास्टर थे, गुरु थे, यह बात भी सही है कि हम सहपाठी रहे। ये मेरे से सीनियर थे, चूंकि ये एक क्लास मेरे से सीनियर थे तो मैं यह सोच रहा था कि ये मेरे से बड़े हैं लेकिन इन्होंने

(श्री युनुस खान)

आज खुद ही हाउस को बता दिया कि इनकी जन्म तिथि 1.10.1964 है। अध्यक्ष महोदय, मेरी जन्म तिथि 1.8.1964 है। इसलिए मैं इनसे बड़ा हूं। इसलिए आज के बाद में कभी ये कुछ बोलेंगे तो निश्चित रूप से मैं यह देखूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिये, इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई चिंता नहीं करें।

राजस्थान रोडवेज, अगर आंकड़ों पर देखें, तो यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले भी मौका मिला था, 2004-08 तक मैं ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर रहा था, उस समय रोडवेज के घाटे को कम करके हम नीचे लाये थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस रोडवेज में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उन्हें एक या दो साल के अन्दर हम अच्छी परिस्थितियों में लाएंगे। इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, इनके जन्म दिन पर जो रोडवेज जन्मा, उसको यह सरकार कतई नहीं मारेगी, यह मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि सरकार को सरकार रहने दें; सरकार को सरकार ही रखनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी नहीं है कि सरकार बिजनेस करे, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। सरकार का काम है गवर्नेंस। सरकार अगर बिजनेस में उलझ गई तो फिर सरकार बिजनेस में ही अटक कर रह जाएगी। आप गुड गवर्नेंस नहीं दे पाओगे, अच्छा स्वराज नहीं दे पाओगे। इसलिए सरकार को सरकार ही रखेंगे, सरकार को कभी व्यापारी नहीं बनाएंगे। यह निवेदन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक बातें कही गईं और मैंने घाटे का जिक्र भी किया। इसमें अगर सारे आंकड़े उठाकर हम देखेंगे तो...

श्री अध्यक्ष: सब कवर कर लिया आपने।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस अब ज्यादा नहीं; मैं आपकी भावना को भी समझ रहा हूं और सारी बातों को समझ रहा हूं। सब विद्वान लोग हैं, ये सब समझते हैं। हमारी इसमें जो भावना है उसको भी ये समझते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन-चार मुद्दे उठे थे उनका छोटा सा जवाब देते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कृषि

(श्री युनुस खान)
उपज मण्डी जोधपुर की जो बात कही, हालांकि वह इस बिल विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं रखती।

श्री अध्यक्ष: तो फिर आप क्यों जवाब दे रहे हैं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक परम्परा रही है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। इस बिल से जुड़े हुए भी दो इश्यू उठे थे।

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी कि इस टर्मिनल में खण्ड 3 को अधिसूचित करने के प्रावधान, इस विषय में इन्होंने जितनी बात कही, उसका जवाब एक ही है, पहले अथोरिटी बनेगी, उसके बाद राज्य सरकार इस अथोरिटी को कोई प्रोपर्टी देगी, तब जाकर वह टर्मिनल अधिसूचित होगा। इसलिए आप ज्यादा इस तरीके की बात नहीं कहें।

(19.00 बजे)

एक हमारे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अतिक्रमण की बात कही, खण्ड 2(6) में। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, एन्क्रोचमेंट के दो अर्थ हैं और विधि शब्दावली हमेशा अधिक्रमण है, अतिक्रमण एक तरीके से रूपान्तरण है। बाकी विधि में जो है...

आज भी, हमारे पूर्व विधि मंत्रीजी बैठे हैं, जिन्होंने आज संस्कृत में अपनी बात को बहुत मजबूती से नारी के पक्ष में रखा। यह जो हमारा प्राधिकरण है, माननीय मंत्री महोदय, हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने नारी के पक्ष में जो बात कही, आज कोई भी महिला इन बस टर्मिनल के अभाव में अगर कहीं पर भी अपनी सुविधाओं का उपयोग करना चाहे, तो वहां पर सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि उनको सुविधाएं मिलें। उसके लिए हम यह टर्मिनल लेकर आये हैं।

मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की कतई मंशा ऐसी नहीं है कि इस प्रोपर्टी को बेच दे, सरकार कतई नहीं बेचेगी। रोडवेज को, बिलकुल जितना संरक्षण सरकार दे सकती है, उतना देगी। राजस्थान की जनता को, सुविधाएं देने की जिम्मेदारी हमारी है, यह नहीं कि कुछ लोगों के लिए या पर्टिकुलर एक कारपोरेशन के लिए हम राजस्थान की जनता को सुविधाओं से वंचित रखें। इसलिए आज यह विधेयक रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना

(श्री युनुस खान)

चाहता हूं कि जब यह प्राधिकरण बन जाएगा, उसके बाद में नियम और विनियम बनेंगे। उसके बाद हम तय करेंगे। यह फेजवाइज होगा। यह रातोंरात न सारे बस अड्डे डवलप होने हैं, न सारे बस अड्डे अधिग्रहित होने हैं। इसलिए इतना ही कहते हुए, मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री केसाराम चौधरी ...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्षजी, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं आपसे कि टैरिफ एक होगी प्राइवेट बसेज की और रोडवेज की, या वहां भी टैरिफ दो चलेंगी? बस यही पूछना चाहता था।

श्री अध्यक्षः विराजिये। विराजिये। जवाब देंगे क्या? नोट कर लीजिये। इस पर विचार कीजिये।

प्रश्न यह है कि श्री केसाराम चौधरी, श्री मदन राठौड़, डाक्टर फूलचन्द भिण्डा, श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, सदस्य ने राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः अच्छा, आपने बोला नहीं था। अनुमति चाहने वालों में आपका भी नाम जोड़ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि श्री केसाराम चौधरी, श्री मदन राठौड़, डाक्टर फूलचन्द भिण्डा, श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य ने राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक पर जन मत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(श्री अध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाये॰

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

2 से 41 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 41 स्वीकार किये जायें॰

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 41 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री युनुस खान, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक का पारण

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे॰ (व्यवधान) आप बोलिए, दस मिनट।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, मैं दस मिनट भी नहीं लूंगा। मैं फालतू की बात करूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप शोर्ट में बोलते हैं, पक्का।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बिलकुल। अध्यक्ष महोदय, जो बहस हो चुकी, मैं उस पर बिलकुल बात नहीं करूंगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, आपकी बात से तो ये बहुत प्रभावित हुए हैं। क्योंकि सहृदयता आप महिलाओं से जितनी रखते हैं, मंत्रीजी तीन बार बोले हैं। तो ये तो जल्दी पास कराएंगे ही कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: यह क्या संकेत था आपका? हां, आप बोलिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो चर्चा हुई, मैं रोडवेज के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, बहुत चर्चा हो चुकी। जितनी भी बहस हुई है, चाहे वह ट्रैजरी बेंचेज से हुई हो, चाहे अपोजिशन बेंचेज से हुई हो, एक बात साफ निकल कर आई है कि यह जो बिल आया है, यह जनता के हित में नहीं है। यह एक प्रयास है कि जो पब्लिक असेट्स हैं, उन्हें उठा करके एक प्राइवेट सेक्टर को देने का है। इस पर तो मैं इतना ही बोलूंगा।

मैं सीधा बिल के ऊपर आता हूं। इसमें यह लिखा हुआ है, चैप्टर 2 (3) में, "With effect from the date of notification under sub-section (1), the premises specified in the said notification and the property therein shall vest in the Authority and may be utilised by the Authority…" By one stroke of notification of the Government. of Rajasthan, जिसको भी चाहें, सारों को एक साथ चाहते हैं तो एक नोटिफिकेशन के तहत ये सारे इस अथोरिटी में चले जाएंगे। Already the RSRTC is a Corporation, Sir. यह जो राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल डवलपमेंट अथोरिटी आयी है, उसका दूसरा बिन्दु यह कहता है "The Authority shall be a body corporate." This is also a body corporate.

मेन बात यह आ रही है, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि न कोई बेच पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे, मैं इसी के नीचे की लाइन पढ़कर बता रहा हूं, "The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold, and dispose of property, both movable and immovable, and to contract…" साफ लिखा हुआ है, "dispose of property, both movable and immovable". शुरू में ही दिया हुआ है इसके अन्दर।

उसके बाद में, मैं बताता हूं, इसका गठन कैसे होगा, "The Authority shall consist of—(a) a Chairperson, to be appointed by the State Govternment…" बात समझ में आ गयी, "(b) 4 full time members, to be appointed by the State Government. by a notification..'' एक तो चेयरमैन होंगे इसके, चार

(श्री नवीन पिलानिया)

इसके फुलटाइम मेम्बर होंगे और उसके बाद में 6 पार्ट टाइम मेम्बर होंगे, अध्यक्ष महोदय। जो छह पार्ट-टाइम मेम्बर होंगे, उनमें से तीन तो डिफाइन कर दिये हैं, वे तीन सरकारी अधिकारी हैं, 3 Secretaries of the State Government of the Finance Department, the Planning Department and the Transport Department. जो छह पार्ट-टाइम हैं, उनमें से तीन तो ये सेक्रेटरी हैं। उसके बाद में बताते हैं कि बाकी तीन जो पार्ट-टाइम मेम्बर होंगे, वे क्या होंगे, "...and the remaining three shall be eminent persons from the field of management, finance, banking, transport services, engineering, architecture, hotel and restaurant, commerce and industry and legal or accountancy profession.'' इनके बारे में तो बता दिया।

अब मजे की बात यह है, जो इनका चयन होगा, उसके लिए, चयन किनका होगा, अध्यक्ष महोदय, चयन केवल होगा "The Chairman and full time members shall be appointed by the State Government on the recommendation of a screening committee ." जो बाकी तीन पार्ट-टाइम मेम्बर हैं, उनका चयन इस समिति से नहीं होगा। जो चयन होगा, स्क्रीनिंग कमेटी जो चयन करेगी, वह चेयरमैन का करेगी और जो चार फुल-टाइम मेम्बर हैं, उनका करेगी। अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे, यह भी सरकार की ही रहेगी। अब मैं बताता हूं, और यह पांच मेम्बर की कमेटी है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें one is Chief Secretary of the State और तीन मेम्बर जो मैंने पहले बताये हैं, जो तीन सेक्रेटरी थे ना, जो फाइनेंस के, प्लानिंग के और ट्रांसपोर्ट के वह तीनों सेक्रेटरीज इसमें भी हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में, और एक सेक्रेटरी और जोड़ लिए गये हैं, वह पी.डबल्यू.डी. के सेक्रेटरी हैं।

इसके अन्दर यह प्रावधान है कि हर चीज "all questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting." हर डिसिजन वोटिंग से होगा।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे जरा गणित बताइये। कुल मिला करके 11 मेम्बर हैं, चेयरमैन को मिला करके। चेयरमैन और जो चार परमानेंट मेम्बर हैं, उनको कौनसी स्क्रीनिंग कमेटी चुनेगी?

जिसमें तीन मेम्बर जो पहले ही पार्ट-टाइम मेम्बर हैं, वे तो हैं ही और उनको चुनने वाले भी ये तीन मैम्बर हैं। तो यह सारे मिलकर, इसमें तो मैजोरिटी दूसरे की कभी आ ही नहीं सकती। जो चाहेंगे वह होगा। यह कैसे जस्टिफाई करते हैं? आप जरा यह तो बताइए, मंत्री महोदय। यह एक विशेष

(श्री नवीन पिलानिया)

प्रश्न है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है, पांच आदमियों की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके अन्दर तीन मेम्बर वे हैं जो आलरेडी उसके अन्दर पार्ट-टाइम मेम्बर हैं। फिर मैजोरिटी वोट कैसे निकलकर आएगा?

और, यह कहीं पर भी नहीं बताया है कि चेयरमैन कौन हो सकता है। बाकी के बारे में तो बताया है, और चार जो मेम्बर हैं, जो फुल-टाइम मेम्बर रहेंगे, वे कौन हो सकते हैं? Are they going to be public servants? Are they going to be retired public servants? क्या कोई पब्लिक रिप्रजेंटेटिव होगा? कहीं कोई पब्लिक रिप्रजेंटेटिव को इसमें जगह मिलेगी, इन चार मेम्बरों में से और चेयरमैन में से? क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी? कुछ नहीं। It can be any-one. It can be an industrialist. कोई भी व्यापारी हो सकता है इसमें। कैसे भी आ सकते हैं। कोई अंकुश नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई रिटायर्ड जज होगा क्या? कौन होगा? कुछ भी नहीं है।

तो मैं यह बताता हूं कि फिर कंट्रोल स्टेट का रह कैसे गया इसमें। जब हर चीज वोटिंग से होनी है और वह प्रोसीजर जो चयन का है, या तो यह सलेक्शन कमेटी हो, वह हाउस उसका चयन करे कि इसमें मेम्बर कौन-कौन जाएंगे। जो चार फुल-टाइम मेम्बर हैं, वे कौन और चेयरमैन कौन हो, वह हाउस तय करे। तब तो सरकार का कंट्रोल है, वरना सरकार का कंट्रोल कैसे है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और, मैं लम्बी बात नहीं करता। और भी इसमें हैं।

श्री अध्यक्ष: बस, आपका जवाब आ जाएगा, इसका।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): धन्यवाद। धन्यवाद। मेहरबानी।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट है कि यह जो प्राधिकरण है, यह जो फैसला लेगा, उसके बाद में राज्य सरकार से उसको अनुमति लेनी आवश्यक है। इसलिए यह शंका करना कि वह मनमर्जी के फैसले कर लेंगे, यह प्राधिकरण इस हाउस के प्रति भी जवाबदेह है। इस प्राधिकरण को, इसमें सारा मेंशन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें जो नियम और विनियम बनेंगे, उसके तहत यह सारी चीजें तय होंगी। अभी तो यह प्राधिकरण बन रहा है। पहले इसके नियम बनेंगे, जो

(श्री युनुस खान)

राज्य सरकार बनाएगी। उसके बाद में यह प्राधिकरण उसके विनियम बनाएगा, जो अपने कर्मचारियों की भर्ती करेगा। इसलिए इसमें सारा मेंशन है। आमेर से आने वाले माननीय सदस्य को आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पारित किया जाता है।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 । श्री राजेन्द्रजी राठौड़, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई विचार रखेंगे? आपका तो नाम नहीं है। अच्छा, आपको कुछ कहना है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी अनुमति हो तो। एक पाइंट आफ आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन की परम्परा रही है, क्योंकि इस प्रकार की जब हम चाहे हमारे पूर्व विधायकों की बात, पेंशन और परिलब्धियां बढ़ाने की बात करें या हमारे माननीय विधायकों की करें, तो लगभग-लगभग हम पक्ष और प्रतिपक्ष सारे आपस में विचार-विमर्श करके करते हैं। आज तक कभी भी इस बिल पर बहस नहीं हुई। यह नई बात कहां से हो गयी? इसलिए मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः एक मिनट। आप इसके अलावा कोई बात करना चाहते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्षः पाइंट आफ आर्डर है। हां, बोलिए।

सूचना

नागौर के बसवानी गांव में दलित परिवार के साथ आगजनी व हमला

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पाइंट आफ आर्डर है। इस पर नहीं बोल रहा हूं मैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही अति-महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदर थाना नागौर के अन्तर्गत बसवानी गांव है। वहां पर एक दलित समाज, जिससे आप भी आते हैं, दलित समाज को रात को घुसकर जला दिया गया। एक महिला की मौत हो गयी, एक बेटा और पोता घायल हो गया। डेढ़ महीने से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह परिवार धरने पर बैठा है। राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः आप विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही करवाइए। दोषियों को चिह्नित कर लिया, फिर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्षः विराजिए। No point of order. No point of order.

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार।

खण्ड-2 से 4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रस्ताव कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 । प्रभारी मंत्री, श्री युनुस खान।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः यस। व्यवस्था का प्रश्न है, विराजिए।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयकों में प्रस्तावित संशोधनों से सम्बन्धित मूल अधिनियम के प्रावधानों का उद्धरण अनिवार्य रूप से होना चाहिये

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्रीजी राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 2014 में संशोधनों की सूचना लेकर आये हैं। यह विधेयक एक साल पहले इस सदन में पारित किया गया है। आप इसको पढ़ेंगे, विधेयक के खण्ड-12 के उप खण्ड (1) का विद्यमान 'परंतुक' हटाया गया। 'परंतुक' क्या था, जिसको हटाया गया? अगर, आप इस सदन से संशोधनों की सूचना को एप्रूव करवाना चाहते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक जो भी संशोधन विधेयक आते हैं, जो मूल विधेयक है, उसका कौनसा उद्धरण है, जिसको चेंज किया जाता है, वह उसमें लिखित रूप से आता है। इसमें एकाध शब्दों का उल्लेख करके इस शब्द की जगह यह रखा जाएगा, लेकिन जितने खण्ड हटाये गये हैं वे मूल उद्धरण में क्या हैं, कहीं भी वह कोई उल्लेख नहीं है।

इससे बड़ी तकलीफ की बात कि जो संशोधनों की सूचना एक बार आ गयी, गवर्नर महोदय के लौटाने के बाद, उसमें भी फिर कई कमियां रह गयीं तो फिर दुबारा आ गयीं। इस लेवल की जो लापरवाही किसी भी स्तर पर बरती जाती है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन होना चाहिए, या भविष्य में किसी प्रकार की गलती नहीं हो। इस पर मैं आसन की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर पहले लम्बी-चौड़ी बहस हो चुकी है, बहस होने के बाद केन्द्र में भेजा गया और केन्द्र से, यह एक कनकरेंट विषय है और कनकरेंट विषय होने के कारण केन्द्र ने कुछ निर्देश दिये जो मैंने आपके सामने बताये थे, पढ़कर बताये थे कि ये आर्टिकल्स या सेक्शंस केन्द्र की सरकार से टकराव खाते हैं, उनको ड्राप कर दिया जाए। वे ड्राप किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूर है कि सबको आपको, जैसा आपने एतराज किया, वह मान्य तो है लेकिन उसको मैं रूल आउट करता हूं और प्रभारी मंत्री को पेश करने के आदेश देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आदेश तो दें लेकिन सरकार को निर्देश तो जरूर दे दें, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हैं, उनके साथ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मूल बिल तो आना ही चाहिए। यह तो कम से कम इनको निर्देश दे दें आइंदा के लिए। आज तो नहीं, आज तो छूट दे दें।

श्री अध्यक्षः मैंने तो मान्यता कर दी, उनके पाइंट-आफ-आर्डर से ही मैंने मान्यता कर दी और मान्यता के साथ ही सरकार को यह सचेत हो जाना चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई लापरवाही होगी तो उसको बरदाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): Very good.

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें मैं निवेदन कर दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः हां, कीजिए न। आपको तो रखना ही है। रखना ही है आपको। आप तो रखो। मैंने अनुमति कर दी है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अच्छा, ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस आसन से जो व्यवस्था दी, वह शिरोधार्य है, पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि जब कभी भी इस प्रकार के विधेयक में, जो कनकरेंट लिस्ट में होते हैं, राष्ट्रपति महोदय के यहां से आपत्ति आती है और उसके अनुसार जब भी संशोधन होता है तो चूंकि मूल विधेयक में लम्बी-चौड़ी बहस हो चुकी होती है, इसलिए यहां तो सिर्फ मूव करना होता है माननीय प्रभारी मंत्री महोदय को। इस पर पहले कभी बहस नहीं हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बहस कहां करा रहे हैं? हां, नहीं करा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, ठीक है।

विधेयक पर पुनर्विचार

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 पुनर्विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्षः श्री प्रहलाद गुंजल। बोलेंगे क्या? क्या बोलना है? सब आ गया। आप भी जरा इस मामले में उदारता बरतें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप तो प्रश्न पूछो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस, नहीं। नो-नो-नो। आपका नाम नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): इसमें बोलने की परम्परा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नियमों में है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): इसमें साफ लिखा हुआ है, जो गवर्नर साहब ने भेजा है, उसमें लिखा हुआ है "...hereby return the Bill and request the House of the State Legislature that the Bill be reconsidered and provisions which have….." रिकंसिडर के लिए गवर्नर साहब का पढ़कर बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): रिकंसिडर तब होता है जब गवर्नर साहब के निर्देशों की पालना नहीं होती। गवर्नर साहब के निर्देशों की पालना करके इसको सरकार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को पुनर्विचारार्थ लिया जाए? यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, यही है।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न है। प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को पुनर्विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुनर्विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-8, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-8, विधेयक के खण्ड-8 के उप-खण्ड (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''साठ दिवस'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''नब्बे दिवस'' प्रतिस्थापित की जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह कि खण्ड-8 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-8 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-12, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-12 के उप-खण्ड (1) का विद्यमान परन्तुक हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-12 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-18, प्रभारी मंत्री।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-18 के विद्यमान उप-खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात- ''(3) ऐसी फीस जब इस प्रकार उद्‌गृहीत की जायेगी तो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार संगृहीत की जायेगी और कोई व्यक्ति जो फीस के संग्रहण का किसी भी रीति से परिवर्जन या अपवंचन करता है वह, इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय फीस के एक तिहाई के बराबर जुर्माने के संदाय का दायी होगा।''

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-18 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-18 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-18 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड-19, प्रभारी मंत्री।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-19, विधेयक के खण्ड-19 में-

(i) उप-खण्ड (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''औद्योगिक सम्पदाओं, वाणिज्यिक काम्पलेक्सों और उपनगरों'' के स्थान पर अभिव्यक्ति "उपनगरों या औद्योगिक कारीडोरों" प्रतिस्थापित की जाये; और

(ii) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "औद्योगिक सम्पदाओं और उपनगरों'' के स्थान पर अभिव्यक्ति "बस्तियां, उपनगरों और औद्योगिक कारीडोरों'' प्रतिस्थापित की जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-19 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-19 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-19 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-32, प्रभारी मंत्री।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-32 के उप-खण्ड (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "होते हुए भी'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" के पूर्व अभिव्यक्ति "मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अध्याय 8 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए'' अंत:स्थापित की जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-32 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-32 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-32 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड-60, प्रभारी मंत्री।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 60 में-

(i) उप-खण्ड (2) में-

(क) पैरा (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उनके सुरक्षित और'' से पूर्व अभिव्यक्ति "मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अध्याय 8 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए'' अंत:स्थापित की जाये,

(ख) विद्यमान पैरा (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात्:-

"(च) इस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को सम्मिलित करते हुए, राजमार्ग के आसपास की बस्तियों, उपनगरों या औद्योगिक कारीडोरों को प्रोत्साहित और उनके विकास को सक्षम बना सकेगा,''

और

(ii) विद्यमान उप-खण्ड (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(6) उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजमार्ग के सामीप्य की बस्तियों, उपनगरों या औद्योगिक कारीडोरों के, ऐसे क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने और किसी राजमार्ग के फायदों को बढ़ाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण राज्य सरकार के परामर्श से, विकास की योजना बना सकेगा, उसे प्रोत्साहित कर सकेगा और सक्षम बना सकेगा। ऐसी बस्तियों, उपनगरों और औद्योगिक कारीडोरों का विकास राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो ऐसे अनुमोदन में विनिर्दिष्ट की जा सकें, किया जायेगा। प्राधिकरण, धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, ऐसी बस्तियों, उपनगरों या औद्योगिक कारीडोरों के विकास के लिए भूमि का अर्जन इस प्रकार कर सकेगा मानो कि ऐसा अर्जन राजमार्ग के प्रयोजन के लिए हो।''

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-60 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-60 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-60 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड'79, प्रभारी मंत्री।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-79 में विद्यमान अभिव्यक्ति "असुरक्षित ढंग से वाहन चलाना'' के पश्चात् और अभिव्यक्ति "जो कोई भी'' से पूर्व अभिव्यक्ति "मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अध्याय 8 के उपबंधों के अध्यधीन'' अंत:स्थापित की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-79 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-79 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-79 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-80, प्रभारी मंत्री।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-80 में विद्यमान अभिव्यक्ति "या जुर्माने से'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "जो एक लाख रुपये'' के पूर्व अभिव्यक्ति "जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु'' अंत:स्थापित की जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-80 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन किया स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-80 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-80 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-82, प्रभारी मंत्री।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-82 में विद्यमान उप-खण्ड (2) को उसके परन्तुकों सहित हटाया जाए।

विधेयक के खण्ड 82 में विद्यमान उप-खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन यान का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, अभिग्रहण के बारह घण्टों के भीतर-भीतर, अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में अपराध की शिकायत फाइल करेगा और यान, साथ ही उस पर लदे हुए किसी भी माल के, अधिग्रहण की रिपोर्ट उक्त न्यायालय को करेगा और न्यायालय यान, और उस पर लदे हुए माल, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 34 के अधीन कार्यवाही करेगा।"

श्री अध्यक्ष: खण्ड 82 ही है न यह?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसमें तो नहीं है। जो हमें दिया गया है, उसमें मंत्रीजी ने जो पढ़ा, वह नहीं है। 82 में केवल एक लाइन ही है। यह कहां से पढ़ा मंत्रीजी ने? बताओ मुझे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं बोल लूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, बता तो दें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह 82 का (2) है। पहले हमने दिया, उसके बाद में हमने दुबारा संशोधन भेजा। उसमें 82 के (2) में इसको रिप्लेस किया, जो अभी मैंने पढ़ा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे पास तो आया नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले जो भेजा था, उसमें है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे पास तो आया नहीं अभी तक।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): है, उसमें है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, उसमें है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सर्कुलेट हुआ है। पहले वाले में है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज की डाक में जो मिला है न, उसमें नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कागज लेकर आया करो। देखो न, कागज लेकर आया करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतना बड़ा परिवर्तन है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भूल गये होंगे। घर से लाना भूल गये होंगे।

श्री अध्यक्ष: भूले नहीं, लेकिन यह भेजा था डाक से, आप तक पहुंची नहीं होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वैसे भी, अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्रीजी आपको भेजे नहीं और यहां खड़े होकर मौखिक रूप से भी कोई संशोधन प्रस्तुत कर दें, तो भी स्वीकार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पढ़ लिया न?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हैं?

श्री अध्यक्ष: आपने संशोधन प्रस्तुत कर दिया न?

प्रश्न यह है कि खण्ड-82 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-82 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-82 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-83, प्रभारी मंत्री।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का विद्यमान खण्ड-83 हटाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-83 को विलोपित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-83 को विलोपित किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-83 विलोपित किया गया।

खण्ड-84.

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड-84 में-

(i) विद्यमान उप-खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

'(1) यदि राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत रियायतग्राही का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग, किसी यान का अभिग्रहण या परिबंधन करने के लिए करता है, वह निम्नलिखित का अनुपालन करेगा:-

(क) वह हल्के नीले रंग की वर्दी और गहरे रंग की टोपी पहनेगा, सीने पर उसका नाम प्रदर्शित होगा और रियायतग्राही द्वारा जारी किया गया और इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया पहचान-पत्र रखेगा;

(ख) वह कैमरे में अपराध को पकड़ेगा या पकड़वायेगा और ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को मांग करने पर दिखायेगा; और

(ग) वह, अभिग्रहण के बारह घंटों के भीतर-भीतर, अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में अपराध की शिकायत फाइल करेगा और यान, साथ ही उस पर लदे हुए किसी माल के अभिग्रहण की रिपोर्ट उक्त न्यायालय को करेगा और न्यायालय यान, और उस पर लदे हुए किसी माल, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 34 के अधीन कार्यवाही करेगा।''; और

(ii) उप-खण्ड (2) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति 'या किसी अपराध के शमन' हटायी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-84 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-84 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-84 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-85, प्रभारी मंत्री।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का विद्यमान खण्ड-85 हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-85 को विलोपित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

मुझे भ्रमित कृपया मत कीजिए। कहीं मैं यूं ही बोल दूं इधर से उधर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सारे ही हटा दोगे तो फिर एक्ट क्या बचेगा? अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दो। सब कुछ ही हटा रहे हो, फिर बचा क्या है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-85 को विलोपित किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-85 विलोपित किया गया।

खण्ड-87.

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का विद्यमान खण्ड-87 हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-87 को विलोपित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-87 को विलोपित किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड-87 विलोपित किया गया।

खण्ड-90.

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का विद्यमान खण्ड-90 हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-90 को विलोपित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-90 को विलोपित किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-90 विलोपित किया गया।

खण्ड-92.

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का विद्यमान खण्ड-92 हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-92 को विलोपित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

मैं ना करने का मौका ही नहीं दूं आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे विधेयक को ही हटा दिया जाय। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री का नाम ही विलोपित कर दिया जाए तो खतम ही हो जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खण्ड-93 ।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का विद्यमान खण्ड-93 हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष: हैं, यह रह गया था क्या? यह रह गया था, गलती थोड़ी हो गयी है, हमारे सचिवालय से आया है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-92 को विलोपित किया जाय?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-92 विलोपित किया गया।

खण्ड-93.

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का विद्यमान खण्ड-95 हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष: 93 है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, मैंने 93 पहले रख दिया था, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: रख दिया था क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने 93 रखा था।

श्री अध्यक्ष: अच्छा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का विद्यमान खण्ड-93 हटाया जाये, दुबारा बोल देता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोल दिया था मैंने।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-93 को विलोपित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-93 को विलोपित किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-93 विलोपित किया गया।

खण्ड-95.

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का विद्यमान खण्ड-95 हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-95 को विलोपित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-95 को विलोपित किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-95 विलोपित किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 1 में,-

(i) विद्यमान उप-खण्ड (3), के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

'(3) यह ऐसी तारीख को और से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी भी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा:

परन्तु यह और कि भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 105 की उप-धारा (2) के अधीन उस अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में इस अधिनियम को सम्मिलित किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार, धारा 5 से 15 तक के और धारा 60 की उप-धारा (6) के उपबंधों के प्रारम्भ के लिए, ऐसी तारीख नियत कर सकेगी।'',

(ii) विद्यमान उप-खण्ड (4) को हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-1 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री अब खण्डों को पुनर्संख्याकित किये जाने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 के खण्ड 83 से 114 को पुनर्संख्याकित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन द्वारा विधेयक के खण्ड क्रमश: 83, 85, 87, 90, 92, 93 व खण्ड-95 को विलोपित किये जाने के फलस्वरूप प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के खण्ड-83 से 114 को पुनर्संख्याकित किये जाने का जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: सब आपके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, इसलिए सीधे ही कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 संशोधित रूप में पारित किया गया।

देखिये, आसन पैरों पर है, इसलिए कोई उठेगा नहीं। मैं रिज्यूम दे रहा हूं आपको।

घोषणा

चतुर्थ सत्र में लिये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र जो दिनांक 25 फरवरी, 2015 से प्रारम्भ हुआ था, आज दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रहा है।

यह प्रथम अवसर है जब बजट सत्र में कुल 26 बैठकें हुई, जो पिछले 20 वर्षों में सर्वाधिक है। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 9 अप्रैल, 2015 तक कुल 193 घंटे सदन की बैठक हुई, जो आज की कार्यवाही समाप्त होने तक लगभग 200 घंटे पहुंच गई। दसवीं राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)
विधान सभा के चतुर्थ सत्र के पश्चात् यह प्रथम अवसर है जब कि एक सत्र में 200 घंटे से अधिक विधान सभा की कार्यवाही चली। राज्य में हुई अत्यधिक ओलावृष्टि व बेमौसम की लगातार हुई वर्षा से किसानों की नष्ट हुई फसल की क्षति का आकलन किये जाने हेतु सत्र की महत्वपूर्ण बैठकों को स्थगित कर माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने समस्त माननीय सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने हेतु आग्रह किया। विधान सभा के इतिहास में यह भी प्रथम अवसर है जब रविवार, दिनांक 22 मार्च 2015 को भी सदन की बैठक रखी गई।

शहीदों को नमन

महान् क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर दिनांक 23 मार्च, 2015 को सदन द्वारा उनकी शहादत को नमन किया गया।

बधाई संदेश

सदन द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2015 को पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 'भारत रत्न' दिये जाने पर सदन द्वारा उन्हें बधाई दी गई तथा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को शिक्षा के क्षेत्र में दिये गये उनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मरणोपरान्त 'भारत रत्न' से विभूषित किये जाने पर सदन द्वारा इस सम्मान के लिए उनको नमन किया गया।

प्रश्न

इस सत्र में माननीय सदस्यों से कुल 6,931 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 6,887 प्रश्न स्वीकृत किये गये। स्वीकृत प्रश्नों में तारांकित प्रश्न 3,213 एवं अतारांकित प्रश्न 3,674 हैं। कुल 486 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 87 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। इसी तरह 738 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य विधान सभा द्वारा आधे घंटे की चर्चा भी उठाई गई।

प्रक्रिया के नियम-50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-50 के अन्तर्गत 101 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से राज्य सरकार को 5 प्रस्ताव उत्तर प्राप्ति हेतु प्रेषित किये गये। इनमें से 3 प्रस्तावों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं तथा 2 के उत्तर प्राप्त होने शेष हैं। 36 माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से अपने विचार रखे एवं 26 विषयों पर राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई।

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त 254 विशेष उल्लेख की सूचनाएं सदन में पढ़ी गईं/पढ़ी हुई मानी गईं। जिनमें से 84 सूचनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है।

प्रक्रिया के नियम-131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उक्त नियम के अन्तर्गत 470 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। उनमें से 183 के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गये हैं। इनमें से 6 प्रस्ताव सदन में सम्बन्धित मंत्री का ध्यानाकर्षित करने हेतु कार्य-सूची में सूचीबद्ध किये गये।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को सदन में अपना अभिभाषण दिया गया, जिस पर सदन में 4 दिन चर्चा हुई, जिसमें 42 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 पर सामान्य वाद-विवाद एवं अनुदान की मांगों पर विचार

दिनांक 09 मार्च, 2015 को आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016 सदन में उपस्थापित किया गया, जिस पर 4 दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ, जिसमें 59 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित 19 अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा हेतु 8 दिवस नियत किये गये। अनुदान की मांगों पर 3,689 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 3,334 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये एवं 335 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किये गये। अनुदान की मांगों पर विभिन्न तिथियों को हुई चर्चा में कुल 185 सदस्यों ने भाग लिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह नयी परम्परा चालू की है क्या?

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, रिज्यूम दिया जाता है। जब भी सत्र का सत्रावसान होता है, उसके पहले सत्र का रिज्यूम दिया जाता है। पार्लियामेंट में भी यह रिज्यूम दिया जाता रहा था। इसलिए मैंने भी यह रिज्यूम यहां देना उचित समझा, जिससे कि आपको सब जानकारी मिल सके।

(श्री अध्यक्ष)

विधायी कार्य

वर्तमान सत्र में कुल 24 विधेयक पुर:स्थापित किये जाकर 22 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये एवं एक विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया। विधेयकों पर माननीय सदस्यों से कुल 340 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 36 अग्राह्य किये गये तथा 304 संशोधन ग्राह्य किये गये।

गत सत्र में प्रवर समिति को निर्दिष्ट राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 का प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

गत सत्र में पारित राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया। इसे सदन द्वारा पुन: पारित किया गया।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

प्रतिदिन शून्य काल में माननीय सदस्यों को ज्वलंत समस्याओं और विभिन्न जन हित के मुद्दे उठाने का अवसर उनके द्वारा दी गई पर्चियों, आदि के आधार पर दिया गया। 87 माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई पर्ची के आधार पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया। यहां यह भी उल्लेख करना है कि पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषयों पर राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है, फिर भी पर्ची के माध्यम से उठाये गये 79 विषयों पर तत्काल राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई।

याचिकाएं

सदन में 71 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गईं।

विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

सत्र में विभिन्न समितियों के कुल 62 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये।

सदाचार समिति का गठन

नियम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई सिफारिश की अनुपालना में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों में सदाचार समिति के गठन का प्रावधान किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रदेश में हुई ओलावृष्टि एवं बिजली की स्थिति पर विचार

माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश में बेमौसम की वर्षा तथा ओलावृष्टि से किसानों की नष्ट हुई फसल की गम्भीरता को देखते हुए दिनांक 16 मार्च, 2015 को प्रश्न काल स्थगित कर इस विषय पर चर्चा की गई, जिसमें 100 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। किसी एक विषय पर पूर्व में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग नहीं लिया।

राज्य में बिजली की स्थिति पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को सदन में विचार हुआ, जिसमें 29 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

अंत में, मैं सभापति तालिका के सदस्यों को, माननीय तिवारीजी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वे भी बैठे होंगे न ज्ञानजी। राव साहब चले गये।

अंत में, मैं सभापति तालिका के सदस्यों को उनके द्वारा सहयोग देने पर धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री एवं विभिन्न दलों के नेताओं, मुख्य सचेतक तथा सभी माननीय सदस्यों का उनके द्वारा सदन के कार्य संचालन में दिये गये सहयोग के लिए अत्यन्त आभारी हूं।

इस अवसर पर मैं विधान सभा के अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके द्वारा सत्र कार्य में दिये गये सहयोग एवं पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सत्र के दौरान उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही सभा की कार्यवाही के संचालन में राज्य सरकार के समस्त विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सहायता के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से मीडिया-कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यहां की बहस को जनता तक पहुंचाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया।

अब जन गण मन होगा। सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

राष्ट्रगान।

(श्री अध्यक्ष)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात,
मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा।
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना,
गंगा, उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तव जय गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.51 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

निवाई के बस स्टैण्ड को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाना

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बस स्टैण्ड संचालित है। यह बस स्टैण्ड 1962 में तब निर्मित हुआ था जब राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट विभाग संचालित था। अब यह बस स्टैण्ड राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित हो रहा है।

उक्त बस स्टैण्ड निवाई शहर के व्यस्ततम बाजार में स्थित है। यहां पर बालाजी मंदिर, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, राजकीय सामुदायिक अस्पताल संचालित हैं। इस बस सटैण्ड के कारण अस्पताल आने वाले मरीजों तथा स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां पर आये दिन ट्रैफिक जाम रहता है। इस बस स्टैण्ड के कारण कई दुर्घटनाएं भी होती हैं जिनमें कई लोगों की जानें भी चली गयी हैं। बस स्टैण्ड के आसपास निजी वाहन भी बेतरतीब ढंग से खड़े रहते हैं जिसके कारण आम जनता को भारी परेशानी होती है। यदि यह बस स्टैण्ड निवाई शहर से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाय तो आम जनता को भारी राहत मिलेगी। इसके लिए नगरपालिका भूमि भी उपलब्ध कराने की तैयार है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय यातायात मंत्रीत्री से निवेदन है कि रोडवेज के इस पुराने बस स्टैण्ड को यहां से हटाया जाकर शहर से बाहर स्थानान्तरित किया जाय।

हीरालाल
(निवाई)

पोकरण के नव-क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय-व्याख्याताओं की नियुक्ति

निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पोकरण जिला जैसममेर जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है तथा अधिकांश लोग ढाणियों में निवास करते हैं तथा

ढाणियां भी दूर-दूर तक छितराई हुई हैं, इस कारण प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित रा उ मा वि में राज्य सरकार के मानदण्डानुसार पर्याप्त छात्र संख्या हो पाना सम्भव नहीं है। इस कारण जिन विद्यालयों में विज्ञान संकाय शुरू किया जा चुका है, इनमें शिक्षण करवाया जाना बिना व्याख्याताओं के सम्भव नहीं है।

इस दृष्टि से राजकीय नवक्रमोन्नत रा उ मा वि विद्यालयों में हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षण-छात्र अनुपात 60 रखा है। यदि इससे कम छात्र संख्या होगी तो उन विद्यालयों में कक्षा 11 तथा 12 हेतु व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं होगी तथा इन विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी के अध्यापक ही अध्यापन करवाएंगे।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जैसलमेर जिले की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए नवक्रमोन्नत रा उ मा वि में शिक्षक-छात्र अनुपात में शिथिलता प्रदान करते हुए व्याख्याताओं की प्रत्येक विद्यालय में विषयवार नियुक्ति की जाए ताकि छात्र सम्बन्धित विषय-विशेषज्ञों से ज्ञानार्जन कर सकें।

शैतान सिंह

(पोकरण)

फतेहपुर की सीवरेज परियोजना के कार्य की गुणवत्ता की जांच

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया व संचालन नियम 295 के अन्तर्गत फतेहपुर में चल रहे सीवरेज के कार्य की गुणवत्ता की जांच व कार्य से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं।

फतेहपुर में वर्ष 2012 में तत्कालीन सरकार ने सीवरेज परियोजना स्वीकृत की थी। सीवरेज परियोजना का कार्य दो चरणों में पूरा होना था। पहले चरण के लिए 51.06 करोड़ रुपये से कार्य करवाना प्रस्तावित हुआ था। हैदराबाद की एक कम्पनी क्रुसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ने 14 फरवरी 2013 को कार्य शुरू किया था। टेंडर के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होना प्रस्तावित था। महोदय, सीवरेज परियोजना में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व नगरपालिका की भागीदारी क्रमश: 70, 20 व 10 फीसदी है।

मार्च 2015 बीतने को जा रहा है और अभी भी सीवरेज परियोजना

के प्रथम चरण का 80 प्रतिशत कार्य ही हुआ है। कम्पनी ने कार्य बंद कर रखा है। कम्पनी का कहना है कि सरकार की ओर से पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे में कार्य करना कैसे सम्भव है? कम्पनी की ओर से अभी तक 37 करोड़ का कार्य किया है व इसके बदले कम्पनी को 30.29 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। इस भुगतान में नगरपालिका की ओर से अपने हिस्से की राशि से एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है। इसके चलते कंपनी ने कार्य बंद कर दिया है। इससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सीवरेज कम्पनी ने सारे नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से कार्य किया है। कहीं पर गुणवता से कार्य नहीं किया, तो कहीं पर नियमों के विरुद्ध कार्य कर दिया; बिना इजाजत के सड़कें तोड़ दीं। नियमों के अनुसार एक गली का कार्य पूरा होने पर ही दूसरी गली में कार्य शुरू करना होता है लेकिन कम्पनी ने अपनी लागत बचाने के लिए एक साथ कई गलियों की सड़कें तोड़ दीं तथा दस-दस दिनों तक उन गलियों में कार्य शुरू नहीं किया। इससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वर्तमान में भी कम्पनी ने कार्य बीच में छोड़ रखा है। जहां पर सड़कें तोड़ी थीं, वे सड़कें टूटी पड़ी हैं, चैंबर खुले पड़े हैं। ऐसे में लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सीवरेज परियोजना के बाद कस्बे की सड़कों व गलियों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। कार्य धीमी गति से चलने तथा बीच में बंद होने की वजह से सीवरेज के बने चैंबर में कई दफा लोग गिरकर घायल हो गये तथा कई बार आवारा पशु गिरते रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए कम्पनी ने तथा अधिकारियों ने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई तथा कोई ठोस कदम नहीं उठाये।

सीवरेज कम्पनी ने सरकार व अधिकारियों को खुला चैलेज देते हुए भी गुणवत्ता का खुला मजाक उड़ाया है। कस्बे में कहीं भी गुणवत्ता से कार्य नहीं किया गया है। जहां पर सीमेंट के पाइप डालने थे, वहां पर पीवीसी के पाइप डाल दिये तथा चार इंच कंक्रीट डालनी थी लेकिन आधी जगह भी पाइपों के नीचे कंक्रीट नहीं डाली हैं, जो चैंबर बने हैं उनको बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। सीवरेज लाइन शुरू होने से पहले ही चैंबर टूटने लग गये हैं। कोई भी इनकी सुध लेने वाले नहीं हैं। आर यू आई डी पी व स्थानीय नगरपालिका की ओर से कोई जांच नहीं करवाई गई है। पूरे शहर में रास्तों की गलियों की हालात खराब है।

ऐसे में सीवरेज परियोजना की उच्च-स्तरीय जांच करवाना बेहद जरूरी

है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सीवरेज की जल्द ही उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए तथा दोषियों को दण्डित किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।

नन्दकिशोर महरिया

(फतेहपुर)

कोटा सम्भाग में राजस्व मण्डल की डबल बैंच की स्थापना

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा सम्थाग में राजस्व मण्डल की सिंगल बैंच प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में तीन दिन के लिए राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए कोटा आती रही है। कोटा सम्भाग के सभी उपखण्ड अधिकारी, भू-प्रबन्ध अधिकारी व राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्णयों की अपील के लिए राजस्व मण्डल अजमेर जाना होता है। इस प्रकार राजस्व मण्डल, अजमेर के पास कोटा सम्भाग के लगभग 3,000 प्रकरण लम्बित हैं और लगभग 2,500 प्रकरण कोटा आने वाली सिंगल बेंच के पास लम्बित हैं। राजस्व मण्डल में अध्यक्ष सहित राज्य सरकार द्वारा 20 सदस्य नियुक्त किये हुए हैं, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष सहित केवल 10 सदस्य ही राजस्व मण्डल की सुनवाई के लिए कार्यरत हैं। राजस्व मण्डल में कुल दर्ज प्रकरणों में सर्वाधिक संख्या कोटा सम्भाग के प्रकरणों की है। सदस्यों की कमी के कारण सम्भाग में जाने वाली राजस्व मण्डल की बेंच लगभग चार-पॉच माह से कोटा में अपना कैम्प नहीं कर पा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा सम्भाग के किसानों को देखते हुए व सम्भाग के किसानों को अजमेर तक न्याय के लिए नहीं जाना पड़े, इसके लिए यहां के जन-प्रतिनिधिगण व अभिभाषकों द्वारा लम्बे प्रयास के बाद कोटा में बेंच की स्थापना हो पाई थी। गत तीन वर्ष पूर्व कोटा अभिभाषक परिषद द्वारा लम्बे समय तक कोटा में राजस्व मण्डल की डबल बेंच के लिए आन्दोलन किया था एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं अभिभाषक परिषद के प्रतिनिधि मण्डल को तत्कालीन सरकार में पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने कोटा में डबल बेंच की स्थापना का आश्वासन दिया था। न तो वह आश्वासन पूरा हो पाया, बल्कि लगातार पॉच माह से बेंच के कोटा नहीं जाने के कारण स्थानीय किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल बेंच की सुनवाई के समय राजस्व मण्डल से पूरा स्टाफ कोटा जाता है। यदि एक माननीय सदस्य और साथ जावे, तो स्थानीय किसानों को डबल बेंच का लाभ भी मिल सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में राजस्व मण्डल में न्यायिक अधिकारीगण व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही सदस्य बनते आये हैं। उनके कार्य करने की क्षमता एवं त्वरित न्याय प्रदान करने के कारण प्रकरण ज्यादा लम्बित नहीं रहा करते थे। इसलिए राजस्व मण्डल का प्रभावी स्वरूप बनाये रखने के लिए पूर्ववर्ती व्यवस्था को ही बनाये रखा जाना उचित होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कोटा सम्भाग के किसानों को समय पर न्याय मिले, इसके लिए राजस्व मण्डल की बेंच को नियमित रूप से सुनवाई करने हेतु कोटा भिजवाया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य उपभोक्ता आयोग की सिंगल बेंच के द्वारा भी इसी प्रकार काफी समय से कोटा में सुनवाई नहीं की जा रही है। कोटा में वर्तमान में लगभग 350 से अधिक अपीलें लम्बित चल रही हैं एवं इन अपीलों व मुकदमों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार द्वारा आयोग में सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण कोटा सम्भाग पर आगामी आदेश तक बेंच स्थगित करने की सूचना दी है एवं अब यह बेंच जून माह तक कोटा नहीं आयेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि क्या सरकार राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच कोटा में शीघ्र ही सदस्यों की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही करेगी?

विद्याशंकर नन्दवाना

(पीपल्दा)

धोद में सड़कों की स्थिति में सुधार

विधान सभा क्षेत्र घोद में लगातार बीस वर्षो से सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इसका मुख्य कारण लगातार (PCM) का प्रतिनिधित्व होने के कारण उनको अतिरिक्त बजट नहीं आबंटन किया जाना है।

PWD मंत्री युनुसजी को घन्यवाद देता हूं, उन्होंने लोसल बाइपास से लेकर सिंगरावट तक नौ करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की, जो 25-30 वर्षो से लगातार बिलकुल टूटी हुई थी। उन्होंने लोसल से गणेशपुरा घोद से लाड़वा, मुण्डवाडा से मुकन्दपुरा, सिहोरबड़ी से श्योत्या का बास नान-पेजबल सड़कें दी हैं, उनको घन्यवाद देता हूं। लेकिन धोद में बहुत सारी सड़कों की मांग है। जिनको पूरी करना अतिआवश्यक है। धोद की जनता ने आजादी के बाद पहली बार कमल खिलाया है। इसलिए केन्द्र और राज्य में BJP की सरकार

होने के कारण लोगों की बड़ी आशा है। क्षेत्र में निम्नलिखित सड़के बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको अतिशीघ्र करवाना आवश्यक है :-

1. सामी से राजपुरा
2. लोसल से बिंजासी
3. नेतडवास से दूगोली
4. तासरछोटी से सेवद छोटी वाया मौल्यासी
5. मैलासी से तेतलीनगर
6. खुड से अहीरो का बास
7. खुड़ से विजयपुरा
8. बानूड़ा से करीरो की ढाणी, तिपन्या की ढाणी
9. अनोरतु से बिंजासी
10. नागवा से पुरा छोटी
11. काशी का बास से पुरबड़ी
12. गोहड़ा भूकरान से जेरढी।

इन सड़कों को करवा दिया जावें तो लोगों को आने-जाने में सुविधा तथा किसानों को अपना सामान लाने ले जाने में सुविधा होगी।

गोरधन

(धोद)

जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा MOU की अनदेखी व नियुक्तियों में अनियमितताएं

निवेदन है कि जय नारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर उत्तरी भारत का एक प्रसिद्ध व ख्याति-प्राप्त विश्वविद्यालय रहा है व है। पूर्व में यह विश्वविद्यालय जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात था, जो मारवाड़ के ख्याति-प्राप्त स्वतंत्रता-सेनानी श्री जयनारायणजी व्यास के नाम से है, परन्तु पिछले करीब 3-4 वर्षों से इस विश्वविद्यालय के जिम्मेवार अधिकारियों की लापरवाही, मिलीभगत व भ्रष्टाचार के कारण इसकी ख्याति में निरन्तर गिरावट हो रही है।

पूर्व में राजस्थान सरकार व जयनारायण विश्वविद्यालय के मध्य वित्तीय खर्च व अन्य आवश्यकताओं को लेकर एक एम.ओ.यू. निष्पादित हुआ था, जिससे जयनारायण विश्वविद्यालय नियमानुसार पाबंद था व है, परन्तु विश्वविद्यालय के जिम्मेवार व सर्वेसर्वा अधिकारियों ने अपने हितैषियों को

फायदा पहुंचाने, भारी घोटाला करने की मंशा से उनके द्वारा निष्पादित एम.ओ.यू. की शर्तों का उल्लंघन कर बिना राजस्थान सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये ही अनेक वित्तीय खर्चे कर दिये, जिनको करने के लिए वे अधिकृत नहीं थे। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2013-14 में नियमों की अवहेलना कर कुल 23 प्रोक्टर विभिन्न संकायों में नियुक्त कर दिये और वर्ष 2014-15 में इनकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय ने नियमों के विरुद्ध चीफ प्रोक्टर को 2,000/- मासिक व प्रोक्टर को 1,000/- मासिक मानदेय देना शुरु कर दिया, जिसकी कोई वित्तीय स्वीकृति भी सरकार से प्राप्त नहीं की।

विश्वविद्यालय ने जिन 30 प्रोक्टरों को नियुक्त किया है, उनमें 12 प्रोक्टर तो वर्ष 2013 में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में चयनित हुए हैं, जिनके ऊपर गम्भीर आरोप हैं। शिक्षक भर्ती का घोटाला देश व प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके सम्बन्ध में अनेक जांचें भी विचाराधीन हैं।

प्रोक्टर का कार्य संकायों में छात्रों को अनुशासन से रखना, किसी गैर -कानूनी, अनैतिक, असामाजिक गतिविधियां व रैगिंग, आदि न हों, इसकी जिम्मेदारी होती है। इनको संकाय के सभी विभागों में नियमित भ्रमण व छात्रों के साथ तालमेल रखना होता है। इस हेतु संकाय के लगभग हर विभाग से वरिष्ठ शिक्षक को प्रोक्टर नियुक्त करना होता है। परन्तु इस सत्र 2014-15 में कई विभागों में 2-3 प्रोक्टर नियुक्त कर दिये व कई विभागों से एक भी प्रोक्टर नियुक्त नहीं किया। साथ ही जिन नव-चयनित शिक्षकों को प्रोक्टर नियुक्त किया, उनका न तो संकाय के सभी शिक्षकों से परिचय था और न ही छात्रों से परिचय या सामंजस्य (तालमेल) ही था।

विश्वविद्यालय ने चीफ वार्डन को मासिक 2,000/- व वार्डन को मासिक 1,000/- रु. मानदेय देना शुरु कर दिया, जिसकी भी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त नहीं की गई। चीफ वार्डन व सभी वार्डनों को मुफ्त आवास, टेलीफोन व नौकर-चपरासी की सुविधाएं मिलती हैं।

विश्वविद्यालय के कुल छात्रावासों में से आधे से ज्यादा छात्रावासों में व कुछ संकायों में तो चीफ वार्डन भी इन नव-चयनित शिक्षकों को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार इन नव-चयनित शिक्षकों को वित्तीय फायदा देने हेतु प्रोक्टर की संख्या बढ़ाकर इन्हें प्रोक्टर व छात्रावास वार्डन बना दिया गया।

हालांकि उपरोक्तानुसार इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगा

हुआ है व मामला विधान सभा में भी कई बार उठ चुका है, फिर भी इनको फायदा पंहुचाकर रेवड़िया बांटी गई हैं। इस तरह न केवल सरकार सम्पत्ति व नियमों की अवहेलना की गई, बल्कि विश्वविद्यालय की साख को भी धक्का पहुंचाया गया है।

यह विषय जनता से जुड़ा अतिसंवेदनशील है। ऐसी स्थिति में इस गम्भीर व अति-आवश्यकता के विषय को, तुरन्त आवश्यकता वाले इस मुद्दे को आपके मार्फत सदन में रखने की अनुमति प्रदान करावें।

जोगाराम पटेल

(लूणी)

खण्डेला की पेयजल समस्या का समाधान

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल की भयंकर समस्या व्याप्त है। खण्डेला नगरपालिका क्षेत्र में 48 घण्टे से पेयजल सप्लाई की जा रही है। नदी-नाले का भौगोलिक क्षेत्र (ऊंचा-नीचा) होने से समान मात्रा में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती है जिससे जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु हर मोहल्ले में अलग-अलग पाइप लाइन डालकर पृथक वाल से खोला जाए तथा नदी में नीचे की बसावट में एक अतिरिक्त उच्च जलाशय बनाया जावे ताकि सबको समान मात्रा व प्रेशर से पानी मिल सके।

इसके अतिरिक्त, विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की अधिकतर ग्राम पंचायतों में पेयजल में निर्धारित मानकों से अधिक फ्लोराइड की मात्रा है जिससे लोगों में बीमारियां हो रही हैं। इसलिए हर गांव में आर.ओ. प्लांट लगाकर जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए।

खण्डेला डार्क जोन में होने के कारण वहां पर पानी की कमी है और पानी के स्रोत कम हैं। वर्तमान में खण्डेला में अजपुरा गांव में किये गये बोरिंग से सप्लाई की जा रही है और उसमें भी पानी कम हो गया है। इसलिए यदि अजपुरा गांव में नये अतिरिक्त बोरिंग खोद दिये जाएं तो इसी पाइप लाइन को काम में लिया जा सकता है और पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।

इसके अलावा, रींगस नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 8 में ढाणियों में बसी हुई आबादी हेतु वर्तमान में पेयजल की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होने से जनता परेशानी में है। उक्त आबादी हेतु आगामी 25-30 सालों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रींगस नदी में बोरिंग करके अलग से

पाइपलाइन डालकर दो नये उच्च जलाशय बनाकर पेयजल की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के आभावास में पेयजल हेतु उच्च जलाशय का निर्माण किया गया था और उक्त उच्च जलाशय का निरीक्षण कराया गया था जिसमें उक्त उच्च जलाशय को नकारा एवं उपयोग में नहीं लेने लायक और दुर्घटना घटित होने की सम्भावना बताई गई थी, लेकिन फिर भी उक्त पुराने उच्च जलाशय को काम में लिया जा रहा है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अतः इस हेतु नया उच्च जलाशय का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से झुन्झुनूं जिले के उदयपुरवाटी तक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डी.पी.आर. की सैद्धान्तिक सहमति बनी हुई है। विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कोई भी ग्राम ऐसा नहीं है जहां पर निर्धारित मानक से अधिक फ्लोराइड पेयजल में नहीं हो। इसलिए खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के गांवों को उक्त कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से पाइपलाइन डालकर पेयजल सप्लाई करने हेतु भी योजना बनाई जानी चाहिए, जिससे आगामी वर्षों में इस क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान किया जा सके।

अतः उक्त प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पेयजल से सम्बन्धित उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

बंशीधर

(खण्डेला)

रेवदर व मण्डार में मेगा हाइवे पर बाइपास का निर्माण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सांचौर, रानीवाड़ा, मण्डार, रेवदर, करेली, आबूरोड व अम्बाजी (गुजरात बोर्डर) स्टेट हाइवे नम्बर-11 पर मेगा हाइवे राज्य सरकार की पी.पी.पी. स्कीम के तहत स्वीकृत हुआ है। करेली से मण्डार तक 22 किमी. सड़क पूर्व में ही बी.ओ.टी. के अन्तर्गत बनी हुई है और उस पर टोल वसूली जारी है। सांचौर से अंबाजी तक पी.पी.पी. के तहत स्वीकृत मेगा हाइवे में उक्त 22 किमी. सड़क भी सम्मिलित है। उक्त मेगा हाइवे रेवदर व मण्डार कस्बे के बीच में से गुजर रहा है व भारी

यातायात के साधन चल रहे हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। कस्बे के बीच में से गुजरने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अत:, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य की पी.पी.पी. स्कीम के तहत स्वीकृत मेगा हाइवे के अन्तर्गत उक्त दोनों 4 किमी. रेवदर एवं 4 किमी. मण्डार कस्बे के बाइपास बनाने हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

जगसी राम

(रेवदर)

सैन समाज को छात्रावास हेतु नि:शुल्क अथवा न्यून राशि पर भू-आबंटन

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजस्थान प्रान्त में पूरे प्रदेश के स्तर पर नाई समाज को विभिन्न निकायों द्वारा छात्रावास बनाने हेतु रियायती दरों पर भूमियों का आबंटन किया गया है। इसमें प्रमुख तौर पर नगरीय विकास विभाग, बीकानेर द्वारा सेन समाज विकास समिति, बीकानेर को दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 को; जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा श्री सेन नवयुवक समिति को महिला बालिका छात्रावास बनाने हेतु दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 को; नगरीय विकास विभाग, कोटा द्वारा राजस्थान सेन समाज कोटा को मेडिकल कालेज के सामने छात्रावास बनवाने हेतु 120x150 वर्ग मीटर की, जिसके पेटे 2 लाख 75 हजार रु. राशि जमा है, भूमि का आबंटन किया गया। इसी प्रकार पूरे प्रान्त में ऐसे कई प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर पेंडिग चल रहे हैं। परन्तु बड़े दु:ख के साथ सरकार से आग्रह करना पड़ रहा है कि आज तक गरीब, भोले-भोले इस समाज के लोगों को नि:शुल्क अथवा कम राशि में भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके प्रति नाई समाज के संगठन बार-बार सरकार से विभिन्न स्तर पर पेंडिंग मांगों को पूर्ण करने हेतु मिलते रहे हैं।

अत: नियम 295 के तहत मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया इस ओर सरकार तत्काल ध्यान देकर भूमि पर छात्रावास बनवाने हेतु भूमि के

अधिकार पत्र अथवा पट्टे जारी करने का श्रम करावे ताकि इससे अधिक से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो सकें।

किशनाराम

(डूंगरगढ़)

पारेवर-मोकला व अन्य ग्रामों (जैसलमेर) में वन विभाग द्वारा निर्माणाधीन चारदीवारी का कार्य रोका जाना

जैसलमेर जिला पशुपालक क्षेत्र है तथा यहां के निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही रहा है। सरकार द्वारा लाखों बीघा भूमि बिना ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों की सहमति से कई विभागों एवं कम्पनियों को अन्धाधुन्ध तरीके से आबंटित की जा रही है। सम्पूर्ण प्रक्रिया में सरकार का केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण ही प्रकट होता है। इस सम्बन्ध में न तो स्थानीय जन-प्रतिनिधियों, न ही स्थानीय ग्राम पंचायत व निवासियों की भावना का ही आदर किया जाता है। कई आबंटन ऐसे किये गये हैं जिनकी आबंटन से 15-20 वर्षों पश्चात् उसका उपयोग शुरु करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। तब तक स्थानीय निवासियों को पता तक नहीं होता। कार्य प्रारम्भ करने पर जब विरोध होता है, तो यह कहा जाता है कि आबंटन हुए कई वर्ष हो गये, अब आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो?

ऐसा ही मामला जिले के ग्राम पारेवर, मोकला व आस-पास के अन्य गांवों में वन विभाग को किये हुए आबंटन व उनके निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों का विरोध है। ग्राम पारेवर व मोकला का क्षेत्र पुराने समय से देवजी (सेवण घास सम्पन्न क्षेत्र) क्षेत्र कहलाता है तथा यहां प्रचुर मात्रा में सेवण घास होने से न केवल जैसलमेर जिले के, अपितु दूरदराज से पशु यहां चरने आते हैं। स्वतंत्र विचरण स्थल होने से पशुओं के लिए, विशेषकर गायों के लिए, यह स्थान स्वर्ग के समान होता है। जिस क्षेत्र को वर्षों पूर्व वन विभाग को आबंटित किया गया था, उस क्षेत्र में गांव के पुराने जल स्रोत बये की तलाई, हासेरे की तलाई, छयनाडा, इसीकोटनाड़ा तथा नेड़बन्ध, आदि बने हुए हैं तथा वन विभाग द्वारा चारदीवारी का निर्माण कार्य करवाये जाने के कारण उनका अस्तित्व समाप्त होने की सम्भावना है। चारदीवारी के कारण पशुपालकों व कृषकों के जीवन पर गहरे संकट की आशंका उत्पन्न हो गई है। वन विभाग द्वारा चारदीवारी का निर्माण कार्य करने से दर्जनों किसानों के खेत में आ रहे बरसाती पानी में रुकावट से उनके सामाने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो सकता है। पीढ़ियों से इस

क्षेत्र को पशुओं के संरक्षण हेतु सुरक्षित स्थान माना जाता है परन्तु वन विभाग द्वारा चारदीवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जाकर पशुओं और किसानों के सामने दुविधा की स्थिति पैदा कर दी गयी हैं। आबंटन से आज तक वन विभाग द्वारा अरबों रुपये यहां खर्च किये गये है परन्तु एक भी पौधा पनप नहीं सका है। इसके लिए भी वन विभाग से हिसाब-किताब पूछा जाना अति-आवश्यक है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह मेरा अनुरोध है कि उक्त गांवों में वन विभाग द्वारा करवाई जा रही चारदीवारी का कार्य बन्द करवाया जाये या उसके अन्दर पशु विचरण करने के लिए गेट (रास्ता) छोड़ा जाए।

धन्यवाद।

छोटू सिंह
(जैसलमेर)

महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय लोक शिक्षा केन्द्र (साक्षरता) में कार्यरत प्रेरकों की नियमित नियुक्ति

सादर निवेदन है कि महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय व लोक शिक्षा केन्द्र (साक्षरता) पर कार्यरत प्रेरक वर्ष 2003 से निरन्तर कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग तो 1997 से ही उपरोक्त कार्य कर रहे हैं। महोदय, इन प्रेरकों को लोक शिक्षा से रुपये दो हजार व पुस्तकालय मद से मात्र 500 रुपये का मानदेय दिया जाता है जिसे महीने के हिसाब से देखें तो 83/84 रुपये पड़ता है, जो एक नरेगा मजदूर से भी कम है।

इन्हीं प्रेरकों से भामाशाह योजना, जनधन योजना, राशन कार्ड, आधार कार्ड व विभिन्न पेंशनों का भी कार्य लिया जाता है। वर्षों से प्रेरकों का समय प्रातः 10 से 5 बजे तक का चल रहा था। प्रेरकों ने नियमितीकरण व मानदेय बढ़ाने की मांग की, तो सरकार ने 19 जुलाई, 2014 को इनका समय पार्ट-टाइम कर दिया, महिला प्रेरक का समय 11 से 1 व पुरुष का 3.30 से 6 बजे तक। इसके फलस्वरूप सभी प्रेरकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली, जिस पर 16 फरवरी, 2015 को माननीय उच्च न्यायालय ने इनके हित में फैसला देते हुए पूर्णकालिक समय के आदेश प्रदान किये।

महोदय, समय-समय पर सरकारों ने इन्हें नियमित करने का वादा किया था, परन्तु आज तक इन्हें नियमित नहीं किया गया। अतः मेरा सदन

के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे प्रेरकों को अतिशीघ्र नियमित नियुक्ति दिलाने का कष्ट करावें।

म. रणधीर सिंह भीण्डर

(वल्लभनगर)

कनपुरा पांडा (घाटोल) के आदिवासी किसानों के कुओं को गहरा कर कृषि योग्य बनाया जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में माही डैम नाम का बड़ा तालाब (डैम) बना हुआ है और डैम की सम्बन्धित दायीं मुख्य नहर तहसील घाटोल क्षेत्र में गुजर रही है। इसी नहर के द्वारा किसानों को पानी सिंचाई हेतु खेतों में सप्लाई होकर रबी की फसल की पैदावार होती है। दायीं मुख्य नहर से सम्बन्धित कन्ठाव नामक छोटी नहर निकाली जाकर गांव कन्ठाव ओडवाल, देलवाड़ा, रूजीया, हिम्मत सिंह कागड़ा, ठीकरिया, बामनपाड़ा, ठालमा गांवों की जमीनों को पानी पिलाया जाकर रबी की फसल की पैदावार ली जा रही है। इसी नहर का आखिरी छोर (टेल) गांव बड़ाना के कनपुरा पांडा में ले जाकर नहरों को रोक दिया गया है।

इस गांव बड़ाना की कुल भूमि 8,629 बीघा है जिसमें से केवल 2,418 बीघा किसानों की भूमि ही सिंचाई होती है व 6,211 बीघा भूमि असिंचित है, लेकिन माही डैम विभाग अधिकारियों द्वारा पूरे गांव का रकबा 8,629 बीघा भूमि सिंचित (कमान्ड एरिया) घोषित कर रखा है। 6,211 बीघा भूमि में माही नहर का पानी सप्लाई नहीं होता है।

पानी के अभाव में परेशान होकर अपने खेतों के किनारे 33 आदिवासी किसानों ने खुले कुएं अपनी निजी मेहनत-मजदूरी से खोदकर अपने खेतों में पानी पिलाने की योजना बनाई है, मगर कुओं में पूरा बराबर पानी नहीं आने से किसान सरकार द्वारा कुओं को गहरा करवाने की मांग कर रहे हैं।

अतः मेरा आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव बड़ाना के सम्बन्धित कनपूरापाड़ा का सर्वे कराकर जिन 33 आदिवासी किसानों ने कुएं खोद रखे हैं, उनकी मौका जांच करवाकर, सरकार की तरफ से कुआं गहरा कराकर, खेती योग्य कुओं का निर्माण कराकर, आदिवासी किसानों को राहत दिलाई जाये।

नवनीत लाल

(घाटोल)